ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

दिसंबर 2025
वर्ष : 07 | अंक : 12

dhyeyaias.com

G20 शिखर सम्मेलन 2025

ग्लोबल साउथ और बदलती विश्व-व्यवस्था

»मुख्य विशेषताएं

पावर पैक्ड न्यूज | यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस | समाचार विश्लेषण

ध्येय
most trusted since 2003

Centre for Excellence

आरण्यक
Centre for Excellence

आरण्यक

UPPCS

MAINS CRASH COURSE 2025

जानें अपने UP को

Starting

12th DEC 2025

Features:

- Duration: 90+Days
- Classes: GS I to GS VI including General Hindi & Essay
- Total Test: 40 (Subject wise)
- Doubt Clearing Session

Open for All

MODE
Offline | Online

Registration Open

LUCKNOW

☎ 9506256789 ALIGANJ | ☎ 7570009003 GOMTI NAGAR | ☎ 8853467068 PRAYAGRAJ

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-17

- ➢ **भारत की किशोर न्याय प्रणाली: स्थायी कमियाँ और सुधार का मार्ग**
- अत्यंत गरीबी का उन्मूलन करने वाला केरल बना भारत का पहला राज्य
- QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026
- राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" की 150वीं वर्षगांठ
- लखनऊ को यूनेस्को द्वारा 'सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा
- भारत में फिल्म सेंसरशिप
- "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025" रिपोर्ट
- नई चेतना 4.0: लैंगिक हिंसा रोकने की राष्ट्रीय पहल
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

2. राजव्यवस्था एवं शासन 18-38

- ➢ **संवैधानिक विवेक और न्यायिक सीमाएँ: संघीय ढांचे का संतुलित पुनर्मूल्यांकन**
- ➢ **भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार: कानूनी विकास और नीतिगत परिदृश्य**
- संपत्ति की ख़रीद-बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- गिरफ्तारी के लिए पुलिस को लिखित कारण देना अनिवार्य
- ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट
- भारत में एआई गवर्नेंस के दिशानिर्देश
- ट्रिब्यूनल्स पर संवैधानिक विवाद
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023
- मसौदा बीज विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही
- असम पॉलीगैमी निषेध विधेयक 2025
- रेयर-अर्थ मैग्नेट योजना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी
- एक राष्ट्र, एक चुनाव
- ऑनलाइन कंटेंट के लिए स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 39-60

- ➢ **जी-20 शिखर सम्मेलन 2025: भू-राजनीतिक चुनौतियाँ और भारत की नीतिगत प्राथमिकताएँ**
- भारत बहरीन संबंध
- चाबहार बंदरगाह
- दुर्लभ पृथ्वी तत्व संबंधी अमेरिका–चीन समझौता
- यूएस-चीन "जी–2" बैठक
- खाबरोवस्क श्रेणी की पनडुब्बी
- भारत–इज़राइल रक्षा सहयोग एमओयू: रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त विकास
- सूडान संकट विश्लेषण
- एफ़एटीएफ ने भारत के एसेट रिकवरी मॉडल की सराहना की
- भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देशों की यात्रा
- आयनी एयरबेस से भारत की वापसी
- भारतीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा
- भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) समूह बैठक
- मानवता के विरुद्ध अपराधों में शेख हसीना को मृत्यु दंड
- भारत-नेपाल रेल व व्यापार संपर्क समझौता
- भारत-कनाडा आर्थिक गठजोड़
- ऑपरेशन सदर्न स्पीयर
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव
- कनाडा का नया नागरिकता कानून 2025 – बिल C-3 व प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 61-82

- ➢ **हरित आवरण से पारिस्थितिक पुनर्जीवन तक: भारतीय वन की नई जलवायु नीति**
- नौरादेही अभयारण्य भारत का तीसरा चीता आवास
- अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025
- संकटग्रस्त प्रजातियों के आयात पर रोक लगाने का आग्रह

- आईयूसीएन ने खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को दी 'गुड' रेटिंग
- पश्चिमी घाट में नई मकड़ी प्रजाति की खोज
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में रीसस मकाक को शामिल करने की मांग
- मृदा कार्बन पर आईसीएआर का अध्ययन
- ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF): वैश्विक वन वित्त पहल
- भारत का पहला राष्ट्रीय गिद्ध सर्वेक्षण
- दिल्ली में GRAP चरण-3 हटाया गया
- जलवायु जोखिम सूचकांक 2026
- समुद्री गायें (डुगोंग) के विलुप्त होने का खतरा
- 2035 के लिए संशोधित NDC
- सारंडा वन को वाइल्डलाइफ अभयारण्य घोषित करने का निर्देश
- वैश्विक मीथेन उत्सर्जन पर यूएनईपी रिपोर्ट
- आंध्र प्रदेश में नयी गेक्को प्रजाति की खोज
- हैली गुब्बी ज्वालामुखी 2025 विस्फोट

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 83-101

➤ **भारत में बढ़ता फंगस रोग बोझ: सुदृढ़ निगरानी और समर्पित अनुसंधान की अनिवार्यता**
- भारी स्वदेशी संचार उपग्रह जीसैट-7आर का प्रक्षेपण
- निपाह एंटीबॉडी विकास के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट
- एमोएबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस: भारत में दुर्लभ 'ब्रेन ईटिंग' अमीबा संकट
- एन्सेफैलोमायोकार्डाइटिस वायरस (EMCV)
- वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025
- जेम्स वॉटसन और डीएनए की खोज
- भारत में क्रॉनिक किडनी रोग
- घातक रासायनिक विष रिसिन
- मैन-पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडरवॉटर व्हीकल (MP-AUVs)
- सेंटिनल-6बी: समुद्र तल की निगरानी करने वाला नवोन्मेषी उपग्रह
- CRISPR आधारित जीन थेरेपी 'BIRSA 101' से सिकल सेल रोग का समाधान
- किसी अन्य तारे पर पहली बार कोरोनल मास इजेक्शन की घटना
- गैर-न्यूटनियन द्रवों में अव्यवस्थित गति का विश्लेषण
- Vikram-I — भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट
- मानव मस्तिष्क पर अध्ययन

6. आर्थिकी 102-110

➤ **खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक: भारत की विज्ञान नीति पहल**
- भारत सरकार ने चार नए श्रम संहिता अधिसूचित किए
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- कैबिनेट ने ₹25,060 करोड़ के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी
- ग्रामीण आवास मुद्रास्फीति को मापने के लिए नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025
- भारत-यूरोप के बीच सीमा-पार भुगतान प्रणाली

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 111-117

➤ **भारत का नक्सलवाद विरोधी समेकित मॉडल: विकास, विश्वास और सुरक्षा**
- भारत-अमेरिका ने 10 वर्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी रूपरेखा पर समझौता किया
- भारतीय नौसेना को सर्वे वेसल आईएनएस इक्षाक सौंपा गया
- आईएनएस माहे भारतीय नौसेना में शामिल
- H-AMMER विस्तारित रेंज मॉड्यूलर गोला-बारूद का उत्पादन

पावर पैक्ड न्यूज 118-130

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 131-139

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

भारत की किशोर न्याय प्रणाली: स्थायी कमियाँ और सुधार का मार्ग

सन्दर्भ:

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के लागू होने के लगभग एक दशक बाद भी, भारत की बाल-सुरक्षा व्यवस्था गंभीर संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। यह कानून एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए बनाया गया था जो बाल-मित्र, पुनर्वास-उन्मुख और वयस्क आपराधिक न्याय प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से भिन्न हो। फिर भी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की नई रिपोर्ट "किशोर न्याय और विधि से संघर्ष में बच्चे: अग्रिम पंक्ति की क्षमता का अध्ययन", जो 24 नवम्बर 2023 को जारी हुई, दर्शाती है कि कानूनी दृष्टि अभी भी पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकी है।

रिपोर्ट एक असहज सत्य को सामने लाती है कि प्रगतिशील विधि के बावजूद, विधि से संघर्ष में रहने वाले बच्चे अभी भी विलंब, कमजोर अवसंरचना, अपर्याप्त स्टाफ वाले संस्थान और अविश्वसनीय डेटा प्रणाली का सामना करते हैं। ये कमियाँ न केवल पुनर्वास बल्कि व्यापक बाल-सुरक्षा लक्ष्यों को भी कमजोर करती हैं। इन अंतरालों को समझना भारत के न्याय वितरण तंत्र को मजबूत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बच्चों जो सबसे अधिक संवेदनशील समूहों में से एक हैं, के साथ सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार हो।

लंबित मामलों की समस्या:

- अध्ययन का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) के समक्ष लंबित मामलों की भारी संख्या है। 31 अक्तूबर 2023 तक, 50,000 से अधिक बच्चे अपने मामलों पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। 362 किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के आंकड़ों के अनुसार, 55% मामले लंबे समय से लंबित हैं।
- यह बैकलॉग किशोर न्याय अधिनियम की उस भावना के प्रतिकूल है, जो संवेदनशील और तीव्र सुनवाई की मांग करता है। बच्चों के संदर्भ में न्याय में देरी का अर्थ है कि भावनात्मक तनाव, अनिश्चितता और शिक्षा व पारिवारिक जीवन में व्यवधान। रिपोर्ट एक कठोर तुलना करती है कि बच्चे भी वयस्क अंडरट्रायल कैदियों जैसी स्थिति झेलते हैं वो भी उस प्रणाली की प्रतीक्षा करते हुए जो उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाई गई है।

रिक्तियाँ और गैर-कार्यक्षम पीठें:

- एक सक्षम किशोर न्याय प्रणाली बहुविषयक पीठों पर निर्भर

करती है। प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और दो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए ताकि न्यायिक निर्णयों में कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित हो सके। मगर अध्ययन में व्यापक स्तर पर अनुपालन न होने की स्थिति सामने आई:

» 24% किशोर न्याय बोर्ड पूर्ण पीठ के बिना कार्य कर रहे हैं।
» अध्ययन में शामिल 470 बोर्डों में से 111 में पूर्ण पीठ का अभाव था।
» केवल ओडिशा, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर ने प्रत्येक जिले में पूर्ण पीठ की रिपोर्ट दी।

- पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने इस स्थिति को "चिंताजनक" बताया, रिक्तियाँ केवल किशोर न्याय बोर्डों तक सीमित नहीं, बल्कि बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) तक भी फैली हैं। यह कमी सुनवाई, पुनर्वास योजना और समयबद्ध निर्णय को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

राज्यों में अवसंरचना संबंधी कमियाँ:

- **सेफ्टी होम का अभाव:** जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 16–18 वर्ष की आयु के उन बच्चों के लिए सेफ्टी होम (Places of Safety) अनिवार्य करता है, जिन पर घोर अपराध का आरोप है। ऐसे बच्चों को सामान्य अवलोकन गृहों में नहीं रखा जा सकता। मगर रिपोर्ट बताती है कि 14 राज्यों जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं, में सेफ्टी होम नहीं है। यह एक गंभीर कानूनी व प्रशासनिक शून्य पैदा करता है।
- **कानूनी सहायता तक कमजोर पहुंच:** प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड में एक कानूनी सेवा क्लिनिक होना चाहिए जिससे बच्चों को उचित कानूनी सहायता मिल सके। लेकिन सर्वेक्षण किए गए 437 किशोर न्याय बोर्डों में से 30% में कोई कानूनी सेवा क्लिनिक नहीं है। इसका अर्थ है कि हजारों बच्चे बिना पर्याप्त कानूनी मार्गदर्शन के सुनवाई में भाग लेते हैं जो प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर करता है।
- **बाल देखभाल संस्थानों में चिकित्सकीय सुविधा का अभाव:** बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) की स्थिति और भी चिंताजनक है। जिन 15 राज्यों ने डेटा उपलब्ध कराया लगभग 80% बाल देखभाल संस्थान (CCI) में डॉक्टर या चिकित्सकीय स्टाफ नहीं था। यह अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि बाल देखभाल संस्थान (CCIs) में अक्सर वे बच्चे रहते हैं जो उत्पीड़न, तस्करी, परित्याग या अपराध-संबंधी परिस्थितियों से निकाले गए होते हैं और जिन्हें तत्काल चिकित्सा व मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है।
- **कमज़ोर निगरानी और पर्यवेक्षण:** निगरानी तंत्र कागज़ों पर तो मौजूद हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर है।
  » जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड को प्रत्येक महीने कम-से-कम एक बार बाल देखभाल संस्थान (CCIs) का निरीक्षण करने का निर्देश देता है।
  » 14 राज्यों और जम्मू और कश्मीर में अनिवार्य 1,992 निरीक्षणों के मुकाबले केवल 810 निरीक्षण हुए।
  » पर्याप्त निरीक्षण न होने से संस्थान अधिकार-उल्लंघन, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अनाथालयों में बच्चों के शोषण की चुनौती पर पहले ही चिंता व्यक्त की थी।

- **डेटा की कमी:**
  » रिपोर्ट के अनुसार विश्वसनीय डेटा का अभाव सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी है। जहाँ वयस्क न्याय प्रणाली में नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड है, वहाँ किशोर मामलों के लिए कोई केंद्रीय सार्वजनिक डेटाबेस मौजूद नहीं है।
  » रिपोर्ट संकलित करने के लिए 28 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों में 250 से अधिक आरटीआई आवेदन किया जिसमें प्राप्त 500+ उत्तरों में से:
    ➢ 11% अस्वीकृत
    ➢ 24% का कोई उत्तर नहीं

» यह अपारदर्शिता निगरानी को अनियमित बनाती है और जवाबदेही कमजोर करती है।

» किशोर न्याय संरचना पिरामिडीय है और इसकी प्रभावी कार्यप्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि डेटा पुलिस स्टेशन और CCIs से लेकर जिला और राज्य स्तर तक सहज रूप से प्रवाहित हो। डेटा बिखरा या अनुपलब्ध होने पर निगरानी निरंतर के बजाय अवसरवादी बन जाती है।

» रिपोर्ट निष्कर्ष देती है कि कानूनी वादों और जमीन पर वास्तविकताओं के बीच की दूरी अभी भी बहुत अधिक है। सुरक्षात्मक और सुधार-उन्मुख प्रणाली की जगह किशोर न्याय व्यवस्था अक्सर वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली की लंबित मामले, कमजोर दस्तावेज़ीकरण और खराब फॉलो-अप जैसी कमियाँ दिखाती है।

व्यापक संस्थागत कमजोरियों का मूल्यांकन:

▪ **जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPUs) में स्टाफ की कमी**

» DCPU बचाव, केस-प्रबंधन और पुनर्वास का केंद्र है। मगर कई राज्यों में निम्न पदों पर 30% से अधिक रिक्तियाँ हैं:

➢ संरक्षण अधिकारी

➢ परामर्शदाता

➢ आउटरीच कार्यकर्ता

» महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2023 समीक्षा में यह कमी उजागर हुई।

▪ **बाल कल्याण समितियों (CWCs) में लंबित मामले**

» CWCs उन बच्चों को देखते हैं जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। इनमें अक्सर पाया गया:

➢ भारी मामले

➢ सामाजिक जांच रिपोर्टों में विलंब

➢ कम संख्या में परामर्शदाता

➢ अनियमित बैठकें

» राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की 2022 सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट ने इन समस्याओं की पुष्टि की।

▪ **किशोर न्याय बोर्ड (JJBs) के लिए कमजोर बहुविषयक समर्थन**

» किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 और 8 के अनुसार JJBs को मनोवैज्ञानिक, प्रोबेशन अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलना चाहिए। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की कमी पर चिंता जताई।

▪ **बाल देखभाल संस्थान (CCIs) की निगरानी में कमी**

» 2021 संशोधन के बाद जिलाधिकारियों को निरीक्षण का दायित्व मिला, लेकिन अनुपालन राज्यों में काफी असमान है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई अनियमित या अवैध संस्थानों को लेकर चिंता जता चुका है।

▪ **विभागों के बीच कमजोर समन्वय**

» बचाव, पुनर्वास और पुनर्समायोजन के लिए विभिन्न विभागों के बीच घनिष्ठ तालमेल जरूरी है:

➢ पुलिस

➢ श्रम विभाग

➢ स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग

➢ जिला बाल संरक्षण इकाई

➢ बाल कल्याण समिति

➢ किशोर न्याय बोर्ड

» बाल स्वराज पोर्टल (2021–23) ने इन एजेंसियों के बीच क्रॉस-रिपोर्टिंग और फॉलो-अप में गंभीर अंतराल दिखाए।

सहकार्य और तंत्रगत एकीकरण को मजबूत करना:

▪ **जिला स्तर पर संयोजन समितियाँ:** जिलाधिकारियों के नेतृत्व में वैधानिक समितियाँ जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाहियों का एकीकरण कर सकती हैं। कर्नाटक के 2023 मॉडल ने गुमशुदा बच्चों को ट्रैक करने और पुनर्वास में बेहतर परिणाम दिखाए।

▪ **डिजिटल एकीकरण और रियल-टाइम अपडेट:** निम्न डेटाबेसों को जोड़ने से सभी संस्थान एक ही केस डेटा देख पाएँगे:

» TrackChild 2.0

» Baal Swaraj

» CCTNS (पुलिस)

» MWCD की 2024 रिपोर्ट में पाया गया कि डिजिटल एकीकरण से बच्चों की रिकवरी दर में सुधार हुआ।

▪ **वैधानिक निकायों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) प्रमाणित प्रशिक्षण किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है ताकि किशोर न्याय नियमों की

एकसमान व्याख्या और बाल-संवेदनशील प्रक्रियाएँ सुनिश्चित हों।

- **नियमित स्वतंत्र निरीक्षण:** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की 2021 दिशानिर्देशों के आधार पर त्रैमासिक सामाजिक ऑडिट और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।
- **एकीकृत वित्तपोषण:** चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, श्रम और शिक्षा विभागों के बजट को मिलाकर योजनाबद्ध तरीके से संसाधन आवंटन किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को संयोजन-आधारित मॉडल अपनाने का अवसर देता है।

निष्कर्ष:

भारत की किशोर न्याय प्रणाली, जो प्रगतिशील कानून और संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 पर आधारित है, बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नए निष्कर्ष दर्शाते हैं कि वास्तविक स्थिति इस लक्ष्य से अभी काफी दूर है। लंबित मामले, रिक्तियाँ, कमजोर निगरानी, खराब अवसंरचना और रियल-टाइम डेटा की कमी, ये सभी इस प्रणाली के मूल सिद्धांतों को कमजोर करते हैं। इस ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए केवल सतही समाधान पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता है एक डिजिटल रूप से एकीकृत, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और उत्तरदायी व्यवस्था की जहाँ सभी संस्थान एकसाथ कार्य करें, तभी किशोर न्याय प्रणाली अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी।

संक्षिप्त मुद्दे

अत्यंत गरीबी का उन्मूलन करने वाला केरल बना भारत का पहला राज्य

सन्दर्भ:

1 नवंबर 2025 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य विधानसभा में आधिकारिक रूप से घोषणा की कि केरल, अत्यंत गरीबी (Extreme Poverty) से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

अतिदरिद्र निर्मूलन परियोजना (Extreme Poverty Eradication Project, EPEP)के बारे में:

- यह परियोजना 2021 में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य नवंबर 2025 तक राज्य से अत्यंत गरीबी का पूर्ण उन्मूलन करना था।
- पहचान प्रक्रिया के दौरान कुल 64,006 परिवारों (लगभग 1,03,099 व्यक्तियों) को अत्यंत वंचित स्थिति में जीवनयापन करने वाला पाया गया।
- पहचान के लिए चार प्रमुख अभाव संकेतक (deprivation indicators) अपनाए गए:
  - » पर्याप्त भोजन की कमी,
  - » खराब आवास या भूमिहीनता,
  - » अपर्याप्त आय या आजीविका साधन,
  - » खराब स्वास्थ्य स्थिति या स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता।
- प्रत्येक पहचाने गए परिवार के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (LSGIs) और महिलाओं के नेटवर्क कुडुंबश्री (Kudumbashree) द्वारा एक योजना तैयार की गई।

Securing future

Through the Extreme Poverty Eradication Project launched in 2021, the Kerala government prepared micro-plans for every family

- **1,03,099** individuals from **64,006 families** identified as extremely poor
- **21,263** families received **essential documents**
- **3,913** families were provided **new houses**
- **1,338** families were **allotted land**

- **5,651** families received up to **₹2 lakh** each for house renovation
- **3,822** families got **livelihood assistance**

इन योजनाओं के अंतर्गत:

- आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, दिव्यांगजनों के लिए UDID) की व्यवस्था और स्वास्थ्य बीमा व

सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी मूलभूत सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

- बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता- अध्ययन सामग्री, वित्तीय सहायता और भोजन की सुविधा ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो।
- बुनियादी ढांचा और संस्थागत सहायता - घर निर्माण, भूमि आवंटन, मकान मरम्मत, आजीविका पहल (जैसे कुडुंबश्री की "उज्जीवनम्" योजना) और अन्य विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता।
- परियोजना की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई, जिससे प्रत्येक परिवार की प्रगति का नियमित रूप से ट्रैक किया जा सके।

इस उपलब्धि का महत्व:

- राज्य स्तर पर अत्यंत गरीबी के उन्मूलन की उपलब्धि एक बड़ी नीतिगत सफलता है, जो यह दर्शाती है कि लक्षित कल्याण कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी मिलकर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
- यह पहल पारंपरिक गरीबी उन्मूलन से आगे बढ़कर उन अंतिम वंचित परिवारों पर केंद्रित है जो सामान्य कल्याण योजनाओं की पहुंच से बाहर रह गए थे।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG)–1 "गरीबी का अंत" (No Poverty) के वैश्विक ढांचे से मेल खाती है, क्योंकि यह दिखाती है कि कोई राज्य स्तर की इकाई पूर्ण रूप से गरीबी को ख़त्म कर सकती है।
- यह अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है कि कैसे सूक्ष्म योजना, डेटा-आधारित पहचान और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से समावेशी विकास प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

केरल की अतिदरिद्र निर्मूलन परियोजना समाज में सबसे अधिक वंचित वर्गों को उन्नत करने का एक साहसिक और केंद्रित प्रयास है। राज्य द्वारा स्वयं को भारत का पहला "अत्यंत गरीबी-मुक्त" राज्य घोषित करना एक ऐतिहासिक नीतिगत उपलब्धि है। हालांकि असली चुनौती अब दीर्घकालिक स्थिरता, पूर्ण समावेशन और इस मॉडल की अन्य राज्यों में पुनरावृत्ति (replicability) सुनिश्चित करने में निहित है।

QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026

संदर्भ:

हाल ही में क्वाक्क्वारेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds - QS) ने अपनी "क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स: एशिया 2026" का 17वां संस्करण जारी किया है। इस रैंकिंग में एशिया के 25 देशों की उच्च शिक्षा प्रणालियों से 1,500 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। भारत अब इस सूची में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है, जहाँ 294 विश्वविद्यालयों और संस्थानों को स्थान मिला है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। हालाँकि, चीन 395 संस्थानों के साथ इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय:

- **आईआईटी दिल्ली:** एशिया में 59वां स्थान, 78.6 का स्कोर — उच्च प्रभावशाली शोध (रिसर्च साइटेशन) के लिए प्रसिद्ध।
- **आईआईएससी बेंगलुरु:** एशिया में 64वां स्थान, 76.5 का स्कोर — उत्कृष्ट शोध गुणवत्ता और नवाचार के लिए सराहा गया।
- **आईआईटी मद्रास:** एशिया में 70वां स्थान, 75.1 का स्कोर — शैक्षणिक उत्कृष्टता और तकनीकी नेतृत्व का उदाहरण।
- **आईआईटी बॉम्बे:** एशिया में 71वां स्थान, 75.0 का स्कोर — मजबूत फैकल्टी-छात्र अनुपात और उच्च शिक्षण मानकों के कारण पहचान प्राप्त।

क्षेत्रीय तुलना (एशिया के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता):

देश	शीर्ष विश्वविद्यालय	रैंक	विशेषताएँ
हांगकांग	यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग	1	शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैश्विक सहयोग में अग्रणी
चीन	पेकिंग यूनिवर्सिटी	2	अग्रणी शोध पारिस्थितिकी तंत्र
सिंगापुर	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS)	3	लगातार उच्च शैक्षणिक प्रतिष्ठा

भारत के लिए महत्व:

- **सॉफ्ट पावर और ज्ञान कूटनीति:** विश्वविद्यालय किसी देश की वैश्विक प्रभावशक्ति के साधन होते हैं। उच्च रैंक वाले संस्थान वैश्विक प्रतिभा, शोध साझेदारी और निवेश आकर्षित करते हैं, जिससे भारत की "विश्वगुरु" बनने की शैक्षिक दृष्टि को बल मिलता है।
- **आर्थिक विकास:** उच्च शिक्षा क्षेत्र भारत के जीडीपी में लगभग 4% योगदान देता है। वैश्विक पहचान बढ़ने से भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नवाचार प्रणाली और मानव पूंजी की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि

होगी।

- **शोध और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत का अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय अभी जीडीपी का केवल 0.7% है, जबकि चीन का 2.4% और दक्षिण कोरिया का 4.9% है। यदि सार्वजनिक और निजी R&D निवेश में वृद्धि नहीं की गई, तो भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष शोध क्षमता बनाए नहीं रख पाएगा।

क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2026 में भारत से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- कई भारतीय संस्थानों ने अपने कुल स्कोर में सुधार किया है, फिर भी उनकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।
- आईआईटी दिल्ली लगभग 15 स्थान कम होकर एशिया में 59वें स्थान पर आ गया, जबकि आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान से हटकर 71वें स्थान पर पहुँच गया।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में "अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुपात (International Student Ratio - ISR)" और अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी की उपस्थिति अब भी बहुत कम है। उदाहरण के लिए, कुछ आईआईटी संस्थानों का आईएसआर स्कोर मात्र 2.5 दर्ज किया गया है।
- कई भारतीय संस्थानों के लिए संकाय-छात्र अनुपात (Faculty-Student Ratio) जैसे मानक अब भी कमजोर हैं। उदाहरणस्वरूप, आईआईटी दिल्ली ने इस मीट्रिक में 40.9 अंक प्राप्त किए, जबकि शीर्ष एशियाई विश्वविद्यालयों का स्कोर 80–90 के बीच है।

सरकारी पहलें:

पहल	उद्देश्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020	उच्च शिक्षा में लचीलापन, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (IoE)	चुनिंदा विश्वविद्यालयों को विश्व-स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित करना।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ)	गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार के लिए वित्तीय सहायता को सुदृढ़ बनाना।
स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम	विदेशी छात्रों को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति प्रदान करना।

निष्कर्ष:

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में भारत की बढ़ती उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश वैश्विक शैक्षणिक पहचान की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शैक्षणिक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भारत को गुणवत्तापूर्ण शोध, उत्कृष्ट फैकल्टी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी।

राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" की 150वीं वर्षगांठ

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय गीत, "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया।

भारत सरकार की पहल:

- सरकार वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएगी।
- गायन कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
- गीत में निहित एकता, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को सुदृढ़ किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी और यह पहली बार 1882 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था।
- यह गीत भारत माता को एक दिव्य और शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है, जो शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक है।
- इसे पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया था।

स्वतंत्रता आंदोलन में महत्व और भूमिका:

- वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नारा बन गया था और धीरे-धीरे राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक हो गया।
- इसे पहली बार 7 अगस्त, 1905 को बंगाल में विभाजन-विरोधी आंदोलन के दौरान एक राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था और जल्द ही यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक

प्रेरणादायी गान बन गया।

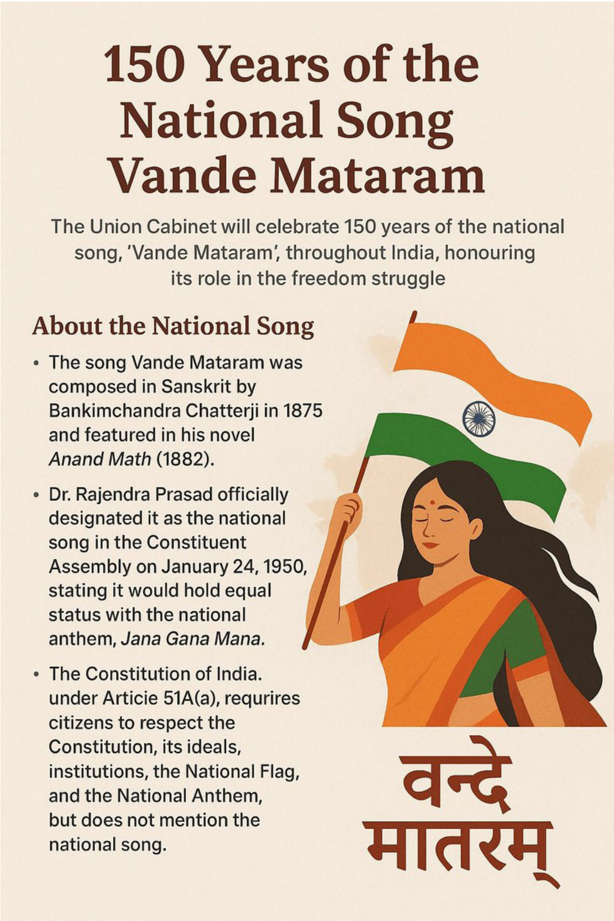

संवैधानिक मान्यता:

- वंदे मातरम को 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था।
- वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत संरक्षित है।

निष्कर्ष:

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का उत्सव है, जो नागरिकों को उन आदर्शों की याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शन किया।

लखनऊ को यूनेस्को द्वारा 'सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा

संदर्भ:

यूनेस्को ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित अपने 43वें महासम्मेलन के दौरान लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) के अंतर्गत "गैस्ट्रोनॉमी की रचनात्मक नगरी" (Creative City of Gastronomy) के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है।

नामांकन प्रक्रिया:

- यह मान्यता UCCN की "गैस्ट्रोनॉमी" उपश्रेणी के अंतर्गत दी गई है, जो उन नगरों को चिन्हित करती है जो अपने पाक विरासत (culinary heritage) को सृजनशीलता और सतत विकास का आधार बनाते हैं।
- लखनऊ के नामांकन प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय द्वारा तैयार किया गया था और इसे 31 जनवरी 2025 को संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।
- भारत सरकार ने 3 मार्च 2025 को लखनऊ को अपनी आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया।
- इस मान्यता के साथ, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी टैग प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा नगर बन गया है (पहला हैदराबाद, जिसे 2019 में यह दर्जा मिला था)।

सांस्कृतिक एवं पाक विरासत के बारे में:

- लखनऊ की पाक शैली अवध परंपरा में निहित है, जिसमें मुगल, फारसी और स्वदेशी खाना पकाने की विधियों का प्रभाव है, जैसे धीमी आंच पर पकाना (दम पुख्त), सुगंधित मसालों का मिश्रण और शाही रसोई की परंपरा।
- यह मान्यता लखनऊ की "गंगा-जमुनी तहज़ीब" को भी रेखांकित करती है, जहाँ भोजन की परंपरा समाज के हर तबके, शाही रसोई से लेकर आम स्ट्रीट फूड तक, में फैली है।

महत्त्व:

- यह भारत की "सॉफ्ट पावर" को सुदृढ़ करता है और भोजन के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देता है।
- सतत पर्यटन को प्रोत्साहन देता है तथा स्थानीय कारीगरों, रसोइयों और लघु खाद्य उद्यमों को सहयोग प्रदान करता है।
- पारंपरिक व्यंजनों और पाक कौशल के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।
- UCCN ढांचे के तहत वैश्विक सहयोग के माध्यम से आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को गति देता है।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) में शामिल अन्य भारतीय नगर:

नगर	श्रेणी	मान्यता का वर्ष
जयपुर	हस्तशिल्प एवं लोक कला	2015
वाराणसी	संगीत	2015
चेन्नई	संगीत	2017
मुंबई	फिल्म	2019
हैदराबाद	गैस्ट्रोनॉमी	2019
श्रीनगर	हस्तशिल्प एवं लोक कला	2021
ग्वालियर	संगीत	2023
कोझिकोड	साहित्य	2023
लखनऊ	गैस्ट्रोनॉमी	2025

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) के बारे में:

» **स्थापना:** 2004

» **उद्देश्य:** उन नगरों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना जो संस्कृति, सृजनशीलता और नवाचार के माध्यम से सतत शहरी विकास को बढ़ावा देते हैं।

» **विस्तार:** विश्वभर में 350 से अधिक नगर, सात क्षेत्रों में, संगीत, फिल्म, साहित्य, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, हस्तशिल्प एवं लोक कला, तथा मीडिया आर्ट्स।

- यह ज्ञान-साझाकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिलना भारत की विविध पाक परंपराओं और अवध व्यंजनों की जीवंत विरासत का उत्सव है। यह उपलब्धि न केवल लखनऊ की पाक उत्कृष्टता का सम्मान करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संस्कृति कैसे समावेशी विकास, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रेरक तत्व बन सकती है।

भारत में फिल्म सेंसरशिप

संदर्भ:

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय मलयालम फिल्म "हाल" (Haal) के निर्माता और निर्देशक द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म को "A" (Adults Only) प्रमाणपत्र देने और उस पर अनिवार्य कट लगाने के निर्णय को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह निर्णय मनमाना है और अभिव्यक्ति तथा कलात्मक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

पृष्ठभूमि:

- फिल्म "हाल" (Haal) एक धर्मांतर संबंध (interfaith relationship) पर आधारित संवेदनशील कहानी है। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब CBFC के क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रारंभ में फिल्म को पास करने की अनुशंसा की, लेकिन बाद में इसे मुंबई की पुनरीक्षण समिति के पास भेज दिया गया, जिसने 15 कट लगाने और "A" (Adults Only) सर्टिफिकेट देने का आदेश जारी किया।
- फिल्म निर्माताओं का तर्क है कि ये आदेश मनमाने, अनुचित हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- CBFC ने कुछ दृश्यों में दिखाए गए नाम को धुंधला करने और धार्मिक पहचान से जुड़े संवाद बदलने का निर्देश दिया, जिससे फिल्म का सामाजिक-सांस्कृतिक संदेश कमजोर पड़ गया है।

भारत में फिल्म प्रमाणन व्यवस्था:

- भारत में फिल्मों के प्रमाणन की व्यवस्था सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत की जाती है।
- इस व्यवस्था का संचालन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक संस्था है।
- CBFC का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिल्में समाज की नैतिकता और शालीनता के मानकों के अनुरूप हों, साथ ही यह भी कि रचनात्मक स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बाधित न किया जाए।
- इसमें एक अध्यक्ष और 12–25 गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा देशभर में 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया :

- वर्तमान में पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है और e-CinePramaan पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है।
- प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्न हैं:

  » **ऑनलाइन आवेदन:** निर्माता फिल्म, आवश्यक दस्तावेज़ और शुल्क पोर्टल पर अपलोड करते हैं।

  » **परीक्षण:** एक समिति फिल्म को देखती है और यह अनुशंसा

करती है कि फिल्म को कौन-सा सर्टिफिकेट दिया जाए और क्या कोई संशोधन या कट जरूरी हैं।

- **निर्णय व अनुपालन:**
  - बोर्ड के अध्यक्ष समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और आवश्यकतानुसार आदेश जारी करते हैं।
  - सभी निर्देशों के अनुपालन के बाद प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है।
- **प्रमाणपत्रों के प्रकार:**
  - U (Universal)- सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त।
  - U/A -सभी के लिए, परंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभिभावक की सलाह आवश्यक; इसमें उपश्रेणियाँ हैं – U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+.
  - A (Adults Only)-केवल 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए।
  - S (Specialized)-विशेष पेशेवर समूहों (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक) के लिए सीमित।

निष्कर्ष:

'हाल' (Haal) फिल्म का मामला भारत में कलात्मक स्वतंत्रता और राज्यीय नियंत्रण के बीच जारी तनाव को दर्शाता है। अक्सर CBFC "सार्वजनिक हित" का कारण देकर कट या रोक लगाता है, जिससे सेंसरशिप और वर्गीकरण की सीमा धुंधली हो जाती है। भारत को ऐसी पारदर्शी और स्व-नियामक व्यवस्था की आवश्यकता है, जहाँ फिल्मों को वर्गीकृत किया जाए जिससे रचनात्मक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

"द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025" रिपोर्ट

सन्दर्भ:

हाल ही में विश्व बाल दिवस (20 नवंबर 2025) पर यूनिसेफ ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट, "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2025: एंडिंग चाइल्ड पोवर्टी – आवर शेयर्ड इंपेरेटिव" जारी की। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि विश्वभर में 400 मिलियन से अधिक बच्चे बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, जो कम से कम दो बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पोषण, स्वच्छता या शिक्षा, से वंचित हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- **अभाव की तीव्रता:**
  - यूनिसेफ के अनुसार, 130 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 417 मिलियन बच्चे कम से कम छह मापदंडों में से दो में "गंभीर अभाव" झेल रहे हैं।
  - ये छह आयाम हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षित पानी।
  - इसके अतिरिक्त, 118 मिलियन बच्चे तीन या अधिक आयामों में अभाव का सामना करते हैं और 17 मिलियन बच्चे चार या अधिक आयामों से वंचित हैं।
- **स्वच्छता सबसे व्यापक अभाव:** स्वच्छता (Sanitation) बच्चों में सबसे आम समस्या है:
  - निम्न-आय वाले देशों में 65% बच्चे शौचालय की पहुँच से वंचित हैं।
  - निचले-मध्य आय वाले देशों में यह आंकड़ा 26% है।
  - जबकि उच्च-मध्य आय वाले देशों में भी 11% बच्चे स्वच्छ शौचालय से वंचित हैं।
- **मौद्रिक गरीबी:** भौतिक अभावों के अतिरिक्त, आर्थिक गरीबी भी गंभीर है:
  - विश्वभर में 19% से अधिक बच्चे प्रतिदिन 3 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं, जिसे अत्यधिक मौद्रिक गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है।
  - इन अत्यंत गरीब बच्चों में से लगभग 90% उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं।

क्षेत्रीय पैटर्न एवं प्रभाव:

- **भौगोलिक एकाग्रता:** बहुआयामी बाल गरीबी की सबसे अधिक दरें उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में केंद्रित हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** अनेक आयामों में वंचित बच्चे दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणामों का सामना करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिसमें खराब स्वास्थ्य, कमजोर सीखने की क्षमता, विकास में रुकावट (Stunting) और मानसिक तनाव शामिल है।
- **पीढ़ीगत असर:** निरंतर बहुआयामी गरीबी भविष्य की आर्थिक उत्पादकता को कम करती है, असमानता बढ़ाती है और गरीबी के चक्र को बनाए रखती है। इसलिए यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती है।

नीति सुझाव:

रिपोर्ट के अनुसार, बहुआयामी बाल गरीबी का समाधान करने हेतु सरकारों को निम्न कदम उठाने चाहिए:

- **बाल गरीबी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना**
  - » इसे राष्ट्रीय विकास योजनाओं, बजट निर्धारण और दीर्घकालिक नीति ढांचे में स्थान दिया जाए।
- **सामाजिक सुरक्षा में निवेश**
  - » बच्चों वाले परिवारों के लिए नकद सहायता कार्यक्रमों का विस्तार।
  - » ऐसी लचीली सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ विकसित की जाएँ जो संकट (जलवायु, ऋण, संघर्ष) की स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें।
- **आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करना**
  - » शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, स्वच्छता, पोषण और आवास जैसी बुनियादी सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जाए।
  - » उपेक्षित समुदायों में अवसंरचना और सरकारी सेवाओं में निवेश को प्राथमिकता दी जाए।
- **कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करना**
  - » छोटे बच्चों, दिव्यांग बच्चों और संघर्ष या संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता।
  - » उच्च जोखिम वाले समूहों की पहचान और सहायता के लिए विभाजित (disaggregated) डेटा का उपयोग।

निष्कर्ष:

- यह रिपोर्ट सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्य (SDGs) से जुड़ी है:
  - » SDG 1: गरीबी समाप्त करना,
  - » SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण,
  - » SDG 6: स्वच्छ पानी और स्वच्छता,
  - » SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

भारत जैसे देशों में जहाँ बड़ी जनसंख्या में बच्चे शामिल हैं, यह रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, सार्वजनिक सेवा और कल्याणकारी नीतियों की प्राथमिकता निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह गरीब और संवेदनशील वर्गों के बच्चों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करती है।

नई चेतना 4.0: लैंगिक हिंसा रोकने की राष्ट्रीय पहल

संदर्भ:

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY NRLM) के तहत राष्ट्रीय अभियान नई चेतना "परिवर्तन की पहल" (4.0) का चौथा संस्करण लॉन्च किया। यह अभियान 25 नवंबर 2025 से शुरू हुआ, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में लिंग आधारित हिंसा (GBV) को समाप्त करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

नई चेतना 4.0 के प्रमुख हितधारक:

- **मंत्रालयीय सहयोग:** 11 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग इस अभियान में शामिल हैं, जिनमें महिला एवं बाल विकास, गृह मंत्रालय, पंचायती राज, कृषि, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले, MSME और सूचना एवं प्रसारण प्रमुख हैं।
- **त्रिपक्षीय समझौता:** महिला एवं बाल विकास, कानून एवं न्याय, और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच "वायलेंस-फ्री विलेज इनिशिएटिव" के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है।
- **ग्राउंडलेवल एजेंट:** इस अभियान में लगभग 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं, स्वयं सहायता समूह (SHG), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सिविल सोसायटी संगठन और स्थानीय नेता सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

अभियान के उद्देश्य:

- नई चेतना 4.0 एक महीने की अवधि का जनआंदोलन है, जिसका लक्ष्य महिला सुरक्षा, सम्मान और ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना है।
- **मुख्य लक्ष्य:**
  - » लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सामुदायिक कार्रवाई को मजबूत करना।
  - » महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना, जिसमें सुरक्षित आवागमन और आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में मान्यता शामिल है।
  - » आर्थिक सशक्तिकरण: आजीविका और उद्यमिता के लिए संपत्ति, क्रेडिट, कौशल और बाजार तक पहुंच।
  - » बिना पैसे वाले देखभाल के काम की साझा जिम्मेदारी लेना और लिंग-संवेदनशील नीतियों व बजट का समर्थन करना।
  - » वायलेंस-फ्री विलेज इनिशिएटिव के तहत मॉडल गांव बनाना, ताकि ग्रामीण भारत में लड़कियों और महिलाओं के लिए

सुरक्षा, अधिकार और अवसर सुनिश्चित हो सकें।

इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का कारण:

- नई चेतना 4.0 ग्रामीण भारत में लगातार हो रही लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए शुरू किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY - NRLM) के व्यापक स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क का उपयोग करते हुए यह अभियान महिलाओं को सामूहिक सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय करता है।
- मंत्रालयीय सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई हो। साथ ही, यह अभियान महिलाओं की भूमिका, सुरक्षा और सम्मान के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास करता है।

आगे की राह:

- NCRB की रिपोर्टें वर्तमान समय में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के चिंताजनक रुझान को दर्शाती हैं। "नई चेतना" जैसे अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए निरंतर सामुदायिक जागरूकता और मजबूत संस्थागत समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है।
- इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे "जन आंदोलन" की भावना के साथ चलाया जाए और ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ हर स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल की जाए।

निष्कर्ष:

नई चेतना 4.0 ग्रामीण भारत में लंबे समय से चली आ रही लिंग असमानता की समस्या को दूर करने के लिए एक व्यापक और समन्वित प्रयास है। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है, जो 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं की सामूहिक शक्ति द्वारा संचालित है। यह सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) ने "किशोर न्याय और कानून से संघर्षरत बच्चे: अग्रिम मोर्चे पर क्षमता का अध्ययन (जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ: ए स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट द फ्रंटलाइन्स)" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित संस्थाओं की 31 अक्टूबर 2023 तक की क्षमता का मूल्यांकन करती है। इसके लिए संसदीय उत्तरों, एक वर्ष तक चली RTI जांच और राज्य-वार डेटा का उपयोग किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **लंबित मामलों की उच्च संख्या**
  - 31 अक्टूबर 2023 तक, 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के पास मौजूद 1,00,904 मामलों में से 55% अभी भी लंबित थे।
  - इस अवधि में केवल लगभग 45,097 मामलों का निपटारा हो सका।
  - राज्यों में लंबित मामलों की दर अलग-अलग "ओडिशा में 83%, जबकि कर्नाटक में 35%" है।
- **संस्थागत और मानव संसाधन की कमी**
  - 24% जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पूरी बेंच के बिना काम कर रहे हैं (या तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नहीं, या दो सामाजिक कार्यकर्ताओं में से कोई कमी, जिनमें से एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता का होना अनिवार्य है)।
  - जबकि 30% में लीगल सर्विस क्लिनिक नहीं है, जिससे कानून से संघर्षरत बच्चों को सहायता पाना कठिन हो जाता है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और निगरानी**
  - देश में 319 निरीक्षण गृह, 41 विशेष गृह और 40 सुरक्षा स्थान हैं, लेकिन 14 राज्यों (जम्मू-कश्मीर सहित) में 16–18 वर्ष के गंभीर अपराधों के आरोपित बच्चों के लिए किसी भी "सुरक्षा स्थान" की व्यवस्था नहीं है।
- **विश्वसनीय और पारदर्शी डेटा की कमी**
  - बाल-केंद्रित, केंद्रीकृत डेटा सिस्टम का गंभीर अभाव है। मुख्यधारा अदालतों में उपलब्ध नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड जैसा कोई एकीकृत व सार्वजनिक डेटा प्लेटफॉर्म जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में नहीं है।
- **राज्य-स्तरीय असमानताएँ**
  - भारत के 765 जिलों में से 92% में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों में उनकी कार्यक्षमता काफी भिन्न है।

प्रभावः

- इतने बड़े पैमाने पर मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से बच्चे कानूनी अनिश्चितता में फँस जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पूरी बेंच मौजूद न हो या कानूनी सहायता समय पर न मिले, तो सुनवाई की गुणवत्ता घट जाती है और बच्चों के अधिकार कमजोर हो जाते हैं।
- कमजोर बुनियादी ढाँचे और निगरानी की कमी के कारण प्रभावी रूप से पुनर्वास नहीं हो पाता, जिससे बच्चों में दोबारा अपराध करने का जोखिम बढ़ सकता है।

सुझावः

- **जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की क्षमता को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अनिवार्य रूप से पूरी बेंच (प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें एक महिला हो) मौजूद हो।
- **संस्थागत बुनियादी ढांचे में सुधार:** सभी राज्यों में, खासकर 16–18 वर्ष के बड़े किशोरों के लिए "सुरक्षा स्थल" (Place of Safety) की स्थापना की जाए। लड़कियों के लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ाई जाए और आयु तथा अपराध की प्रकृति के अनुरूप संवेदनशील संस्थान विकसित किए जाएँ।
- **केंद्रीय डेटा ग्रिड विकसित करना:** नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) की तर्ज पर एक राष्ट्रीय जुवेनाइल जस्टिस डेटा ग्रिड बनाया जाए, ताकि केसों, निपटानों, पुनरावृत्ति (Recidivism) और क्षमता से जुड़ा डेटा एकत्र, मानकीकृत और सार्वजनिक किया जा सके।
- **कानूनी सहायता और परामर्श को बढ़ावा देना:** सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से कानूनी सेवा क्लिनिक जोड़े जाएँ, ताकि बच्चों को समय पर वकील और काउंसलिंग मिल सके। लीगल एड वकीलों को बच्चों से जुड़े संवेदनशील न्याय (Child-Sensitive Adjudication) और रेस्टोरेटिव जस्टिस के सिद्धांतों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

निष्कर्षः

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के निष्कर्ष यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि अब तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक हैं, जिसमें संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, विश्वसनीय डेटा सिस्टम विकसित करना और यह सुनिश्चित करना कि पूरा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम वास्तव में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" के सिद्धांत पर कार्य करे आदि शामिल है।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

संवैधानिक विवेक और न्यायिक सीमाएँ: संघीय ढाँचे का संतुलित पुनर्मूल्यांकन

संदर्भ:

20 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की पाँच-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय, राज्यपाल (अनुच्छेद 200) और राष्ट्रपति (अनुच्छेद 201) के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। इसके साथ ही, तथाकथित "अनुमान्य स्वीकृति (Deemed Assent)" की उस अवधारणा को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जिसके अनुसार यदि एक निश्चित अवधि तक राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई निर्णय न लें, तो विधेयक को स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। यह फैसला राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भेजे गए संदर्भ (Presidential Reference) के आधार पर दिया गया था, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या न्यायालय राज्यपालों/राष्ट्रपति को निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं और क्या "अनुमान्य स्वीकृति" जैसी व्यवस्था संविधान के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि:

- **अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का परामर्श**
  - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत 14 कानूनी प्रश्नों का एक सेट सुप्रीम कोर्ट को भेजा।
  - ये प्रश्न 8 अप्रैल 2025 के दो-न्यायाधीशीय पीठ के उस फैसले से उत्पन्न हुए थे, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई हेतु समयसीमा निर्धारित की गई थी।
- **पूर्व में (अप्रैल 2025) दो-न्यायाधीशीय पीठ का निर्णय**
  - न्यायमूर्ति जे. बी. पारडिवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपाल के लिए 1–3 माह की सीमा तय कर दी थी, जैसे अनुमोदन या आरक्षण के लिए एक महीना और टिप्पणियों सहित विधेयक वापस भेजने के लिए तीन महीने तक।
  - इस निर्णय ने "अनुमानित अनुमोदन" (deemed assent) की अवधारणा भी प्रस्तुत की कि यदि राज्यपाल समयसीमा के भीतर कार्य नहीं करते हैं, तो न्यायालय विधेयक को स्वीकृत मान सकता है।
- **टकराव और संवैधानिक चिंताएँ**
  - दो न्यायाधीशीय फैसले ने न्यायिक अतिक्रमण, शक्तियों के पृथक्करण और राज्य शासन में राज्यपाल की भूमिका को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न कीं।
  - इसी कारण संवैधानिक सीमाएँ स्पष्ट करने हेतु राष्ट्रपति परामर्श की आवश्यकता पड़ी।

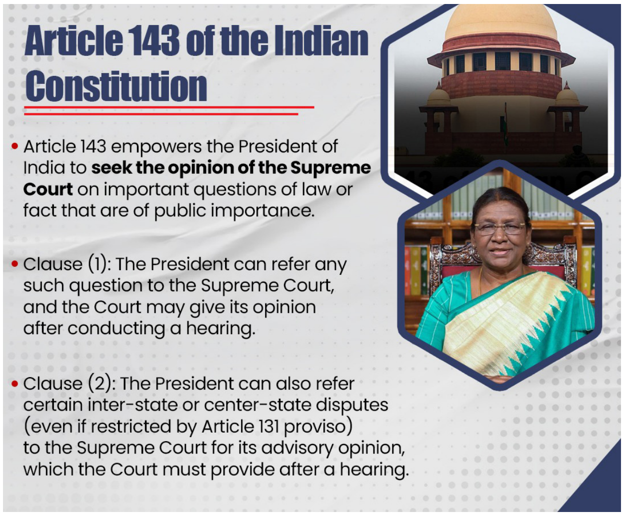

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **कोई निश्चित समयसीमा नहीं**
  - » न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 200 (राज्यपाल) और अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपति) के अंतर्गत निर्णय लेने के लिए न्यायालय समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकता।
  - » संविधान में समयसीमा का अभाव जानबूझकर है और "लचीलापन" संवैधानिक रूपरेखा का हिस्सा है।
- **"अनुमानित अनुमोदन" का अस्वीकरण**
  - » न्यायालय ने अनुमानित अनुमोदन की अवधारणा को कड़ाई से अस्वीकार कर दिया।
  - » न्यायालय के शब्दों में यह अवधारणा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका का "आभासी अधिग्रहण" होगी, जो अस्वीकार्य है।
- **सीमित न्यायिक समीक्षा**
  - » न्यायालय ने कहा कि यद्यपि समयसीमा नहीं थोपी जा सकती, परंतु अत्यधिक, अस्पष्ट और अनिश्चित देरी होने पर न्यायिक समीक्षा संभव है।
  - » ऐसे मामलों में न्यायालय राज्यपाल को "युक्तिसंगत अवधि" में निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है परंतु विधेयक की गुणवत्ता पर राय दिए बिना।
  - » न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल के विवेक का प्रतिस्थापन नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का विवेक:** न्यायालय ने बताया कि राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं:
  - » अनुमोदन देना,
  - » वीटो लगाना,
  - » टिप्पणियों सहित वापस भेजना (या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना)।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुमोदन रोकने की स्थिति में राज्यपाल को विधेयक वापस भेजना आवश्यक होगा, जैसा कि अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान में उल्लिखित है।
- राज्यपाल इस निर्णय में मंत्रिपरिषद की "सलाह एवं अनुशंसा" से बंधे नहीं हैं।
- **शक्तियों का पृथक्करण:**
  - » निर्णय का केंद्रीय सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान है। राज्यपाल की भूमिका में न्यायपालिका का हस्तक्षेप संवैधानिक संरचना को कमजोर करेगा।
  - » न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण को अपनी-अपनी सीमाओं में ही संचालित होना चाहिए।

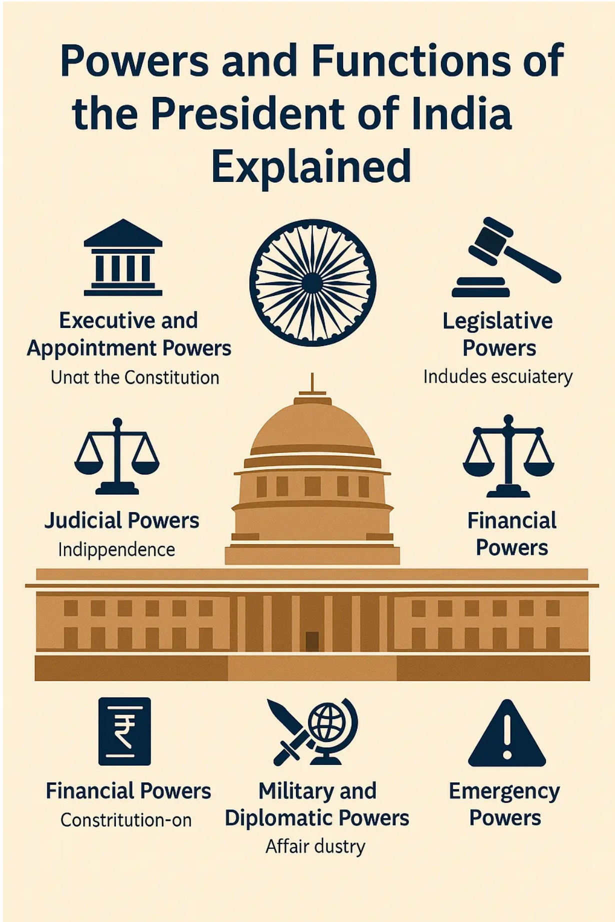

- **टकराव नहीं, संवैधानिक संवाद**
  - » न्यायालय ने "संवैधानिक संवाद" की संस्कृति को प्रोत्साहित किया, राज्यपाल और विधानमंडल के बीच टिप्पणियों सहित विधेयक लौटाने, विचार–विमर्श करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।
  - » न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल बाधक की भूमिका न निभाएँ, पर साथ ही वे केवल औपचारिक संस्था भी नहीं हैं।
- **न्यायिकता और जांच**
  - » न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के निर्णय के गुण–दोष की समीक्षा नहीं की जा सकती, यह गैर-न्यायसंगत क्षेत्र (non-justiciable) है परंतु निष्क्रियता (inaction), विशेषकर लंबी और अस्पष्ट, न्यायिक जांच के दायरे में आती है।

- **अनुच्छेद 142 की सीमा**
  - न्यायालय ने कहा कि अपने पूर्ण अधिकार (अनुच्छेद 142) के बावजूद वह "अनुमानित अनुमोदन" नहीं दे सकता क्योंकि यह राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका का अतिक्रमण होगा।

महत्त्व एवं प्रभाव:

- **संघीय संबंधों का पुनर्संतुलन:** यह निर्णय संघीय स्वायत्तता को पुनः सुदृढ़ करता है। राज्य मशीनरी का भाग होने के बावजूद राज्यपालों के पास कुछ ऐसे संवैधानिक विवेकाधिकार होते हैं जिन्हें न्यायपालिका मशीनीकृत नहीं कर सकती। यह इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि राज्य की कार्यपालिका (राज्यपाल) कुछ कार्यों में स्वतंत्र होनी चाहिए, न कि केवल राज्य सरकार की एक औपचारिक मुहर।
- **न्यायिक अतिक्रमण पर नियंत्रण:** न्यायालय द्वारा निश्चित न्यायिक समयसीमाओं और "अनुमानित अनुमोदन" को अस्वीकार करने से वह स्वयं भी कार्यपालिका के कार्यों के सूक्ष्म प्रबंधन की क्षमता को सीमित करता है, जिससे संवैधानिक सीमाएँ सुरक्षित रहती हैं।
- **राज्यपाल द्वारा दुरुपयोग की रोकथाम:** यद्यपि निश्चित समय सीमाएँ नहीं हैं, परंतु न्यायालय द्वारा निष्क्रियता पर सीमित समीक्षा की मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक "पॉकेट-वीटो" के रूप में लंबित नहीं रख सकते।
- **राजनीतिक गतिशीलता:** यह उन राज्यों को प्रभावित कर सकता है जहाँ राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनाव रहा है। निर्णय राजनीतिक टकराव के बजाय वास्तविक संवैधानिक संवाद को अनिवार्य बनाता है।
- **विधायी प्रक्रिया और शासन:** यह निर्णय विधायिका और कार्यपालिका के बीच तेज़ और अधिक उत्तरदायी संवाद को प्रोत्साहित करता है: राज्यपाल संवैधानिक रूप से उत्तर देने के बाध्य हैं और यदि देरी की समीक्षा संभव है, तो विधानमंडल भी अनुमोदन पर ज़ोर देने में अधिक सावधानी बरतेगा।
- **उदाहरण और संवैधानिक कानून:** यह निर्णय भविष्य में संवैधानिक प्राधिकारियों की शक्तियों, शक्तियों के पृथक्करण और गैर-मंत्रालयी कार्यों पर न्यायपालिका की निगरानी से जुड़े विवादों में उद्धृत किए जाने की सम्भावना है।

आलोचनाएँ एवं चिंताएँ:

- **"युक्तिसंगत समय" की अस्पष्टता:** न्यायालय कठोर समयसीमाओं से बचता है, परंतु "युक्तिसंगत अवधि" स्वभावतः अस्पष्ट है। इस पर नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
- **सीमित समीक्षा:** कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि केवल न्यूनतम न्यायिक समीक्षा (गुण–दोष की समीक्षा नहीं) की अनुमति देने से राज्यपाल विधायी मंशा को सूक्ष्म तरीकों से बाधित कर सकते हैं।
- **जवाबदेही के बिना देरी:** विवेक का दायरा व्यापक बना रहता है; यदि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से देरी करें, तो न्यायिक नियंत्रण हमेशा प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता।
- **संस्थागत तनाव:** संवाद को प्रोत्साहित करना आदर्श है, परंतु वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों (पक्षपाती राज्यपाल, टकरावपूर्ण राज्य सरकारें) में ऐसा संवाद कठिन हो सकता है।
- **अनुच्छेद 142 का दायरा:** अपने पूर्ण अधिकारों को सीमित (अनुमानित अनुमोदन से इनकार) करके कुछ आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि न्यायालय गतिरोध की स्थितियों में न्याय सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता को कमज़ोर कर रहा है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कि राज्यपालों पर समयसीमा लागू नहीं की जा सकती, संवैधानिक संरचना, शक्तियों के पृथक्करण और संघीय संतुलन को पुनः पुष्ट करता है। अनुमानित अनुमोदन को अस्वीकार कर न्यायालय ने राज्यपाल की स्वायत्तता की रक्षा की, वहीं सीमित न्यायिक समीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि निष्क्रियता के नाम पर विधायी प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक न रुके। यह निर्णय एक संतुलित मार्ग प्रस्तुत करता है।

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार: कानूनी विकास और नीतिगत परिदृश्य

सन्दर्भ:

पिछले एक दशक में भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए कानूनी और नीतिगत ढाँचा तेजी से विकसित हुआ है। एक समय पर लगभग अदृश्य और हाशिए पर रहने वाला यह समुदाय आज संवैधानिक मान्यता, समर्पित कल्याण योजनाओं और औपचारिक कानूनी संरक्षण का अधिकारी है। फिर भी नीतिगत कमियां अब भी स्वास्थ्य सेवाओं, दस्तावेज़ीकरण, आजीविका और शारीरिक स्वायत्तता जैसे क्षेत्रों में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

हाल ही में केरल हाईकोर्ट में दायर एक याचिका जिसमें एक ट्रांसजेंडर ने अपने प्रजनन कोशिकाओं (Gametes) को संरक्षित करने का अधिकार मांगा, ने इन कमियों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। केंद्र सरकार द्वारा अदालत में यह हलफ़नामा दाखिल करना कि मौजूदा क़ानूनों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति सहायक प्रजनन तकनीक (ART) का उपयोग नहीं कर सकते, ने ट्रांसजेंडर के प्रजनन अधिकारों, परिवार की परिभाषा और भारत में समावेशी स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थिति:

- जनगणना 2011 में लगभग 4.87 लाख व्यक्तियों ने स्वयं को “अन्य लिंग” के रूप में दर्ज किया है, हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है। हाल के वर्षों में कानूनी मान्यता में सुधार हुआ है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति अब भी बहुत धीमी है।
- कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अभी भी पारिवारिक अस्वीकार, बाधित या अप्राप्य शिक्षा, सीमित रोजगार अवसर और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे हैं।
- यहाँ तक कि जब कल्याण योजनाएँ उपलब्ध हैं, तब भी दस्तावेज़ों की जटिलता के कारण उन तक पहुँच कठिन हो जाती है। इसी दौरान लिंग-पुष्टि (Gender Affirming) स्वास्थ्य सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मेडिकल टूरिज़्म भी शामिल है।

ART अधिनियम और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का बहिष्कार:

- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत ART सेवाएँ केवल:
  - » विवाहिता विषमलैंगिक दंपतियों और
  - » एकल महिलाओं को उपलब्ध हैं।
- यह अधिनियम एकल पुरुषों या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को IVF, गैमेट संरक्षण या सरोगेसी से जुड़ी सेवाओं तक पहुँच की अनुमति नहीं देता।

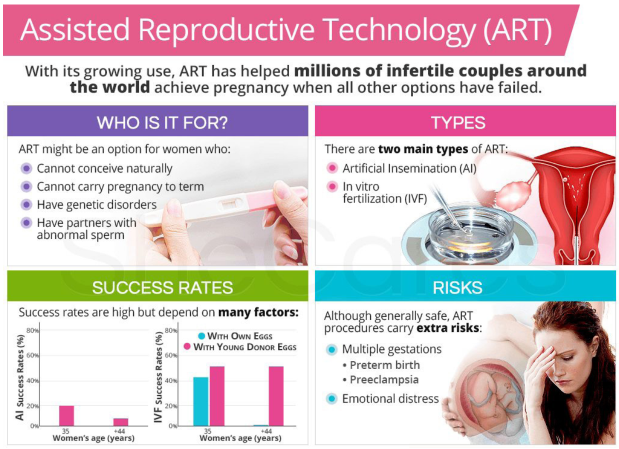

- केरल हाईकोर्ट में दाखिल हलफ़नामे में केंद्र सरकार ने कहा कि यह बहिष्कार जानबूझकर किया गया था और व्यापक संसदीय विमर्श के बाद कानून में शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार कानून का उद्देश्य “बच्चे के सर्वोत्तम हित” की रक्षा करना है, और पात्रता में किसी भी विस्तार के लिए विशेषज्ञों से परामर्श और नई नीति की आवश्यकता होगी।
- इस मामले में याचिकाकर्ता जो जेंडर-अफर्मिंग उपचार से गुजर रहे एक ट्रांसमैन हैं, ने भविष्य में उपयोग के लिए अपने गैमेट्स को संरक्षित करने की अनुमति मांगी थी। परन्तु कानून उन्हें पात्र लाभार्थी नहीं मानता, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
- केंद्र सरकार का तर्क है कि यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि नीतिगत है, जिसमें परिवार संरचना, अभिभावकीय अधिकारों और ART के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चों के दीर्घकालिक कल्याण पर गहन विचार आवश्यक है। मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन इसने राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस फिर से तेज कर दी है कि क्या प्रजनन

प्रौद्योगिकियाँ सभी को, उनकी लैंगिक पहचान से परे, उपलब्ध होनी चाहिए।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- **सामाजिक कलंक और भेदभाव:** हिंसा, बहिष्करण और स्वीकृति का अभाव व्यापक रूप से विद्यमान है। अनेक व्यक्तियों को अनौपचारिक या असुरक्षित आजीविकाओं में धकेल दिया जाता है।
- **स्वास्थ्य सेवा संबंधी बाधाएँ:** प्रशिक्षित चिकित्सीय विशेषज्ञों की कमी, सीमित जेंडर-अफर्मिंग स्वास्थ्य सेवाएँ, तथा अत्यधिक उपचार लागत सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बाधित करती हैं।
- **दस्तावेज़ीकरण संबंधी समस्याएँ:** पहचान पत्रों में लिंग-संबंधी विवरण संशोधन की प्रक्रियाओं में असंगति के कारण योजनाओं, नौकरी, आवास और शिक्षा तक पहुँच प्रभावित होती है।
- **आर्थिक हाशियाकरण:** सीमित कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार अवसरों की कमी के कारण कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अर्थव्यवस्था के हाशिये पर धकेल दिए जाते हैं।
- **आवास असुरक्षा:** सामाजिक अस्वीकृति और किराये पर घर लेने में भेदभाव के चलते ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बेघरपन या असुरक्षित आवास परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
- **वित्तीय आवंटन की कमी:** मंत्रालयों और सरकारी योजनाओं में ट्रांसजेंडर कल्याण हेतु बजटीय प्रावधान अब भी अपर्याप्त हैं।

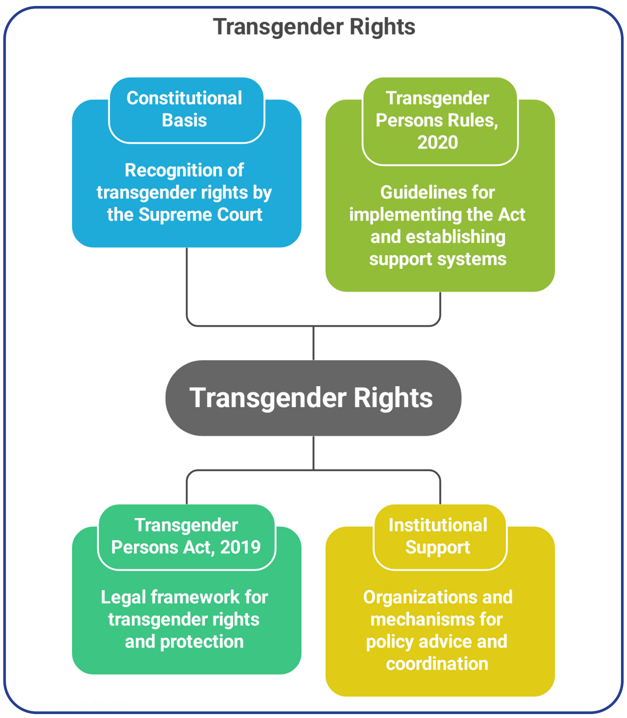

ट्रांसजेंडर अधिकार:

- **संवैधानिक आधार:** भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के आधुनिक चरण की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक NALSA बनाम भारत संघ (2014) निर्णय से हुई। इस फैसले में न्यायालय ने:
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तृतीय लैंगिक श्रेणी" के रूप में मान्यता दी,
  - आत्म-पहचान के अधिकार की पुष्टि की,
  - अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के अंतर्गत उनके अधिकारों का विस्तार किया, तथा
  - सरकारों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समावेशन हेतु नीतियाँ बनाने का निर्देश दिया।
  - यह निर्णय इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति समानता, गरिमा, गोपनीयता और गैर-भेदभाव के अधिकारों के अधिकारी हैं, जो अन्य नागरिकों के समान हैं।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:** NALSA निर्णय को विधायी आधार प्रदान करने हेतु संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया, जो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर अधिकारों और कल्याण हेतु प्रमुख केंद्रीय कानून के रूप में कार्य करता है।
- **अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **समावेशी परिभाषा:** अधिनियम ट्रांसजेंडर पुरुष, ट्रांसजेंडर महिला, जेंडरक्विअर व्यक्ति, इंटरसेक्स वेरिएशन वाले व्यक्ति, हिजड़ा समुदाय और अन्य पहचानों को मान्यता देता है, चाहे उन्होंने सर्जरी या हार्मोनल उपचार कराया हो या नहीं।
  - **भेदभाव-रोधी प्रावधान:** शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवागमन, निवास, तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध है।
  - **आत्म-पहचान का अधिकार:** व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के उपरांत संशोधित प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।
  - **सरकार की कल्याणकारी ज़िम्मेदारियाँ:** अधिनियम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सुविधाओं, बचाव सहायता और पुनर्वास सेवाओं को अनिवार्य करता है।
  - **रोजगार संबंधी व्यवस्थाएँ:** संस्थानों को शिकायत निवारण

अधिकारी नियुक्त करना, भेदभाव रोकना तथा समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

» **शिक्षा और कौशल विकास:** समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति योजनाओं पर बल दिया गया है।

» **स्वास्थ्य सेवा प्रावधान:** सरकारी अस्पतालों में परामर्श, जेंडर-अफर्मिंग उपचार और बीमा कवरेज उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:** ये नियम 2019 के अधिनियम को कार्यान्वित करते हैं तथा निम्नलिखित प्रावधानों को अनिवार्य बनाते हैं:
  - » प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में अपराधों की निगरानी के लिए ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ (Protection Cells) की स्थापना
  - » नीतियों के क्रियान्वयन हेतु ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन
  - » पहचान प्रमाणपत्र जारी करने की समयबद्ध प्रक्रिया
  - » वर्तमान में 20 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में संरक्षण प्रकोष्ठ तथा 25 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में कल्याण बोर्ड स्थापित हो चुके हैं।
- **संस्थागत समर्थन:**
  - » **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद:** वर्ष 2020 में गठित राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद एक राष्ट्रीय सलाहकार एवं निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसमें समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
  - » **मुख्य कार्य**
    - ➢ नीतियों और विधिक प्रावधानों पर सलाह देना
    - ➢ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी
    - ➢ मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना
    - ➢ शिकायतों का निवारण
    - ➢ योजनाओं की समीक्षा और नीतिगत अंतरालों की पहचान
  - » यह परिषद समुदाय और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद सेतु के रूप में कार्य करती है।

प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल (2020):** एक बहुभाषीय डिजिटल मंच जो पहचान प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुँच उपलब्ध कराता है। यह पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाती है और भौतिक बाधाओं को कम करती है।
- **SMILE योजना (2022):** यह योजना आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आश्रय और पुनर्वास पर केंद्रित है।
- **मुख्य घटक**
  - » कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण
  - » विद्यालय छोड़ने की समस्या रोकने हेतु छात्रवृत्तियाँ
  - » चिकित्सीय सहायता, जिसमें जेंडर-अफर्मिंग उपचार शामिल है
  - » आयुष्मान भारत TG Plus बीमा, जिसमें प्रति व्यक्ति ₹5 लाख तक का कवरेज
  - » **गरिमा गृह**—जहाँ आवास, भोजन, परामर्श और आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं
- वर्तमान में देशभर में 20 से अधिक गरिमा गृह संचालित हैं, जो त्यागे गए या बेघर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हैं।

आगे की राह:

- **2019 अधिनियम और 2020 नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन:** राज्यों को संरक्षण प्रकोष्ठ, कल्याण बोर्ड, शिकायत निवारण तंत्र और संस्थागत सुरक्षा उपायों को पूर्णतः क्रियाशील बनाना चाहिए।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुदृढ़ करना:** TG Plus बीमा का विस्तार, सरकारी अस्पतालों में जेंडर-अफर्मिंग सेवाओं की वृद्धि तथा उपचार लागत में कमी स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।
- **चिकित्सा शिक्षा में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य का समावेशन:** चिकित्सकों, नर्सों, परामर्शदाताओं और प्रशासकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण संवेदनशील और सूचित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।
- **उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना:** अनुसंधान, शल्य चिकित्सा, परामर्श और सामुदायिक समर्थन पर केंद्रित विशेष संस्थानों की स्थापना भारत को ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकती है।
- **दस्तावेज़ीकरण प्रणाली में सुधार:** आधार, पैन, पासपोर्ट एवं शैक्षणिक अभिलेखों में लिंग संशोधन हेतु सरल और समयबद्ध

प्रक्रियाएँ अत्यंत आवश्यक हैं।

- **उच्च वित्तीय समर्थन सहित राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण:** दीर्घकालिक और समन्वित रणनीति, पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के साथ, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान कर सकती है।
- **प्रजनन प्रौद्योगिकियों तक पहुँच पर पुनर्विचार:** केरल उच्च न्यायालय में चल रही याचिका ने यह आवश्यकता उजागर की है कि क़ानूनों को विविध पारिवारिक संरचनाओं को प्रतिबिंबित करने हेतु अद्यतन किया जाए। प्रजनन स्वायत्तता सुनिश्चित करना संविधान में प्रदत्त गरिमा और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

केरल उच्च न्यायालय में लंबित ART संबंधी मामला इस बात का महत्वपूर्ण स्मरण है कि ट्रांसजेंडर अधिकार विकास की प्रक्रिया में हैं। 2014 में संवैधानिक मान्यता से लेकर आज कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल समावेशन और नीतिगत सुधारों तक भारत ने ट्रांसजेंडर के सन्दर्भ में उल्लेखनीय प्रगति की है। तथापि, वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव होगा जब ये सुरक्षा उपाय व्यावहारिक जीवन में प्रभावी रूप से परिलक्षित हों।

संक्षिप्त मुद्दे

संपत्ति की ख़रीद-बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

संदर्भ:

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि देश में संपत्ति की ख़रीद-बिक्री आम नागरिकों के लिए "एक पीड़ादायक अनुभव" बनी हुई है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि भारत में दीवानी मुकदमों में से लगभग 66% मामले केवल संपत्ति विवादों से जुड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि संपत्ति कानूनों को आधुनिक बनाया जाए और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन (Blockchain) तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन:

- **संपत्ति लेनदेन में चुनौतियाँ:**
  - फर्जी दस्तावेज़ और भूमि अतिक्रमण के मामले आम हैं।
  - उप-पंजीयक कार्यालयों में सत्यापन में देरी और जटिल प्रक्रियाएँ।
  - बिचौलियों और दलालों पर अत्यधिक निर्भरता।
  - दस्तावेज़ सत्यापन के लिए दो गवाहों की अनिवार्यता।
  - भूमि राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों में पंजीकरण प्रक्रियाओं में असमानता।
- **औपनिवेशिक युग के कानून:** वर्तमान प्रणाली आज भी 19वीं सदी के औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित है, जैसे - संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और पंजीकरण अधिनियम, 1908। अदालत ने कहा कि ये कानून अब आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं और इनका पुनर्गठन आवश्यक है।
- **अनुमानित बनाम निर्णायक स्वामित्व:** मुख्य समस्या यह है कि वर्तमान कानून के तहत संपत्ति का पंजीकरण केवल अनुमानित स्वामित्व प्रदान करता है, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यह निर्णायक स्वामित्व नहीं है, जिसे राज्य की गारंटी प्राप्त हो। इससे खरीदार पर स्वामित्व इतिहास और अभिलेखों की स्वयं जाँच करने का भारी बोझ पड़ता है, जिससे पूरी प्रक्रिया जटिल, समयसाध्य और अविश्वसनीय बन जाती है।

सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें:

- **ब्लॉकचेन तकनीक अपनाना:**
  - भूमि के स्वामित्व, इतिहास, बाधाएँ और ट्रांसफर की जानकारी को एक डिजिटल, अपरिवर्तनीय ब्लॉकचेन लेज़र पर दर्ज किया जाए।
  - इससे संपत्ति रिकॉर्ड की सत्यता और जनता का भरोसा बढ़ेगा।
  - भू-नक्शे सर्वे डेटा और राजस्व अभिलेखों को एकीकृत कर एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो अधिकारियों और आम जनता, दोनों के लिए पारदर्शी व विश्वसनीय हो।
- **संपत्ति कानूनों का आधुनिकीकरण:** भारतीय विधि आयोग को

निर्देश दिया गया है कि वह औपनिवेशिक युग के पुराने कानूनों के पुनर्गठन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे, जिनमें शामिल हैं:

» संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
» पंजीकरण अधिनियम, 1908
» भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
» **उद्देश्य:** संपत्ति संबंधी कानूनों को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।

महत्त्व:

- यह कदम संपत्ति विवादों से जुड़ी सार्वजनिक परेशानियों और मुकदमों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाएगा।
- इससे कारोबार करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ेगी और निवेशकों का भरोसा मज़बूत होगा।
- संपत्ति संबंधी प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से एकीकृत किया जाएगा।

निष्कर्ष:

यदि भारत में ब्लॉकचेन-आधारित संपत्ति पंजीकरण प्रणाली लागू की जाती है और पुराने औपनिवेशिक कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, तो यह कदम देश के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन ला सकता है। इससे संपत्ति अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी, न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ घटेगा और भारत डिजिटल शासन तथा संस्थागत सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रगति करेगा।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस को लिखित कारण देना अनिवार्य

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि पुलिस अधिकारी और जांच एजेंसियां प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के लिखित कारण यथाशीघ्र उपलब्ध कराएँ, चाहे अपराध का स्वरूप कुछ भी हो या कोई भी कानून लागू किया गया हो।

पृष्ठभूमि:

- यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की खंडपीठ द्वारा दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना , भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) का एक अभिन्न अधिकार है।
- अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना यह बताए कि उसकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं, हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

- **लिखित कारण देना अनिवार्य:** अब पुलिस को गिरफ्तारी के समय या जल्द से जल्द बाद में, लिखित रूप में कारण बताना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी कानूनों (All Statutes) पर लागू होगा, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो या कोई विशेष अधिनियम।
- **अपवादिक परिस्थिति:** यदि कोई अत्यावश्यक या असामान्य स्थिति हो, जहाँ तुरंत लिखित कारण देना संभव न हो, तो पुलिस मौखिक रूप से कारण बता सकती है।
- **समयसीमा:** ऐसे मामलों में भी लिखित कारण उचित समय के भीतर और कम से कम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से दो घंटे पहले अवश्य दिए जाने चाहिए।

निर्णय का महत्व:

- **न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में सहायक:** यह निर्णय न्यायसंगत प्रक्रिया के संवैधानिक वादे और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा को सशक्त करता है।
- **उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता:** गिरफ्तारी के लिखित कारण अदालतों और निगरानी संस्थाओं द्वारा जांचे जा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
- **मौलिक अधिकारों की रक्षा:** गिरफ्तारी के लिखित कारणों का दस्तावेजीकरण एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार करता है जिसे अदालतें और निगरानी संस्थाएं जांच सकती हैं।
- **वैश्विक मानकों से सामंजस्य:** यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) के अनुच्छेद 9(2) के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि "किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए।"

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सशक्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। लिखित कारणों

की अनिवार्यता से पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना घटेगी और आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेहीदोनों को मजबूती मिलेगी।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट

सन्दर्भ:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने हाल ही में एक जीआईएस मानचित्र (GIS Map) तैयार किया है, जिससे ग्रेट निकोबार द्वीप पर जनजातीय आरक्षित भूमि के डिनोटिफिकेशन (आरक्षण समाप्ति) और रीनोटिफिकेशन (पुनः आरक्षण) के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा सके। यह पहल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चल रही मेगा अवसंरचना (infrastructure) परियोजना को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है।

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना के बारे में:

- जीएनआई परियोजना का विचार नीति आयोग द्वारा किया गया था और इसे 2021 में प्रारंभ किया गया। यह ₹92,000 करोड़ की एक मेगा अवसंरचना योजना है, जिसके तहत निम्नलिखित विकास कार्य प्रस्तावित हैं:
  - अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)
  - ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
  - एक नया टाउनशिप
  - गैस–सौर ऊर्जा संयंत्र
- इस परियोजना को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ANIIDCO) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह भारत की मैरिटाइम विज़न 2030 और अमृत काल विज़न 2047 के अनुरूप है।

यह परियोजना रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है?

पहलू	महत्व
ट्रांसशिपमेंट हब	सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम करता है; भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करता है।
हवाई अड्डा विकास	नागरिक संपर्क, पर्यटन और दोहरे उपयोग (सिविल–डिफेंस) क्षमता को बढ़ाता है।
भूराजनीतिक स्थिति	ग्रेट निकोबार मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्यों के समीप स्थित है। ये वैश्विक व्यापार मार्ग हैं। यह कोलंबो, पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से समान दूरी पर है, जिससे यह क्षेत्रीय समुद्री प्रभुत्व के लिए आदर्श बनता है।
समुद्री सुरक्षा	भारत की उपस्थिति को हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में मजबूत करता है; समुद्री डकैती, तस्करी और सामरिक प्रतिस्पर्धाओं (विशेष रूप से चीन के साथ) का सामना करने में सहायता करता है।
नीतिगत समन्वय	"एक्ट ईस्ट पॉलिसी" (2014) और क्वाड की हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

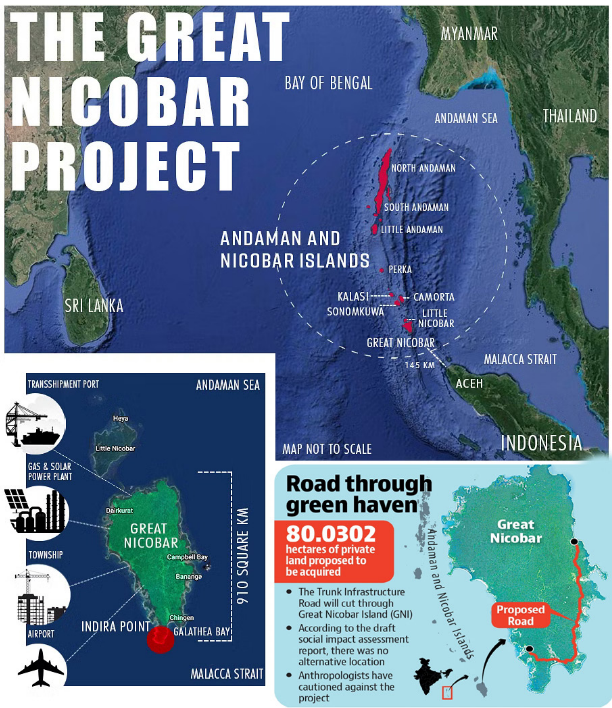

कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दे:

- किसी भी जनजातीय आरक्षित भूमि के डिनोटिफिकेशन के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत वन अधिकारों का निपटारा पूर्व-आवश्यक है।
- परियोजना के लिए 2022 में प्रदान की गई वन और पर्यावरण

स्वीकृतियों को विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में चुनौती दी गई है, मुख्यतः पारिस्थितिक नाजुकता और जनजातीय अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर।

ग्रेट निकोबार का भौगोलिक महत्व:

- यह निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप है (910 वर्ग किलोमीटर)।
- इसमें इंदिरा पॉइंट स्थित है जो भारत का दक्षिणतम छोर, जो सुमात्रा (इंडोनेशिया) से मात्र 90 नौटिकल मील दूर है।
- द्वीप में दो राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व स्थित हैं, जिसे 2013 में यूनेस्को के "मैन एंड बायोस्फीयर (MAB)" कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है।
- यह शोम्पेन (एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह - PVTG) और निकोबारी समुदायों का घर है।

निष्कर्ष:

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना रणनीतिक महत्वाकांक्षा, आर्थिक आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण का संगम प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लक्ष्यों को जनजातीय अधिकारों और पर्यावरणीय संरक्षण के साथ कितनी कुशलता से संतुलित करता है। यह परियोजना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सतत विकास मॉडल की एक महत्वपूर्ण परीक्षण-घटना (test case) मानी जा सकती है।

भारत में एआई गवर्नेंस के दिशानिर्देश

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "इंडिया एआई मिशन" के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन और विनियमन हेतु एक समग्र दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए भारत को "सभी के लिए एआई" की दिशा में अग्रसर करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **सात सूत्र – नैतिक आधार:** इन दिशा-निर्देशों का नैतिक आधार सात मार्गदर्शक सूत्रों पर आधारित है, जो नवाचार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हैं:
  - » **विश्वास ही आधार:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पूरी मूल्य श्रृंखला (AI value chain) में जनविश्वास को सर्वोपरि माना गया है।
  - » **जन-प्रथम दृष्टिकोण:** मानव पर्यवेक्षण (human oversight) और नैतिक डिज़ाइन पर बल।
  - » **निष्पक्षता एवं समानता:** पूर्वाग्रह को कम कर समावेशन को बढ़ावा देना।
  - » **नवाचार को प्रोत्साहन, प्रतिबंध नहीं:** जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।
  - » **उत्तरदायित्व:** निर्माताओं, तैनाती संस्थाओं और नियामकों के स्पष्ट दायित्व निर्धारित करना।
  - » **स्पष्ट एवं व्याख्येय डिज़ाइन:** AI प्रणालियाँ पारदर्शी और व्याख्यायोग्य (explainable) हों।
  - » **सुरक्षा, लचीलापन और स्थायित्व:** प्रयोग में विश्वसनीयता, सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व सुनिश्चित करना।
- ये सात सूत्र भारत के "विकसित भारत 2047" और "सभी के लिए एआई" दृष्टिकोण की नैतिक नींव हैं।

Legal & Sectoral Frameworks for AI Governance in India

IT Act, 2000
Legal base for digital regulation
- **Sec. 66D:** Deepfake & impersonation fraud
- **Sec. 79 + Intermediary Rules (2021):** Removal of unlawful AI content

Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023
Covers AI-related crimes:
identity theft, forgery, defamation

Digital Personal Data Protection Act (DPDP), 2023
Consent, data minimisation, purpose limitation
- Data Protection Board can act on AI misuse or profiling

Consumer Protection Act, 2019
Safeguards against misleading AI ads or unfair trade practices

शासन के छह स्तंभ

- **अवसंरचना:**
  - » 38,000 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टरों की स्थापना।
  - » "एआई कोश" नामक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता भंडार का निर्माण।
  - » शोधकर्ताओं एवं नवप्रवर्तकों को कंप्यूट संसाधनों तक

रियायती पहुँच।

- **क्षमता निर्माण:**
  - "इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स" और "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" के माध्यम से नागरिकों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण जिसमें विशेष ध्यान द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहरों पर होना चाहिए।
- **नीति एवं विनियमन:**
  - अलग कानून बनाने के बजाय मौजूदा विधिक ढाँचे (जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, डिजिटल निजता अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम) के अंतर्गत नियमन।
  - समय-समय पर नीति की समीक्षा और अद्यतन का प्रावधान।
- **जोखिम न्यूनीकरण:**
  - "राष्ट्रीय एआई घटना डेटाबेस" की स्थापना, जिसमें डीपफेक, एल्गोरिथ्मिक पक्षपात और अन्य हानियों का अभिलेखन किया जाएगा।
- **उत्तरदायित्व एवं संस्थागत ढाँचा:** तीन प्रमुख संस्थाओं की स्थापना:
  - **एआई शासन समूह:** नीतिगत समन्वय के लिए।
  - **तकनीकी एवं नीतिगत विशेषज्ञ समिति:** विशेषज्ञ परामर्श हेतु।
  - **एआई सुरक्षा संस्थान:** परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए, जो भारत का "कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रहरी" होगा।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:**
  - एआई सुरक्षा संस्थान भारत में सुरक्षा मानकों का निर्धारण, पक्षपात शमन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

कार्ययोजना – अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालिक दृष्टि

- **अल्पकालिक (0–2 वर्ष):** संस्थागत तंत्र की स्थापना, भारत-विशिष्ट जोखिम ढाँचा तैयार करना, दायित्व निर्धारण एवं शिकायत निवारण प्रणाली बनाना, और क्षेत्रीय क्षमता विकास।
- **मध्यम एवं दीर्घकालिक (5 वर्ष से अधिक):** एआई सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन का संस्थानीकरण, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप घरेलू मानक तैयार करना, तथा वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व में भारत की भूमिका को सशक्त बनाना।

भारत के लिए प्रभाव:

- **अवसर:**
  - यह विकासशील देशों के लिए एआई शासन का आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है।
  - समावेशी नवाचार और क्षमता निर्माण को गति देता है।
  - डिजिटल विश्वास और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - नई संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  - तीव्र तकनीकी परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखना।
  - स्वैच्छिक अनुपालन की स्थिति में उत्तरदायित्व तय करना।
  - डेटा उपलब्धता और गोपनीयता संरक्षण के बीच संतुलन बनाना।

निष्कर्ष:

भारत द्वारा प्रस्तुत कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के दिशा-निर्देश एक महत्त्वपूर्ण नीति पहल हैं,जोकि उत्तरदायी नवाचार और सतत विकास के लिए समग्र ढाँचा प्रदान करते हैं। इन दिशा-निर्देशों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। एक लचीले और अनुकूलनीय दृष्टिकोण के माध्यम से भारत न केवल नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है,बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समाज के समग्र हित में परिवर्तित कर सकता है।

ट्रिब्यूनल्स पर संवैधानिक विवाद

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ये प्रावधान ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता, उनकी निष्पक्षता और उनके संचालन से जुड़े संवैधानिक मानकों का उल्लंघन करते हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि:

- यह विवाद वर्ष 2017 में शुरू हुआ जब वित्त अधिनियम (Finance Act) के माध्यम से केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनलों से जुड़े नियम बनाने का अधिकार दिया गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इन नियमों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं।
- इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष तय किया गया और न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई।

मुख्य न्यायिक निष्कर्ष:

- **कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ:**
  - » सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह अधिनियम:
    - ➢ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर सरकार को अत्यधिक अधिकार देता है,
    - ➢ वेतन और सेवा-शर्तें तय करने में सरकार को मनमानी शक्ति प्रदान करता है,
    - ➢ सदस्यों के कार्यकाल में बिना किसी उचित कारण के कटौती की अनुमति देता है।
  - » कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रावधान ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उनके संवैधानिक स्वरूप को सीधे प्रभावित करते हैं।
- **विधायी अवहेलना अस्वीकार्य:**
  - » सरकार ने तर्क दिया कि संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बावजूद नए कानून बना सकती है।
    - ➢ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा "संसद किसी अमान्य घोषित प्रावधान को तभी दोबारा लागू कर सकती है जब वह कोर्ट द्वारा पहचानी गई संवैधानिक कमी को दूर करे"।
  - » इस मामले में, सरकार ने उसी प्रकार के प्रावधान दोबारा शामिल कर दिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे "विधायी अधिरोहण" (legislative override) माना, जो न्यायिक समीक्षा और इस प्रकार संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (एनटीसी) की स्थापना:

- » कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से ट्रिब्यूनल्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे:
  - ➢ असंगत और अस्पष्ट नियुक्ति प्रक्रियाएँ
  - ➢ प्रशासनिक स्वतंत्रता की कमी
  - ➢ सेवा-शर्तों में असमानता
- » इन कमियों को दूर करने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना का निर्देश दिया और इसे एक आवश्यक और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार बताया।

- **एनटीसी की भूमिका:**
  - » नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी
  - » चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना
  - » पूरे देश में सभी ट्रिब्यूनलों की सेवा-शर्तों में समानता बनाए रखना
  - » ट्रिब्यूनलों का केंद्रीय प्रशासनिक निकाय बनना

ट्रिब्यूनल्स के बारे में:

- ट्रिब्यूनल्स अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएँ होती हैं, जिन्हें विशेष प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए पारंपरिक न्यायालयों के मुकाबले तेज, विशेषज्ञतापूर्ण और कम खर्चीला विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- इनकी शुरुआत भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से की गई थी, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए।

मुख्य विशेषताएँ:

- **उद्देश्य:** न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करना और विशेष विषयों में त्वरित एवं विशेषज्ञ न्याय सुनिश्चित करना।
- **स्वरूप:** ट्रिब्यूनल्स के पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये पूर्ण न्यायालय नहीं माने जाते। इनके सदस्यों में प्रायः न्यायिक अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ दोनों शामिल होते हैं।
- **विशेषता:** हर ट्रिब्यूनल किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित विवादों को सुनता है — जैसे प्रशासनिक मामले, कर (Taxation), या पर्यावरण संबंधी विवाद।
- **संवैधानिक आधार:**
  - » **अनुच्छेद 323A** – प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स (जैसे सरकारी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए)
  - » **अनुच्छेद 323B** – अन्य ट्रिब्यूनल्स (जैसे कराधान, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार आदि के लिए)

निष्कर्ष:

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की कई धाराओं को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायिक स्वतंत्रता की निर्णायक पुष्टि है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक कार्यपालिका-नियंत्रित ट्रिब्यूनल संरचना, भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हो सकती। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना का निर्देश देकर, कोर्ट ने दीर्घकालिक संस्थागत सुधार की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार किया है। यह कमीशन सुनिश्चित करेगा कि ट्रिब्यूनल आगे भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी न्यायिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते रहें।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023

सन्दर्भ:

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी), 2023 (DPDP एक्ट) के तहत नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया। यह भारत का पहला समर्पित कानून है जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह कदम देश में डेटा शासन, डिजिटल अधिकार और व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस करने वाले संस्थानों की जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि:

- डीपीडीपी एक्ट अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह तभी प्रभावी हो सकता था जब इसके नियम और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिसूचित हों। इस दिशा में जनवरी 2025 में MeitY ने नियमों का प्रारूप सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। इसके बाद जनता, उद्योग और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा करने के बाद अंतिम नियम 14 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए गए।

नियमों की मुख्य बातें:

- **डेटा फिड्यूशियरी और सहमति पर जिम्मेदारियाँ:**
  - संगठनों (डेटा फिड्यूशियरी) के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे उपयोगकर्ताओं (डेटा प्रिंसिपल) को स्पष्ट रूप से यह जानकारी दें कि कौन-सा डेटा क्यों एकत्र किया जा रहा है तथा उसे कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा।
  - बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के डेटा के संदर्भ में सहमति को प्रमाणित एवं सत्यापित करना आवश्यक होगा, ताकि उनकी संवेदनशील जानकारी की विशेष रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
  - साथ ही, उपयोगकर्ताओं को अपनी सहमति कभी भी वापस लेने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है।
- **डेटा संग्रह और हटाने की अवधि:**
  - डेटा को केवल आवश्यक समय तक ही रखा जा सकता है। उद्देश्य पूरा होने या डेटा निष्क्रिय होने पर उसे मिटाना होगा।
  - बड़े प्लेटफॉर्म्स (ई-कॉमर्स, गेमिंग, सोशल मीडिया) के लिए डेटा मिटाने की सख्त समय-सीमा तय की गई है।
- **डेटा उल्लंघन की सूचना:**
  - किसी भी डेटा उल्लंघन (breach) की स्थिति में फिड्यूशियरी को 72 घंटे के अंदर डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सूचित करना होगा।
  - सूचना में उल्लंघन का प्रकार, समय, परिणाम और बचाव/निवारक उपाय शामिल होने चाहिए।
- **डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना:**
  - नियमों के तहत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय दिल्ली एनसीआर में होगा।
  - बोर्ड में चार सदस्य होंगे, जिनमें एक चेयरपर्सन शामिल होंगे। यह बोर्ड एक्ट के तहत विवादों का निपटारा करेगा।
- **संक्रमण/अनुपालन अवधि:**
  - नियम अधिसूचना के दिन से प्रभावी होंगे, लेकिन संस्थानों को पूर्ण अनुपालन के लिए 18 महीने का समय मिलेगा।

महत्व और प्रभाव:

- **कानून का लागू होना:** नियमों के अधिसूचित होने के साथ ही DPDP एक्ट अब केवल एक कानून नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से लागू होने वाला कानून बन गया है। इसका अर्थ है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने वाली संस्थाएँ अब कानूनी रूप से जवाबदेह होंगी।
- **उपयोगकर्ता अधिकारों को सशक्त करना:** डेटा प्रिंसिपल (उपयोगकर्ता) कानून के केंद्र में होंगे। उनके लिए सहमति देने, डेटा मिटाने, उल्लंघन की सूचना प्राप्त करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित होंगे।
- **प्रवर्तन संरचना:** डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बोर्ड डेटा उल्लंघनों की जांच करेगा, विवादों का निपटारा करेगा और एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई एवं दंड लगा सकेगा।
- **वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति:** भारत अब उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास समर्पित डेटा संरक्षण कानून है। यह यूरोपीय सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) से भिन्न है, लेकिन यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत डिजिटल डेटा की जवाबदेही और प्रवाह को नियंत्रित करने के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रखता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) एक्ट के नियमों का अधिसूचना भारत में डिजिटल डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपयोगकर्ताओं के अधिकार मजबूत करता है, कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के माध्यम से प्रभावी प्रवर्तन संभव बनाता है। यह भारत को वैश्विक स्तर पर डेटा संरक्षण

के लिए जिम्मेदार देश के रूप में भी स्थापित करता है।

मसौदा बीज विधेयक, 2025

सन्दर्भ:

हाल ही में 13 नवम्बर 2025 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मसौदा बीज विधेयक, 2025 जारी करते हुए 11 दिसम्बर तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। यह विधेयक भारत की बीज विनियमन प्रणाली में व्यापक सुधार लाने का प्रयास है। यह 1966 के बीज अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा और गैर-मानक तथा अपंजीकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कठोर दंड, 30 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष तक का कारावास का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि:

- भारत का वर्तमान बीज कानून (1966) बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण नहीं करता।
- 2004 और 2019 में नए बीज कानून लाने के प्रयास असफल रहे।
- मिलावटी बीज, फसल क्षति और किसानों के बढ़ते नुकसान ने एक आधुनिक, प्रवर्तनीय विनियामक ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

मसौदा बीज विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान:

- **बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण:**
  - » धारा 13 प्रावधान करती है कि दो श्रेणियों "किसान किस्में और केवल निर्यात हेतु उत्पादित किस्में को छोड़कर किसी भी प्रकार के बीज को पंजीकरण के बिना बोवाई हेतु नहीं बेचा जा सकेगा।
  - » पंजीकरण प्रदर्शन, अंकुरण, क्षेत्र परीक्षण और गुणवत्ता से संबंधित आँकड़ों के आधार पर होगा।
  - » 1966 के बीज अधिनियम के अंतर्गत पहले से अधिसूचित किस्मों को स्वतः पंजीकृत माना जाएगा।
- **अपराधों का वर्गीकरण:**
  - » विधेयक अपराधों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है:
    - ➢ नगण्य
    - ➢ लघु
    - ➢ प्रमुख
  - » प्रमुख अपराधों में शामिल हैं:
    - ➢ मिलावटी/नकली बीजों की आपूर्ति
    - ➢ अपंजीकृत किस्मों के बीजों की बिक्री
    - ➢ पंजीकरण के बिना बीज व्यवसाय (विक्रेता, वितरक, उत्पादक, प्रसंस्करण इकाई, नर्सरी) संचालित करना

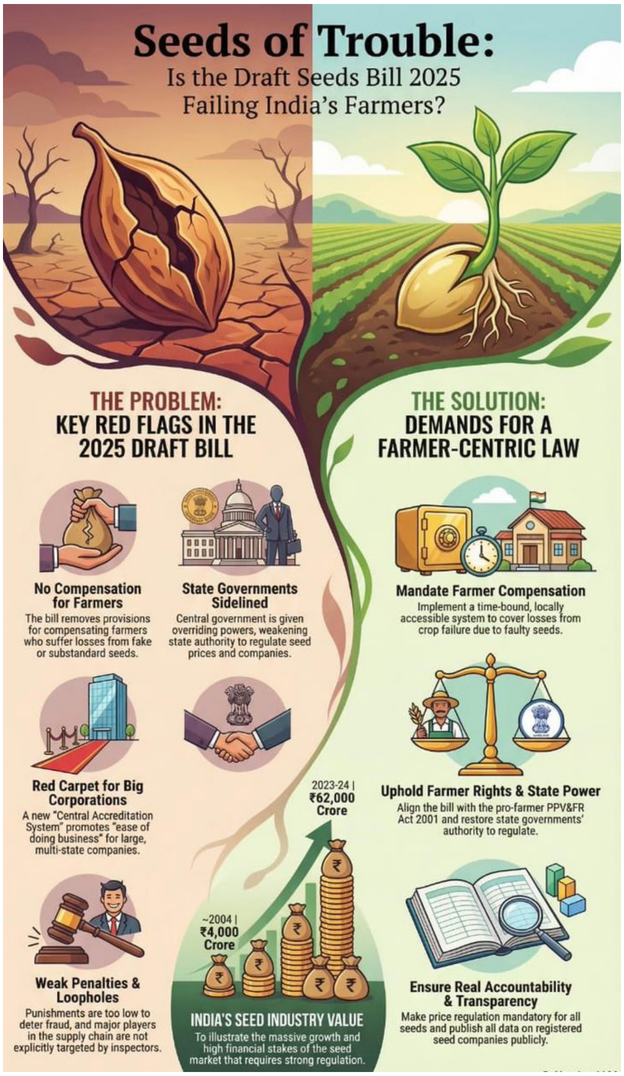

- **दंडात्मक प्रावधान:**
  - » प्रमुख उल्लंघनों के लिए:
    - ➢ 30 लाख रुपये तक का जुर्माना
    - ➢ तीन वर्ष तक का कारावास
  - » ये कठोर दंड उन कुप्रथाओं को रोकने के लिए हैं जो फसल परिणामों और किसान आजीविका को जोखिम में डालती हैं।
- **बीज गुणवत्ता और आयात का विनियमन:**
  - » विधेयक का उद्देश्य:
    - ➢ देश में बेचे जाने वाले सभी बीजों के लिए गुणवत्ता मानकों का विनियमन करना

- ➢ आयातित बीजों पर प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना
- ➢ बीज आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी बनाना

» उद्देश्य यह है कि किसानों को विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हों।

महत्व:

- **किसान संरक्षण:** बीज विफलता और मिलावट से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने में सहायक।
- **बीज क्षेत्र का आधुनिकीकरण:** लगभग 60 वर्ष पुराने कानून को अद्यतन कर आधुनिक चुनौतियों—संकर बीज, निजी अनुसंधान, और प्रौद्योगिकीय दावों—का समाधान।
- **उत्तरदायित्व:** पंजीकरण और अनुरेखण अनिवार्य कर बीज कंपनियों को गुणवत्ता के लिए जवाबदेह ठहराता है।
- **बाज़ार अनुशासन:** मिलावटी बीज विक्रेताओं पर कड़ी रोक, जिससे बीज बाज़ार की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

चिंताएँ और चुनौतियाँ:

- छोटे बीज उत्पादकों पर अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है।
- पंजीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाएँ तेज़ होनी चाहिए, ताकि नई किस्में बाज़ार में आने में विलंब न हो।
- प्रभावी प्रवर्तन के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं, निरीक्षकों और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

बीज विधेयक, 2025 बीज गुणवत्ता सुनिश्चित करने, किसानों की सुरक्षा बढ़ाने और बीज क्षेत्र को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। कठोर दंड और अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से यह भारत की कृषि-इनपुट शासन प्रणाली को आधुनिक बनाने की कोशिश करता है। इसकी सफलता संतुलित क्रियान्वयन, पर्याप्त अवसंरचना और सभी संबंधित पक्षों के सहयोग पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लगभग 2.25 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए हैं। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब सरकार मुफ़्त मासिक राशन योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम नि:शुल्क अनाज प्रदान कर रही है।

अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के कारण:

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कई श्रेणियों की पहचान की:

- **आय/संपत्ति मानदंड से अधिक रखने वाले लोग**
  - » चार-पहिया वाहन के मालिक
  - » राज्य द्वारा तय मासिक आय-सीमा से अधिक आय वाले परिवार
  - » पंजीकृत कंपनियों के निदेशक
- **मृत व्यक्ति**
  - » क्षेत्रीय स्तर की सत्यापन प्रक्रिया में ऐसे कई नाम मिले जो मृत्यु के बाद भी सूची में बने थे, जिन्हें हटा दिया गया।
- **केंद्रीय डेटाबेस में मिली डेटा विसंगतियाँ**
  - » केंद्र ने संदिग्ध डेटा राज्यों को भेजा। राज्य सरकारों ने सत्यापन के बाद ही नाम हटाए।

NFSA अधिनियम के विषय में:

- यह प्रावधान वर्ष 2013 में लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत देश की बड़ी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।
- इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।
- कुल मिलाकर 813.5 मिलियन (81.35 करोड़) लोग इस अधिनियम के तहत आते हैं (जनगणना 2011 के आधार पर)।
- NFSA के अंतर्गत लाभार्थी दो श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) है, जिसमें "सबसे गरीब" परिवार शामिल होते हैं। इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है।
- दूसरी श्रेणी प्राथमिकता परिवार (PHH) की है, जिसमें राज्यों द्वारा चिन्हित कमजोर/गरीब परिवार शामिल होते हैं। इन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- **वर्तमान स्थिति:** देशभर में 19 करोड़ से अधिक राशन कार्ड सक्रिय हैं और लगभग 5 लाख उचित मूल्य दुकानें (FPS) खाद्यान्न वितरण का कार्य कर रही हैं।
- **राज्य सरकारों की भूमिका:** हालाँकि खाद्यान्न की खरीद और

वितरण का संपूर्ण प्रबंधन केंद्र सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा किया जाता है, लेकिन पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना, गलत या अयोग्य नामों को सूची से हटाना और उचित मूल्य दुकानों (FPS) तक खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ राज्य सरकारों के अधीन होती हैं।

शुद्धिकरण का महत्व:

- **सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकता है:** खाद्य सब्सिडी सरकार के सबसे बड़े कल्याणकारी व्यय में से एक है। गैर-पात्र लाभार्थियों को हटाना वित्तीय रूप से आवश्यक कदम है।
- **वास्तविक गरीबों को शामिल करने का अवसर:** 2.25 करोड़ नाम हटने के बाद अब लगभग 7.9 करोड़ वास्तविक पात्र लेकिन अब तक वंचित व्यक्तियों को NFSA प्रणाली में शामिल करने का अवसर मिलेगा, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और नए बने परिवारों में रहने वाले लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ पहुंच सकेगा।
- **योजना की विश्वसनीयता बढ़ती है:** सही लाभार्थी सूची से NFSA पर जनता का भरोसा बढ़ता है और आधार प्रमाणीकरण, e-POS, रीयल-टाइम FPS मॉनिटरिंग जैसे डिजिटल सुधार और मजबूत होते हैं।
- **खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को मजबूती:** सबसे कमजोर समूह- महिला-प्रधान परिवार, वृद्धजन, भूमिहीन मजदूर, प्रवासी श्रमिक को स्थायी और विश्वसनीय खाद्य सुरक्षा मिलती है।

चिंताएँ:

- **वास्तविक पात्र व्यक्तियों के गलत बहिष्करण का खतरा:** जिन परिवारों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं या जो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके नाम अनजाने में सूची से हट जाने की आशंका बनी रहती है।
- **2011 की जनगणना पर निर्भरता:** पुराने जनगणना डेटा के कारण वर्तमान जनसंख्या और खाद्यान्न आवश्यकता का सही आकलन नहीं हो पाता, जिससे कवरेज में असंतुलन पैदा होता है।
- **राज्यों में पात्रता मानदंडों की असमानता:** NFSA राज्यों को पात्रता मानदंड तय करने की स्वतंत्रता देता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मानदंड लागू होते हैं और इससे लाभार्थी चयन में असमानता उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष:

लाभार्थियों की सूची का यह शुद्धिकरण खाद्य सब्सिडी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, लक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अयोग्य नाम हटने से वास्तविक गरीबों के लिए स्थान बनता है और योजना की विश्वसनीयता बढ़ती है। हालाँकि, गलत बहिष्करण, पुराने जनगणना डेटा, और राज्यों के भिन्न मानदंड जैसी चुनौतियाँ संकेत देती हैं कि निरंतर सुधार आवश्यक है। कुल मिलाकर, यह प्रक्रिया NFSA को अधिक न्यायसंगत और परिणामोन्मुख बनाती है।

असम पॉलीगैमी निषेध विधेयक 2025

संदर्भ:

हाल ही में, असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पास किया, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को दंडित करना है जो पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करते हैं।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **बहुविवाह की परिभाषा:**
  - » जब कोई व्यक्ति अपनी पहली वैधानिक रूप से विद्यमान (subsisting) शादी के रहते हुए दूसरी शादी करता है; अर्थात् जब पहला विवाह न तो तलाक, न निरस्तीकरण और न ही विधिक पृथक्करण द्वारा समाप्त हुआ हो।
  - » यदि कोई व्यक्ति अपनी पूर्व विवाह स्थिति को छिपाकर दूसरा विवाह करता है, तो इस आचरण को गंभीर/कठोर अपराध (aggravated offence) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **दंड प्रावधान:**
  - » **पहला अपराध:** अधिकतम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना।
  - » **यदि पूर्व विवाह छिपाया गया हो:** अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास।
  - » **अपराध की पुनरावृत्ति:** पूर्व दोषसिद्धि की तुलना में दंड को दोगुना किया जाएगा।
- **सहायक/प्रोत्साहक व्यक्तियों के लिए दंड:**
  - » ऐसे व्यक्ति जो अवैध विवाह संपन्न कराते हैं (जैसे पुजारी, क़ाज़ी): अधिकतम 2 वर्ष की कैद या ₹1.5 लाख तक का जुर्माना।
  - » माता-पिता, अभिभावक, ग्राम प्रधान, क़ाज़ी आदि, जो छुपाने या मदद करने में शामिल हों: अधिकतम 2 वर्ष की कैद तथा ₹1 लाख तक का जुर्माना।

- **नागरिक अयोग्यता (Civic Disqualification)**
  - » दोषी पाए गए व्यक्ति:
    - ➢ सरकारी या राज्य-सहायता प्राप्त रोजगार पाने के अयोग्य होंगे।
    - ➢ राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रहेंगे।
    - ➢ पंचायत / नगर निकाय / स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे।
- **अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रावधान (Extra-Territorial Application)**
  - » यदि असम का कोई निवासी राज्य से बाहर जाकर ऐसा विवाह करता है जो इस कानून का उल्लंघन करता है, तो यह विधेयक उसके लिए भी लागू माना जाएगा।
- **छूट और कार्यक्षेत्र:**
  - » विधेयक लागू नहीं होगा:
    - ➢ उन व्यक्तियों पर जो अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य हैं (अनुच्छेद 342 के तहत)।
    - ➢ छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर (जैसे— बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) करबी आंगलोंग दीमा हासाओ आदि स्वायत्त क्षेत्र)।

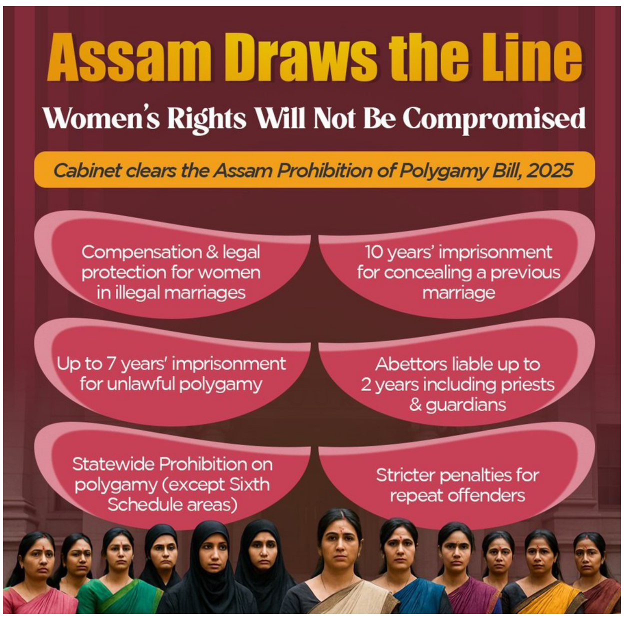

बहुविवाह के बारे में:

- बहुविवाह का अर्थ है एक ही समय में एक से अधिक जीवनसाथी होना। इसके प्रमुख रूप:
  - » **पोलिजिनी (Polygyny):** एक पुरुष की कई पत्नियाँ।
  - » **पोलीएंड्री (Polyandry):** एक महिला के कई पति।
  - » **ग्रुप मैरिज:** कई पुरुष और महिलाएँ एक-दूसरे से विवाह संबंध में।

विधेयक के संभावित प्रभाव:

- विधेयक के पारित होने पर असम उन शुरुआती राज्यों में शामिल हो जाएगा, जिसने बहुविवाह को सामान्य कानून में मौजूद द्विविवाह संबंधी प्रावधानों से आगे बढ़कर, स्पष्ट रूप से राज्य-स्तर पर अपराध घोषित किया है। यह कदम विवाह संबंधी कानूनी ढाँचे को अधिक कठोर और स्पष्ट बनाएगा।
- यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों को भी मजबूत कर सकता है। कानूनी सुरक्षा, दोषी को कड़ी सजा, और मुआवजा जैसे प्रावधान महिलाओं को अधिक संरक्षण प्रदान करेंगे, खासकर उन स्थितियों में जहाँ अनौपचारिक या गैर-पंजीकृत विवाहों के कारण शोषण की संभावनाएँ अधिक रहती हैं।
- राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर यह विधेयक महत्वपूर्ण बहसों को भी जन्म दे सकता है। यह व्यक्तिगत कानूनों में सुधार, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, तथा विवाह जैसी निजी सामाजिक प्रथाओं में राज्य की भूमिका को लेकर चर्चा को और गहरा कर सकता है।

रेयर-अर्थ मैग्नेट योजना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

सन्दर्भ:

26 नवंबर 2025 को, भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने 7280 करोड़ रुपये की 'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) निर्माण प्रोत्साहन योजना" को मंज़ूरी दी है। यह पहल देश में रेयर-अर्थ मैग्नेट के उत्पादन हेतु संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला (value chain) विकसित करने का भारत का पहला व्यापक और रणनीतिक प्रयास है।

इस नीति का महत्व क्यों है?

- रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जिनका उपयोग अनेक उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से किया जाता है—जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), पवन ऊर्जा संयंत्र, रक्षा एवं एयरोस्पेस प्लेटफ़ॉर्म, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा

उपकरण।

- वर्तमान में भारत REPM की अपनी आवश्यकता के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बनाती है, क्योंकि वैश्विक बाज़ार में चीन का दबदबा है और हाल के वर्षों में उसने निर्यात प्रतिबंधों एवं आपूर्ति में कटौती जैसे कदम उठाए हैं। 2030 तक भारत में REPM की मांग लगभग दोगुनी होने वाली है।

इस स्कीम का उद्देश्य:

- सप्लाई-चेन को सुरक्षित बनाना
- आयात पर निर्भरता कम करना
- EVs, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना

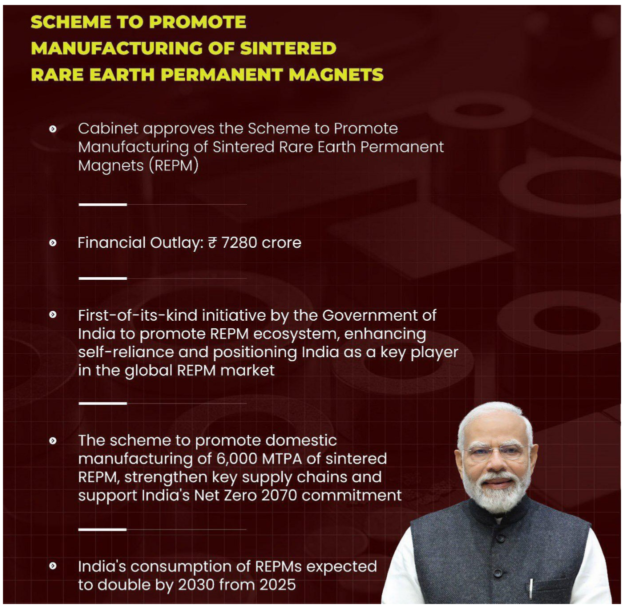

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- योजना का लक्ष्य देश में 6,000 MTPA (मीट्रिक टन प्रति वर्ष) की REPM उत्पादन क्षमता विकसित करना है।
- वित्तीय सहायता दो प्रमुख घटकों के रूप में प्रदान की जाएगी:
    - **बिक्री-आधारित प्रोत्साहन:** ₹6,450 करोड़ (5 वर्षों के लिए)
    - **पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy):** ₹750 करोड़ — विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने में सहायता हेतु
- स्कीम की कुल अवधि 7 वर्ष होगी:
    - **2 वर्ष:** संयंत्र (plant) स्थापना और आधारभूत ढाँचा विकसित करने के लिए।
    - **5 वर्ष:** प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए।
- योजना में रेयर-अर्थ मैग्नेट निर्माण की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला (value chain) सम्मिलित है:
    - रेयर-अर्थ ऑक्साइड → मेटल
    - मेटल → अलॉय
    - अलॉय → तैयार परमानेंट मैग्नेट

संभावित प्रभाव:

- **सप्लाई-चेन सुरक्षा और आत्मनिर्भरता:** घरेलू REPM उत्पादन से भारत की EV, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और एयरोस्पेस जैसी महत्वपूर्ण उद्योगों को वैश्विक सप्लाई संकटों और भू-राजनीतिक दबावों से सुरक्षा मिलेगी। इससे देश रणनीतिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनेगा।
- **हाई-टेक निर्माण को बढ़ावा:** यह योजना उन्नत धातु तकनीक, अलॉय निर्माण, मटेरियल साइंस और रेयर-अर्थ प्रसंस्करण जैसे उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में नई क्षमता और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। इससे भारत में अत्याधुनिक विनिर्माण का मजबूत आधार विकसित होगा।
- **निवेश और रोजगार में वृद्धि:** नई विनिर्माण इकाइयों, सप्लाई-चेन नेटवर्क और सहायक उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर निवेश और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित होंगे। इससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
- **ऊर्जा परिवर्तन को बल:** भारत के 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए REPM की स्थिर और घरेलू आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। EV मोटर्स, पवन टर्बाइन और ग्रीन-टेक्नोलॉजी में इन मैग्नेटों की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह योजना भारत के ऊर्जा परिवर्तन को निर्णायक गति प्रदान करेगी।

निष्कर्ष:

₹7,280 करोड़ की यह स्कीम भारत को आयातक से वैश्विक निर्माता बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़ाएगी, सप्लाई-चेन को सुरक्षित करेगी और EVs, ग्रीन ऊर्जा, रक्षा तथा हाई-टेक क्षेत्रों को नई मजबूती देगी। संपूर्ण वैल्यू-चेन को विकसित करने वाली यह पहल "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" को गति देते हुए भारत को 2047 तक एक उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं

संदर्भः

हाल ही में 23वें विधि आयोग (Law Commission) ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष यह स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) से जुड़े विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते। विशेष रूप से, यह विधेयक न तो संघीय ढांचे (Federalism) को प्रभावित करते हैं और न ही मतदाता के अधिकार को।

पृष्ठभूमिः

- दिसंबर 2024 में सरकार ने दो विधेयक "संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024" पेश किए। इन दोनों को संयुक्त रूप से राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) विधेयक कहा जाता है।
- इनका उद्देश्य लोकसभा तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनावों को एक समान चुनाव चक्र में समन्वित करना है, ताकि चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकें।
- इन विधेयकों की समीक्षा के लिए संसद ने सांसद पी. पी. चौधरी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया।

विधि आयोग के प्रमुख मत और कानूनी आधारः

- **संवैधानिक वैधता — मूल संरचना सिद्धांतः**
  - » विधि आयोग का कहना है कि चुनावों को एक साथ कराना केवल चुनावों के समय और अवधि को प्रभावित करता है; इससे मत देने के अधिकार या जन प्रतिनिधित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए एक राष्ट्र, एक चुनाव संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं करता।
  - » इसी आधार पर आयोग का मत है कि इस संशोधन के लिए राज्यों से अनुमोदन (Ratification) आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 368(2)(a)–(e) में वर्णित विषयों को प्रभावित नहीं करता।
- **विधिक और व्यावहारिक लचीलापनः**
  - » विधि आयोग के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 5 वर्ष की अवधि (अनुच्छेद 83 और 172) पूर्णतः कठोर या अपरिवर्तनीय नहीं है। संविधान में ही सदनों के समय से पहले विघटन तथा आपातकाल की स्थिति में अवधि बढ़ाने जैसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं।
  - » इसलिए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम (इलेक्टोरल कैलेंडर) में परिवर्तन करना कानूनी रूप से पूरी तरह संभव है।
  - » JPC के समक्ष प्रस्तुत अपने विवरण में विधि आयोग के पैनल ने कहा कि चुनावों की आवृत्ति कम होने से समय एवं सार्वजनिक संसाधनों की बचत, शासन व्यवस्था में स्थिरता और नीतिगत निरंतरता जैसे लाभ इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि चुनाव चक्र के समन्वय हेतु आवश्यक प्रशासनिक व विधिक समायोजन अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण प्रतीत होते हैं।

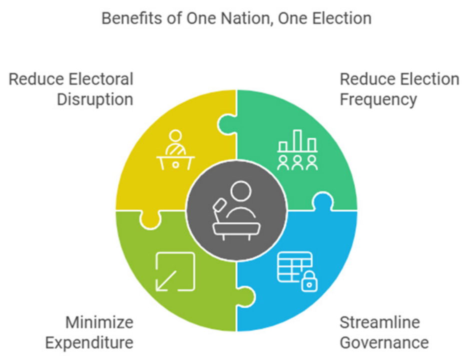

एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) के बारे में:

- एक साथ चुनाव अर्थात एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकसभा तथा सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में संपन्न किए जाते हैं।
- इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश में एक ही दिन मतदान हो, चुनाव वर्तमान की तरह विभिन्न चरणों में भी आयोजित किए जा सकते हैं, परंतु सभी विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल एक साथ समाप्त होगा तथा नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी समान अवधि में होगा।

ऐतिहासिक संदर्भः

- भारत के पहले चार आम चुनाव चक्रों "1952, 1957, 1962 और 1967" में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाते थे।
- 1967 के बाद यह समन्वय निम्न कारणों से टूट गया:
  - » लोकसभा का समय से पहले विघटन,

» राज्य सरकारों का निरंतर अस्थिर होना
» विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू होना।

- इन परिस्थितियों के चलते अलग-अलग राज्यों एवं केंद्र में चुनावों का समय असंगत हो गया और परिणामस्वरूप भारत में वर्तमान चरणबद्ध एवं असमकालीन चुनाव प्रणाली विकसित हो गई।

संविधान में ज़रूरी संशोधन:

» अनुच्छेद 83 और 172 — लोकसभा व राज्यों की अवधि
» अनुच्छेद 85 और 174 — सदन भंग करने की शक्तियाँ
» दसवीं अनुसूची — दल-बदल कानून में समायोजन

- ऐसे प्रावधान जिनसे एक बार के लिए सभी सदनों की अवधि बढ़ाई या घटाई जा सके, ताकि चुनाव एक साथ हो सकें।

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव का तर्क:

- **शासन कुशलता:** बार-बार चुनाव से आदर्श आचार संहिता लगती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव से यह समस्या कम होगी।
- **खर्च में कमी:** हर चुनाव में भारी आर्थिक और मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव से खर्च काफी घटेगा।
- **नीति निरंतरता:** सरकारें लगातार चुनावी स्थिति में रहने के अतिरिक्त लंबी अवधि की नीतियों पर ध्यान दे पाएँगी।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी:** लगातार चुनावों से ज़्यादा ध्रुवीकरण और लोकलुभावन राजनीति बढ़ती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव स्थिर और दीर्घकालिक नीति-बहस को बढ़ावा दे सकता है।

चिंताएँ और आलोचनाएँ:

- **संघवाद संबंधी चिंताएँ:**
  विपक्ष का तर्क है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव से:
  » राज्यों की विधायी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
  » राज्यों के स्वतंत्र चुनावी चक्र का अधिकार समाप्त हो सकता है।
  » सहकारी संघवाद की भावना कमजोर पड़ सकती है।
- **व्यावहारिक चुनौतियाँ**
  » यदि गठबंधन सरकारें अपने कार्यकाल से पहले अस्थिर हो जाएँ, तो चुनावी समन्वय बनाए रखना कठिन हो जाएगा।
  » हर स्थिति में वैकल्पिक सरकार बन पाना संभव नहीं होगा, जिससे राष्ट्रपति शासन लागू होने की आवृत्ति बढ़ सकती है।
- **कार्यपालिका के केंद्रीकरण का खतरा**
  » एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को पीछे छोड़ सकते हैं।
  » इससे क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक भूमिका कमजोर पड़ने और राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व बढ़ने की आशंका है।
- **शुरुआती आर्थिक और लॉजिस्टिक दबाव**
  » EVM और VVPAT मशीनों की बड़े पैमाने पर खरीद,
  » सुरक्षा बलों और चुनाव कर्मियों की व्यापक तैनाती,
  » प्रशासनिक तैयारियों का भारी बोझ

ऑनलाइन कंटेंट के लिए स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्री "विशेषकर सोशल मीडिया और यूज़र-जनरेटेड कंटेंट (UGC)" के लिए एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र नियामक संस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायालय का कहना है कि प्लेटफॉर्म-आधारित "स्वनियमन" (self-regulation) प्रभावी नहीं रहा है। साथ ही, नाबालिगों को अश्लील या हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए कठोर आयु-पुष्टि और कंटेंट-रेटिंग प्रणाली पर बल दिया गया है।

पृष्ठभूमि एवं समस्या का स्वरूप:

- भारत में यूज़र-जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्लॉग और साथ ही ओटीटी सेवाओं के तेज़ी से विस्तार ने सामग्री उपभोग के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
- पारंपरिक मीडिया जैसे प्रिंट, टीवी और सिनेमा पर लागू नियामक ढाँचे डिजिटल माध्यम पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि डिजिटल स्पेस सीमाहीन (borderless), विकेंद्रीकृत और लगातार बदलता हुआ क्षेत्र है।

नियमन की मौजूदा स्थिति:

- आईटी नियम, 2021 ने डिजिटल मीडिया के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाया था। इसके बावजूद, अनेक प्लेटफॉर्म अभी भी स्वनियमन (self-regulation) पर ही निर्भर हैं।
- यह मॉडल कई मामलों में अप्रभावी साबित हुआ है, विशेषकर:
  » अश्लील सामग्री
  » मानहानि पोस्ट

» घृणा फैलाने वाली सामग्री (Hate Speech)

हाल के विवाद और बढ़ती चिंता:

- हाल के समय में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों, तथा दिव्यांगजनों (PwDs) पर आपत्तिजनक, अशोभनीय और अपमानजनक वीडियो प्रसारित किए गए हैं।
- इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान स्वनियमन प्रणाली अपर्याप्त है, और कड़े व अधिक प्रभावी नियमन की आवश्यकता अत्यावश्यक हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट के सुझाव:

- **स्वतंत्र नियामक संस्था:** न्यायालय ने कहा कि "स्व-घोषित निकाय प्रभावी नहीं हो सकते"; इसलिए एक तटस्थ, स्वायत्त, और अधिकार-संपन्न नियामक बनाया जाना चाहिए।
- **आयु-पुष्टि:** केवल चेतावनियाँ (Pop-up warnings) पर्याप्त नहीं होतीं। नाबालिगों को वयस्क/अश्लील सामग्री से दूर रखने के लिए आधार या पैन आधारित सत्यापन जैसे मजबूत तरीकों पर विचार।
- **संवेदनशील समूहों की सुरक्षा:** PwDs या हाशिये पर मौजूद समुदायों का उपहास करने वाली सामग्री पर SC/ST एक्ट जैसे दंडात्मक प्रावधानों की तरह सख़्ती का सुझाव।
- **मूल सिद्धांत:** अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मर्यादा, नैतिकता, नाबालिगों की सुरक्षा और गरिमा के साथ संतुलित होनी चाहिए।

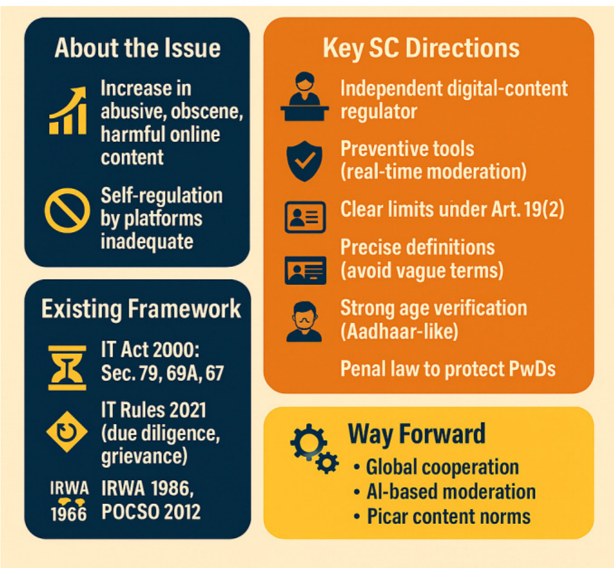

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ:

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अत्यधिक नियमन:** अत्यधिक नियंत्रण से व्यंग्य, आलोचनात्मक टिप्पणी या कलात्मक अभिव्यक्ति पर " असर" (Chilling Effect) पड़ सकता है।
- **निजता एवं डाटा सुरक्षा:** आधार/पैन आधारित आयु-जांच से निजता का जोखिम तथा व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग की आशंका।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** डिजिटल स्पेस बहुत बड़ा और तेजी से बदलने वाला है, इसलिए निगरानी मुश्किल होती है, विशेष रूप से छोटे क्रिएटर्स के लिए।
- **न्यायिक/नियामकीय अतिक्रमण:** नैतिकता, समुदाय मानक या राष्ट्र-विरोधी सामग्री का आकलन अक्सर व्यक्तिपरक होता है, जिससे मनमाने फैसलों का जोखिम बढ़ता है।
- **नवाचार पर प्रभाव:** सख्त नियम स्वतंत्र रचनात्मकता, वैकल्पिक पत्रकारिता और असहमति की आवाज़ों को दबा सकते हैं।

निष्कर्ष:

डिजिटल युग में अनियंत्रित ऑनलाइन सामग्री नाबालिगों की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक नैतिकता के लिए जोखिम पैदा करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतंत्र नियामक की मांग यह स्वीकार करती है कि केवल स्वनियमन पर्याप्त नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत एक ऐसा ढांचा बनाए जो कमजोर समूहों की रक्षा करे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को सुरक्षित रखे और उपयोगकर्ताओं की निजता का सम्मान करे। स्पष्ट नियम, पारदर्शिता, हितधारकों की भागीदारी और मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ, भारत एक जिम्मेदार और अधिकार-आधारित डिजिटल कंटेंट शासन मॉडल विकसित कर सकता है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

जी-20 शिखर सम्मेलन 2025: भू–राजनीतिक चुनौतियाँ और भारत की नीतिगत प्राथमिकताएँ

परिचयः

जोहान्सबर्ग में आयोजित 2025 जी-20 लीडर्स' समिट कई कारणों से ऐतिहासिक रहा। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप जी-20 बैठक की मेज़बानी कर रहा था, अमेरिका ने इस शिखर सम्मेलन का पूर्ण बहिष्कार किया और अंतिम घोषणा पत्र अमेरिकी भागीदारी के बिना तैयार किया गया। इन असाधारण परिस्थितियों के बावजूद, उपस्थित सभी सदस्य देशों ने 122-पैराग्राफ वाले घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस घोषणा पत्र में बहुपक्षीय सहयोग, ग्लोबल साउथ की प्रतिनिधित्वशीलता और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार पर विशेष जोर दिया गया।

भारत के लिए यह सम्मेलन 2023 की अपनी अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं "सतत विकास, आतंकवाद-रोधी सहयोग, ग्लोबल साउथ की क्षमता-वृद्धि, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार" को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ। साथ ही, सम्मेलन ने उभरते भू-राजनीतिक तनावों को भी उजागर किया, जिसमें वैश्विक संघर्षों पर संयमित भाषा, जलवायु दायित्वों को लेकर गहरी असहमति और ग्लोबल नॉर्थ व ग्लोबल साउथ के बीच बढ़ती दूरियां शामिल हैं।

जी-20 के बारे में:

- जी-20 एक अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। यह समूह संयुक्त रूप से लगभग:
  - » वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 88%
  - » वैश्विक व्यापार का 78%
  - » विश्व की लगभग तीन-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जी-20 को देशों के शीर्ष नेताओं के स्तर तक उन्नत किया गया। तब से इसका उद्देश्य लगातार व्यापक होता गया है, जिसमें व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, कृषि, डिजिटल प्रशासन और वैश्विक असमानताओं जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होते गए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की तरह जी-20 का भी कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है और इसे "ट्रोइका" तंत्र (अर्थात् पूर्व, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष देशों) के सहयोग से संचालित किया जाता है।

जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र की प्रमुख बिंदु:

- **'उबुंटू' की भावना और सामूहिक कार्रवाई**
  - » घोषणा पत्र की शुरुआत अफ्रीकी दर्शन "उबुंटू" के उल्लेख से हुई, जो पारस्परिक संबंध, सह-अस्तित्व और साझा जिम्मेदारी के विचार पर आधारित है। वैश्विक देशों ने बढ़ते संघर्षों, मानवीय संकटों और आर्थिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में वैश्विक बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का संकल्प दोहराया।
  - » दस्तावेज़ में रूस–यूक्रेन युद्ध का केवल सीमित उल्लेख किया गया और गाज़ा संघर्ष का नाम नहीं लिया गया, फिर भी यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी देश को सैन्य बल के माध्यम से किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना चाहिए, जो मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों का प्रत्यक्ष संकेत है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधार की दिशा में निर्णायक प्रगति**
  - » घोषणा पत्र में साफ कहा गया कि वर्तमान सुरक्षा परिषद वैश्विक भू-राजनीति को स्पष्ट नहीं करती। इसलिए मांग की

गई:

- ➢ सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए
- ➢ अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए

» 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनकारी सुधार प्रक्रिया शुरू की जाए

» यह मांग पूरी तरह भारत के लंबे समय से चले आ रहे इस विचार के अनुरूप है कि UNSC को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण और विश्वसनीय बनाया जाए।

- **आतंकवाद पर स्पष्ट और कठोर रुख**

» भारत यह सुनिश्चित करने में सफल रहा कि घोषणा पत्र में सीधे शब्दों में लिखा जाए कि **"हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं।"**

» यह छोटा वाक्य रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सदस्य देश आतंकवाद की परिभाषा और इससे निपटने के तरीकों पर सहमति नहीं रखते। दस्तावेज़ में नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के पालन पर भी जोर दिया गया।

- **महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित प्रतिबद्धताएँ**

» घोषणा पत्र में यह दोहराया गया:

- ➢ महिलाओं के सामने मौजूद सामाजिक व आर्थिक बाधाएँ समाप्त की जाएँ
- ➢ महिला-नेतृत्वित विकास को बढ़ावा दिया जाए
- ➢ राजनीति व अर्थव्यवस्था में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए

» युवा प्रतिबद्धताओं में "नेल्सन मंडेला बे टारगेट" का उल्लेख उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार 2030 तक उन युवाओं की संख्या को 5% तक लाना है जो न शिक्षा, न प्रशिक्षण और न रोजगार (Not in Education, Employment or Training- NEET) में हैं।

- **जलवायु कार्रवाई, हरित वित्त और न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण**

» अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद जलवायु पर व्यापक सहमति बनी:

- ➢ जलवायु वित्त को "अरबों से खरबों" स्तर तक विस्तार देना
- ➢ यह स्वीकारना कि विकासशील देशों को 2030 तक जलवायु लक्ष्यों हेतु 5.8–5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी
- ➢ वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना
- ➢ न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करना, विशेषकर अफ्रीका में जहाँ 600 मिलियन लोग अब भी बिजली से वंचित हैं

» घोषणा पत्र में "जी20 क्रिटिकल केमिकल्स फ्रेमवर्क" का स्वागत भी किया गया, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों की टिकाऊ और पारदर्शी वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ बनाना है।

- **ऋण स्थिरता और विकास वित्त**

» नेताओं ने माना कि विकासशील देशों पर बढ़ता कर्ज उनके विकास मार्ग में एक बड़ी बाधा है। इसके समाधान के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क को सशक्त बनाने पर सहमति बनी।

» एक प्रमुख संस्थागत उपलब्धि यह रही कि उप-सहारा अफ्रीका के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 25वें आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का गठन किया गया।

- **खाद्य सुरक्षा और कृषि**

» 2024 में विश्व के लगभग 720 मिलियन लोग पर्याप्त भोजन तक पहुँच से वंचित हैं, इस पृष्ठभूमि में घोषणा पत्र में "खाद्य का अधिकार" फिर दोहराया गया और छोटे व सीमांत किसानों "विशेषकर अफ्रीका" को समर्थन बढ़ाने पर जोर दिया गया।

» अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) जैसी क्षेत्रीय पहलों को भी सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया।

- **डिजिटल प्रशासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता**
  » सम्मेलन में "AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव" की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य अफ्रीका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक सुरक्षित, न्यायसंगत और क्षमता-वर्धक पहुँच सुनिश्चित करना है। प्रमुख सिद्धांत थे:
    ➢ मानवाधिकार-आधारित सुरक्षा
    ➢ पारदर्शिता और जवाबदेही
    ➢ अपराध व आतंकवाद में दुरुपयोग की रोकथाम

सम्मेलन में भारत की पहल:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास और सहयोग को आगे बढ़ाते हुए छह प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत किए:

- **ड्रग–टेरर नेक्सस पर जी-20 पहल:** भारत ने विशेषकर फेंटानिल (Fentanyl) जैसे सिंथेटिक ओपिओइड (Synthetic Opioids) के माध्यम से बढ़ते आतंकवादी वित्तपोषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पहल के अंतर्गत शामिल है:
  » वित्तीय लेनदेन की उन्नत निगरानी
  » सीमा प्रबंधन तंत्र को सशक्त बनाना
  » खुफिया सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय साझाकरण
  » कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाना
- **जी-20 – अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल:** अगले दस वर्षों में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। "ट्रेन-द-ट्रेनर" मॉडल पर आधारित यह कार्यक्रम विनिर्माण, डिजिटल सेवाओं और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा।
- **वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार:** विश्व भर में उपलब्ध पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित, प्रलेखित और साझा करने के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का प्रस्ताव दिया गया। इसका उद्देश्य बायोपाइरेसी (Biopiracy) पर नियंत्रण और अनुसंधान-अभिनव को प्रोत्साहन देना है।
- **जी-20 वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया टीम:** महामारियों, आपदाओं और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान त्वरित और समन्वित हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षित, बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिक्रिया बल स्थापित करने का सुझाव दिया गया।
- **ओपन सैटेलाइट डेटा साझेदारी:** जी-20 सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच उपग्रह डेटा का खुला और जिम्मेदार आदान-प्रदान सुनिश्चित करने का प्रस्ताव। इसका सीधा लाभ विकासशील देशों को आपदा प्रबंधन, कृषि योजना, तटीय सुरक्षा और पर्यावरणीय निगरानी में प्राप्त हो सकेगा।
- **क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी पहल:** महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण, जिम्मेदार खनन और शहरी खनन (Urban mining) के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण को गति देने और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को लेकर कठोर प्रतिबंध, मानव पर्यवेक्षण और जिम्मेदार AI ढाँचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही, सभी सदस्य देशों को 2026 की शुरुआत में आयोजित होने वाले "AI इम्पैक्ट समिट" में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

जी-20 के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- हालाँकि जी-20 वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विमर्श में अत्यधिक प्रभावशाली मंच है, फिर भी इसकी कार्यक्षमता अनेक सीमाओं और विरोधाभासों से प्रभावित होती है। प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
  » **भू-राजनीतिक विभाजन:** रूस–यूक्रेन संघर्ष, चीन–पश्चिम तनाव और मध्य पूर्व संकट सदस्य देशों को अलग-अलग भागों में बाँटते हैं।
  » **प्रतिबद्धताओं का गैर-बाध्यकारी स्वरूप:** जी-20 के घोषणापत्र और निर्णय स्वैच्छिक होते हैं, जिनके पालन के लिए कोई कानूनी दायित्व या दंड व्यवस्था नहीं है।
  » **जलवायु जिम्मेदारियों पर मतभेद:** विकसित और विकासशील देशों के बीच "ऐतिहासिक जिम्मेदारियों" और "वित्तीय योगदान" को लेकर असहमति बनी हुई है।
  » **अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा:** दोनों महाशक्तियों के बीच आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्विता वार्ताओं को बार-बार प्रभावित करती है।
  » **ऋण और विकास वित्त में भारी अंतर:** विकासशील देशों के लिए ऋण पुनर्संरचना और वित्तपोषण की व्यवस्थाएँ अभी भी अपर्याप्त हैं।
  » **स्थायी संस्थागत व्यवस्था का अभाव:** स्थायी सचिवालय न होने के कारण नीति-निरंतरता और निर्णय-अनुपालन अक्सर कमजोर पड़ जाता है।
- 2025 शिखर सम्मेलन में ये चुनौतियाँ और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आईं। अमेरिका के बहिष्कार तथा वैश्विक संघर्षों पर अत्यंत नरम और सहमति-उन्मुख भाषा ने यह संकेत दिया कि वर्तमान समय

में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति गहरे विभाजन, अविश्वास और प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है।

भारत के लिए जी-20 का महत्व:

- भारत के लिए जी-20 केवल एक बहुपक्षीय आर्थिक मंच नहीं, बल्कि वैश्विक नीतिनिर्माण में अपनी भूमिका को सशक्त बनाने का रणनीतिक अवसर है। भारत के लिए जी-20 के महत्व को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है:
  - सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की भारत की पुरानी मांग को अंतरराष्ट्रीय समर्थन दिलाने के लिए जी-20 प्रभावी मंच प्रदान करता है।
  - विकासशील देशों की आवश्यकताओं, क्षमता-विकास और आर्थिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता दिलाने में भारत सक्रिय भूमिका निभाता है।
  - विकसित देशों से वित्तीय सहयोग बढ़ाने और न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत जी-20 में निरंतर दबाव बनाता है।
- भारत सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी पहल को प्राथमिकता देकर सामूहिक कार्रवाई के लिए सहमति बनाता है।
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष डेटा साझाकरण, और सुरक्षित AI उपयोग जैसे क्षेत्रों में भारत अपने अनुभव और नेतृत्व को साझा करता है।
- जी-20 भारत को विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय, स्थिर और समाधान-केंद्रित नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने का अवसर देता है।

निष्कर्ष:

2025 का जी-20 शिखर सम्मेलन वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, प्राथमिकताओं में टकराव और अमेरिका की अनुपस्थिति के बीच आयोजित हुआ। इसके बावजूद, सभी सदस्य देशों ने बहुपक्षवाद, समावेशिता और सतत विकास के आधार पर विस्तृत घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया। भारत के लिए यह सम्मेलन 2023 की अपनी अध्यक्षता की निरंतरता को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, विशेषकर आतंकवाद, कौशल विकास, पारंपरिक ज्ञान, क्रिटिकल मिनरल्स और वैश्विक शासन सुधारों से जुड़े विमर्शों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में। हालांकि, वास्तविक परीक्षा अब क्रियान्वयन की होगी, क्योंकि आगामी अध्यक्षता अब अमेरिका के पास जाने वाली है, इसलिए यह चुनौती बनी रहेगी कि क्या विभाजित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सामूहिक कार्रवाई को जारी रख पाएगी। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र यह संकेत देता है कि बहुपक्षीय मंच आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन उनकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, भरोसा और विश्वसनीय वैश्विक सहयोग पर निर्भर करेगी।

संक्षिप्त मुद्दे

भारत बहरीन संबंध

संदर्भ:

हाल ही में 3 नवंबर 2025 को भारत और बहरीन ने नई दिल्ली में अपनी पाँचवीं उच्च संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन रशीद अज़ ज़यानी ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करना था।

मुख्य निष्कर्ष और विकास:

- **रक्षा एवं सुरक्षा:** दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत और बहरीन ने ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण और अन्य सहयोगात्मक उपायों के माध्यम से आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- **व्यापार और निवेश:** व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर वार्ता शुरू हो चुकी है। द्विपक्षीय निवेश संधि में प्रगति हो रही है और दोनों पक्ष दोहरे कराधान से बचाव समझौते (Double Taxation Avoidance Agreement – DTAA) की दिशा में भी काम करने पर सहमति जताई।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:** स्वास्थ्य, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, भारत ने बहरीन के नागरिकों की यात्रा को और सुगम बनाने के लिए ई-वीज़ा प्रणाली शुरू की है।

रणनीतिक महत्व:

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** रक्षा सहयोग को मज़बूत करने से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के

लिए बेहद अहम हैं।

- **भूराजनीतिक संतुलन:** बहरीन के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी से भारत को खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- **आर्थिक विविधीकरण:** व्यापार और निवेश पर हुई चर्चाएँ भारत की आर्थिक कूटनीति को मज़बूत करती हैं, साथ ही यह बहरीन के आर्थिक विविधीकरण के लक्ष्यों को भी सहयोग देती हैं।

भारत–बहरीन संबंधों के बारे में:

- भारत और बहरीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1971 में बहरीन की स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थापित हुए। भारत ने जनवरी 1973 में मनामा (बहरीन की राजधानी) में अपना दूतावास स्थापित किया, जबकि बहरीन ने मार्च 2007 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला।
  - दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास रहा है।
  - विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे और अरब खाड़ी में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बहरीन, खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार है।
  - दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग के क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध हैं।
  - भारत, खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC) में बहरीन के सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है और इसे अपनी व्यापक खाड़ी एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय रणनीति का अभिन्न हिस्सा समझता है।

निष्कर्ष:

भारत–बहरीन की यह वार्ता दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और आर्थिक सहयोग की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रक्षा सहयोग और व्यापारिक साझेदारी को सुदृढ़ करके भारत और बहरीन न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने और आपसी समृद्धि को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह संवाद भारत के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके अंतर्गत वह खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी साझेदारियों को और गहरा तथा व्यापक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

चाबहार बंदरगाह

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अपनी गतिविधियों के लिए अमेरिका के प्रतिबंधों से छह महीने की छूट (waiver) प्राप्त हुई है।

पृष्ठभूमि:

- ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और संभावित रूप से यूरेशिया तक पहुँच का एक रणनीतिक द्वार है जो पाकिस्तान और चीन से जुड़े मार्गों से होकर नहीं निकलता है।
- मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) को शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन सौंपा गया, साथ ही भारत ने इसमें निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई।
- 2018 से अमेरिका ने IFCA के तहत भारत की चाबहार में भागीदारी के लिए एक विशेष छूट दी थी, यह मान्यता देते हुए कि यह परियोजना मानवीय और संपर्क (connectivity) दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- 16 सितंबर 2025 को अमेरिका ने घोषणा की कि यह छूट 29 सितंबर से प्रभावी रूप से रद्द की जाएगी और इसमें शामिल किसी भी संस्था पर IFCA के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- बाद में कूटनीतिक बातचीत के पश्चात भारत ने अक्टूबर 2025 के अंत से प्रभावी छह महीने की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर ली, जिससे संचालन जारी रह सकेगा।

महत्त्व:

- यह छूट भारत के निवेश और चाबहार में उसके संचालन को सुरक्षित करती है, जिससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की रणनीतिक संपर्क परियोजना संरक्षित रहती है।
- यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) की प्रगति को बनाए रखती है और पाकिस्तान के मार्ग पर निर्भरता को घटाती है।
- यह भारत की जटिल कूटनीति संभालने की क्षमता को दर्शाती है जो अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय संपर्क हितों के बीच संतुलन बनाए रखती है।
- वहीं अमेरिका के लिए यह छूट यह दर्शाती है कि ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद वह भारत की भूमिका को स्वीकार करता है जो उसकी प्रतिबंध नीति में लचीलेपन का संकेत है।

INSTC के बारे में:

- अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) एक विशाल बहु-आयामी परिवहन नेटवर्क है (समुद्री + रेल + सड़क), जिसका उद्देश्य भारत, ईरान और रूस (तथा इनके माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप) को जोड़ना है।
- INSTC समझौते पर 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में भारत, ईरान और रूस ने हस्ताक्षर किए थे; यह 16 मई 2002 को प्रभावी हुआ।
- यह गलियारा लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा है जो हिंद महासागर को फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर और आगे रूस के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ता है।

निष्कर्ष:

अमेरिका द्वारा दी गई छह महीने की प्रतिबंध-छूट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है। इसने चाबहार बंदरगाह में भारत के अहम रणनीतिक निवेश की रक्षा की है और उसके क्षेत्रीय संपर्क लक्ष्यों को बनाए रखा है। किंतु यह राहत अस्थायी है। वास्तविक चुनौती अब व्यावसायिक व्यवहार्यता बढ़ाने, प्रतिबंध जोखिम घटाने और भारत के हितों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करने में है।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व संबंधी अमेरिका–चीन समझौता

संदर्भ:

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया में एक शिखर बैठक की, जिसमें चीन से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात को जारी रखने पर समझौता हुआ।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या हैं?

- दुर्लभ पृथ्वी तत्व आवर्त सारणी (Periodic Table) के 17 धात्विक तत्वों का एक समूह हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स (Lanthanides) के साथ स्कैंडियम (Scandium) और इट्रियम (Yttrium) शामिल हैं। ये धातुएँ चमकदार सफेद, मुलायम और अत्यधिक अभिक्रियाशील (Reactive) होती हैं।
- हालांकि ये तत्व भूगर्भीय रूप से "दुर्लभ" नहीं हैं, लेकिन ये पृथ्वी की पर्पटी (Crust) में बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। इस कारण इनका निष्कर्षण और पृथक्करण जटिल और महंगा हो जाता है।

दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की सूची

स्कैंडियम (Scandium), यिट्रियम (Yttrium), लैंथेनम (Lanthanum), सेरियम (Cerium), प्रसीओडाइमियम (Praseodymium), नियोडाइमियम (Neodymium), प्रोमेथियम (Promethium), समेरियम (Samarium), यूरोपियम (Europium), गैडोलिनियम (Gadolinium), टर्बियम (Terbium), डिस्प्रोसियम (Dysprosium), होल्मियम (Holmium), एर्बियम (Erbium), थुलियम (Thulium), यिटरबियम (Ytterbium) और ल्यूटेटियम (Lutetium)।

उपयोग:

- दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के विशिष्ट चुंबकीय, प्रकाशीय और विद्युरासायनिक

गुणों के कारण ये आधुनिक तकनीकों में अत्यंत आवश्यक हैं।

» **इलेक्ट्रॉनिक्स:** स्मार्टफोन, लैपटॉप और टेलीविज़न स्क्रीन में इनका उपयोग होता है।
» **नवीकरणीय ऊर्जा:** नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम का उपयोग उच्च-प्रदर्शन स्थायी चुंबकों में होता है, जो पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के मोटरों में लगते हैं।
» **रक्षा और अंतरिक्ष:** लड़ाकू विमानों (जैसे F-35), मिसाइलों, रडार सिस्टम और सैटेलाइट संचार के लिए ये आवश्यक हैं।
» **चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग:** एमआरआई मशीनों, तेल परिशोधन (Oil Refining) और प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्प्रेरक (Catalysts) में इनका प्रयोग किया जाता है।

- हालाँकि इन तत्वों की मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन इनकी अनुपस्थिति से पूरी आपूर्ति श्रृंखला रुक सकती है। हाल ही में जब चीन ने निर्यात पर नियंत्रण लगाया, तो विश्वभर की उत्पादन प्रक्रियाएँ प्रभावित हुईं।

वैश्विक उत्पादन और चीन की प्रभुत्वता:

- 1950 के दशक में अमेरिका ने सबसे पहले दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निकालने और शुद्ध करने की तकनीक विकसित की थी। लेकिन 1980 के दशक के बाद से चीन इस क्षेत्र में अग्रणी बन गया, इसके पीछे प्रमुख कारण हैं:
  » कम उत्पादन लागत
  » पर्यावरण नियमों में ढील
  » सरकारी प्रोत्साहन और सहायता
- वर्तमान समय में चीन वैश्विक खनन उत्पादन का लगभग 60% तथा शोधन एवं चुंबक उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन करता है।

भारत और दुर्लभ पृथ्वी तत्व:

- भारत के पास भी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, जो मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की मोनाज़ाइट रेत में पाए जाते हैं।
- इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) जैसे संगठन खनन और प्रसंस्करण में शामिल हैं।
- हालाँकि भारत के पास अच्छे भंडार हैं, लेकिन शुद्धिकरण (Refining) क्षमता की कमी, तकनीकी सीमाएँ और कड़े नियामक ढाँचे के कारण भारत अभी तक इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश नहीं बन सका है।

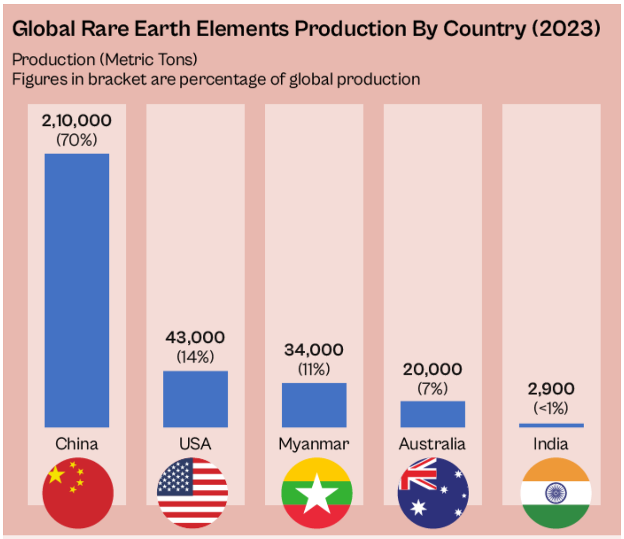

निष्कर्ष:

दुर्लभ पृथ्वी तत्व 21वीं सदी की डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। इनकी रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी महत्ता इन्हें आधुनिक विकास का आवश्यक स्तंभ बनाती है, वहीं इन पर अत्यधिक निर्भरता इन्हें भू-राजनीतिक संवेदनशीलता का कारण भी बनाती है। जैसे-जैसे विश्व स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर अग्रसर हो रही है, वैसे-वैसे टिकाऊ, विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करना, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बनाए रखना, वैश्विक स्थिरता और तकनीकी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

यूएस-चीन "जी–2" बैठक

सन्दर्भ:

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात बुसान में हुई, जिसे "जी–2 बैठक" कहा गया। इस बैठक को ऐतिहासिक बताया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और सहयोग का निर्माण करना था।

जी–2 अवधारणा के बारे में:

- जी–2 की अवधारणा सर्वप्रथम 2005 में अर्थशास्त्री सी. फ्रेड बर्गस्टेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका विचार था कि अमेरिका और चीन के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

जी–2 के पीछे तर्क:

- जी–2 की रणनीतिक अवधारणा कुछ संरचनात्मक वास्तविकताओं पर आधारित है:
  - » **आर्थिक शक्ति:** अमेरिका और चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और व्यापारिक राष्ट्र हैं।
  - » **वैश्विक विकास एवं शासन:** दोनों देश मिलकर वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा रखते हैं, जिससे विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सेतु का निर्माण होता है।
  - » **पर्यावरणीय नेतृत्व:** ये दोनों देश विश्व के सबसे बड़े प्रदूषक हैं, इसलिए संयुक्त जलवायु कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।
- ज़्बिग्न्यू ब्रेज़िंस्की, नील फर्ग्यूसन, रॉबर्ट ज़ोएलिक और जस्टिन यीफू लिन जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि एक सहयोगात्मक जी–2 वैश्विक वित्तीय संकटों, परमाणु प्रसार, क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक शासन की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हो सकता है।

अवसर:

- एक प्रभावी जी–2 निम्नलिखित लाभ प्रदान कर सकता है:
  - » वैश्विक व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर कर सकता है।
  - » ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में सैन्य तनाव के जोखिम को कम कर सकता है।
  - » जलवायु कार्रवाई और सतत विकास लक्ष्यों को गति दे सकता है।
  - » बहुपक्षीय संस्थानों में संयुक्त नेतृत्व के लिए मंच प्रदान कर सकता है।

चुनौतियाँ:

- इसके बावजूद, जी–2 के समक्ष कई बाधाएँ हैं:
  - » **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:** प्रौद्योगिकी, ताइवान और दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों पर प्रतिद्वंद्विता आपसी विश्वास को सीमित करती है।
  - » **बहुध्रुवीयता:** यूरोपीय संघ, भारत और आसियान जैसी उभरती शक्तियाँ जी–2 के विशेष प्रभाव को चुनौती देती हैं।
  - » **अवधारणात्मक अस्पष्टता:** जी–2 एक औपचारिक संस्था नहीं है; यह एक आकांक्षात्मक विचार है, जिसकी व्यवहारिकता पर हिलेरी क्लिंटन जैसे आलोचकों ने प्रश्न उठाए हैं।

भारत और विश्व के लिए निहितार्थ:

- भारत जैसे देशों के लिए जी–2 का अर्थ है रणनीतिक विविधीकरण— दोनों महाशक्तियों के साथ संतुलित संबंध रखते हुए अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना। वैश्विक स्तर पर यह बैठक इस बात का संकेत देती है कि अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधित करना आवश्यक है ताकि आर्थिक अस्थिरता और भू–राजनीतिक तनाव से बचा जा सके।

निष्कर्ष:

बुसान में ट्रम्प–शी बैठक यह स्पष्ट करती है कि वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में अमेरिका–चीन संबंध केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यद्यपि जी–2 एक परिकल्पना मात्र है, यह प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि दोनों देश प्रतिद्वंद्विता को कितनी जिम्मेदारी से प्रबंधित करते हैं, संवाद को कितना संस्थागत बनाते हैं और व्यापक वैश्विक हितधारकों को कितनी समावेशी भागीदारी प्रदान करते हैं।

खाबरोवस्क श्रेणी की पनडुब्बी

संदर्भ:

हाल ही में रूस ने अपनी नई परमाणु-संचालित पनडुब्बी "खाबरोवस्क श्रेणी" (Khabarovsk-Class) को लॉन्च किया है। यह पनडुब्बी विशेष रूप से पानी के भीतर चलने वाले "पोसाईडन (Poseidon)" नामक परमाणु ड्रोन/मिसाइल सिस्टम को ले जाने के लिए बनाई गई है। इस पोसाईडन को "डूम्सडे मिसाइल" अर्थात "प्रलय मिसाइल" भी कहा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- यह रूस की परियोजना 09851 का हिस्सा है और इसे रुबिन सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ़ मरीन इंजीनियरिंग ने डिज़ाइन और निर्मित किया है।
  - » **लोड-क्षमता:** यह पनडुब्बी छह पोसाईडन परमाणु-ऊर्जा चालित अंडरवाटर ड्रोन (AUVs) ले जाने में सक्षम है, जिनमें से प्रत्येक बहु-मेगाटन क्षमता वाला परमाणु वारहेड ले जा सकता है।
  - » **पोसाईडन का स्वरूप:** पोसाईडन पारंपरिक मिसाइल नहीं है; यह एक स्वायत्त, परमाणु-ऊर्जा चालित पानी के नीचे चलने वाला वाहन है, जिसे बहुत गहरी जलराशियों में हजारों किलोमीटर तक यात्रा करने और पारंपरिक पनडुब्बी-रोधी रक्षा प्रणालियों की पहुंच से बाहर रहने के लिए बनाया गया है।

» **क्षमता व खतरा:** रूसी अधिकारियों का दावा है कि पोसाईडन की डिज़ाइन और उसके वारहेड ऐसा प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जैसे रेडियोधर्मी सुनामी, जो तटीय शहरों और बुनियादी ढाँचे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकते हैं।

रणनीतिक महत्व:

- **द्वितीय प्रहार क्षमता में वृद्धि:** पोसाईडन प्रणाली रूस को एक नई और अत्याधुनिक निवारक शक्ति (Deterrence) प्रदान करती है। यह उसकी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) और वायु-आधारित परमाणु हथियारों का प्रभावी पूरक है। यह एक स्वायत्त, गुप्त और अत्यधिक टिकाऊ हथियार प्रणाली है, जो किसी संभावित परमाणु प्रथम हमले के बाद भी रूस को जवाबी प्रहार करने की सुनिश्चित क्षमता देती है।
- **समुद्री शक्ति का विस्तार:** खाबारोव्स्क पनडुब्बी रूस की समुद्री रणनीतिक क्षमता को और मजबूत बनाती है। यह विशेष रूप से अटलांटिक और आर्कटिक महासागरीय क्षेत्रों में रूस की नौसैनिक उपस्थिति को सशक्त करती है, जिससे उसे अपने विरोधी देशों के तटीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की क्षमता मिलती है।
- **भूराजनीतिक संकेत:** इस पनडुब्बी का अनावरण ऐसे समय में हुआ है जब रूस और नाटो देशों के बीच तनाव चरम पर है। यह रूस का स्पष्ट संकेत है कि वह रणनीतिक और तकनीकी स्तर पर पश्चिमी देशों से पीछे नहीं हटेगा और अपनी सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **हथियार नियंत्रण की जटिलताएँ:** पोसाईडन जैसे स्वायत्त पानी के भीतर चलने वाले परमाणु हथियार मौजूदा हथियार नियंत्रण समझौतों, जैसे न्यू स्टार्ट संधि को अप्रासंगिक और जटिल बना देते हैं, क्योंकि इन समझौतों में ऐसे हथियारों का कोई प्रावधान नहीं है। इससे वैश्विक सुरक्षा संतुलन अस्थिर हो सकता है और एक नई "पनडुब्बी हथियार दौड़" की शुरुआत होने की संभावना बढ़ जाती है।

भारत के लिए प्रभाव:

- भारत के लिए यह विकास इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया में पानी के नीचे निवारक प्रणालियाँ (Undersea Deterrence Systems) कितनी उन्नत होती जा रही हैं।
- भारत जब अपनी अरिहंत-श्रेणी की SSBN पनडुब्बियों का विस्तार कर रहा है, तब उसे अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) क्षमता, पानी के नीचे निगरानी प्रणाली और रणनीतिक साझेदारियों (जैसे रूस, अमेरिका और फ्रांस के साथ) को और मजबूत करना चाहिए, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष:

रूस की नई खाबारोव्स्क पनडुब्बी और "पोसाईडन" ड्रोन्सडे मिसाइल परमाणु निवारण (Nuclear Deterrence) रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देती हैं, जहाँ स्वायत्त, लंबी दूरी तक चलने वाले पानी के भीतर हथियार सुरक्षा और स्थिरता की नई परिभाषा तय कर रहे हैं। यह रूस की निवारक स्थिति को तो मजबूत बनाती है, लेकिन साथ ही परमाणु वृद्धि, सत्यापन की कठिनाइयों और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी वैश्विक चिंताओं को भी गहरा करती है।

भारत–इज़राइल रक्षा सहयोग एमओयू: रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त विकास

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत और इज़राइल ने तेल अवीव में आयोजित 17वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग, सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करता है। यह कदम भारत और इज़राइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत रणनीतिक संबंधों को और अधिक गहराई एवं नई दिशा प्रदान करता है।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र:

- रक्षा औद्योगिक सहयोग एवं तकनीकी नवाचार
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- साइबर सुरक्षा एवं आतंकवाद-निरोध
- प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं रणनीतिक संवाद

समझौते का महत्व:

- **भारत की रक्षा क्षमता का सुदृढ़ीकरण:** इज़राइल से अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, ड्रोन, एवं निगरानी तकनीकों तक पहुँच मिलेगी।
- **आतंकवाद-निरोध में रणनीतिक सहयोग का विस्तार:** दोनों देश साझा खुफिया जानकारी और रणनीतियों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने में एक-दूसरे की सहायता करेंगे।
- **स्वदेशी रक्षा उद्योग के सशक्तिकरण को प्रोत्साहन:** संयुक्त अनुसंधान एवं तकनीकी हस्तांतरण से स्वदेशी रक्षा उत्पादन को

प्रोत्साहन मिलेगा।

- **सैन्य तैयारी और आपसी समन्वय में सुधार:** नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों सेनाओं की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

भारत–इज़राइल रक्षा संबंध:

- स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिप्री) के अनुसार, 2020–2024 की अवधि में इज़राइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा, जो भारत के कुल रक्षा आयात का लगभग 13 प्रतिशत है। (रूस और फ्रांस पहले दो स्थानों पर रहे)।
    - **संयुक्त विकास एवं सह-उत्पादन परियोजनाएँ:** जैसे – बराक-8 मिसाइल प्रणाली तथा दृष्टि-10 स्टारलाइनर ड्रोन, जो इज़राइल के हर्मीस-900 का भारतीय संस्करण है।
    - **प्रौद्योगिकी साझेदारी एवं नवाचार:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, एवं रक्षा नवाचार जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास।
    - **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** जैसे- 'ब्लू फ्लैग' हवाई युद्ध अभ्यास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

निष्कर्ष:

यह नया समझौता भारत और इज़राइल के बीच बढ़ते हुए रक्षा और सुरक्षा संबंधों का प्रतीक है। दोनों देश एक जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में साथ काम कर रहे हैं। साथ ही यह साझेदारी भारत की रक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद करेगी और पश्चिम एशिया में भारत के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी।

सूडान संकट विश्लेषण

संदर्भ:

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) की प्रमुख मिरजाना स्पोलजारिक ने सूडान के दारफुर क्षेत्र में स्थित अल-फाशर शहर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) के कब्जे के बाद बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरें सामने के बाद चिंता व्यक्त की है।

पृष्ठभूमि:

- 2000 के दशक की शुरुआत में दारफुर संघर्ष (Darfur Conflict) के दौरान, सूडान की सरकार और उससे संबद्ध जनजावीद (Janjaweed) नामक अरब मिलिशिया समूह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने गैर-अरब समुदायों के विरुद्ध जातीय आधार पर व्यापक नरसंहार, बलात्कार, और गाँवों के विनाश जैसी भयावह अत्याचारपूर्ण घटनाएँ कीं।
- वर्तमान में, 2023 से चल रहा गृहयुद्ध, जो सूडानी सशस्त्र बल (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) के बीच सत्ता-संघर्ष के रूप में प्रारंभ हुआ था, अब उसी प्रकार की जातीय हिंसा और मानवीय अत्याचारों को पुनः दारफुर क्षेत्र में दोहरा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि इतिहास एक बार फिर स्वयं को दोहरा रहा है।

Sudan, areas of control, April 1st 2025
SAF RSF Militias and rebel groups
Source: Thomas van Linge

सूडान संकट:

- सूडान का यह संघर्ष दो सैन्य गुटों के बीच चल रहा है:
    - सूडानी सशस्त्र बल (SAF), जिसके नेता हैं जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान
    - रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF), जिसके नेता हैं जनरल मोहम्मद हमदान दागालो (हेमदती)
    - यह संघर्ष अप्रैल 2023 में उस समय शुरू हुआ, जब सूडान की संक्रमणकालीन सरकार के पतन के बाद दोनों जनरलों में सत्ता-साझेदारी को लेकर टकराव हुआ। अब यह युद्ध दुनिया

के सबसे बड़े मानवीय और विस्थापन संकटों में से एक बन चुका है ।

भारत के रणनीतिक हित:

- **कृषि क्षेत्र में सहयोग:** सूडान की कृषि भूमि भारत के लिए अवसर है। भारतीय कंपनियाँ वहाँ ट्रैक्टर, हाइब्रिड बीज, और कृषि उपकरण निर्यात करती हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत की कंपनी ONGC विदेश का सूडान में निवेश है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अफ्रीका में उपस्थिति को मजबूत करता है।
- **भूराजनीतिक महत्त्व:** सूडान, रेड सी (लाल सागर) के पास स्थित है, जो भारत के समुद्री मार्गों और व्यापार सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्थिर सूडान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र (Horn of Africa) में शांति और स्थायित्व के लिए आवश्यक है जहाँ अस्थिरता भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है। साथ ही, अफ्रीका में भारत की विश्वसनीय साझेदार छवि को भी मज़बूती मिलती है।

निष्कर्ष:

ICRC प्रमुख की चिंता यह दर्शाती है कि मानवता ने पिछली त्रासदी से कुछ नहीं सीखा। एक बार फिर, जातीयता, भोजन और सहायता को संघर्ष के हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। सूडान जनसंहार और अकाल के कगार पर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आकर दण्डमुक्ति के चक्र को तोड़ना होगा और मानवता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

एफ़एटीएफ ने भारत के एसेट रिकवरी मॉडल की सराहना की

संदर्भ:

मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) और आतंकी फंडिंग पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भारत के एसेट रिकवरी (संपत्ति पुनर्प्राप्ति) ढांचे की प्रशंसा की है। एफ़एटीएफ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक “आदर्श एजेंसी” के रूप में वर्णित किया है, जो अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का सटीक पता लगाने, उन्हें फ्रीज़ करने और जब्त करने में अत्यंत प्रभावी और कुशल मानी जाती है।

पृष्ठभूमि:

- यह सराहना एफ़एटीएफ की नई रिपोर्ट “एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज” में की गई है, जिसमें भारत की कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं को प्रभावी एसेट रिकवरी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के मामले में “वैश्विक सर्वोत्तम उदाहरण” बताया गया है।

एफ़एटीएफ रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- एफ़एटीएफ ने भारत के एसेट रिकवरी ढांचे की विशेष रूप से प्रशंसा की है क्योंकि यह अवैध संपत्तियों को ट्रेस (पता लगाने), फ्रीज़ करने और जब्त करने में तेज़, समन्वित और कानूनी रूप से अत्यंत मज़बूत है। अपनी वैश्विक रिपोर्ट “एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज” में एफ़एटीएफ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक “मॉडल एजेंसी” बताया है और उसके कई सफल मामलों को श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें मूल्य आधारित ज़ब्ती (वैल्यू-बेस्ड कॉन्फ़िस्केशन), अस्थायी संपत्ति अटैचमेंट और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी सहयोग शामिल हैं।
- एफ़एटीएफ ने यह भी रेखांकित किया कि भारत के मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 के अंतर्गत बना कानूनी ढांचा अपराध से अर्जित संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सक्षम और प्रभावी है। इस कारण भारत का एसेट रिकवरी मॉडल आज वैश्विक मानक बन गया है।
- उदाहरण: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एक राज्य की अपराध जांच शाखा (CID) के बीच उत्कृष्ट समन्वय से एक बड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में लगभग ₹60 अरब (लगभग 690 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की संपत्ति सफलतापूर्वक पीड़ितों को वापस दिलाई गई।

वैश्विक मानकों और सहयोग पर प्रभाव:

- एफ़एटीएफ की यह सराहना भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को मज़बूती प्रदान करती है। यह दर्शाती है कि भारत अब एसेट रिकवरी और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक प्रयासों के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है।
- यह मान्यता प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर को भी मान्यता देती है ED के प्रभावी कार्यों ने एफ़एटीएफ के अद्यतन दिशानिर्देशों को आकार देने में योगदान दिया है, विशेषकर ऐसे व्यावहारिक, लचीले और सहयोगात्मक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने में, जो विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जटिल वित्तीय अपराध नेटवर्क से निपटने में मदद करते हैं।
- इस उपलब्धि से भारत की वैश्विक वित्तीय शासन (Global

Financial Governance) में स्थिति और मज़बूत होगी। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेगी और अन्य देशों को भी प्रेरित करेगी कि वे भारत से सीख लेकर अपने एसेट रिकवरी ढांचे को और सशक्त बनाएं।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के बारे में:

- एफ़एटीएफ एक अंतर-सरकारी संस्था है, जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के अन्य खतरों से निपटने के लिए मानक तय करती है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी।
- यह सदस्य देशों के लिए कानूनी, नियामक और संचालन संबंधी उपाय विकसित करती है, ताकि वे इन खतरों का मुकाबला कर सकें और FATF द्वारा बनाए गए मानकों को प्रभावी रूप से लागू कर सकें।

निष्कर्ष:

एफ़एटीएफ द्वारा भारत के एसेट रिकवरी और प्रवर्तन मॉडल की सराहना इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक वित्तीय ईमानदारी (Financial Integrity) के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली यह दिखाती है कि मज़बूत कानून, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई से एसेट रिकवरी को न केवल प्रभावी बल्कि न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है और यह उन सभी देशों के लिए एक आदर्श उदाहरण है जो वित्तीय अपराधों की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देशों की यात्रा

सन्दर्भ:

8 से 13 नवंबर 2025 के बीच, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना का छह दिवसीय राजकीय दौरा किया. किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा इन दोनों देशों का यह पहला राजकीय दौरा था। इस यात्रा का उद्देश्य केवल राजनयिक पहुंच का विस्तार करना नहीं था; बल्कि यह भारत की अफ्रीका नीति और "ग्लोबल साउथ" (विकासशील देशों के समूह) के साथ निरंतर जुड़ाव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- **सहयोग के नए क्षेत्र:** अंगोला ने भारत की अगुवाई वाले दो प्रमुख वैश्विक गठबंधनों में सम्मिलित होकर साझेदारी को सुदृढ़ किया:
  - **अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन:** बड़ी बिल्ली प्रजातियों (जैसे – शेर, बाघ, तेंदुआ) के संरक्षण, अनुसंधान तथा वित्तीय सहयोग हेतु एक बहुपक्षीय पहल।
  - **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन:** यह पहल भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के दौरान प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वच्छ, नवीकरणीय एवं टिकाऊ जैव ईंधन को प्रोत्साहित करना है।
  - इससे पूर्व अंगोला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी सदस्य बन चुका है, जिससे हरित ऊर्जा और ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में सहयोग को और गहराई मिली है।
- **समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर:**
  - **मत्स्य, जलीय कृषि एवं समुद्री संसाधन:** सतत समुद्री विकास, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए सहयोग को प्रोत्साहन।
  - **कांसुलर मामलों पर सहयोग:** राजनयिक तथा प्रवासी भारतीय सेवाओं के बीच समन्वय एवं दक्षता बढ़ाने के लिए समझौता।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:**
  - दोनों देशों ने इस बात पर बल दिया कि निजी क्षेत्र आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा — विशेषकर परिवहन एवं अवसंरचना , कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, तथा कौशल एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में।

रणनीतिक महत्त्व:

- **भारत के दृष्टिकोण से:**
  - दक्षिणी अफ्रीका के ऊर्जा-संपन्न क्षेत्र में अपनी राजनयिक एवं आर्थिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।
  - ऊर्जा कूटनीति को प्रगाढ़ बनाता है, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा व जैव ईंधन सहयोग के माध्यम से।
  - भारत-नेतृत्व वाले मंचों, ISA, IBCA एवं GBA के विस्तार से भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को प्रतिष्ठा मिलती है।
- **अंगोला के दृष्टिकोण से:**
  - पश्चिमी एवं चीनी प्रभावों से परे अपनी साझेदारी को विविध बनाता है।
  - भारत की प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और हरित ऊर्जा विशेषज्ञता से लाभ प्राप्त करता है।
  - पर्यावरणीय संरक्षण एवं वन्यजीव प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़

करता है।

भारत–बोत्सवाना बैठक के मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा गिडियन बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक, रक्षा और लोगों के आपसी संबंध जैसे विषय शामिल थे।
- भारत और बोत्सवाना के व्यापार में हीरे (Diamonds) का सबसे बड़ा योगदान है। बोत्सवाना भारत को कच्चे हीरे (rough diamonds) भेजता है, जबकि भारत बोत्सवाना को दवाइयाँ, मशीनरी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है।
- पर्यावरण संरक्षण और जैव-विविधता पर भी सहयोग को बढ़ावा दिया गया, बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते देने की घोषणा की, जिन्हें भारत की विलुप्त हो चुकी प्रजाति को वापस लाने की पहल प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- राष्ट्रपति मुर्मु ने बोत्सवाना की नेशनल असेंबली को संबोधित भी किया और भारतीय समुदाय से मुलाकात की, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध और मजबूत हुए।

निष्कर्ष:

राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा भारत-अफ्रीका सहयोग की नई दिशा का प्रतीक है, जो हरित ऊर्जा, सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। यह यात्रा न केवल भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करती है बल्कि यह दक्षिण–दक्षिण सहयोग की भावना को भी सशक्त बनाती है, जहाँ भारत एक उत्तरदायी, पर्यावरण संवेदनशील एवं समावेशी विकास का समर्थक राष्ट्र बनकर उभर रहा है।

आयनी एयरबेस से भारत की वापसी

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने ताजिकिस्तान में स्थित अयनी एयरबेस से अपने सैन्य कर्मियों और उपकरणों वापस बुला लिया है। यह भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य अड्डा था, जिसे भारत ने लगभग दो दशकों तक विकसित और संचालित किया था।

आयनी एयरबेस के बारे में:

- आयनी एयरबेस ताजिकिस्तान में स्थित भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना था। भारत ने यहाँ अपने सैनिकों को पहली बार उस समय तैनात किया था जब वह अफ़ग़ानिस्तान में "नॉर्दर्न एलायंस" का समर्थन कर रहा था।
- अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भी इसी एयरबेस का उपयोग किया था।
- यह एयरबेस अफ़ग़ानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमाओं से सटा हुआ है।

वापसी के कारण:

- 2002 में इस हवाई अड्डे के "पुनर्वास और विकास" के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता किया गया था। यह समझौता 2021–2022 के समय समाप्त हो गया और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया।
- ताजिकिस्तान सरकार ने रूस और चीन के बढ़ते दबाव के चलते इस एयरबेस की लीज़ को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप भारत को वहाँ से अपनी उपस्थिति समाप्त करनी पड़ी।

भारत पर प्रभाव:

- आयनी एयरबेस से भारत को मध्य एशिया में रणनीतिक हवाई पहुँच प्राप्त थी, जो ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

- यह एयरबेस चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट स्थित होने के कारण भारत को निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करने और सामरिक बढ़त बनाए रखने में मदद करता था।
- इस एयरबेस से वापसी के बाद भारत की "कनेक्ट सेंट्रल एशिया" नीति कमजोर हो सकती है और अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद भारत के क्षेत्रीय विकल्प भी सीमित हो गए हैं।
- यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब चीन मध्य एशिया में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है, और ताजिकिस्तान में एक चीनी सैन्य अड्डे के होने की भी रिपोर्ट सामने आई हैं।

भारत की अन्य विदेशी सैन्य सुविधाएँ:

- **मॉरीशस (अगालेगा):** भारत और मॉरीशस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एयरस्ट्रिप और जेटी, जिसका निर्माण 2024 में पूरा हुआ।
- **भूटान:** यहाँ भारत का सैन्य प्रशिक्षण मिशन "इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम (IMTRAT)" कार्यरत है।
- **फ्रांस, ओमान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया:** इस देशों के साथ भारत के लॉजिस्टिक सहायता समझौते हैं, जिनसे भारत को सीमित सैन्य पहुँच और सहयोग प्राप्त होता है, हालांकि ये स्थायी ठिकाने नहीं हैं।

आगे की राह:

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत–मध्य एशिया संवाद के माध्यम से सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए।
- भारत को अपनी लॉजिस्टिक पहुँच का विस्तार करते हुए हवाई गतिशीलता, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और समुद्री क्षमताओं को सशक्त बनाना चाहिए।
- रूस के साथ सहयोग बनाए रखते हुए, चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन क्षेत्रीय साझेदारियों और बहुपक्षीय पहलों के ज़रिए करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

आयनी एयरबेस से भारत की वापसी बदलते भू-राजनीतिक स्थिति और विदेशों में स्थायी सैन्य अड्डे बनाए रखने की सीमित क्षमता को दर्शाती है। भविष्य में भारत को मध्य एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए साझेदारी आधारित नेटवर्क और रणनीतिक लचीलापन अपनाना होगा।

भारतीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर थे। यह दौरा भूटान के चौथे राजा (जिग्मे सिंग्ये वांगचुक) के 70वें जन्मदिन समारोह के अवसर पर हुआ। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को और गहराई देना था। इस दौरान कूटनीतिक वार्ताओं के साथ-साथ सांस्कृतिक जुड़ाव और आध्यात्मिक महत्व भी प्रमुख रूप से जुड़े थे।

यात्रा के दौरान प्रमुख घोषणाएँ और समझौते:

- **आर्थिक और विकास सहयोग:**
  - भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रति अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया, जिसका लक्ष्य समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
  - भारत सरकार ने भूटान में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 40 अरब रुपये की रियायती ऋण सहायता (Line of Credit) प्रदान करने की घोषणा की।
- **ऊर्जा सहयोग:**
  - भारतीय प्रधानमंत्री और भूटान के राजा ने संयुक्त रूप से 1,020 मेगावाट क्षमता वाली पुनात्सांगचु-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
  - दोनों देशों ने 1,200 मेगावाट की पुनात्सांगचु-I परियोजना पर दोबारा कार्य आरंभ करने पर सहमति जताई। यह परियोजना दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाने वाली

सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी।

- **कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचा:** भारत और भूटान ने सीमा क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने और बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। प्रमुख प्रगति में शामिल हैं:
  - नवंबर 2024 से संचालित दारंगा में आव्रजन जाँच चौकी
  - मार्च 2025 से संचालित जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
  - सीमा-पार रेल संपर्क (कोकराझार-गेलेफू और बानरहाट-समत्से) पर सितंबर 2025 में एमओयू पर हस्ताक्षर; इसके क्रियान्वयन के लिए परियोजना संचालन समिति का गठन
- **उभरते सहयोग क्षेत्र:**
  - STEM, फिनटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत–भूटान सहयोग के नए और प्रमुख क्षेत्रों शामिल है।
  - UPI इंटीग्रेशन के फेज-II पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे भूटानी नागरिक भारत में QR-आधारित डिजिटल भुगतान आसानी से कर सकेंगे।
  - संचार, आपदा प्रबंधन और अन्य उपयोगों के लिए अंतरिक्ष सहयोग पर तैयार संयुक्त कार्य योजना की समीक्षा की गई।
- **हस्ताक्षरित तीन महत्वपूर्ण समझौते (MoUs):**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग:** भूटान के ऊर्जा मंत्रालय और भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच।
  - **स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग:** भारत और भूटान के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच।
  - **मानसिक स्वास्थ्य संस्थागत सहयोग:** भूटान के पीईएमए (पेमा) सचिवालय और भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के बीच।

यात्रा के व्यापक प्रभाव:

- यह यात्रा भारत–भूटान की गहरी मित्रता, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक निकटता का मजबूत प्रमाण बनी।
- इसने भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को और सुदृढ़ किया तथा यह भी स्पष्ट किया कि भूटान अपने विकास के लिए भारत को सबसे विश्वसनीय साझेदार मानता है।
- इस यात्रा ने भूटान की भूमिका को हिमालयी क्षेत्र में भारत के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी के रूप में फिर से स्थापित किया, जो उत्तरी सीमा पर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है।
- भूटान–चीन सीमा वार्ताओं के बीच भारत और भूटान के बीच सीमा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सुरक्षा पर समन्वय और अधिक मजबूत हुआ।
- इस यात्रा से दक्षिण एशिया में भारत की उपस्थिति, विश्वसनीयता और साख में और बढ़ोतरी हुई, जिससे क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता का प्रभावी संतुलन बना रहता है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की यह भूटान यात्रा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह भारत और भूटान के बीच विश्वास, पारस्परिक सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित आदर्श संबंध की पुष्टि थी। हाइड्रोपावर, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भारत–भूटान संबंध अब एक व्यापक और बहुआयामी विकास साझेदारी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं।

भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) समूह बैठक

सन्दर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत–ब्राज़ील–दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) नेताओं की बैठक में भाग लिया। इस बैठक ने यह स्पष्ट किया कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाने और वैश्विक शासन सुधार को आगे बढ़ाने के लिए आईबीएसए एक महत्त्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है।

आईबीएसए वार्ता मंच के बारे में:

- भारत–ब्राज़ील–दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) संवाद मंच एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तीन बहु-जातीय लोकतांत्रिक देशों का एक त्रिपक्षीय समूह है।
- 2003 में स्थापित आईबीएसए का उद्देश्य दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक वैश्विक शासन को मजबूत करना और विकास आधारित साझेदारी को आगे ले जाना है।

बैठक के दौरान भारत के मुख्य विषय और प्रस्ताव:

- **वैश्विक शासन सुधार:**
  - भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तुरंत सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक शासन संस्थाएँ 21वीं सदी की वास्तविकताओं से बहुत दूर हैं और ऐसा सुधार "कोई विकल्प नहीं, बल्कि अत्यंत आवश्यक" है।

» भारत ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आईबीएसए देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की वार्ता स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

- **आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास:**
  - » भारत ने आतंकवाद के खतरे की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों की आलोचना की।
  - » भारत ने तीनों आईबीएसए देशों से आतंकवाद-रोधी प्रयासों में और अधिक तालमेल और सहयोग बढ़ाने की अपील की।

- **डिजिटल इनोवेशन अलायंस:**
  - » डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करने के लिए भारत ने आईबीएसए डिजिटल इनोवेशन अलायंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
  - » सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में UPI, CoWIN जैसे स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहल शामिल होंगी।
  - » भारत ने इस पहल की शुरुआत के लिए आईबीएसए नेताओं को भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में आमंत्रित किया।
- **जलवायु-लचीला कृषि कोष:**
  - » सतत कृषि में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जलवायु-लचीला कृषि (Climate-Resilient Agriculture) हेतु आईबीएसए कोष स्थापित करने का सुझाव दिया।

रणनीतिक महत्व:

- **ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना:** भारत, आईबीएसए को तीन महाद्वीपों "एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका" के बीच एक सेतु के रूप में देखता है जो वैश्विक संस्थाओं में सुधार को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।
- **सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना:** NSA-स्तर की बातचीत को संस्थागत रूप देने से आतंकवाद-रोधी सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर आपसी भरोसा और समन्वय और अधिक मजबूत हो सकता है।
- **विकास में नवाचार:** प्रस्तावित डिजिटल गठबंधन और जलवायु कोष यह दर्शाते हैं कि आईबीएसए पारंपरिक विकास सहायता से आगे बढ़कर भविष्य-केंद्रित सहयोग, जैसे तकनीक, स्थिरता और डिजिटल सार्वजनिक साधनों, की दिशा में बढ़ रहा है।
- **बहुपक्षीय मंचों में बढ़ी वैधता:** ग्लोबल साउथ देशों (आईबीएसए सदस्यों सहित) द्वारा लगातार तीन बार G20 अध्यक्षता करने की पृष्ठभूमि में, इस बैठक का समय रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजित आईबीएसए बैठक त्रिपक्षीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण चरण साबित हुई। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तत्काल सुधार की आवश्यकता तथा डिजिटल अवसंरचना और जलवायु-लचीली कृषि में नई साझेदारियों पर भारत द्वारा दिया गया जोर यह दर्शाता है कि भारत आईबीएसए को एक सक्रिय, लोकतांत्रिक और विकास-केंद्रित समूह के रूप में देखता है। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में बहुपक्षवाद, समावेशिता और दक्षिण–दक्षिण एकजुटता पर आधारित आईबीएसए का दृष्टिकोण इसे एक अधिक न्यायपूर्ण और प्रतिनिधिक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।

मानवता के विरुद्ध अपराधों में शेख हसीना को मृत्यु दंड

संदर्भ:

हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को बांग्लादेश के

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल (ICT-BD) ने 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर किए गए हिंसक दमन से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों में दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाई है।

प्रमुख बिंदु:

- शेख़ हसीना को कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिनमें उकसाना, सुरक्षा बलों को घातक बल प्रयोग का आदेश देना और जुलाई–अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुए अत्याचारों को रोकने में विफल रहना, शामिल है। यह वही आंदोलन था जिसके कारण अंततः उन्हें सत्ता से हटना पड़ा।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हिंसक दमन में लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग घायल हुए।
- इस मुकदमे की सुनवाई इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल (ICT) ने की, यह बांग्लादेश की एक विशेष स्थानीय अदालत है, जिसे शेख़ हसीना ने 2009 में स्वयं स्थापित किया था।
- इस ट्राइब्यूनल के फैसले के विरुद्ध बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग में 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- **द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक चुनौती:**
  - शेख़ हसीना दक्षिण एशिया में भारत की सबसे भरोसेमंद राजनीतिक साझेदारों में से एक रही हैं। उनका सत्ता से हटना और उसके बाद मौत की सज़ा का निर्णय भारत–बांग्लादेश संबंधों में उन अनिश्चितताओं को बढ़ाता है, जो अब तक मज़बूत राजनीतिक विश्वास पर आधारित थे।
- **सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ:** बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता या सत्ता का खालीपन भारत के लिए कई सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे:
  - चरमपंथी और विद्रोही समूहों का फिर से सक्रिय होना,
  - सीमा पार तस्करी और अवैध प्रवासन में वृद्धि,
  - सीमाओं पर असुरक्षा और अस्थिरता में बढ़ोतरी।
- **भारत के पूर्वोत्तर पर प्रभाव:**
  - भारत की एक्ट ईस्ट नीति और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ढाका में राजनीतिक अस्थिरता के कारण निम्नलिखित बड़े प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं:
    - ➢ भारत–बांग्लादेश पारगमन और व्यापार मार्ग,
    - ➢ त्रिपुरा, असम और मेघालय से जुड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाएँ,
    - ➢ चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों तक पहुँच।
  - इन परियोजनाओं में देरी से पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव:**
  - बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल दक्षिण एशिया में भारत के व्यापक सामरिक हितों को प्रभावित करती है, विशेषकर:
    - ➢ बिम्सटेक,
    - ➢ BBIN कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क,
    - ➢ हिंद महासागर की समुद्री सुरक्षा।
  - एक अस्थिर बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग की उन व्यवस्थाओं को कमजोर कर सकता है, जिनमें भारत नेतृत्व की भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

शेख़ हसीना को सुनाई गई फांसी की सज़ा बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ को दर्शाती है। यह फैसला न केवल देश में शासन, जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े लम्बे संघर्ष को सामने लाता है, बल्कि यह भी रेखांकित करता है कि किसी भी संघर्ष के बाद न्यायिक प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना कितना जटिल होता है। आगामी चुनावी चरण की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि न्यायिक प्रक्रियाएँ पारदर्शी और विश्वसनीय हों।

भारत-नेपाल रेल व व्यापार संपर्क समझौता

संदर्भ:

भारत और नेपाल ने हाल ही में भारत-नेपाल पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए विनिमय पत्र (एलओई) का आदान-प्रदान किया, जिससे रेल गलियारों के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।इस कदम से दोनों देशों के बीच रेल मार्ग से होने वाले व्यापारिक संपर्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है

समझौते के बारे में:

- इस समझौते के तहत भारत के जोगबनी सीमा बिंदु से नेपाल के

बिराटनगर तक सीधे रेल मार्ग से माल ढुलाई (कंटेनरयुक्त और बल्क दोनों प्रकार के कार्गो) की अनुमति दी गई है। साथ ही, नेपाल को कोलकाता और विशाखापट्टनम जैसे भारतीय बंदरगाहों तक अधिक सुगम और व्यापक पहुँच मिलेगी, जिससे उसका अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ाव और मजबूत होगा।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

- जोगबनी (भारत)–विराटनगर (नेपाल) रेल लिंक के माध्यम से कंटेनरयुक्त तथा थोक माल (Bulk Cargo) की आवाजाही की अनुमति प्रदान करता है। इसके साथ ही पारगमन गलियारों का विस्तार किया गया है:
  - कोलकाता → जोगबनी → विराटनगर
  - कोलकाता → नौतनवा (सुनौली)
  - विशाखापट्टनम → नौतनवा (सुनौली)
- "बल्क कार्गो" की परिभाषा को और अधिक उदार बनाया गया है, जिससे संशोधित प्रोटोकॉल के तहत अधिक प्रकार के माल के परिवहन की अनुमति मिलती है।
- भारतीय पारगमन मार्गों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक नेपाल की पहुँच को मजबूत करता है और इस प्रक्रिया में भारतीय बंदरगाहों "कोलकाता और विशाखापत्तनम" की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ बनाता है।

महत्व और प्रभाव:

- **व्यापार सुगमता:** इस समझौते से नेपाल के लिए भारत के रास्ते आयात-निर्यात प्रक्रिया और अधिक तेज़, सरल और किफायती हो जाएगी।
- **गहरी आर्थिक साझेदारी:** भारत तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार का प्रमुख मार्ग बनता जा रहा है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।
- **पड़ोसी प्रथम नीति:** यह समझौता भारत की पड़ोसी प्रथम' नीति (Neighbourhood First Policy) को दर्शाता है और नेपाल के विकास हेतु कनेक्टिविटी बढ़ाने की इच्छा को भी प्रकट करता है।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा:** इस पहल से दोनों देशों के बीच रेल संपर्क, सीमा अवसंरचना और लॉजिस्टिक हब जैसे क्षेत्रों में आगे और तेजी से विकास की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
- **क्षेत्रीय सप्लाई चेन पर प्रभाव:** जैसे-जैसे नेपाल अपने व्यापारिक मार्गों का विस्तार और विविधीकरण कर रहा है, भारत एक क्षेत्रीय ट्रांज़िट हब के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

भारत-नेपाल पारगमन संधि के बारे में:

- जून 2023 में संशोधित भारत–नेपाल पारगमन संधि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो नेपाल को भारतीय क्षेत्र और बंदरगाहों तक पारगमन की सुविधा प्रदान करके उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाती है।
- यह संधि 1950 की शांति और मैत्री संधि के साथ मिलकर भारत–नेपाल संबंधों की आधारभूत संरचना को मजबूत करती है, और व्यापार एवं कनेक्टिविटी को अधिक प्रभावी बनाने हेतु समय-समय पर इसमें आवश्यक संशोधन किए जाते रहे हैं।

निष्कर्ष:

नवंबर 2025 में भारत और नेपाल के बीच हुआ यह समझौता दोनों देशों की व्यापारिक कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाता है। नेपाल के लिए भारतीय बंदरगाहों और ट्रांज़िट मार्गों तक बेहतर पहुँच का मतलब है कम लागत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक ज्यादा पहुँच। वहीं भारत के लिए यह समझौता क्षेत्र में उसकी भूमिका को एक प्रमुख ट्रांज़िट हब और भरोसेमंद साझेदार के रूप में और मजबूत करता है।

भारत-कनाडा आर्थिक गठजोड़

संदर्भ:

हाल ही में कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक वृद्धि मंत्री मनिंदर सिद्धू 11 से 14 नवंबर के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार और निवेश में घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया।

मुख्य बिंदु:

- **महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना:**
  - दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में दीर्घकालिक साझेदारियों को बढ़ावा देने पर सहमति जताई।
  - स्वच्छ ऊर्जा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया, जो वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  - इस पहल का उद्देश्य उन आवश्यक खनिजों तक स्थिर और विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करना है, जिनका उपयोग बैटरियों, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों

में होता है।

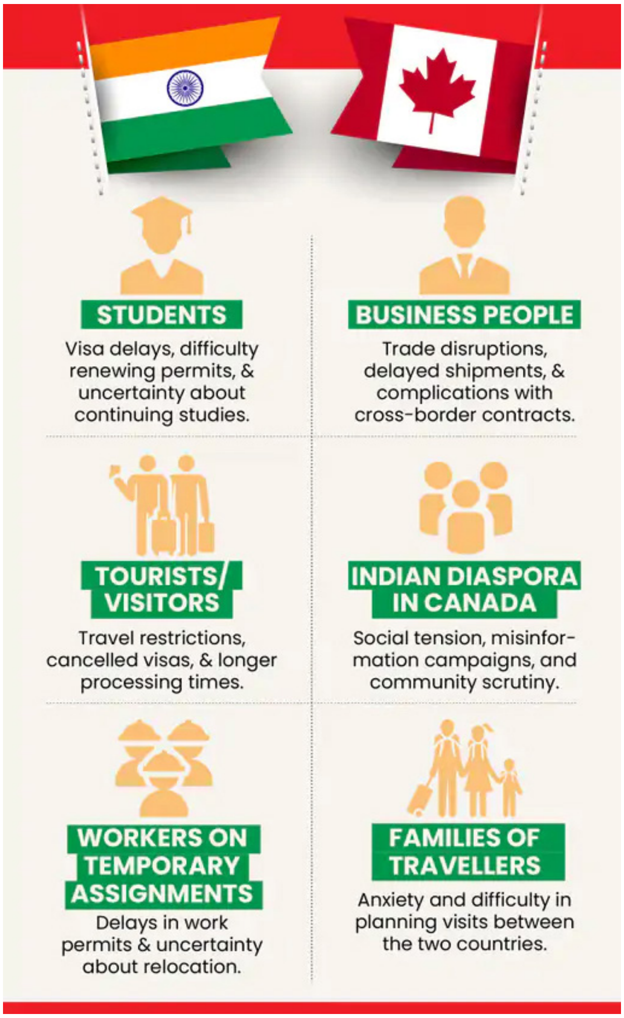

- **व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार**
  - » दोनों देशों ने निम्न क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के अवसरों की पहचान तथा विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की:
    - ➢ एयरोस्पेस
    - ➢ डुअल-यूज क्षमताएँ (जो नागरिक और रक्षा, दोनों क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती हैं)
  - » यह कदम भारत की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत वह वैश्विक उच्च तकनीक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी तरीके से शामिल होना चाहता है और अपनी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना चाहता है।

महत्व:

- **रणनीतिक और आर्थिक तालमेल:** महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके औद्योगिक विकास लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है।
- **उच्च तकनीक सहयोग:** एयरोस्पेस और डुअल-यूज क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग तकनीकी आदान-प्रदान, नवाचार और निवेश को गति देगा।
- **व्यापार का विविधीकरण:** यह साझेदारी भारत को अपने व्यापारिक संबंधों को विविध बनाने और किसी एक देश या स्रोत पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी।
- **वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन:** स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग भारत की नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत–कनाडा संबंध के बारे में:

- भारत और कनाडा के संबंध ऐतिहासिक और बहुआयामी हैं। दोनों देश राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) और G20 के सदस्य हैं और वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 30 बिलियन डॉलर तक पहुँचा।
- भारत की स्वतंत्रता के बाद कनाडा ने कोलंबो योजना के तहत भारत को महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान की। लेकिन 1974 में भारत द्वारा कनाडाई रिएक्टर का उपयोग कर किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ।
- 1985 में कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एयर इंडिया विमान बम विस्फोट से दोनों देशों के संबंधो को और भी कमजोर कर दिया।
- 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद संबंधों में फिर से सकारात्मक दिशा दिखी और 2010 के परमाणु सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय जुड़ाव को नई गति दी। इसके बावजूद, कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों के प्रति 'नरमी' की धारणा अभी भी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- इसके बावजूद, भारतवंशी प्रवासी समुदाय की मज़बूत उपस्थिति और बढ़ते आर्थिक संबंध दोनों देशों को विश्वास बहाल करने और दीर्घकालिक सहयोग के नए अवसर प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत–कनाडा की यह हालिया सहभागिता व्यापार, निवेश और रणनीतिक क्षेत्रों में नई प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो औद्योगिक आधुनिकीकरण और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह दर्शाता है कि आर्थिक कूटनीति किस प्रकार द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकती है और दोनों देशों को वैश्विक वैल्यू चेन में अधिक प्रभावी रूप से एकीकृत होने का अवसर प्रदान कर सकती है।

ऑपरेशन सदर्न स्पीयर

सन्दर्भ:

हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने "ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर" की औपचारिक घोषणा की। यह एक बड़े पैमाने का सैन्य अभियान है जिसका उद्देश्य पश्चिमी गोलार्ध में फैले नार्को-आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना है। इस अभियान का नेतृत्व यू.एस. साउदर्न कमांड (SOUTHCOM) और नव-स्थापित ज्वाइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्पीयर कर रही है।

उद्देश्य और रणनीति:

- **मुख्य लक्ष्य:** अभियान का घोषित उद्देश्य नार्को-आतंकवादियों को क्षेत्र से समाप्त करना और ड्रग तस्करी मार्गों को बाधित करके अमेरिकी सीमा को सुरक्षित करना है।
- **हाइब्रिड फोर्स तैनाती:** इस मिशन में पारंपरिक नौसेना संसाधनों के साथ रोबोटिक और स्वायत्त सिस्टम (RAS) जैसे लॉन्ग-एंड्योरेंस सरफेस वेसल और VTOL ड्रोन को मिलाकर "हाइब्रिड फ्लीट" तैयार की गई है।
- **समुद्री उपस्थिति में वृद्धि:** कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की नौसैनिक गतिविधि स्पष्ट रूप से बढ़ी है, जिसमें जहाज़, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और निगरानी विमान शामिल हैं।

मुख्य घटक:

- **मानवरहित सिस्टम:** कैरेबियन क्षेत्र में मध्यम क्षमता वाले JUMP 20 मानवरहित विमान, जिसे एरोवायरमेंट कंपनी ने विकसित किया है, की तैनाती की गई है, जो निरंतर ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) कवरेज प्रदान करता है।
- **काइनेटिक स्ट्राइक्स:** रिपोर्टों के अनुसार, ड्रग तस्करी में शामिल संदिग्ध नौकाओं पर घातक हमले भी किए गए हैं।
- **कमांड संरचना:** यह अभियान SOUTHCOM तथा ज्वाइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्पीयर द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।

महत्व और चिंताएँ:

- **रणनीतिक संदेश:** यह मिशन अमेरिकी नार्को-विरोधी अभियानों में बड़े पैमाने पर वृद्धि को दर्शाता है, जो अब एक थिएटर-स्तरीय सैन्य अभियान का रूप ले चुका है।
- **कानूनी व नैतिक सवाल:** आलोचकों का कहना है कि कार्टेल सदस्यों को "नार्को-आतंकवादी" घोषित करना अमेरिकी युद्ध-संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने का तरीका हो सकता है, जबकि मानवाधिकार समूह समुद्री हमलों की पारदर्शिता और वैधता पर भी गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं।
- **क्षेत्रीय तनाव:** इस अभियान से लैटिन अमेरिकी देशों, विशेषकर वेनेज़ुएला, में चिंता बढ़ गई है, जहाँ इसे अमेरिका द्वारा संभावित हस्तक्षेप का एक बहाना माना जा रहा है।

निष्कर्ष:

ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर अमेरिकी रणनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है, जहाँ पारंपरिक नार्को-विरोधी अभियानों को अब उच्च-स्तरीय सैन्य क्षमताओं से समन्वित किया जा रहा है। मानवरहित प्रणालियों और पारंपरिक नौसैनिक प्लेटफॉर्मों को एकीकृत कमान ढाँचे में सम्मिलित कर अमेरिका का उद्देश्य ड्रग-तस्करी को उसकी सीमाओं तक पहुँचने से पूर्व ही निरोधात्मक रूप से रोकना है। हालाँकि, इस अभियान की कानूनी वैधता, क्षेत्रीय प्रभावों और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक परिणामों को लेकर गंभीर प्रश्न और विवाद कायम हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से अगले महासचिव के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी है , जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का स्थान लेंगे जिनका वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। सदस्य देशों को नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बार ऐतिहासिक रूप से पहली महिला महासचिव के चयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

कानूनी आधार और चयन प्रक्रिया:

- महासचिव संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 में परिभाषित है। उन्हें प्रायः चार भूमिकाओं "राजनयिक, प्रवक्ता, सिविल सेवक और CEO" का समन्वित रूप" माना जाता है।
- चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
    - » **नामांकन:** संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) और सुरक्षा परिषद (UNSC) के अध्यक्षों द्वारा संयुक्त पत्र जारी किए जाने के बाद सदस्य राष्ट्र आधिकारिक रूप से अपने उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करते हैं।
    - » **सुरक्षा परिषद की स्क्रीनिंग:** 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद

गोपनीय "स्ट्रॉ पोल (Straw Polls)" आयोजित करती है, जिनमें सदस्य किसी उम्मीदवार के प्रति अपना रुख "समर्थन", "विरोध" या "कोई राय नहीं" के रूप में दर्ज करते हैं। परिषद के पाँच स्थायी सदस्य (P5) इस प्रक्रिया में वीटो अधिकार रखते हैं।

- » **सुरक्षा परिषद की सिफारिश:** किसी उम्मीदवार को औपचारिक रूप से अनुशंसित किए जाने के लिए कम से कम 9 अनुकूल मत आवश्यक होते हैं और इनमें से किसी भी स्थायी सदस्य (P5) द्वारा वीटो नहीं लगाया जाना चाहिए। यह सिफारिश एक प्रस्ताव के रूप में पारित की जाती है।
- » **महासभा द्वारा नियुक्ति:** 193 सदस्यीय महासभा सामान्यतः सुरक्षा परिषद की अनुशंसा को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उम्मीदवार की नियुक्ति को अंतिम रूप देती है।

- महासचिव का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और इसे एक बार पुनः नवीकृत किया जा सकता है। गुटेरेस वर्तमान में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में औपचारिक प्रावधानों के अतिरिक्त क्षेत्रीय संतुलन जैसी अनौपचारिक परंपराएँ भी प्रभाव डालती हैं।

प्रशासनिक और कार्यकारी भूमिकाएँ:

- महासचिव संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के प्रमुख होते हैं और 30,000 से अधिक कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की देखरेख करते हैं। वे लगभग 3.7 बिलियन USD के मुख्य बजट तथा 5.6 बिलियन USD के शांति स्थापना बजट के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
- उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
  - » संयुक्त राष्ट्र की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन
  - » विश्वभर में स्थित UN कार्यालयों के समन्वय और संचालन की निगरानी
  - » शांति स्थापना अभियानों के संचालन को सुचारु और परिणामदायी बनाए रखना
  - » सचिवालय के प्रशासनिक ढाँचे को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संचालित करना

राजनयिक और एजेंडा-निर्धारण भूमिकाएँ:

- महासचिव वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और संघर्षों को रोकने तथा समाधान खोजने के लिए अपने "गुड ऑफिस" का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं।
- अनुच्छेद 99 के तहत महासचिव का यह भी दायित्व है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को सुरक्षा परिषद के संज्ञान में लाएँ।
- महासचिव अनेक वैश्विक प्राथमिकताओं पर पहल शुरू करते और नेतृत्व प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - » मानवीय संकटों की प्रतिक्रिया
  - » जलवायु कार्रवाई
  - » सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति
  - » मानवाधिकार और लैंगिक समानता का संवर्धन
  - » इन पहलों के माध्यम से महासचिव संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया और समाधान क्षमता को सुदृढ़ करते हैं।

प्रतीकात्मक और वकालत संबंधी भूमिकाएँ:

- प्रशासनिक दायित्वों के अतिरिक्त महासचिव अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नैतिक आवाज़ के रूप में भी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। वे निम्न महत्वपूर्ण विषयों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं:
  - » बहुपक्षवाद तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग
  - » शांति, सुरक्षा और संघर्ष की रोकथाम
  - » सतत विकास एवं मानवाधिकारों की वकालत
- अपने भाषणों, वैश्विक अभियानों और सार्वजनिक कूटनीतिक पहलों के माध्यम से महासचिव अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुख वैश्विक मुद्दों को दिशा प्रदान करते हैं और उन पर सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद वास्तव में विशिष्ट है, क्योंकि यह कूटनीति, प्रशासनिक नेतृत्व और वैश्विक वकालत, तीनों को एकसाथ समेटे हुए है। वर्ष 2026 का चुनाव संयुक्त राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से संगठन में लैंगिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि महासचिव का पद अपने मूल लक्ष्य "वैश्विक शासन, शांति स्थापना और विकास को आगे बढ़ाने" की केंद्रीय भूमिका को प्रभावी रूप से निभाता रहे।

कनाडा का नया नागरिकता कानून 2025 – बिल C-3 व प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव

संदर्भ:

कनाडा ने हाल ही में बिल C-3 पास किया है, जो इसके नागरिकता

अधिनियम में संशोधन कर वंशानुगत नागरिकता के दायरे को बढ़ाता है और ऐतिहासिक रूप से "लॉस्ट कैनेडियन" कहे जाने वाले समूह को औपचारिक मान्यता देता है। यह सुधार लंबे समय से चली आ रही कानूनी असमानताओं को दूर करता है, जो पहले की "फर्स्ट-जेनरेशन लिमिट" के कारण उत्पन्न हुई थीं और जिसने विदेश में जन्मे कई कनाडाई नागरिक बच्चों को नागरिकता पाने से रोक दिया था।

पृष्ठभूमि:

- कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पुराने कनाडाई कानूनों में खामियों या भेदभाव के कारण नागरिकता नहीं मिल पाई या खोनी पड़ी।
- 2009 में लागू "पहली-पीढ़ी सीमा" के अनुसार, वंशानुगत नागरिकता केवल उन बच्चों को मिल सकती थी जिनका कनाडाई माता-पिता कनाडा में जन्मे हों या कनाडाई नागरिक बने हों।
- जिन बच्चों का जन्म विदेश में हुआ और उनके माता-पिता भी विदेश में जन्मे थे (दूसरी पीढ़ी), उन्हें नागरिकता नहीं मिलती थी।
- 2023 में एक अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया, जिससे कानून में बदलाव की जरूरत महसूस हुई।

नए कानून (बिल C-3) की मुख्य विशेषताएँ:

- **पहली-पीढ़ी सीमा हटाना:** अब विदेश में जन्मे या गोद लिए गए किसी भी बच्चे को कनाडाई माता-पिता के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। इससे पूर्व में लागू पीढ़ीगत सीमा (पहली-पीढ़ी कट-ऑफ) की समस्या दूर होगी।
- **पूर्वव्यापी मान्यता:** जो लोग पहले इस सीमा के कारण नागरिकता से वंचित रहे, उनकी नागरिकता अब वापस दी जाएगी। इससे हजारों कनाडाई को लाभ मिलेगा।
- **पर्याप्त संबंध की शर्त:** विदेश में भविष्य में जन्म के लिए, माता-पिता को बच्चे के जन्म/गोद लेने से पहले कनाडा में 1,095 दिन (3 साल) की मौजूदगी साबित करनी होगी। यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता का कनाडा के साथ मजबूत और वास्तविक संबंध बना रहे।
- **सुरक्षा उपाय:** नागरिकता प्राप्त करने में धोखाधड़ी करने वाले या गंभीर अपराध में शामिल लोगों को इस लाभ से बाहर रखा जाएगा।

न्यायसंगतता और नीति तर्क:

- ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करना और नागरिकता के हस्तांतरण में समानता सुनिश्चित करना।
- वैश्विक दुनिया में परिवारों की बढ़ती गतिशीलता के अनुरूप कानूनी व्यवस्था बनाना।
- प्रवासी समुदाय और कनाडा की "सॉफ्ट पावर" को मजबूत करना।
- कनाडाई कानून को आधुनिक मानवाधिकार मानकों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप बनाना।

भारतीय मूल परिवारों के लिए प्रभाव:

- **किसे लाभ होगा?**
  - भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक जिनके बच्चे पहले नागरिकता से वंचित थे।
  - वे परिवार जो शिक्षा, रोजगार या अस्थायी विदेशी पोस्टिंग के लिए कनाडा छोड़ चुके थे।
  - कुछ "खोए हुए भारतीय-कनाडाई (Lost Indian-Canadians)" अब स्वतः नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- **भविष्य में जन्म:**
  - विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने के लिए माता-पिता को पर्याप्त संबंध (Substantial Connection) की शर्त पूरी करनी होगी।
- **भारतीय कानून के साथ तालमेल:**
  - भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।
  - कनाडाई नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी और भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) बनाना होगा।
  - परिवारों को कनाडाई नागरिकता के लाभ और भारतीय नागरिकता खोने के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **भारत–कनाडा गतिशीलता में वृद्धि की संभावना:**
  - यह कनाडा लौटने या प्रवासी समुदाय को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
  - शिक्षा और पेशेवर प्रवासन के पैटर्न पर भी इसका असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

कनाडा का नया नागरिकता कानून वंशानुगत नागरिकता में समावेशी और अधिकार-आधारित बदलाव को दर्शाता है। "वंचित कनाडाई (Lost Canadians)" को मान्यता देकर यह सुधार पुराने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करता है और वैश्विक स्तर पर बढ़ती गतिशीलता के अनुरूप कानून को आधुनिक बनाता है।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

हरित आवरण से पारिस्थितिक पुनर्जीवन तक: भारतीय वन की नई जलवायु नीति

संदर्भ:

भारत की जलवायु चर्चा एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) की नई रूपरेखा इस अवधारणा को और मजबूत करती है। अब लक्ष्य सिर्फ पेड़ों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को ठीक करना है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान और सूखी मिट्टी के कारण भारत के घने जंगल अपनी प्रकाश संश्लेषण और कार्बन सोखने की क्षमता खो रहे हैं। अर्थात अगर वन देश की जलवायु सुरक्षा का कवच हैं, तो यह कवच अब धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है।

जलवायु चुनौती:

- आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे और बिट्स पिलानी द्वारा 2025 में किए गए एक बहु-संस्थागत अध्ययन ने महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि भारत के घने जंगलों में प्रकाश संश्लेषण क्षमता में 12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि वन कितना कार्बन अवशोषित कर सकते हैं और बढ़ते जलवायु तनाव के तहत वे कितने लचीले बने रहते हैं।
- अध्ययन इस गिरावट के लिए मुख्यतः दो कारकों को ज़िम्मेदार मानता है: उच्च तापमान और तेज़ी से शुष्क होती मिट्टी की स्थिति। ये दोनों कारक मिलकर वनों की इष्टतम स्तर पर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता को कमज़ोर करते हैं। यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ वन सघन बना हुआ है या जहाँ वृक्षारोपण बढ़ा है, वनों की कार्यप्रणाली ख़राब हुई है।
- यह अध्ययन उस पुरानी धारणा को चुनौती देता है कि केवल वन क्षेत्र का विस्तार करने से ही कार्बन सिंक अधिक मजबूत हो जाएगा। भारत ने वन एवं वृक्ष आवरण में लगातार वृद्धि की है जो 2015 में 24.16 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 25.17 प्रतिशत हो गया है लेकिन इन वनों की दीर्घकालिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की क्षमता कम होती जा रही है।

हरित भारत मिशन: वृक्षारोपण से पुनर्स्थापन की ओर विकास:

- हरित भारत मिशन की शुरुआत 2014 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के एक भाग के रूप में की गई थी। इसका मूल लक्ष्य 50 लाख हेक्टेयर से अधिक वन और वृक्षावरण को बढ़ाना और अन्य 50 लाख हेक्टेयर में वनों की गुणवत्ता में सुधार करना था। 2015 और 2021 के बीच, 18 राज्यों में लगभग ₹575 करोड़ के वित्त पोषण द्वारा समर्थित, 11.22 मिलियन हेक्टेयर में वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियाँ की गईं।
- संशोधित रोडमैप मिशन के पैमाने और महत्वाकांक्षा को व्यापक बनाता है। भारत का लक्ष्य अब 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर क्षरित वन और गैर-वन भूमि को पुनर्स्थापित करना है। यह सीधे तौर पर भारत की जलवायु प्रतिबद्धता से जुड़ा है, जिसके तहत दशक के अंत तक 3.39 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया जाएगा।
- नई योजना में पारिस्थितिक रूप से नाजुक और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों जैसे अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, हिमालयी जलग्रहण क्षेत्र और मैंग्रोव बेल्ट पर विशेष जोर दिया गया है। यह राज्य-विशिष्ट पुनर्स्थापन मॉडल, अन्य सरकारी योजनाओं के साथ एकीकरण और वैज्ञानिक संस्थानों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित

करता है।

- हालाँकि, ब्लूप्रिंट में यह माना गया है कि बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापन के लिए वृक्षारोपण लक्ष्य से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए भारत द्वारा अपने वन परिदृश्यों के डिज़ाइन, प्रबंधन और मूल्यांकन में गहन सुधार की आवश्यकता है।

निरंतर अंतराल:

- **सामुदायिक भागीदारी**
  - » लगभग 20 करोड़ लोग ईंधन, चारे, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए वनों पर निर्भर हैं। वन अधिकार अधिनियम (2006) वनवासी समुदायों को उनके आवासों के प्रबंधन और संरक्षण के अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित करता है। फिर भी, कई क्षेत्रों में, वृक्षारोपण अभियानों ने स्थानीय समुदायों की सहमति, पारंपरिक प्रथाओं या भूमि दावों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है।
  - » इससे अविश्वास, कानूनी विवाद और कुछ मामलों में सक्रिय प्रतिरोध पैदा हुआ है। सामुदायिक भागीदारी के बिना, पुनर्स्थापना के प्रयास अक्सर प्रारंभिक रोपण चरण से आगे नहीं बढ़ पाते।
  - » कुछ राज्यों ने इसे ठीक करने का प्रयास किया है। ओडिशा का मॉडल संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को नियोजन और राजस्व-बंटवारे में एकीकृत करता है, जिससे समुदायों को प्रत्यक्ष हिस्सेदारी मिलती है। छत्तीसगढ़ ने महुआ जैसी देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्रयोग किया है जो आदिवासियों की आजीविका का समर्थन करती हैं और जैव विविधता के अनुकूल तरीकों से बंजर गाँवों की भूमि को पुनर्जीवित किया है।
- **पारिस्थितिक डिज़ाइन**
  - » दशकों से, वृक्षारोपण अभियान यूकेलिप्टस और बबूल जैसी तेज़ी से बढ़ने वाली एकल फसलों को बढ़ावा देते रहे हैं। हालांकि ये प्रजातियां तेजी से अपने वन आवरण का विस्तार करती हैं, लेकिन वे अक्सर भूजल को खत्म कर देती हैं, देशी जैव विविधता को विस्थापित कर देती हैं, तथा गर्मी के तनाव और आग के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
  - » संशोधित जीआईएम स्थानीय, स्थल-उपयुक्त प्रजातियों के उपयोग पर ज़ोर देता है। लेकिन इसके लिए कुशल पारिस्थितिक नियोजन और प्रशिक्षित क्षेत्रीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। भारत में उत्तराखंड, कोयंबटूर और बर्नीहाट में प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनका उपयोग इस क्षमता निर्माण के लिए किया जा सकता है।
  - » कुछ राज्यों में परिणाम पहले से ही दिखने लगे हैं। तमिलनाडु ने केवल तीन वर्षों में अपने मैंग्रोव आवरण को लगभग दोगुना कर दिया है, जो दर्शाता है कि कैसे स्थल-विशिष्ट पुनर्स्थापन कार्बन भंडारण और तटीय सुरक्षा दोनों को मज़बूत करता है।
- **वित्तपोषण और निधि उपयोग**
  - » पुनर्स्थापन के लिए वित्तीय परिदृश्य बड़ा है, लेकिन इसका कम उपयोग किया जाता है। प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के पास लगभग 95,000 करोड़ रुपये हैं, फिर भी राज्यों में निधि का उपयोग काफी भिन्न-भिन्न है। दिल्ली ने 2019 और 2024 के बीच अपने स्वीकृत CAMPA फंड का केवल 23 प्रतिशत ही उपयोग किया, जो क्षमता, योजना और निगरानी के मुद्दों को दर्शाता है।
  - » जीआईएम स्वयं मामूली आवंटन के साथ काम करता है और कैम्पा के सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चुनौती केवल धन सुरक्षित करने की नहीं है, बल्कि अल्पकालिक वृक्षारोपण संख्या के बजाय दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणामों के लिए उन्हें कुशलतापूर्वक नियोजित करने की है।
- **नए उपकरण और नवाचार**
  - » हिमाचल प्रदेश ने एक बायोचार पहल शुरू की है जो वनों की आग के जोखिम को कम करते हुए कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती है।
  - » उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 39 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं और ग्राम परिषदों को कार्बन बाज़ारों में भाग लेने के तरीके तलाश रहा है।
  - » अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए 29 जिलों में आठ लाख हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करना है, और पहाड़ियों के चारों ओर 5 किलोमीटर का बफर ज़ोन बनाना है।

भारत की व्यापक भूमि क्षरण चुनौती:

- भारत का भूमि पुनर्स्थापन अभियान भूमि क्षरण की व्यापक समस्या से भी प्रभावित है। 2018-19 में लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर, यानी देश की लगभग एक-तिहाई भूमि, क्षरित हुई। क्षरित भूमि का पुनर्स्थापन न केवल जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए, बल्कि मृदा स्वास्थ्य, जल सुरक्षा और आजीविका प्रणालियों के लिए भी आवश्यक है।

- सरकारी आकलन बताते हैं कि खुले वनों का पुनर्स्थापन CO_2 को संग्रहित करने के सबसे किफ़ायती तरीकों में से एक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का अनुमान है कि 15 मिलियन हेक्टेयर खुले वनों में सुधार से लगभग 1.89 बिलियन टन CO_2 का पुनर्स्थापन हो सकता है।
- भारत ने 2005 और 2021 के बीच पहले ही 2.29 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण कर लिया है। 2030 के 3.39 बिलियन टन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले पुनर्स्थापन के माध्यम से इस प्रक्षेपवक्र को तेज करना होगा।

आगे की राह:

- समुदायों को नियोजन और निगरानी के केंद्र में रखा जाना चाहिए ताकि पुनर्स्थापन सामाजिक रूप से वैध और पारिस्थितिक रूप से सूचित हो सके।
- वन विभागों को वृक्षारोपण की संख्या के बजाय पारिस्थितिक उत्पादकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- केंद्र सरकार सार्वजनिक डैशबोर्ड बनाकर पारदर्शिता में सुधार कर सकती है जो जीवित रहने की दर, प्रजातियों की संरचना, निधि उपयोग और सामुदायिक भागीदारी पर नज़र रखता है।
- सहभागी दृष्टिकोण, अनुकूली प्रबंधन और दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी का समर्थन करने के लिए CAMPA दिशानिर्देशों का विस्तार किया जा सकता है।
- अनुसंधान संस्थान और नागरिक समाज वैज्ञानिक रूप से मजबूत और समुदाय-अनुकूल पुनर्स्थापन योजनाएँ तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षा दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिक पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में से एक है। लेकिन आईआईटी के नेतृत्व वाले अध्ययन से एक तथ्य उजागर होता कि जलवायु तनाव के कारण भारत के वनों का स्वास्थ्य गिर रहा है और पिछले दृष्टिकोण अब पर्याप्त नहीं हैं। भारत की जलवायु रणनीति का भविष्य इस बात पर कम निर्भर करता है कि कितने हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाता है, बल्कि इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि उन्हें कितनी गहराई और बुद्धिमत्ता से पुनर्स्थापित किया जाता है। अगर भारत पारिस्थितिक लचीलेपन को प्राथमिकता देता है, स्थानीय क्षमता में निवेश करता है, और समुदायों को पुनर्स्थापना के केंद्र में रखता है, तो हरित भारत मिशन एक नीतिगत योजना से एक वास्तविक राष्ट्रीय परिवर्तन में विकसित हो सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

नौरादेही अभयारण्य भारत का तीसरा चीता आवास

सन्दर्भ:

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य राज्य में कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद चीतों का तीसरा घर बनेगा।

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- मध्य प्रदेश के सागर और दमोह जिलों में स्थित नौरादेही राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो लगभग 1,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इसमें शुष्क पतझड़ी वनों, घास के मैदानों और झाड़ियों का मिश्रित परिदृश्य है, जो चीतों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है, ठीक उनके मूल अफ्रीकी आवासों के समान।
- यह अभयारण्य पहले से ही चीतल, काला हिरन (ब्लैकबक), नीलगाय और जंगली सूअर जैसी प्रजातियों का घर है, जो चीतों के लिए प्राकृतिक शिकार के रूप में कार्य कर सकती हैं।

प्रोजेक्ट चीता के बारे में:

- भारत में कभी व्यापक रूप से पाए जाने वाले चीते को अत्यधिक शिकार और आवास विनाश के कारण वर्ष 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित किया गया था।
- सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत ने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर) में आठ अफ्रीकी चीतों को पुनः बसाया।
- बाद में गांधी सागर अभयारण्य को दूसरा पुनर्वास स्थल के रूप में

चिन्हित किया गया, ताकि कुनो पर जनसंख्या दबाव कम हो और नए आवास विकसित किए जा सकें।

- अब नौरादेही अभयारण्य का समावेश इस महत्वाकांक्षी पहल का और विस्तार है, जिसका उद्देश्य भारत में कई भौगोलिक रूप से फैले हुए चीता समूह स्थापित करना है, जिससे उनकी दीर्घकालिक जीवंतता (viability) सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य उद्देश्य:

- चीतों को शीर्ष शिकारी (top predator) के रूप में पुनर्स्थापित करना ताकि शिकार प्रजातियों की जनसंख्या का स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
- भारत में चीता जनसंख्या स्थापित करके वैश्विक संरक्षण प्रयासों में योगदान देना।
- इको-टूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए राजस्व उत्पन्न करना और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना।

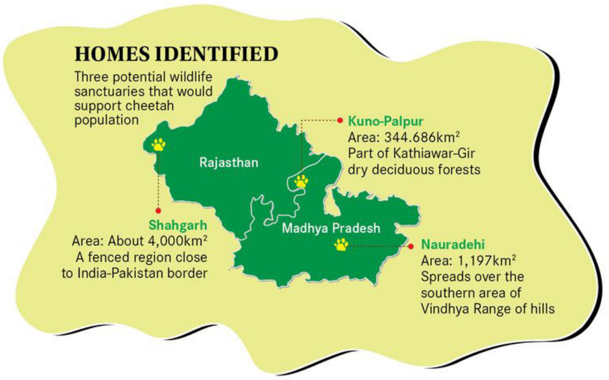

चीते के बारे में:

- चीते दुनिया के सबसे तेज़ स्थलीय प्राणी हैं, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक दौड़ सकते हैं।
  - **संचार (Communication):** अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह यह दहाड़ते नहीं हैं; बल्कि ये ऊँची-ध्वनि वाली चहचहाहट (chirp) और भौंकने जैसी आवाज़ें निकालते हैं।
  - **शिकार (Hunting):** ये अपने अर्ध-सिकुड़ने वाले पंजों (semi-retractable claws) से विशेष "ट्रिपिंग तकनीक" का उपयोग करके शिकार को गिराते हैं।
  - **संरक्षण स्थिति:**
    - आईयूसीएन: असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध।
    - CITES: Appendix I में सूचीबद्ध।
    - **भारत:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में शामिल।

निष्कर्ष:

नौरादेही अभयारण्य का भारत के तीसरे चीता आवास के रूप में स्थापित होना देश की संरक्षण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उचित आवास प्रबंधन, वैज्ञानिक निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के साथ, मध्य प्रदेश शीघ्र ही "भारत का चीता राज्य" बनने की दिशा में अग्रसर है यह न केवल खोई हुई प्रजातियों को पुनर्स्थापित करने, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन पुनर्स्थापन के भारत के व्यापक दृष्टिकोण को भी सशक्त बनाता है।

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की है। यह रिपोर्ट इस तथ्य पर बल देती है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच, विकासशील देशों को अनुकूलन (Adaptation) के लिए जितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, वह लगातार कम पड़ रही है, जबकि जलवायु प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए प्रति वर्ष लगभग 310 से 365 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। यह अनुमान मॉडल आधारित लागतों और विभिन्न देशों की राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAPs) के आंकड़ों पर आधारित है।
- इसके विपरीत, वर्ष 2023 में विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्तीय सहायता के रूप में केवल 26 अरब अमेरिकी डॉलर मिले, जो पिछले वर्ष (28 अरब डॉलर) से भी कम हैं। इसलिए वर्तमान वित्तीय प्रवाह आवश्यकता से लगभग 12 से 14 गुना कम है।
- रिपोर्ट यह भी बताती है कि अनुकूलन के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में है, जिससे देशों पर कर्ज का बोझ और बढ़ता जा रहा है, जबकि निजी क्षेत्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता अभी भी बहुत कम (सिर्फ कुछ अरब डॉलर) है।
- रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो ग्लासगो

जलवायु समझौते का लक्ष्य "2025 तक अनुकूलन वित्त को 40 अरब डॉलर तक दोगुना करना" पूरा नहीं हो पाएगा।

- यहां तक कि COP29 (बाकू) में तय किया गया नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG), जो 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष तय करता है, वह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें शमन और अनुकूलन दोनों शामिल हैं।

विकासशील देशों के लिए प्रभाव:

- अनुकूलन वित्त की गंभीर कमी के कारण विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं। इन देशों को बुनियादी ढांचे की क्षति, फसलों की हानि, जल संकट, समुद्र-स्तर में वृद्धि और चरम मौसम घटनाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- यदि जलवायु संबंधी स्थिति लगातार बनी रही और अनुकूलन की क्षमता मजबूत नहीं की गई, तो गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा बुनियादी ढांचे के विकास में हासिल की गई प्रगति कम हो सकती है।
- चूंकि अनुकूलन वित्त का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में है और वह भी अक्सर गैर-रियायती (non-concessional) शर्तों पर इसलिए विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, भले ही वे अपनी जलवायु सहनशीलता (Climate Resilience) बढ़ाने का प्रयास कर रहे हों।
- अनेक विकासशील देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बहुत कम योगदान देते हैं, फिर भी उन्हें जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जिससे वैश्विक असमानता और गहराती जा रही है।

यूएनईपी की नीतिगत सिफारिशें:

- **वित्तीय अंतर को कम करना:** विकासशील देशों पर ऋण का बोझ बढ़ाए बिना सार्वजनिक और निजी वित्त के नए स्रोतों को जुटाना आवश्यक है, ताकि अनुकूलन की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- **वैश्विक सहयोग को सशक्त बनाना:** COP29 में अपनाए गए "बाकू से बेलेम रोडमैप" को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जिससे वित्तीय प्रवाह में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- **शमन प्रयासों को मजबूत करना:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से कटौती कर वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित किया जाए, ताकि भविष्य में अनुकूलन की लागत को कम किया जा सके।
- **अनुदान और गैर-ऋण साधनों को प्राथमिकता देना:** जलवायु-संवेदनशील देशों के लिए अनुदान-आधारित वित्तपोषण (grant-based funding) और ऋण राहत (debt relief) को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वे बिना कर्ज के बोझ के अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ा सकें।
- **अनुकूलन योजनाओं को अद्यतन करना और मुख्यधारा में शामिल करना:** देशों को अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAPs) की नियमित समीक्षा करते रहना चाहिए तथा लचीलापन (resilience) को अपने राष्ट्रीय विकास ढांचे का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए।

निष्कर्ष:

यूएनईपी की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 एक गंभीर चेतावनी प्रस्तुत करती है, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से संवेदनशील देशों की रक्षा करने के लिए दुनिया के पास समय और संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। यदि अनुकूलन वित्त में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई और वित्तीय बोझ का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित नहीं हुआ, तो वैश्विक स्तर पर असमानता बढ़ने और सतत विकास की दिशा में हुई प्रगति रुकने या कम होने का गंभीर खतरा बना रहेगा।

संकटग्रस्त प्रजातियों के आयात पर रोक लगाने का आग्रह

सन्दर्भ:

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव और वनस्पति प्रजातियों के व्यापार पर अभिसमय (CITES) ने भारत से यह आग्रह किया है कि वह गोरिल्ला, चिंपांज़ी, ओरंगुटान और हिम तेंदुए जैसी अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों (critically endangered species) के आयात को रोक दे, जब तक कि कोई उचित नियम, निगरानी और सुरक्षा प्रणाली स्थापित न हो जाए।

पृष्ठभूमि:

- CITES सचिवालय की तकनीकी टीम ने 15 से 20 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया। इस दौरान उसने गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा पहल (Vantara Initiative) के तहत दो संस्थानों का निरीक्षण किया:
  - ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC)
  - राधा कृष्णा टेंपल एलीफेंट वेलफेयर ट्रस्ट (RKTEWT)
- यह निरीक्षण इसलिए किया गया क्योंकि कुछ सदस्य देशों ने भारत

द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के बड़े पैमाने पर आयात और उनके स्रोत (origin) को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। अधिकतर जानवर इन्हीं केंद्रों के लिए लाए जा रहे थे।

मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में यह पाया गया कि भारत ने वन्य जीवों के आयात में पर्याप्त सतर्कता और सत्यापन नहीं किया।
- सभी आयात वैध CITES परमिट के तहत हुए थे, लेकिन जानवरों की वास्तविक उत्पत्ति (true origin) को लेकर शंका बनी हुई है।
- कुछ मामलों में पाया गया कि जंगल से पकड़े गए जानवरों को गलत तरीके से कैद में पले हुए (कैप्टिव-ब्रेड) बताकर प्रस्तुत किया गया।यह न केवल नैतिक चिंता का विषय है बल्कि अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण मानकों का भी उल्लंघन माना जा सकता है।

CITES और भारत की जिम्मेदारियाँ:

- CITES एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 1973 में अपनाया गया और 1975 में लागू किया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से किसी भी वन्य जीव या पौधे की प्रजाति के अस्तित्व को खतरा न हो।
- इसमें हजारों प्रजातियाँ शामिल हैं जिन्हें उनके संकट के स्तर के आधार पर तीन वर्गों — परिशिष्ट-I, II और III में रखा गया है।
- भारत 1976 में CITES से जुड़ा और अपने राष्ट्रीय प्राधिकरणों को आयात-निर्यात की अनुमति जारी करने की जिम्मेदारी दी।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कोई भी चिड़ियाघर केवल मान्यता प्राप्त संस्थान से ही जानवरों का लेन-देन कर सकता है, इसलिए वन्यजीवों के आयात से पहले गहन जांच और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है।

CITES मिशन की सिफारिशें:

- भारत को वन्यजीव आयात की प्रक्रिया में सतर्कता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी चाहिए।
- सभी आयातित जानवर के स्रोत और वैधता की गहराई से जांच होनी चाहिए, विशेषकर उन देशों से आने वाले जानवरों की जहां ऐसी प्रजातियों का प्रजनन सामान्य नहीं है।
- केवल परमिट की उपलब्धता को वैधता का प्रमाण न माना जाए; यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापार वास्तव में कानूनी और नैतिक है।
- संदेह की स्थिति में जानवरों की देश के भीतर ही देखभाल और पुनर्वास व्यवस्था हो, ताकि जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके।

निष्कर्ष:

CITES की यह रिपोर्ट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आयातित वन्य जीव वास्तव में कैद में पाले गए और कानूनी रूप से प्राप्त हों और उनका व्यापार पूरी तरह पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हो। इसके लिए राष्ट्रीय CITES प्राधिकरणों, सीमा शुल्क विभाग और जूलॉजिकल संस्थानों के बीच मजबूत समन्वय और सूचना-साझाकरण जरूरी है।

आईयूसीएन ने खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को दी 'गुड' रेटिंग

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 समीक्षा में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को "अच्छा" (Good) दर्जा दिया है। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे सकारात्मक संरक्षण दृष्टिकोण (Positive Conservation Outlook) प्राप्त हुआ है।

पृष्ठभूमि:

- उद्यान ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक संरक्षण उपायों को मिलाकर एक सफल एवं संतुलित मॉडल विकसित किया है। इसने न केवल अपनी समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित रखा है, बल्कि हिमनदी झील फटने (Glacial Lake Outburst Flood) जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी रोकथाम रणनीतियाँ भी अपनाई हैं।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम (भारत) में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व का अभिन्न हिस्सा है।
- इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और यह भारत का पहला "मिश्रित विरासत" स्थल बन गया।
- यह यूनेस्को के "मानव और जीवमंडल कार्यक्रम" में भी सम्मिलित है। इस उद्यान का नाम दुनिया के तीसरे सबसे ऊँचे पर्वत कंचनजंगा से लिया गया है, जिसकी ऊँचाई 8,586 मीटर (28,169 फीट) है।
- इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1,784 वर्ग किलोमीटर (689 वर्ग मील) में फैला हुआ है।

» **वनस्पति (Flora):** कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति अत्यंत विविध और समृद्ध है। यहाँ समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले तथा मिश्रित वनों का प्रभुत्व है, जिनमें ओक, फर, बर्च, मेपल और विलो जैसे वृक्ष प्रमुख हैं। ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन घास के मैदान और झाड़ियाँ पाई जाती हैं।

» **जीव-जंतु (Fauna):** उद्यान में लगभग 550 प्रजातियों के पक्षी दर्ज की गई हैं। इनमें ब्लड फीज़ेंट, सैटिर ट्रैगोफन, ऑस्प्रे, हिमालयन ग्रिफ़न, लामरगायर, हरी कबूतर की विभिन्न प्रजातियाँ, तिब्बती स्नो कॉक, स्नो पिजन, इम्पेयेन फीज़ेंट, एशियाई पन्ना कोयल (Asian Emerald Cuckoo), सनबर्ड्स और ईगल्स शामिल हैं।

वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 के बारे में:

- वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक एक वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है जो दुनिया भर के 200 से अधिक प्राकृतिक और मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। यह रिपोर्ट हर 3 से 5 साल में प्रकाशित की जाती है।
- वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक एक वैश्विक आकलन रिपोर्ट है, जो दुनिया भर के 200 से अधिक प्राकृतिक और मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संरक्षण स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट हर 3 से 5 वर्ष में प्रकाशित की जाती है।

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  » जलवायु परिवर्तन अभी भी सबसे बड़ा खतरा है, 43% स्थलों पर उच्च या अत्यधिक जोखिम बना हुआ है।
  » सकारात्मक संरक्षण दृष्टिकोण वाले स्थलों का प्रतिशत 2020 के 62% से घटकर 2025 में 57% हो गया है।
  » बीमारियों से प्रभावित स्थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2020 में 2% से बढ़कर 2025 में 9% हो गई है।
  » 2014 से किए गए मूल्यांकनों के आधार पर, 40% से अधिक स्थलों को अब भी गंभीर संरक्षण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष:

IUCN द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को "अच्छा" दर्जा मिलना यह दर्शाता है कि यहाँ प्रकृति, संस्कृति और समुदाय के बीच एक संतुलित और सफल सह-अस्तित्व स्थापित हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक संरक्षण उपाय और सामुदायिक सहभागिता एक साथ जुड़ते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र न केवल सुरक्षित रहते हैं, बल्कि और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनते हैं।

पश्चिमी घाट में नई मकड़ी प्रजाति की खोज

संदर्भ:

हाल ही में भारत के कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलूर ज़िले के मुदिगेरे तालुक के मधुगुंडी क्षेत्र (जो पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है) में पिलिया मलेनाडु (Pilia Malenadu) नाम की एक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है।

इस प्रजाति के बारे में:

- **वंश (Genus):** यह प्रजाति पिलिया वंश की है, जो जम्पिंग स्पाइडर के साल्टिसिडे (Salticidae) परिवार से संबंधित है।
- **नामकरण:** इस प्रजाति का नाम "पिलिया मलेनाडु" उस क्षेत्र "मलेनाडु" के सम्मान में रखा गया है, जिसका अर्थ है "पहाड़ियों की भूमि"।
- **आवास:** ये मकड़ियाँ केवल दो विशेष पौधों "मेमेंसाइलन अम्बेलाटम (Memecylon umbellatum) और मेमेंसाइलन मालाबारिकम (Memecylon malabaricum)" पर पाई गईं। इससे स्पष्ट होता है कि इनका निवास स्थान अत्यंत सीमित और विशिष्ट पारिस्थितिक परिस्थितियों वाला है।

- **नमूने:** वैज्ञानिकों ने पहली बार इस वंश के नर और मादा दोनों नमूनों की पहचान की है, जिससे नई व महत्वपूर्ण शारीरिक संरचना (Morphological) की जानकारी प्राप्त हुई है।

खोज का महत्व:

- यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिलिया वंश की किसी मकड़ी की यह पहली आधिकारिक दर्ज उपस्थिति है जो लगभग 120 वर्षों के बाद मिली है। इससे पहले इस वंश की आखिरी ज्ञात प्रजाति 1902 में केरल में दर्ज की गई थी।
- यह खोज वैज्ञानिकों को पिलिया वंश की संरचना, पहचान और वर्गीकरण को अधिक सटीक रूप से समझने में मदद कर सकती है।
- यह मकड़ी पश्चिमी घाट में पाई गई है, जो जैव-विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में अभी भी कई अज्ञात और दुर्लभ प्रजातियाँ मौजूद हैं।

मलेनाडु क्षेत्र के बारे में:

- मकड़ी का नाम पिलिया मलेनाडु कर्नाटक के मलेनाडु क्षेत्र से लिया गया है। "मलेनाडु" शब्द कन्नड़ भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है "मले" यानी बारिश और "नाडु" यानी भूमि, अर्थात "बारिश की भूमि"। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का प्रमुख हिस्सा है और इसकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
  - » **अधिक वर्षा:** यहाँ भारी मानसूनी वर्षा होती है, जिससे घने जंगल और सदाबहार नदियाँ बनती हैं।
  - » **घना वन क्षेत्र:** इस क्षेत्र में सदाबहार और अर्ध-सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जहाँ अनेक दुर्लभ और स्थानिक (Endemic) पौधे व जीव रहते हैं।
  - » **विशिष्ट सूक्ष्म आवास (Microhabitats):** यहाँ के जंगलों में मेमेसिलॉन अम्बेलैटम (Memecylon umbellatum) व मेमेसिलॉन मालाबारिकम (Memecylon malabaricum) जैसे पौधों के नीचे छोटे-छोटे पारिस्थितिक स्थान हैं, जहाँ पिलिया मलेनाडु पाई गई।
  - » **जैव विविधता का केंद्र:** यह क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यहाँ अनेक स्थानिक तथा दुर्लभ पौधे, उभयचर, सरीसृप और कीट पाए जाते हैं।

निष्कर्ष:

पिलिया मलेनाडु की खोज यह दर्शाती है कि भारत की जैव विविधता में अभी भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, विशेषकर पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में। ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियाँ सुरक्षित रह सकें। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में रीसस मकाक को शामिल करने की मांग

संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने रीसस मकाक (Rhesus Macaque) को फिर से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में शामिल करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश का उद्देश्य इस प्रजाति को अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, अवैध व्यापार और क्रूरता पर रोक लगाना तथा वैज्ञानिक और नियंत्रित प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाना है।

पृष्ठभूमि:

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के लागू होने के बाद, रीसस मकाक को अनुसूची-II से हटाकर कम सुरक्षा वाली श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह श्रेणी अपेक्षाकृत कम सख्त संरक्षण प्रदान करती है।
- इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जानवरों से संबंधित अपराधों पर कम दंड का प्रावधान है, जिसके कारण वन अधिकारियों के लिए इन पर अत्याचार, अवैध पकड़ या व्यापार के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।

प्रस्तावित स्थिति:

- समिति ने सिफारिश की है कि रीसस मकाक को पुनः अनुसूची-II में शामिल किया जाए, जो संशोधित अधिनियम में विशेष रूप से

संरक्षित प्रजातियों के लिए निर्धारित दो अनुसूचियों में से एक है। इस श्रेणी में शामिल प्रजातियों को अधिक सशक्त कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है।

- **प्रस्ताव के प्रभाव:**
  - **शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध:** अनुसूची-।। में पुनः शामिल होने से रीसस मकाक का शिकार, पकड़ना या व्यापार पूर्णतः अवैध हो जाएगा, और उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
  - **कड़े दंड का प्रावधान:** इस श्रेणी में अपराधों के लिए अधिक जुर्माना और लंबी अवधि की कैद का प्रावधान होगा।
  - **प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाना:** राज्य के वन विभागों और वन्यजीव प्राधिकरणों को क्रूरता, शोषण और अवैध पकड़ पर रोक लगाने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त होंगे।
  - **वैज्ञानिक प्रबंधन का ढांचा:** यह कदम इस प्रजाति के वैज्ञानिक और नियंत्रित प्रबंधन, जैसे संघर्ष निवारण, बचाव, पुनर्वास और जनसंख्या नियंत्रण, के लिए एक संगठित और अनुमोदित ढांचा प्रदान करेगा।

महत्व:

- अनुसूची-।। के अंतर्गत रीसस मकाक को पुनः शामिल किए जाने से:
  - क्रूरता और अवैध व्यापार के विरुद्ध कानूनी संरक्षण और अधिक सशक्त होगा।
  - वैज्ञानिक आधार पर संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
  - लक्षित संघर्ष निवारण रणनीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी, जिससे वन्यजीव संरक्षण और मानव हितों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।

आगे की राह:

- यह सिफारिश वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के विचार और अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो यह कदम उन अन्य प्रजातियों के लिए भी एक उदहारण बन सकता है जो समान प्रकार के खतरों और चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

निष्कर्ष:

यह पहल भारत की पशु कल्याण, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही यह इस तथ्य को रेखांकित करती है कि मानव और वन्यजीव सह-अस्तित्व की चुनौतियों का समाधान केवल रणनीतिक, वैज्ञानिक और संतुलित प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से ही संभव है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो रीसस मकाक न केवल बेहतर रूप से संरक्षित रहेगा, बल्कि मानव-प्रधान क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले संघर्षों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

मृदा कार्बन पर आईसीएआर का अध्ययन

सन्दर्भ:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन और असंतुलित उर्वरक उपयोग , भारत की कृषियोग्य भूमि में मृदा जैविक कार्बन (Soil Organic Carbon - SOC) की गिरावट के प्रमुख कारण हैं। यह छह-वर्षीय अध्ययन (2017–2023), भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान द्वारा समन्वित किया गया, जिसमें 620 जिलों के 2.5 लाख से अधिक नमूनों का विश्लेषण किया गया, जो 29 राज्यों से लिए गए थे।

मुख्य निष्कर्ष:

- **जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संबंध:** अध्ययन में पाया गया कि जहाँ मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा कम होती है, वहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक होती है और जहाँ जैविक कार्बन अधिक होता है, वहाँ कमी अपेक्षाकृत कम होती है।
- **भू-ऊँचाई और जैविक कार्बन का संबंध:** अध्ययन ने यह दर्शाया कि भूमि की ऊँचाई बढ़ने पर जैविक कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है। उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में SOC अधिक पाया गया।
- **तापमान का नकारात्मक संबंध:** SOC का तापमान से

नकारात्मक सह-संबंध पाया गया। उदाहरणस्वरूप, राजस्थान और तेलंगाना जैसे उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा जैविक कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई गई।

- **फसल प्रणाली का प्रभाव:** SOC की मात्रा मुख्य रूप से फसल प्रणाली पर निर्भर करती है। जहाँ धान-आधारित या दलहन-आधारित फसल प्रणाली अपनाई गई है, वहाँ SOC का स्तर अधिक पाया गया, जबकि गेहूँ या मोटे अनाज आधारित क्षेत्रों में यह स्तर कम है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** बढ़ते तापमान के कारण SOC की हानि और तेज़ होगी, जिससे मृदा उर्वरता में कमी, ग्रीनहाउस प्रभाव में वृद्धि तथा कार्बन अवशोषण की क्षमता में गिरावट आएगी। यह भारत के जलवायु शमन लक्ष्यों के लिए चुनौतीपूर्ण है।

नीतिगत सिफारिशें:

- **जैविक कार्बन अवशोषण:** कार्बन-समृद्ध कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए और प्रत्येक खेत को वनस्पति या फसलों से ढका रखा जाए।
- **कार्बन क्रेडिट खेती:** ऐसे किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए जो अपनी भूमि में कार्बन भंडारण को बढ़ाते हैं।
- **संतुलित उर्वरक उपयोग:** वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। उचित नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटैशियम (K) अनुपात और जैविक खाद (organic manure) का समावेश किया जाए।
- **कृषिवनिकी एवं वृक्षारोपण:** भूमि पर हरित आवरण बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वायुमंडलीय CO_2 का अवशोषण हो सके।
- **जलवायु-सहिष्णु कृषि प्रणाली:** ऐसे फसल प्रबंधन तंत्र विकसित किए जाएँ जो बदलते तापमान और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप हों।

महत्व:

- यह अध्ययन भारत का प्रथम कृषिवैज्ञानिक बेस मैप प्रस्तुत करता है, जो फसल प्रणाली, उर्वरक उपयोग और मृदा जैविक कार्बन के संबंध को 20 कृषि-पर्यावरणीय क्षेत्रों में जोड़ता है।
- यह कार्बन क्रेडिट नीति, भूमि क्षरण नियंत्रण, और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के लिए ठोस नीति निर्माण में सहायक है।
- मृदा कार्बन की रक्षा, कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिक संतुलन और पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष:

ICAR के निष्कर्ष यह रेखांकित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन और उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा, मृदा धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। संतुलित पोषण प्रबंधन, सतत फसल प्रणाली और कार्बन क्रेडिट प्रोत्साहन के माध्यम से जैविक कार्बन की पुनःस्थापना न केवल खाद्य सुरक्षा और मृदा स्वास्थ्य के लिए बल्कि जलवायु लचीलापन हेतु भी अत्यंत आवश्यक है।

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF): वैश्विक वन वित्त पहल

संदर्भ:

ब्राज़ील के बेलें शहर में आयोजित COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के उद्देश्य से एक नए निवेश कोष "ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट फ़ॉरएवर फ़ैसिलिटी (TFFF)" की शुरुआत की। यह पहल ब्राज़ील के नेतृत्व में शुरू की गई है, जिसने वैश्विक वन संरक्षण में वैश्विक दक्षिण (Global South) को एक अग्रणी और निर्णायक भूमिका प्रदान की है।

टीएफएफएफ क्यों शुरू किया गया?

- ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट फ़ॉरएवर फ़ैसिलिटी (TFFF) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक कारणों को समाप्त करना है।
- वर्तमान स्थिति में, जंगलों को काटकर कृषि, लकड़ी या बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग करना, उन्हें संरक्षित रखने की तुलना में अधिक लाभदायक समझा जाता है।
- यह फंड इस धारणा को बदलने का प्रयास करता है कि जंगल काटने से ज़्यादा फायदा होता है। इसके विपरीत, अब देशों को उनके वनों को सुरक्षित और बचाए रखने पर आर्थिक इनाम मिलेगा। जंगल कार्बन को अवशोषित करते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं, वर्षा को संतुलित रखते हैं और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, अर्थात वे धरती के पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

टीएफएफएफ के बारे में:

- ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) एक स्थायी और आत्मनिर्भर निवेश कोष है, जिसे उष्णकटिबंधीय वन देशों को उनके

मौजूदा पुराने वनों के संरक्षण के लिए आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

- **मुख्य विशेषताएँ और कार्यप्रणाली:**
  - » **वित्तीय मॉडल:** टीएफएफएफ एक निवेश आधारित कोष है, न कि पारंपरिक सहायता या दान आधारित प्रणाली। इसका लक्ष्य सरकारों और परोपकारियों से प्राप्त सार्वजनिक धन को निजी पूँजी (जैसे पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे संस्थागत निवेशकों) के साथ मिलाकर 125 अरब डॉलर जुटाना है।
  - » **निवेश और प्रतिफल:** जुटाई गई पूँजी को स्थिर आय वाली परिसंपत्तियों, जैसे सॉवरेन और कॉर्पोरेट ग्रीन बॉन्ड्स के विविध पोर्टफोलियो में निवेश किया जाएगा। इसमें जीवाश्म ईंधन से संबंधित निवेशों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इन निवेशों से प्राप्त लाभ (प्रतिफल) को उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों वाले देशों में संरक्षण प्रयासों के लिए उपयोग किया जाएगा।
  - » **प्रदर्शन-आधारित भुगतान:** लगभग 74 पात्र देशों को किया जाने वाला भुगतान उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा, प्रति हेक्टेयर सुरक्षित वन क्षेत्र के लिए निश्चित राशि दी जाएगी, जबकि वन कटाई या क्षरण की स्थिति में राशि समायोजित की जाएगी। इसका सत्यापन हर वर्ष उपग्रह निगरानी के माध्यम से किया जाएगा।
  - » **लाभार्थी:** यह धनराशि राष्ट्रीय स्तर पर चल रही संरक्षण योजनाओं को सशक्त करेगी। साथ ही कम से कम 20% राशि स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPLCs) के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित होगी, ताकि वन संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी जा सके।
  - » **शासन:** यह कोष विश्व बैंक द्वारा संचालित है, जो इसका ट्रस्टी और अंतरिम मेजबान (Interim Host) के रूप में कार्य करता है।

महत्व:

- यह पहल उष्णकटिबंधीय देशों को जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व करने का अवसर देती है, ताकि वे केवल उत्तरी देशों पर निर्भर न रहें।
- यह एक दीर्घकालिक और स्थायी वित्तीय मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से पूँजी बाज़ारों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा।
- यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को सुदृढ़ बनाती है, जिसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया और कोलंबिया जैसी देश अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- यह जलवायु वित्त के क्षेत्र में दान-आधारित दृष्टिकोण से निवेश-आधारित जिम्मेदारी की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है।

निष्कर्ष:

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पर्यावरणीय वित्त पोषण में एक साहसिक और अभिनव पहल है, जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण को आर्थिक रूप से लाभदायक और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। हालाँकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह बाज़ार-आधारित तंत्र और पर्यावरणीय न्याय के बीच संतुलन बनाए रख सके, ताकि वन-समृद्ध देश और स्थानीय समुदाय जलवायु कार्रवाई के केंद्र में बने रहें, न कि उसे केवल बाहरी सहयोग पर निर्भर रहना पड़े।

भारत का पहला राष्ट्रीय गिद्ध सर्वेक्षण

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों पर देश का पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण 'पैन इंडिया असेसमेंट ऐंड मॉनिटरिंग ऑफ एंडेंजरड स्पीशीज– वल्चर्स' शीर्षक से जारी किया। यह सर्वेक्षण चार गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों "भारतीय गिद्ध (Gyps indicus), सफेद पृष्ठीय गिद्ध (Gyps bengalensis), पतली चोंच वाला गिद्ध (Gyps tenuirostris) और लाल सिर वाला गिद्ध (Sarcogyps calvus)" पर केंद्रित था।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष:

- देश के 25 राज्यों में दर्ज 425 ऐतिहासिक घोंसला स्थलों में से केवल 120 स्थलों पर ही सक्रिय घोंसले पाए गए, जबकि 93 नए घोंसला स्थल पहचाने गए। इस प्रकार अब कुल सक्रिय घोंसला स्थलों की संख्या 213 हो गई है। इनमें से लगभग आधे स्थल (103) संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं।
- मध्य प्रदेश और राजस्थान में देश के कुल गिद्ध घोंसलों का लगभग 63% हिस्सा पाया गया, जिनमें से 60% से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में स्थित हैं।
- पतला चोंच वाला गिद्ध (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस) ने अपने सभी 47 पुराने घोंसला स्थलों को खो दिया है और अब यह केवल ऊपरी असम तक सीमित रह गया है, जहाँ केवल 20 सक्रिय घोंसले दर्ज किए गए हैं।

अन्य प्रजातियों से संबंधित निष्कर्ष:

- **सफेद पृष्ठीय गिद्ध:** पहले 238 ऐतिहासिक स्थलों की तुलना में

अब केवल 69 स्थलों पर सक्रिय पाया गया।

- **भारतीय गिद्ध:** 110 स्थलों पर पाया गया — इनमें से 86 पुराने स्थल बरकरार हैं और 24 नए स्थल जोड़े गए हैं।
- **लाल सिर वाला गिद्ध:** 5 नए स्थलों पर पाया गया, लेकिन किसी भी पुराने स्थल पर नहीं मिला।

भारत में गिद्धों के लिए प्रमुख खतरे:

- **आवास की हानि:** वनों की कटाई, भूमि क्षरण के कारण गिद्धों के घोंसले बनाने की उपयुक्त जगहें लगातार घट रही हैं।
- **विषैली पशु-औषधियाँ:** डाइक्लोफेनाक जैसी हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध के बावजूद, गिद्धों की संख्या में सुधार बहुत धीमी गति से हो रहा है।
- **आवारा कुत्ते:** ये गिद्धों के लिए भोजन के मुख्य स्रोत तक पहुँच में बाधा डालते हैं और कई बार उनके खाने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।
- **जनसंख्या का विखंडन:** गिद्धों के झुंडों का बिखराव और अलगाव होने से नए क्षेत्रों में उनकी प्राकृतिक पुनर्स्थापना (रीकॉलोनाइजेशन) की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है।

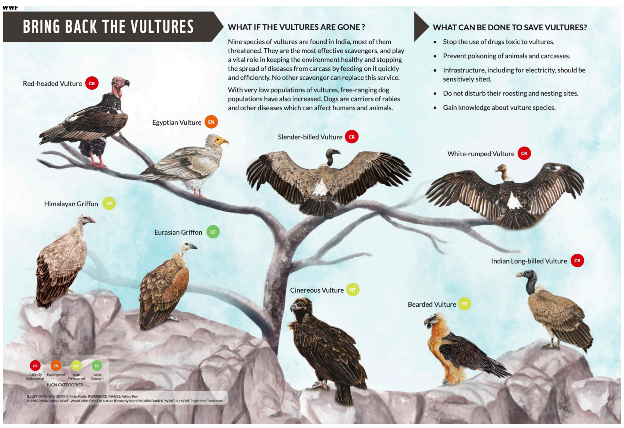

गिद्धों के बारे में जानकारी:

- गिद्ध बड़े आकार के शवभक्षी पक्षी हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इनकी कुल 9 प्रजातियाँ (स्थायी और प्रवासी दोनों) पाई जाती हैं।
- **महत्व:**
  - » गिद्ध मृत पशुओं के शवों का उपभोग करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं।
  - » ये वन्यजीवों और पालतू पशुओं में फैलने वाले रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - » गिद्धों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है।

गिद्ध संरक्षण के लिए सरकारी पहल:

गिद्धों की घटती संख्या को रोकने और उनकी प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय लागू किए हैं:

- **गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (वीसीबीसी):** गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों के प्रजनन और पुनर्वास के उद्देश्य से हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ गिद्धों का प्रजनन कर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाता है।
- **विषैले डाइक्लोफेनाक (NSAIDs) पर प्रतिबंध:** पशु-चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और इसके स्थान पर मेलोक्सिकैम जैसी सुरक्षित दवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन:** राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर गिद्धों के घोंसला स्थलों की सुरक्षा, उनके आवास का पुनर्स्थापन और नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- **शव प्रबंधन कार्यक्रम:** यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गिद्धों को मिलने वाले शव हानिकारक दवाओं से मुक्त हों, ताकि विषाक्तता से उनकी मृत्यु न हो, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी कम किया जा सके।
- **जागरूकता अभियान:** स्थानीय समुदायों को गिद्ध संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उन्हें संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण भारत में गिद्धों की वर्तमान स्थिति पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय आधारभूत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह सर्वे स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि इन पारिस्थितिक रूप से अत्यंत आवश्यक पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना है, तो समेकित और दीर्घकालिक संरक्षण रणनीतियाँ अपनाना अनिवार्य है। घोंसला स्थलों की सुरक्षा, शवों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर नियंत्रण, आवारा कुत्तों की संख्या में कमी तथा निरंतर निगरानी जैसे ठोस उपाय ही गिद्धों की घटती आबादी को रोकने और उनके सुरक्षित पुनर्वास को सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाएँगे।

दिल्ली में GRAP चरण-3 हटाया गया

संदर्भः

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की वायु गुणवत्ता में तीव्र गिरावट वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) "गंभीर" श्रेणी (401–450) में पहुँच गया था और कुछ क्षेत्रों में यह इससे भी अधिक स्तर पर चला गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और उसके आस-पास के ज़िलों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का निर्देश जारी किया था, जिसे हाल ही में 26 नवम्बर को वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के कारण हटा लिया है।

ग्रेप-3 के बारे में:

- ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) एक आपातकालीन कार्ययोजना है, जिसे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए लागू किया जाता है। यह योजना चार चरणों (Stage I से IV) में विभाजित है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के आधार पर तय किए जाते हैं।
- चरण III तब लागू किया जाता है जब AQI का स्तर 401 या उससे अधिक पहुँच जाता है, जो "गंभीर" वायु प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है।
- इस चरण में वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों पर कड़ी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित और कम किया जा सके।

चरण-III के तहत लागू नियम:

- दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल वाहनों और BS-IV डीज़ल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
- इस प्रतिबंध में कारों और दोपहिया वाहनों जैसे हल्के मोटर वाहन (LMV) भी शामिल होते हैं।
- केवल इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीज़ल वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाती है।
- **अन्य प्रतिबंध:**
  - » गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ (Demolition) के सभी कार्य रोक दिए जाते हैं।
  - » सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों के परिवहन पर रोक लगाई जाती है।
  - » केवल राष्ट्रीय महत्व या जनहित वाले प्रोजेक्ट (जैसे अस्पताल, मेट्रो निर्माण आदि) सुरक्षा उपायों के साथ जारी रह सकते हैं।

छूट प्राप्त वाहन:

- शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन।
- आपातकालीन सेवाओं (जैसे एंबुलेंस, फायर ट्रक, पुलिस आदि) के वाहन।
- सरकारी या यूटिलिटी वाहन, जो आवश्यक सेवाओं में लगे हों।
- जरूरी वस्तुओं (जैसे खाद्य पदार्थ, दवाएँ, ईंधन आदि) ले जाने वाले मालवाहक वाहन।

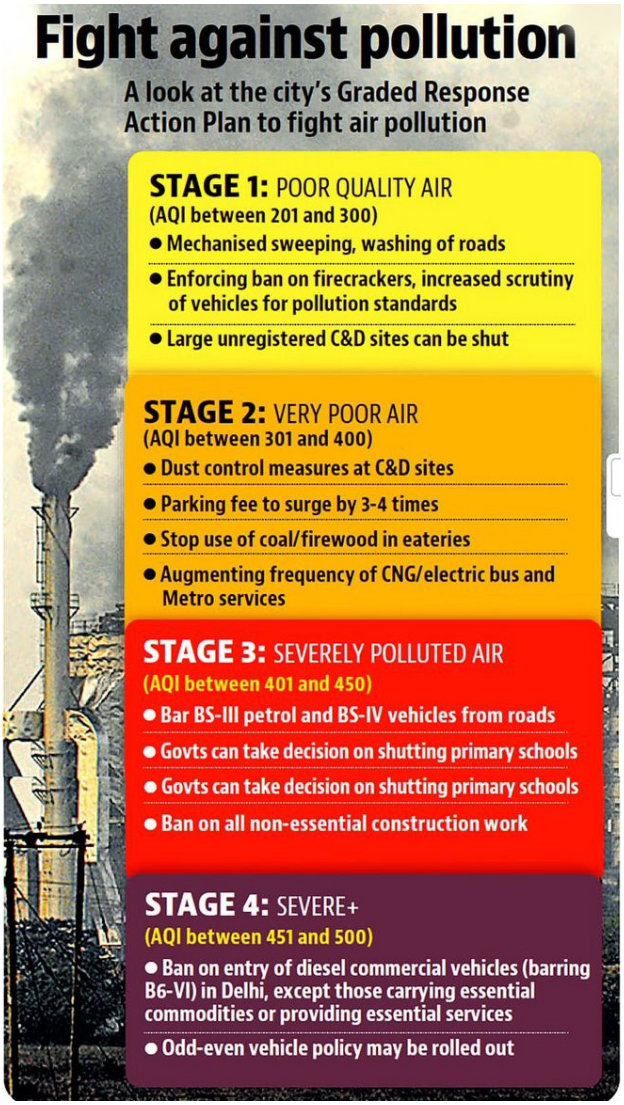

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंड:

- यदि कोई प्रतिबंधित वाहन ग्रेप-3 के दौरान सड़कों पर पाया जाता है, तो उसके वाहन मालिक पर निम्न कार्रवाई की जा सकती है:

- » मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत ₹20,000 या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- » बार-बार उल्लंघन की स्थिति में वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
- » इन नियमों का कड़ाई से पालन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में किया जाएगा।

इन उपायों का महत्व:

- वाहनों से निकलने वाला धुआँ, खासकर पुराने इंजन और डीज़ल कण (Particulate Matter), वायु प्रदूषण का बड़ा कारण हैं। ऐसे में पुराने या ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाने से प्रदूषण का स्तर घटता है।
- इसके साथ ही, धूल, निर्माण/विध्वंस कार्य और गैर-मानक ईंधन से होने वाले प्रदूषण को भी GRAP-3 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है।
- ये प्रतिबंध तीव्र वायु प्रदूषण की स्थितियों से निपटने के लिए अस्थायी और आपातकालीन उपाय हैं; इनका उद्देश्य स्थायी या हमेशा के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है।

जलवायु जोखिम सूचकांक 2026

सन्दर्भ:

हाल ही में जर्मनवॉच द्वारा COP-30, बेलेम (ब्राज़ील) में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 ने भारत सहित पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक गंभीर चेतावनी प्रस्तुत की। 1995 से 2024 तक के तीन दशकों के जलवायु आँकड़ों के व्यापक विश्लेषण पर आधारित इस रिपोर्ट में भारत को विश्व के सर्वाधिक जलवायु-प्रभावित देशों में नौवाँ स्थान दिया गया है, जो देश की जलवायु-सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है।

जलवायु जोखिम सूचकांक के विषय में:

- यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो 2006 से अत्यधिक मौसमीय घटनाओं के मानव और आर्थिक प्रभावों का आकलन करता है।
- यह छह संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है: आर्थिक नुकसान, मृत्यु संख्या और प्रभावित लोगों की संख्या (सकल और सापेक्ष दोनों) एवं इसका डेटा EM-DAT, विश्व बैंक और IMF से लिया जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **सबसे अधिक प्रभावित देश (दीर्घकालिक और 2024):** दीर्घकालिक अवधि (1995–2024) में डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास सबसे अधिक प्रभावित देशों में शीर्ष पर रहे, जबकि वर्ष 2024 में सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ग्रेनेडा और चाड सर्वाधिक प्रभावित देशों के रूप में सामने आए। कम उत्सर्जन करने के बावजूद छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) अत्यधिक जलवायु जोखिमों का सबसे अधिक भार वहन कर रहे हैं।
- **भारत की स्थिति:** दीर्घकालिक CRI (1995–2024) में भारत 9वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2024 में इसकी रैंक 15 रही। अत्यधिक मौसम से प्रभावित जनसंख्या के संदर्भ में भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर दर्ज किया गया, जो देश की उच्च जलवायु-संवेदनशीलता को स्पष्ट करता है।
- **भारत में प्रभाव:** भारत में 430 से अधिक बाढ़, चक्रवात, लू और सूखे जैसी घटनाओं ने 80,000 से अधिक मौतें, 1.3 अरब लोगों पर प्रभाव और 170 अरब डॉलर से अधिक आर्थिक क्षति उत्पन्न की है। लगभग 5.6 अरब डॉलर के वार्षिक नुकसान के साथ "निरंतर जलवायु खतरे" समुदायों को पुनर्स्थापना से पहले ही बार-बार नई आपदाओं के सामने असुरक्षित बना रहे हैं।
- **उल्लेखनीय घटनाएँ:**
  - » 2024 की मानसूनी बाढ़ ने गुजरात, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में 80 लाख लोगों को विस्थापित किया।
  - » दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 48–50°C तक की लू की घटनाएँ।
  - » प्रमुख चक्रवात: अम्फान (2020), फानी (2019), यास (2021)।

अत्यधिक मौसम के पीछे का वैज्ञानिक आधार:

- मानवजनित जलवायु परिवर्तन के कारण 74% अत्यधिक मौसम घटनाएँ अब पहले से अधिक बार और अधिक तीव्र रूप में घटित हो रही हैं। बाढ़ और तूफानों ने 58% आर्थिक नुकसान पहुँचाया, जबकि लू और तूफानों से कुल मृत्यु का दो-तिहाई हिस्सा हुआ।
- बाढ़ अकेले सभी प्रभावित लोगों में से लगभग आधे को प्रभावित करती है। ऐसी आपदाएँ भारत में गरीबी, आजीविका संकट और विस्थापन को और बढ़ा रही हैं।

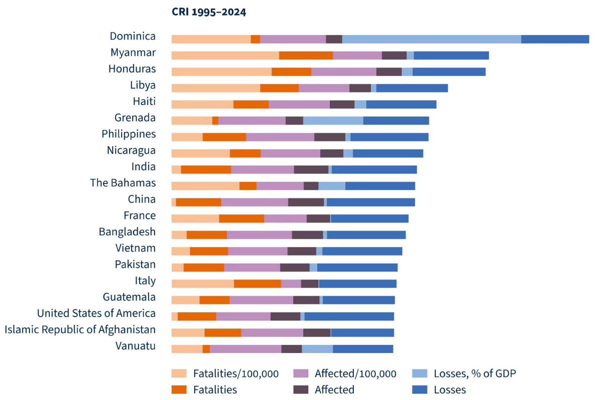

अनुकूलन और न्यूनीकरण की चुनौतियाँ:

- 62 देशों ने राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ (NAPs) तो बना ली हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन बहुत कमजोर है। विकासशील देशों को 2030 तक जलवायु अनुकूलन के लिए हर वर्ष 130–415 अरब डॉलर की आवश्यकता है, जबकि 2024 में अनुकूलन कोष को केवल 130 मिलियन डॉलर ही मिले, जो आवश्यकता से कम है।
- इसी कारण पुनर्वास और राहत पर होने वाला भारी खर्च देशों के बजट पर दबाव डालता है और दीर्घकालीन जलवायु योजना प्रभावित हो जाती है।

हानि और क्षति:

- 4.5 ट्रिलियन डॉलर की व्यापक क्षति यह स्पष्ट करती है कि हानि और क्षति तंत्र को तत्काल और प्रभावी रूप से लागू करना अनिवार्य हो गया है।
- अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2050 तक प्रतिवर्ष 1,132–1,741 अरब डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे जलवायु-प्रभावित देशों को पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए भारी वित्तीय सहायता चाहिए होगी।
- इसी संदर्भ में COP30 में हानि और क्षति प्रतिक्रिया कोष (FRLD) की स्थापना की गई, किन्तु इसमें मात्र 250 मिलियन डॉलर ही उपलब्ध हैं। विकसित देशों द्वारा 788 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के बावजूद 400 मिलियन डॉलर से कम राशि का ही वास्तविक हस्तांतरण होना इस बात को रेखांकित करता है कि वैश्विक जलवायु वित्त में गंभीर अंतराल बना हुआ है।

नीतिगत अपेक्षाएँ:

- **न्यूनीकरण:** वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C के नीचे रखने हेतु उत्सर्जन में कमी।
- **अनुकूलन वित्त:** हानि और क्षति को शामिल करते हुए 300 अरब डॉलर के NCQG का पुनर्गठन।
- **NAP कार्यान्वयन:** उच्च जोखिम वाले देशों में अनुकूलन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर ध्यान।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** नीतियों और मिश्रित वित्त के माध्यम से प्रतिवर्ष 50 अरब डॉलर जुटाना।

निष्कर्ष:

CRI 2026 स्पष्ट करता है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए अब छोटे या धीरे-धीरे किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। भारत को तुरंत कदम उठाते हुए जलवायु वित्त बढ़ाना, अनुकूलन उपाय प्रभावी रूप से लागू करना और वैश्विक स्तर पर जलवायु न्याय को मजबूती से आगे बढ़ाना आवश्यक है, ताकि बढ़ते जोखिमों से लोगों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा हो सके।

समुद्री गायें (डुगोंग) के विलुप्त होने का खतरा

संदर्भ:

हाल ही में आईयूसीएन द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट (आईयूसीएन कंज़र्वेशन कांग्रेस में) ने चेतावनी दी है कि वर्तमान समय में भारत में डुगोंग (Dugong) की दीर्घकालिक अस्तित्व संभावना "विशेषकर कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी–पाल्क खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में" "बहुत अनिश्चित" हो गई है।

डुगोंग के बारे में:

- डुगोंग, बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनधारी (Marine Mammals) हैं, जिन्हें आमतौर पर "सी काउ" यानी समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। ये तटीय क्षेत्रों के उथले पानी में रहते हैं और मुख्य रूप से समुद्री घास खाते हैं। डुगोंग दिखने में मैनेटी से मिलते-जुलते हैं, लेकिन मैनेटी के विपरीत ये पूरी तरह समुद्री प्राणी होते हैं और इनकी पूँछ डॉल्फ़िन जैसी होती है।
- यह आईयूसीएन रेड लिस्ट में 'कमज़ोर' (Vulnerable) श्रेणी में शामिल हैं और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत पूर्ण रूप से संरक्षित प्रजाति हैं।

भारत में डुगोंग संकट में क्यों हैं?

खतरा	कारण / विवरण	डुगोंग पर प्रभाव

समुद्री घास के आवास का नुकसान	ड्रेजिंग, तटीय निर्माण, बंदरगाहों का विस्तार, एक्वाकल्चर गतिविधियाँ, प्रदूषण और तलछट जमाव	इनके मुख्य भोजन (समुद्री घास) का निरंतर नष्ट होना इनके जीवन को प्रभावित कर रहा है।
मछली पकड़ना	गिलनेट में उलझना; डुगोंग का अधिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों से लगातार संपर्क	मृत्यु का मुख्य हॉटस्पॉट: तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार, कच्छ की खाड़ी
प्रदूषण और जहरीली धातुएँ	औद्योगिक रसायनों का कचरा, कृषि अपवाह, बिना शोधित सीवेज, समुद्री कचरा- आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड जैसी धातुएँ	ये विषैले तत्व समुद्री घास में जमा होते हैं, डुगोंग के लीवर, किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान
धीमी प्रजनन दर	मादा कई वर्षों में एक बार शावक को जन्म देती है; गर्भधारण अवधि लंबी; बच्चों की मृत्यु दर अधिक	थोड़ी भी अतिरिक्त मृत्यु से आबादी तेजी से गिर सकती है, जिससे दीर्घकालिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है
जलवायु परिवर्तन	समुद्र का तापमान बढ़ना, समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्री घास का सफेद पड़ना (Bleaching), चक्रवात और तूफानों में बढ़ोतरी	आवास की गुणवत्ता और खाद्य उपलब्धता पर गंभीर असर; अन्य खतरों को और अधिक बढ़ावा

पारिस्थितिक महत्व:

डुगोंग को इकोसिस्टम इंजीनियर माना जाता है। उनके चरने (ग्रेसिंग) से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं:

- **समुद्री घास के मैदानों का संरक्षण और रखरखाव**
  - » ग्रेसिंग से समुद्री घास की नई वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
  - » अत्यधिक बढ़ी हुई और सड़ने वाली घास को नियंत्रित करता है।
  - » समुद्री घास की कार्बन अवशोषण क्षमता बढ़ती है, यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **समुद्री खाद्य शृंखलाओं को समर्थन:** डुगोंग समुद्री तल की मिट्टी (sediment) को हिलाते हैं और पोषक तत्व (nutrients) छोड़ते हैं, जिससे निम्न जीवों की आबादी को पोषण मिलता है:
  - » वाणिज्यिक मछलियाँ
  - » शंख-घोंघे और कस्तूरा (shellfish)
  - » समुद्री खीरे (sea cucumbers)
  - » अन्य अकशेरुकी जीव
- **आर्थिक महत्व:** अध्ययनों से पता चलता है कि डुगोंग द्वारा सुरक्षित किए गए समुद्री घास वाले पारिस्थितिक तंत्र हर वर्ष लगभग ₹2 करोड़ की अतिरिक्त मछली उत्पादन में योगदान करते है।

सरकार द्वारा संरक्षण उपाय:

वर्ष / पहल	विवरण	उद्देश्य
2010: डुगोंग टास्क फोर्स	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा गठित विशेष समूह	संरक्षण रणनीतियों, नीतियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना
नेशनल डुगोंग रिकवरी प्रोग्राम	तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान–निकोबार प्रशासन के साथ संयुक्त पहल	डुगोंग के आवास संरक्षण, वैज्ञानिक शोध, स्थानीय समुदायों में जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना
2022: डुगोंग संरक्षण रिज़र्व (पाल्क खाड़ी, तमिलनाडु)	क्षेत्रफल: 448 वर्ग किमी; समुद्री घास के मैदानों और संबंधित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा	डुगोंग को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना; भारत का पहला समर्पित डुगोंग संरक्षण रिज़र्व

कानूनी सुरक्षा	डुगोंग वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल; शिकार और व्यापार पर कठोर दंड; संरक्षित क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध	अवैध शिकार की रोकथाम, बायकैच कम करना और डुगोंग जनसंख्या को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करना

निष्कर्ष:

डुगोंग भारत की समुद्री विरासत और तटीय पारिस्थितिकी का अहम जीव हैं, जिसकी जगह कोई अन्य प्रजाति नहीं ले सकती। उनका अस्तित्व पूरी तरह समुद्री घास (सीग्रास) इकोसिस्टम की सेहत पर निर्भर है, जो दुनिया के सबसे प्रभावी प्राकृतिक कार्बन सिंक में से एक माना जाता है। मानव गतिविधियों, प्रदूषण और आवास के निरंतर बिगड़ने से बढ़ते खतरों को देखते हुए, इनके संरक्षण के लिए तत्काल, समन्वित और व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। डुगोंग का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाने का विषय नहीं है, यह तटीय समुदायों की आजीविका, समुद्री जैव-विविधता और भारत की जलवायु सहनशीलता (climate resilience) की मजबूती से सीधा जुड़ा हुआ है।

2035 के लिए संशोधित NDC

संदर्भ:

ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि भारत दिसंबर 2025 तक 2031–2035 की अवधि के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC 3.0) प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) क्या होते हैं?

- नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs) पेरिस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें यह बताया जाता है कि कोई देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगा:
  - » न्यूनीकरण (Mitigation) अर्थात ग्रीनहाउस गैसों को कम करना
  - » अनुकूलन (Adaptation) अर्थात जलवायु प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाना
- पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, देश हर पाँच साल में अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDCs) को UNFCCC सचिवालय में जमा करते हैं।
- ये सबमिशन राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं को ट्रैक करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हैं, जो ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने और जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने के लक्ष्यों को दर्शाते हैं।

2035 के लिए एनडीसी को संशोधित करने के कारण:

- **2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य के साथ समन्वय:**
  - » भारत ने 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एनडीसी 3.0 (2031–2035) इस दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चरण होगा।
- **जलवायु महत्वाकांक्षा में वृद्धि:** नए एनडीसी में उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को और बढ़ाया जाना।
  - » नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के तेजी से विस्तार और ऊर्जा संक्रमण पर जोर दिया जाना।
  - » ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहना।

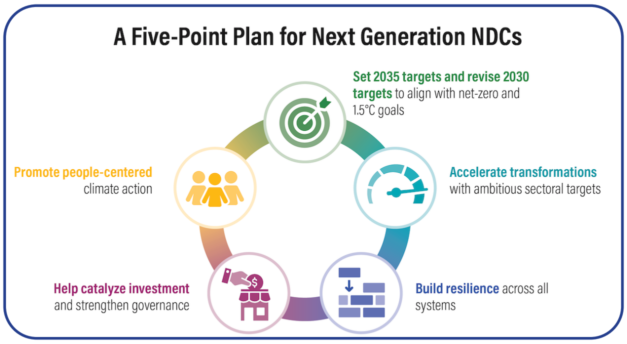

- **अनुकूलन को प्राथमिकता देना:**
  - » COP30 में अनुकूलन वित्त (Adaptation Finance) को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके अनुरूप भारत अपनी अनुकूलन रणनीतियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - » तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि भारत की अनुकूलन प्राथमिकताओं के मुख्य क्षेत्र बने हुए हैं।
  - » NDC 3.0 में अनुकूलन प्रगति को मापने के लिए सरल, स्पष्ट और तर्कसंगत सूचकांक शामिल किए जाते हैं, ताकि अनुकूलन प्रयासों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा

सके।

- **वित्त और निवेश जुटाना:**
  - » संशोधित NDC का उद्देश्य निवेश जोखिमों को कम करना है, ताकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से जलवायु निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।
  - » भारत ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), अनुकूलन फंड और विभिन्न द्विपक्षीय जलवायु वित्त तंत्रों के साथ सहयोग को निरंतर मजबूत करता है, जिससे जलवायु परियोजनाओं के लिए स्थिर और दीर्घकालिक वित्तीय संसाधन सुनिश्चित हो सकें।

भारत के मूल (2015) और अद्यतन (2022) NDC की तुलना:

विशेषता	मूल NDC (2015)	अद्यतन NDC (2022)
उत्सर्जन तीव्रता	2005 के स्तर से 2030 तक 33–35% की कमी का लक्ष्य	2005 के स्तर से 2030 तक 45% की कमी का लक्ष्य
गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन	2030 तक कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता का न्यूनतम 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना	2030 तक कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने पर ज़ोर
कार्बन सिंक	वनों के बढ़े हुए क्षेत्र के माध्यम से 2030 तक 2.5–3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना	लक्ष्य अपरिवर्तित (मूल लक्ष्य यथावत)
मुख्य पहल	—	पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने हेतु LiFE (Lifestyle for Environment) अभियान की शुरुआत
दीर्घकालिक लक्ष्य	—	2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता (COP26 में घोषित)

सारंडा वन को वाइल्डलाइफ अभयारण्य घोषित करने का निर्देश

सन्दर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन के 126 कम्पार्टमेंट्स को तीन महीने के भीतर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है ।

सारंडा वन के विषय में:

- सारंडा वन भारत के सबसे घने साल वनों में से एक है, जो सिंहभूम–कोल्हान क्षेत्र में विस्तृत है और पारिस्थितिक रूप से अत्यंत समृद्ध माना जाता है।
- यहाँ एशियाई हाथी, तेंदुए, सांभर, भौंकने वाला हिरन, अनेक दुर्लभ सरीसृप व पक्षी पाए जाते हैं, साथ ही कई बारहमासी नदियाँ और जल–स्रोत भी हैं। यह क्षेत्र हो, मुंडा और उराँव जैसी जनजातियों का घर भी है, जिनकी आजीविका, परंपराएँ और संस्कृति इस जंगल से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश:

- **अभयारण्य की अधिसूचना:** झारखंड को 1968 की बिहार सरकार की अधिसूचना में बताए गए 126 कम्पार्टमेंट्स को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना होगा।
- **छह कम्पार्टमेंट्स को बाहर रखने की अनुमति:** KP-2, KP-10, KP-11, KP-12, KP-13 और KP-14 को बाहर रखा जा सकता है क्योंकि ये खनन प्रबंधन योजना के तहत आते हैं।
- **खनन पर प्रतिबंध:** अभयारण्य की सीमा से 1 किमी के दायरे में किसी भी तरह का खनन नहीं किया जा सकेगा।
- **जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा:** कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत मिलने वाले अधिकार अभयारण्य बनने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।
- **जन-जागरूकता का निर्देश:** राज्य सरकार को यह व्यापक रूप से बताना होगा कि अभयारण्य घोषित होने से लोगों के घर, स्कूल, सड़कें या सामुदायिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

कानूनी पहलू:

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972**
  - » धारा 26A: राज्य सरकारें वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती हैं।

- » धारा 24(2)(c): वनवासियों के अधिकार दर्ज और सुरक्षित रखने का प्रावधान।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006**
  - » समुदाय और व्यक्ति के वन अधिकारों को मान्यता देता है।
  - » कोर्ट ने कहा कि FRA अधिकार अभयारण्य के अंदर भी बने रहेंगे।
- **संविधान के प्रावधान**
  - » **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना राज्य का कर्तव्य।
  - » **अनुच्छेद 51A(g):** नागरिकों का दायित्व—वनों और वन्यजीवों की रक्षा।

महत्त्व और प्रभाव:

- **पर्यावरण संरक्षण:** अभयारण्य का दर्जा मिलने से साल वनों, वन्यजीव गलियारों और पूरे पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी।
- **खनन पर नियंत्रण:** सारंडा में वर्षों से चल रहे लौह अयस्क खनन पर प्रभावी नियंत्रण होगा। अभयारण्य सीमा से 1 किमी तक खनन पर रोक पर्यावरणीय नुकसान को काफी हद तक कम करेगी।
- **अधिकार-आधारित संरक्षण:** यह फैसला स्पष्ट करता है कि जंगल संरक्षण और जनजातीय समुदायों के अधिकार दोनों को संतुलित तरीके से साथ-साथ सुरक्षित रखा जा सकता है।

1968 की अधिसूचना:

- 1968 में तत्कालीन बिहार सरकार ने 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सारंडा गेम सैंक्चुअरी के रूप में अधिसूचित किया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने इसी पुरानी अधिसूचना को आधार मानते हुए क्षेत्र की संरक्षित स्थिति को पुनः स्थापित करने और इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष:

सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भारत के पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के महत्वपूर्ण साल वनों को बचाने में मदद करेगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि जनजातीय समुदायों के FRA अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहें।

वैश्विक मीथेन उत्सर्जन पर यूएनईपी रिपोर्ट

सन्दर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन (CCAC) ने COP30 में आयोजित ग्लोबल मीथेन प्लेज (GMP) की मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि 2021 में GMP की शुरुआत के बाद कुछ उल्लेखनीय प्रगति होने के बावजूद, विश्व अब भी 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी लाने के लक्ष्य को हासिल करने से काफी दूर है।

मीथेन क्यों महत्वपूर्ण है?

- मीथेन अकेले ही वर्तमान वैश्विक तापमान वृद्धि का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
- यह एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जिसकी 20 वर्षों में CO_2 की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक तापीय क्षमता होती है।
- इसी कारण, मीथेन उत्सर्जन में त्वरित कमी निकट भविष्य में तापमान वृद्धि को धीमा करने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक मानी जाती है।

ग्लोबल मीथेन प्लेज (GMP) के विषय में:

- ग्लोबल मीथेन प्लेज एक वैश्विक प्रतिबद्धता है जिसमें 159 देश शामिल हैं।
- 2020 के स्तर से 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती का लक्ष्य है।
- इसे COP26 (2021) में यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था।
- इसका फोकस मुख्यतः उच्च-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों पर है:
  - » फॉसिल ईंधन
  - » कृषि
  - » कचरा प्रबंधन (वेस्ट सेक्टर)

COP30 में मंत्रीस्तरीय प्रतिक्रिया:

बैठक के दौरान देशों ने यह सुनिश्चित करने पर सहमति जताई:

- मीथेन उत्सर्जन से जुड़े आंकड़ों की निगरानी, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता को और मजबूत करना।
- उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में मीथेन कम करने वाली तकनीकों और समाधानों का तेज़ी से विस्तार करना।
- विकासशील देशों को मीथेन कटौती के लिए अधिक वित्तीय और

तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

- मीथेन उत्सर्जन में कमी को देशों की राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों (NDCs) में व्यवस्थित रूप से शामिल करना।

कार्यावन्यन में चुनौतियाँ:

- मीथेन उत्सर्जन से जुड़े आंकड़ों की निगरानी, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता को और मजबूत करना।
- उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में मीथेन कम करने वाली तकनीकों और समाधानों का तेज़ी से विस्तार करना।
- विकासशील देशों को मीथेन कटौती के लिए अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- मीथेन उत्सर्जन में कमी को देशों की राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों (NDCs) में व्यवस्थित रूप से शामिल करना।

मीथेन कटौती के अनुमानित लाभ:

- प्रभावी मीथेन कटौती से मध्य शताब्दी तक लगभग 0.2°C अतिरिक्त तापमान वृद्धि को रोका जा सकता है।
- 2030 तक हर वर्ष 1,80,000 से अधिक समयपूर्व मौतों को टाला जा सकता है।
- मीथेन कम होने से प्रतिवर्ष करीब 1.9 करोड़ टन कृषि फसलें सुरक्षित रह सकती हैं।
- वैश्विक स्तर पर 330 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- भारत, GMP का हस्ताक्षरकर्ता न होते हुए भी, दुनिया के प्रमुख मीथेन उत्सर्जकों में से एक है—मुख्यतः:
  - » पशुपालन व धान की खेती
  - » ठोस कचरा और अपशिष्ट जल
- रिपोर्ट भारत के लिए निम्न क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता रेखांकित करती है:
  - » कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण।
  - » वेस्ट-टू-एनर्जी, बायोगैस और बायो-CNG कार्यक्रमों का विस्तार।
  - » मीथेन मापन और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना।
  - » अंतरराष्ट्रीय वित्त और तकनीक का उपयोग कर मीथेन कटौती को बढ़ावा देना।

मीथेन में कटौती से भारत को लाभ:

- यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि एवं पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था में, आजीविका के अवसरों में सुधार की संभावनाएँ बढ़ेंगी।
- साथ ही, मीथेन कटौती से सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जलवायु स्थिरता, दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

निष्कर्ष:

COP30 की अपील यह स्पष्ट करती है कि मीथेन में त्वरित कटौती निकट भविष्य में वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। UNEP-CCAC की नई रिपोर्ट उपलब्ध प्रगति को स्वीकार करती है, पर साथ ही चेतावनी देती है कि दुनिया अभी भी ग्लोबल मीथेन प्लेज के लक्ष्य से काफी दूर है। उपलब्ध प्रौद्योगिकियाँ और बढ़ती वैश्विक प्रतिबद्धता को देखते हुए, आने वाले वर्ष मीथेन कटौती के लिए अत्यंत निर्णायक होंगे।

आंध्र प्रदेश में नयी गेक्को प्रजाति की खोज

सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India – ZSI) के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश में गेको (छिपकली) की एक नई पतली प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के शेषाचलम बायोस्फीयर रिज़र्व में स्थित तिरुमला पहाड़ी श्रृंखला में पाई गई। यह हेमिफ़िलोडैक्टिलस वंश की सदस्य है।

नई गेको प्रजाति के विषय में:

- नई प्रजाति का नाम हेमिफ़िलोडैक्टिलस वेंकटाद्रि रखा गया है। यह नाम तिरुमला स्थित पवित्र वैंकटाद्रि पहाड़ियों से लिया गया है जो 'वेकटा' और 'अद्रि' (अर्थ: पर्वत) दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है।
- यह प्रजाति क्षेत्र में पाई जाने वाली दूसरी हेमिफ़िलोडैक्टिलस प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक वर्णन हर्पेटोज़ोआ नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ। यह आनुवांशिक रूप से क्षेत्र के अन्य गेको से अलग और विशिष्ट है।
- **मुख्य विशेषताएँ :**
  - » शरीर की बाहरी बनावट में कई खास विशेषताएँ जैसे ठुड्डी के स्केल्स की संख्या, प्री-क्लोएकल पोर और फीमोरल पोर की संख्या। इनका वयस्क शरीर आकार छोटा होता है।
  - » आनुवांशिक विश्लेषण में स्पष्ट अंतर देखा गया, जिससे यह

सिद्ध हुआ कि यह एक बिल्कुल अलग प्रजाति है।

शेषाचलम बायोस्फीयर रिज़र्व के विषय में:

- यह रिज़र्व दक्षिण आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है।
- इसे वर्ष 2010 में बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया था। यह तिरुपति के पास स्थित है।
- यहाँ जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है, विशेषकर लाल चंदन के विशाल जंगलों के कारण।
- यह आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व है।

वनस्पति:

» यह एक दुर्लभ तथा स्थानिक (endemic) वृक्ष प्रजाति है, जो मुख्य रूप से शेषाचलम क्षेत्र में पाई जाती है। शेषाचलम में इसके घने और विस्तृत वन मौजूद हैं। इसकी गहरी लाल लकड़ी अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है और मूर्तिकला, हस्तशिल्प तथा पारंपरिक चिकित्सा में इसका व्यापक उपयोग होता है।

जीव-जंतु:

» **गोल्डन गेको (Calodactylodes):** यह दुर्लभ और पूर्वी घाट की विशिष्ट प्रजाति है। यह पेड़ों और खड़ी चट्टानों पर पाई जाने वाली वृक्षवासी (arboreal) छिपकली है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के विषय में:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारत का प्रमुख संस्थान है।
- **मुख्यालय:** कोलकाता (1916 में स्थापित)
- 16 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से देश के जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण, पहचान, वर्गीकरण और संरक्षण से संबंधित शोध करता है।
- **इसके कार्य:**
  - » विलुप्तप्राय प्रजातियों का सर्वेक्षण
  - » रेड डेटा बुक तैयार करना
  - » वन्यजीव फॉरेंसिक में सहयोग
  - » प्रशिक्षण कार्यक्रम

निष्कर्ष:

हेमिफ़िलोडैक्टिलस वेंकटाद्रि की खोज भारत की सरीसृप विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह खोज पूर्वी घाट जैसे उपेक्षित लेकिन जैव-विविधता से भरपूर क्षेत्र में वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आणवांशिक अनुसंधान और संरक्षण योजनाओं की तत्परता को रेखांकित करती है।

हैली गुब्बी ज्वालामुखी 2025 विस्फोट

सन्दर्भ:

23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार क्षेत्र स्थित हेयली-गुब्बी ज्वालामुखी में इतिहास में पहली बार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से उत्पन्न राख की ऊंचाई लगभग 14 किमी तक वायुमंडल में पहुँची तथा यह राख लाल सागर को पार करते हुए यमन, ओमान, पाकिस्तान और उत्तर भारत तक फैल गई, जिससे व्यापक वायुमंडलीय प्रभाव देखने को मिला।

हेयली-गुब्बी ज्वालामुखी के विषय में:

- हेयली-गुब्बी इथियोपिया के उत्तर-पूर्व में स्थित अफार क्षेत्र का एक शील्ड ज्वालामुखी है।
- यह एर्टा एले पर्वतमाला (Erta Ale Range) का हिस्सा है और इस श्रृंखला का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है।
- यह क्षेत्र एक सक्रिय रिफ्ट ज़ोन में स्थित है विशेष रूप से अफार रिफ्ट, जो बड़े पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा है।
- अफार रिफ्ट एक त्रि-संधि क्षेत्र (triple junction) है, जहाँ नूबियन, सोमाली और अरबियन प्लेटें एक-दूसरे से दूर हो रही हैं। इससे यह क्षेत्र अत्यधिक भूगर्भीय रूप से अस्थिर और ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय है।

ज्वालामुखी क्या होता है?

- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक ऐसा छिद्र या दरार होता है जिससे पिघला हुआ पत्थर, गैसें और राख बाहर निकलती हैं।सतह के नीचे इसे मैग्मा,सतह पर पहुँचने पर लावा कहा जाता है।

ज्वालामुखी कैसे बनते हैं?

- **टेक्टोनिक प्लेट सीमाएँ**
  - » **अपसरण सीमा:** प्लेटें अलग होती हैं और मैग्मा ऊपर आकर

जगह भरता है। उदाहरण: मिड-अटलांटिक रिज

- » **अभिसरण सीमा (Convergent boundaries):** एक प्लेट दूसरी के नीचे धँसती है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। उदाहरण: पैसिफिक रिंग ऑफ फायर

- **हॉटस्पॉट (Hotspots):**
  - » मैग्मा मेंटल की गहराई से ऊपर उठता है और प्लेट सीमा से स्वतंत्र रूप से ज्वालामुखी बनाता है। उदाहरण: हवाई द्वीप समूह

संरचना के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार:

- **शील्ड ज्वालामुखी:** चौड़े, ढलान वाले; पतले, तरल लावा से बनते हैं। उदाहरण: मौना लोआ (हवाई)
- **संयुक्त या स्तरीय ज्वालामुखी:** खड़े, शंक्वाकार; लावा प्रवाह और विस्फोट दोनों से बनते हैं। उदाहरण: माउंट फूजी, वेसुवियस
- **सिंडर कोन:** छोटे, खड़े ढलान वाले; राख, पत्थरों और सिंडर से निर्मित। उदाहरण: पैरिकुटिन (मेक्सिको)
- **लावा डोम:** चिपचिपे लावा से बना गुंबदाकार ढांचा। उदाहरण: माउंट सेंट हेलेन्स का लावा डोम

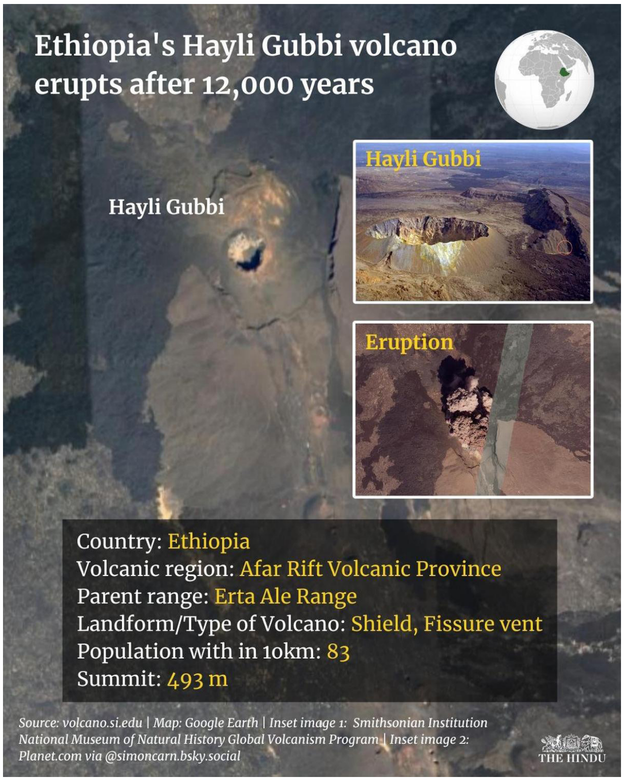

ज्वालामुखीय पदार्थ:

- **लावा:** सतह पर बहता पिघला हुआ पत्थर।
- **पायरोक्लास्टिक पदार्थ:** राख, सिंडर, ज्वालामुखीय बम।
- **गैसें:** कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड।

ज्वालामुखीय भू-आकृतियाँ:

- **कैल्डेरा:** बड़े गड्ढे, बड़े विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के धँसने से बनते हैं।
- **क्रेटर:** ज्वालामुखी के शीर्ष पर कटोरे जैसी संरचना।
- **लावा पठार:** बार-बार के लावा प्रवाह से बड़े क्षेत्र में बने व्यापक पठार।
- **ज्वालामुखीय द्वीप:** पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से बने द्वीप।
  - » उदाहरण: आइसलैंड, एजोरेस

ज्वालामुखियों के लाभकारी प्रभाव:

- **उपजाऊ मिट्टी:** राख मिट्टी को पोषक तत्व देती है।
- **खनिज संसाधन:** प्यूमिस, बेसाल्ट, सोना आदि के भंडार।
- **भू-ऊर्जा (Geothermal Energy):** गर्म पानी और भाप से विद्युत् उत्पादन।
  - » उदाहरण: आइसलैंड
- **पर्यटन:** ज्वालामुखी पर्यटन बढ़ाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है।

भारत में ज्वालामुखी:

- **बैरेन आइलैंड (अंडमान-निकोबार):** भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी।
- **नारकोंडम (अंडमान-निकोबार):** सुप्त (Dormant) ज्वालामुखी।
- **डेक्कन पठार:** प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधि के अवशेष; बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में बढ़ता फंगस रोग बोझः सुदृढ़ निगरानी और समर्पित अनुसंधान की अनिवार्यता

सन्दर्भः

भारत धीरे-धीरे मौन रूप से एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहाँ फंगस संक्रमण, जिन्हें पहले दुर्लभ, निश्चित समय या विशेष भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित माना जाता था, अब व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बनता जा रहा हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन, जनसंख्या में कमजोर होती प्रतिरक्षा, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग और अपर्याप्त निदान सुविधाओं के संयोजन ने फंगस रोगों में वृद्धि की है। इसी समय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) में हो रहे संगठनात्मक परिवर्तन जिसमें विशेषीकृत माइकोलॉजी प्रयोगशालाओं को व्यापक संक्रामक रोग नेटवर्क में एकीकृत किया जा रहा है, ने इस महत्वपूर्ण समय पर फंगस अनुसंधान पर केंद्रित ध्यान कम होने की आशंका को जन्म दिया है।

ICMR की प्रयोगशाला एकीकरण प्रक्रियाः

- ICMR ने अपनी विशेषीकृत फंगस प्रयोगशालाओं को व्यापक संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला (IDRL) नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत करना प्रारंभ किया है। यद्यपि परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि फंगस अनुसंधान उसकी प्राथमिकता बना हुआ है और इन प्रयोगशालाओं को उन्नत भी किया गया है, फिर भी शोधकर्ताओं को चिंता है कि फोकस का कम होना और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा प्रगति को बाधित कर सकती है।
- लगभग पाँच वर्षों से ICMR का माइकोलॉजी नेटवर्क (MycoNet)—जिसमें आठ एडवांस्ड माइकोलॉजी डायग्नॉस्टिक एंड रिसर्च सेंटर्स (AMDRCs) शामिल हैं, महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। इन केंद्रों ने:
  - » फंगस संक्रमणों का मानचित्रण किया,
  - » प्रारंभिक राष्ट्रीय-स्तरीय डेटा उत्पन्न किया,
  - » तकनीकी क्षमता विकसित की,
  - » प्रमुख संस्थानों में शीघ्र निदान सुनिश्चित किया।
- कुछ केंद्रों ने भारत में पहली बार प्रतिरोधी या दुर्लभ फंगस प्रजातियों की पहचान की है, जैसे: भारत में पहचाने गए तीन दुर्लभ फंगस संक्रमण, ऐज़ोल-प्रतिरोधी मैडुरेला फाहाली (Madurella fahalii), आर्थ्रिनियम रसिका रविंद्रे (Arthrinium rasika ravindrae) द्वारा उत्पन्न केराटाइटिस और फोंसेकिया न्यूबिका (Fonsecaea nubica) से होने वाला क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस यह दिखाते हैं कि देश में जटिल, कठिन-उपचार योग्य और उभरते फंगस रोग बढ़ रहे हैं। इनमें प्रतिरोधी प्रजातियाँ, दृष्टि-हानि का जोखिम और दीर्घकालिक त्वचा संक्रमण शामिल हैं, जिनका उपचार सीमित दवाओं और उन्नत प्रयोगशाला क्षमताओं पर निर्भर है।
- ये उदाहरण बताते हैं कि भारत को सुदृढ़ निगरानी, विशेषज्ञ माइकोलॉजिस्ट, और आधुनिक निदान सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता है ताकि दुर्लभ व गंभीर फंगस संक्रमणों की समय पर पहचान और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सके।
- शोधकर्ताओं को आशंका है कि विशेषीकृत प्रयोगशालाओं को बड़े नेटवर्क में समाहित करने से समर्पित वित्तीय प्रवाह कम हो सकता है और फोकस व्यापक रोगजनकों की ओर स्थानांतरित हो सकता है।

भारत में फंगस रोगों का बढ़ता बोझः

- अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल, ओपन फोरम इन्फेक्शियस डिजीज में

2022 के एक अध्ययन के अनुसार, 5.7 करोड़ से अधिक भारतीय अर्थात लगभग 4.1% जनसंख्या गंभीर फंगस रोगों से पीड़ित हैं, जिससे भारत विश्व में प्रति व्यक्ति फंगस रोग बोझ का सबसे बड़ा देश बन गया है। अधिक चिंताजनक यह है कि गंभीर फंगस संक्रमणों का वार्षिक अनुमानित बोझ भारत की सबसे व्यापक संक्रामक बीमारी, ट्यूबरक्युलोसिस से 10 गुना अधिक पाया गया।

- यह आँकड़े चेतावनी देते हैं क्योंकि फंगस संक्रमण अक्सर कम आंके जाते हैं, गलत निदान किए जाते हैं या देर से पहचाने जाते हैं। सीमित निगरानी और पैची (patchy) निदान क्षमताओं के कारण वास्तविक बोझ इससे भी अधिक हो सकता है। इस अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं ने कहा है कि लक्ष्य केवल प्रसार का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि बेहतर निदान उपकरण, निगरानी प्रणाली और विशेषज्ञ प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है।

फंगस संक्रमणों के प्रकार:

- **सतही एवं त्वचीय संक्रमण:**
  - दाद, एथलीट फुट और ओनाइकोमाइकोसिस त्वचा, पैरों और नाखूनों को प्रभावित करते हैं।
  - कैंडिडायसिस प्रायः मुंह, त्वचा की सिलवटों और जननांग क्षेत्रों को प्रभावित करता है।
  - ये संक्रमण व्यापक हैं और अक्सर इसलिए उपेक्षित रह जाते हैं क्योंकि ये सामान्य एवं उपचार योग्य माने जाते हैं, यद्यपि बार-बार होने वाले मामले गहरे सार्वजनिक स्वास्थ्य अंतर की ओर संकेत करते हैं।
- **आक्रामक और गहन फंगस संक्रमण:** ये अत्यंत गंभीर होते हैं और शीघ्र निदान के बिना घातक साबित हो सकते हैं:
  - **हिस्टोप्लाज़्मोसिस:** मिट्टी से फैलने वाले हिस्टोप्लाज़्मा (Histoplasma) द्वारा उत्पन्न फेफड़ों का संक्रमण।
  - **एस्परगिलोसिस:** एस्परगिलस जीवाणुओं का श्वसन के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचना जो फेफड़ों के रोगियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है।
  - **कैंडिडीमिया:** रक्त प्रवाह का संक्रमण; ICU रोगियों में सामान्य और जीवन-घातक।
  - **म्यूकोर्माइकोसिस:** तेजी से फैलने वाला संक्रमण; विशेषकर कोविड-19 के बाद विनाशकारी प्रकोपों के लिए जाना जाता है।
- इन आक्रामक संक्रमणों के लिए उच्च तकनीकी विशेषज्ञता और उन्नत प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है जो भारत में असमान रूप से उपलब्ध हैं।

वृद्धि के प्रमुख कारण:

- **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ते तापमान और आर्द्रता, फंगस वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनाते हैं। गर्म वातावरण अधिक प्रतिरोधी फफूंदों के जीवित रहने में सहायता करता है, जो मिट्टी, हवा और भवनों में लंबे समय तक बने रहते हैं।
- **शहरीकरण एवं प्रदूषण:** निर्माण धूल, खराब वेंटिलेशन और वायु प्रदूषण से फंगस घनी आबादी वाले शहरों में आसानी से फैलते हैं।
- **एंटीबायोटिक का दुरुपयोग:** अत्यधिक उपयोग से शरीर की प्राकृतिक जीवाणु प्रणाली कमजोर होती है, जिससे कैंडिडा (Candida) जैसी प्रजातियाँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं।
- **प्रतिरक्षा का क्षरण:** कोविड-19 से उबरने वाले लोग, मधुमेह रोगी, कैंसर रोगी तथा कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग म्यूकोर्माइकोसिस, कैंडिडीमिया और एस्परगिलोसिस जैसे आक्रामक संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

समर्पित फंगस अनुसंधान की आवश्यकता:

- फंगस निदान के लिए विशिष्ट कौशल और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें सामान्य जीवाणु या वायरल परीक्षणों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
- **जटिल निदान:** फंगस निदान भारी रूप से निर्भर करता है:
  - विशिष्ट कल्चर मीडिया,
  - PCR जैसी आणविक तकनीकें,
  - क्रिप्टोकोकल एंटीजन जैसे परीक्षण और
  - दुर्लभ प्रजातियों की पहचान में विशेषज्ञता।
- ओडिशा में माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं की हालिया समीक्षा में चिंताजनक अंतर सामने आए:
  - आधे से भी कम में एंटीफंगल सस्टिबिलिटी परीक्षण उपलब्ध था।
  - 15% से भी कम में क्रिप्टोकोकल एंटीजन परीक्षण किया जाता था जबकि यह WHO द्वारा अनिवार्य माना जाता है। यह अपर्याप्त पहचान लगातार कम निवेश की ओर ले जाती है।
- **बढ़ता एंटीफंगल प्रतिरोध:** कृषि और मानव स्वास्थ्य, दोनों में एंटीफंगल दवाओं के दुरुपयोग ने प्रतिरोध बढ़ा दिया है। एस्परगिलस और कैंडिडा प्रजातियों में ऐज़ोल प्रतिरोध वैश्विक समस्या बनता जा रहा है।

- **प्रशिक्षित माइकोलॉजिस्ट की कमी:** भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकीय माइकोलॉजिस्ट बहुत कम हैं।
- **शीघ्र पहचान का महत्व:** देर से निदान होने पर घातकता दर कई गुना बढ़ जाती है। समर्पित केंद्र समय पर और सटीक निदान सुनिश्चित करते हैं।

मजबूत राष्ट्रीय फंगस निगरानी प्रणाली का निर्माण:

- भारत को ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जो केवल क्लीनिकल रिपोर्टिंग तक सीमित न हो। फंगस रोगजनक पर्यावरण में मनुष्यों को संक्रमित करने से बहुत पहले विकसित होते हैं, इसलिए निगरानी को पारिस्थितिक, पूर्वानुमानित और सतत होना चाहिए।

बहु-स्तरीय निदान मॉडल (प्रस्तावित)

- **जिला अस्पताल**
  - पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH) माइक्रोस्कोपी
  - बुनियादी फंगस कल्चर
  - किफायती त्वरित एंटीजन परीक्षण
- **राज्य-स्तरीय प्रयोगशालाएँ**
  - पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) आधारित फंगस पैनल
  - औषधि प्रतिरोध परीक्षण
- **क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र**
  - जीनोम अनुक्रमण
  - आणविक महामारी विज्ञान
  - AI-सहायता प्राप्त माइक्रोस्कोपी
  - शोध सहयोग

एकीकरण के माध्यम से सुदृढ़ीकरण:

- ICMR का कहना है कि प्रयोगशाला एकीकरण वन हेल्थ (One Health) दृष्टिकोण के तहत वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवियों के लिए एकीकृत निदान क्षमता विकसित करने का हिस्सा है। परिषद के अनुसार:
  - फंगस प्रयोगशालाओं को डाउनग्रेड नहीं किया जा रहा है,
  - उनका दायरा विस्तृत किया गया है और
  - नए IRDLs राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं।
- प्रत्येक IRDL के लिए पाँच वर्षों में ₹10–16 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसमें उपकरण, स्टाफ और उपभोग्य सामग्री शामिल हैं।

भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए:

- प्रयोगशाला अवसंरचना को मजबूत करना
- एंटीफंगल स्टेवार्डशिप कार्यक्रमों का विस्तार
- जन-जागरूकता बढ़ाना
- प्रशिक्षण का विस्तार
- अनुसंधान में निवेश बढ़ाना

निष्कर्ष:

भारत में फंगस रोग अब अदृश्य समस्या नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, एंटीबायोटिक दुरुपयोग और कमजोर प्रतिरक्षा के मेल से यह दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनते जा रहे हैं। यद्यपि ICMR का एकीकृत मॉडल व्यापक निदान क्षमता को मजबूत करने हेतु तैयार किया गया है, देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि समर्पित फंगस अनुसंधान और विशेषज्ञता सुरक्षित और सुदृढ़ वित्तपोषित रहे। समय पर निदान, मजबूत निगरानी, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और सतत निवेश भारत में इस उभरते खतरे को नियंत्रित कर सकेगा।

संक्षिप्त मुद्दे

सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह जीसैट-7आर का प्रक्षेपण

सन्दर्भ:

हाल ही में 2 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एलवीएम3-एम5 रॉकेट के माध्यम से जीसैट-7आर (सीएमएस-03) — भारत का अब तक का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

जीसैट-7आर के बारे में:

- जीसैट-7आर, जिसे सीएमएस-03 के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत सैन्य संचार उपग्रह है।
- यह भारत की जीसैट-7 श्रृंखला का नवीनतम रक्षा संचार उपग्रह है और अब तक का सबसे भारी स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रह है, जिसका वजन लगभग 4,410 किलोग्राम है।
- उपग्रह को भू-समकालिक संक्रमण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit – GTO) में स्थापित किया गया है और यह अपने ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली की मदद से बाद में अपनी अंतिम भूस्थिर कक्षा (Geostationary Orbit) में पहुँचेगा।
- इसमें उन्नत मल्टी-बैंड ट्रांसपोंडर (C, एक्सटेंडेड C, और Ku बैंड) लगे हैं, जो भारतीय महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) में उच्च क्षमता वाली, सुरक्षित संचार सेवाएँ प्रदान करेंगे।
- यह पूर्ववर्ती जीसैट-7 (रुक्मिणी) श्रृंखला पर आधारित है, जो कवरेज को विस्तारित करने और डेटा सुरक्षा में सुधार करने में सहायक है।

पृष्ठभूमि:

- जीसैट-7 श्रृंखला भारत की समर्पित सैन्य संचार प्रणाली की रीढ़ है।
  - » जीसैट-7 (रुक्मिणी), 2013 में प्रक्षेपित, नौसेना के लिए समर्पित था।
  - » जीसैट-7ए, 2018 में प्रक्षेपित, वायुसेना और थलसेना के लिए थी।
  - » जीसैट-7आर, जीसैट-7 का प्रतिस्थापन और उन्नत संस्करण है, जो व्यापक कवरेज, बेहतर बैंडविड्थ और उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।

रणनीतिक महत्त्व:

- **समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता:** जीसैट-7आर नौसेना के नेटवर्क-केंद्रित अभियानों को सशक्त करेगा, जिससे विशाल समुद्री क्षेत्रों में निर्बाध संचार संभव होगा जो समुद्री मार्गों की निगरानी, रसद प्रबंधन और रियल-टाइम मिशन समन्वय के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** 4.4 टन के उपग्रह का पूर्णतः भारतीय तकनीक से प्रक्षेपण इसरो की भारी-भार वहन करने की स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिससे विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भरता घटेगी।
- **रक्षा आधुनिकीकरण:** यह उपग्रह रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा, सुरक्षित एवं एन्क्रिप्टेड संचार सुनिश्चित करेगा, जो जामिंग या अवरोधन से सुरक्षित रहेगा।
- **नागरिक-सैन्य समन्वय:** रक्षा उपयोग के अतिरिक्त, जीसैट-7आर आपदा प्रबंधन, द्वीपों के बीच संचार तथा दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क जैसी नागरिक सेवाओं में भी सहयोग कर सकता है।

निष्कर्ष:

जीसैट-7आर भारत की रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में एक बड़ा कदम है। यह भारतीय नौसेना की संचार एवं संचालन तत्परता को बढ़ाता है, सतत समुद्री निगरानी सुनिश्चित करता है और अंतरिक्ष-आधारित रक्षा अवसंरचना में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ बनाता है।

निपाह एंटीबॉडी विकास के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट

संदर्भ:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने निपाह वायरस के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के विकास और उत्पादन के लिए दवा कंपनियों को साझेदारी हेतु आमंत्रित करते हुए "एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट" (EoI) जारी किया है।

इस पहल का उद्देश्य:

  - » मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAb) उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना।
  - » उत्पादन क्षमता बढ़ाना ताकि प्रकोप (outbreak) के समय पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध हो सके।
  - » आईसीएमआर के अधीन संस्थानों, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के साथ मिलकर तकनीकी सहायता और नियामकीय (regulatory) मार्गदर्शन प्राप्त करना।
- यह पहल भारत के "आत्मनिर्भर स्वास्थ्य समाधान" के लक्ष्य से जुड़ी

है। इससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी और राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

निपाह वायरस के बारे में:

- निपाह वायरस (NiV) एक ज़ूनोटिक (zoonotic) वायरस है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इसका मुख्य प्राकृतिक स्रोत फल खाने वाले चमगादड़ हैं, जो टेरोपस (Pteropus) प्रजाति से संबंधित होते हैं। यह वायरस संक्रमित जानवरों या संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क से भी फैल सकता है।
- निपाह संक्रमण से गंभीर श्वसन रोग, मस्तिष्क की सूजन और बहु-अंग विफलता (multi-organ failure) हो सकती है। इसकी मृत्यु दर 40% से 75% तक बताई गई है, जो इसे अत्यंत घातक बनाती है।
- भारत में विशेष रूप से केरल राज्य में निपाह वायरस के कई बार प्रकोप (outbreak) दर्ज किए गए हैं, जिससे इसके महामारी रूप लेने की आशंका बनी रहती है।
- वर्तमान में निपाह वायरस के लिए कोई स्वीकृत टीका या विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, संक्रमण की शीघ्र पहचान और सहायक उपचार ही बचाव और नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय हैं।

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs) के बारे में:

- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में तैयार किए गए प्रोटीन होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली (Immune System) की तरह काम करते हैं। ये विशेष रूप से वायरस या संक्रमित कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें निष्क्रिय (neutralize) कर देते हैं, जिससे वायरस का फैलाव और रोग की गंभीरता कम हो जाती है।
- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग इबोला और कोविड-19 जैसी बीमारियों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इससे यह साबित होता है कि ये तकनीक नई और उभरती संक्रामक बीमारियों के लिए भी उपयोगी है।
- निपाह वायरस के खिलाफ मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी -m102.4 नामक एक एंटीबॉडी ने पशु परीक्षणों और सीमित मानव उपयोग में अच्छे परिणाम दिखाए हैं।
- अगर भारत इस तरह की एंटीबॉडी खुद विकसित कर लेता है, तो देश बिना विदेशी सहायता के निपाह जैसे प्रकोपों का तेजी से सामना कर सकेगा।

निष्कर्ष:

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के विकास को बढ़ावा देकर भारत "प्रतिक्रिया आधारित" (Reactive) स्वास्थ्य व्यवस्था से "तैयारी आधारित" (Proactive Preparedness) प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। यह रणनीति न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाती है, बल्कि जैव-औषधीय आत्मनिर्भरता और महामारी से निपटने की तैयारी को भी सुदृढ़ करती है। यह पहल भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है।

एमोएबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस: भारत में दुर्लभ 'ब्रेन ईटिंग' अमीबा संकट

संदर्भ:

हाल ही में केरल के मध्य क्षेत्र में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफलाइटिस (PAM) का पहला मामला दर्ज किया गया। यह एक अत्यंत दुर्लभ, लेकिन जानलेवा संक्रमण है, जो एक स्वतंत्र रूप से रहने वाले अमीबा के कारण होता है। वर्ष 2025 में केरल में इस बीमारी के 150 से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर मामले कोझिकोड, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम और कोल्लम ज़िलों से रिपोर्ट किए गए हैं।

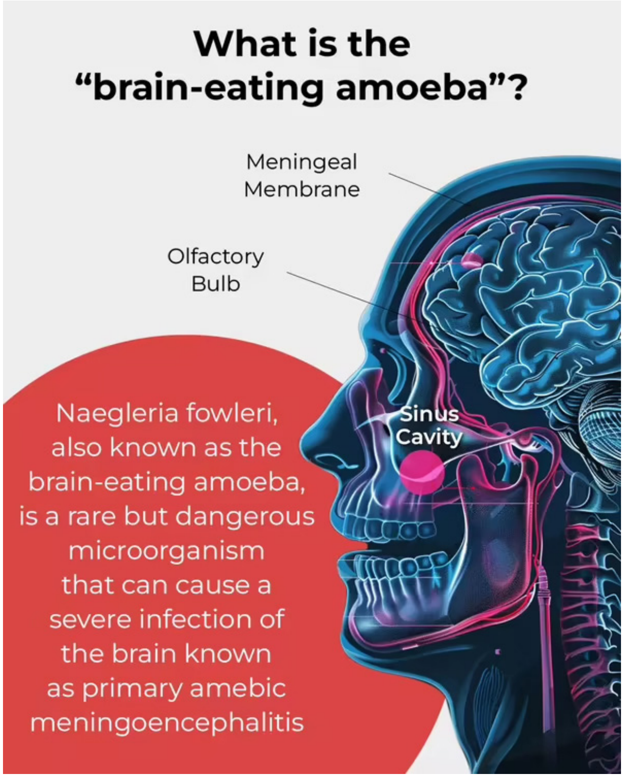

अमीबिक मेनिंगोएंसेफलाइटिस के बारे में:

- अमीबिक मेनिंगोएंसेफलाइटिस (PAM) मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत दुर्लभ संक्रमण है। यह नेगलेरिया फॉउलेरी (Naegleria fowleri) नामक अमीबा के कारण होता है, जिसे सामान्य रूप से "ब्रेन-ईटिंग अमीबा" या "दिमाग खाने वाला अमीबा" कहा जाता है।
- यह अमीबा झीलों, तालाबों, गर्म मीठे पानी के स्रोतों और कम क्लोरीन वाले स्विमिंग पूलों में पाया जाता है।
- संक्रमण तब होता है जब संक्रमित पानी नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और अमीबा घ्राण तंत्रिका (Olfactory Nerve) के रास्ते मस्तिष्क तक पहुँच जाता है।

रोग का फैलाव और संक्रमण:

- यह बीमारी संक्रामक नहीं है, अर्थात यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती।
- संक्रमण के 2 से 7 दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं और अक्सर एक से दो हफ्तों के अंदर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका पता लगाना बहुत कठिन होता है और रोग तेजी से बढ़ता है।

लक्षण:

- शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल मेनिनजाइटिस जैसे होते हैं:
  - » तेज़ सिरदर्द
  - » बुखार और मतली
  - » उल्टी और गर्दन में अकड़न
  - » व्यवहार या मानसिक स्थिति में बदलाव
  - » उन्नत अवस्था में दौरे (seizures) और बेहोशी
- चूंकि इसके लक्षण अन्य मस्तिष्क संक्रमणों जैसे लगते हैं, इसलिए सही पहचान में देरी हो जाती है, जिससे मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।

चिकित्सीय उपचार:

- इस रोग का पूरी तरह प्रभावी कोई इलाज नहीं है। हालांकि, अगर शुरुआती अवस्था में पहचान हो जाए, तो एम्फोटेरिसिन बी (Amphotericin B), मिल्टेफोसिन (Miltefosine), एज़िथ्रोमाइसिन (Azithromycin) और रिफैम्पिसिन (Rifampicin) जैसी दवाओं का प्रयोग सीमित रूप से लाभदायक हो सकता है।

निष्कर्ष:

हाल ही में केरल में सामने आया मामला इस बात का संकेत है कि बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियाँ और जीवनशैली में आए परिवर्तन इस प्रकार के दुर्लभ संक्रमणों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। यद्यपि केरल ने अपनी सक्रिय निगरानी और जांच प्रणाली के माध्यम से मामलों की शीघ्र पहचान में उल्लेखनीय सुधार किया है, फिर भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए जनजागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

एन्सेफैलोमायोकार्डाइटिस वायरस (EMCV)

संदर्भ:

हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में रहने वाले 29 वर्षीय अफ्रीकी हाथी (शंकर) की एन्सेफालोमायोकार्डाइटिस वायरस (ईएमसीवी) से मृत्यु हो गई। यह एक दुर्लभ और कृंतक (Rodent) जनित वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से सूअरों और अन्य स्तनधारियों को प्रभावित करता है।

एन्सेफालोमायोकार्डाइटिस वायरस के बारे में:

- **वर्गीकरण:** जीनस- कार्डियोवायरस (Cardiovirus); परिवार – पिकोर्नाविरिडे (Picornaviridae)
- **प्रकृति:** यह एक गैर-आवरणयुक्त, एकल-रज्जुकीय (single-stranded), धनात्मक-सेंस आरएनए वायरस (positive-sense RNA virus) है, जो सूअर, हाथी, कृंतक (चूहे और गिलहरियाँ), प्राइमेट (बंदर) और कुछ मांसाहारी प्रजातियों सहित कई प्रकार के स्तनधारियों को संक्रमित करता है।
- **प्राकृतिक भंडार:** कृंतक (विशेष रूप से चूहे और गिलहरियाँ) जो अपने मूत्र और मल के माध्यम से वायरस को वातावरण में फैलाते हैं।
- **संक्रमण का तरीका (Transmission):** संक्रमण तब होता है जब जानवर वायरस से दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं।
- **रोग-प्रक्रिया (Pathology):** यह वायरस मस्तिष्क में सूजन (एन्सेफेलाइटिस) और हृदय की मांसपेशियों में सूजन (मायोकार्डाइटिस) उत्पन्न करता है, जिसके कारण अचानक या बहुत कम समय में मृत्यु हो सकती है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह भारत में किसी हाथी में ईएमसीवी संक्रमण का पहला मामला

है, जबकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ चिड़ियाघरों में ऐसे मामले पहले दर्ज किए जा चुके हैं।

- यह घटना यह दर्शाती है कि कैद में रखे गए जंगली जानवर भी कृंतक-जनित (rodent-borne) बीमारियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।
- साथ ही, यह भारतीय चिड़ियाघरों की जैव-सुरक्षा (Biosecurity) व्यवस्थाओं में मौजूद कमजोरियों की ओर भी इशारा करती है, विशेष रूप से कृंतक नियंत्रण और पशु-बाड़ों (Enclosures) के रखरखाव से जुड़े प्रबंधनों में सुधार की आवश्यकता पर।

निष्कर्ष:

- ईएमसीवी के कारण हाथी की मृत्यु भारत के वन्यजीव स्वास्थ्य परिदृश्य में एक दुर्लभ और चिंताजनक घटना है। यह निम्नलिखित कदमों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है:
  - » एकीकृत चिड़ियाघर जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन
  - » कृंतक जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय
  - » नियमित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की स्थापना
  - » उभरते हुए जूनोटिक (जानवरों से इंसानों में फैलने वाले) रोगजनकों पर सहयोगात्मक अनुसंधान का प्रोत्साहन।
- यह मामला वन्यजीव प्रबंधकों और नीति-निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है कि वे बंदी जंगली जानवरों के प्रबंधन में निवारक, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाएँ, जिससे यह भारत की जैव-विविधता संरक्षण और वन हेल्थ ढांचे के प्रति प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हो।

वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

हाल ही में आई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत अभी भी दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला देश है और कुल वैश्विक मामलों का लगभग 25% अकेले भारत में ही पाया जाता है। हालांकि, 2015 से भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की कमी दर्ज की गई है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर 187 मामले हो गई है। यह गिरावट वैश्विक स्तर पर दर्ज 12% की कमी की तुलना में लगभग दोगुनी है।

वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के बारे में:

- यह रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। इसमें वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्षय रोग की प्रवृत्तियों का आकलन किया जाता है, जिसमें टीबी की घटना, मृत्यु दर, रोकथाम, निदान और उपचार की स्थिति जैसे प्रमुख पहलू शामिल होते हैं।

क्षय रोग में वैश्विक रुझान:

- **वैश्विक घटना:**
  - » वर्ष 2023–2024 के बीच टीबी की घटनाओं में 1.7% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर 131 मामले प्रति 1 लाख जनसंख्या पर आ गई है।
  - » यह महामारी से संबंधित व्यवधानों से धीरे-धीरे सामान्य स्थिति का संकेत देता है।
- **क्षेत्रीय पैटर्न:**
  - » अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर और यूरोप में टीबी मामलों में गिरावट जारी है।
  - » अमेरिका महाद्वीप में लगातार चौथे वर्ष वृद्धि दर्ज हुई, जिसका मुख्य कारण मामलों की कम पहचान और स्वास्थ्य प्रणाली में व्यवधान है।
- **भौगोलिक बोझ:**
  - » दक्षिण-पूर्व एशिया: 34%
  - » पश्चिमी प्रशांत: 27%
  - » अफ्रीका: वैश्विक टीबी मामलों का 25%
- **उच्च बोझ वाले देश (वैश्विक मामलों का 67%):**
  - » भारत – 25%
  - » इंडोनेशिया – 10%
  - » फिलीपींस – 6.8%
  - » इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है।
- **दवा प्रतिरोध:**
  - » एमडीआर-टीबी (बहु-औषधि प्रतिरोधी टीबी) अब भी एक प्रमुख वैश्विक खतरा बना हुआ है।
  - » विभिन्न क्षेत्रों में इसके पता लगाने और उपचार में असमान प्रगति देखी जा रही है।
- **निधि संचय में चुनौती:**
  - » 2020 से वैश्विक टीबी वित्तपोषण स्थिर बना हुआ है।
  - » वर्तमान में दानदाताओं से मिलने वाले वित्तपोषण में संभावित कमी राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रमों की निरंतरता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

भारत में क्षय रोग के रुझान:

- **घटना दर:**
  - 2023 में टीबी की घटना दर 195 प्रति 1 लाख जनसंख्या थी, जो 2024 में घटकर 187 प्रति 1 लाख रह गई।
  - 2015 से अब तक कुल मिलाकर 21% की कमी दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत गिरावट (12%) की तुलना में काफी अधिक है।
- **मृत्यु दर:**
  - 2015 में भारत में टीबी से मृत्यु दर 28 प्रति 1 लाख जनसंख्या थी, जो 2024 में घटकर 21 प्रति 1 लाख हो गई।
  - इसके बावजूद, यह दर (21 प्रति 1 लाख) 2025 के राष्ट्रीय लक्ष्य (3 प्रति 1 लाख) की तुलना में अभी भी काफी अधिक है।
- **दवा प्रतिरोध:**
  - वैश्विक एमडीआर-टीबी (बहु-औषधि प्रतिरोधी टीबी) मामलों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 32% है।
  - हालांकि भारत में एमडीआर-टीबी की घटना दर धीरे-धीरे कम हो रही है, परन्तु चुनौती अभी भी गंभीर बनी हुई है।

टीबी को कम करने के लिए प्रमुख पहल:

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **टीबी उन्मूलन रणनीति (2015–2035):** इस रणनीति का लक्ष्य 2030 तक टीबी से होने वाली मौतों में 90% तथा संक्रमण दर में 80% की कमी लाना है।
  - **संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठकें (2018 और 2023):** इन बैठकों में वैश्विक वित्तपोषण, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और टीका नवाचार को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया।
  - **ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप:** ये संस्थाएँ संसाधन जुटाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - **नए डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश (2024–25):** तेज निदान, एमडीआर-टीबी प्रबंधन और टीबी–मधुमेह सह-रुग्णता (comorbidity) के लिए अद्यतन और अधिक प्रभावी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- **भारत स्तर पर:**
  - **टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017–2025):** इसका लक्ष्य 2025 तक टीबी की घटनाओं में 80% तथा मृत्यु दर में 90% कमी सुनिश्चित करना है।
  - **निक्षय पोषण योजना:** इस योजना के अंतर्गत टीबी मरीजों को पोषण सहायता के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से ₹1,000 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
  - **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (2024):** “निक्षय मित्र” मॉडल के माध्यम से समुदाय, व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थानों की भागीदारी को बढ़ाकर टीबी मरीजों के पोषण, उपचार सहयोग और सामाजिक समर्थन को मजबूत किया जा रहा है।
  - **विस्तारित निदान:** देशभर में Truenat, CBNAAT और एआई-आधारित जांच तकनीकों की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे टीबी की शीघ्र और अधिक सटीक पहचान संभव हो रही है।

जेम्स वॉटसन और डीएनए की खोज

संदर्भ:

हाल ही में डीएनए (DNA) की द्वि-हेलिकीय संरचना (Double Helical Structure) की खोज करने वाले जेम्स डी. वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर की गई यह खोज आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, जिसने आनुवंशिकता, विकास और जीवन की संरचना की समझ को पूरी तरह बदल दिया।

योगदान:

- **डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज (1953):**
  - वॉटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए दो तंतुओं (Strands) से बना होता है, जो एक-दूसरे के चारों ओर कुंडली के रूप में लिपटे रहते हैं। इस संरचना को डबल हेलिक्स कहा जाता है। हर तंतु में शर्करा और फॉस्फेट का ढांचा होता है, और इनके बीच चार प्रकार के क्षारक (Bases) जुड़ते हैं
  - एडेनिन (A) हमेशा थाइमिन (T) से जुड़ता है और साइटोसिन (C) हमेशा ग्वानिन (G) से जुड़ता है।
- **आनुवंशिक प्रतिकृति की समझ:** उनके मॉडल से यह पता चला कि डीएनए अपनी प्रतिलिपि (कॉपी) कैसे बनाता है:
  - डीएनए का प्रत्येक तंतु एक नए तंतु के निर्माण के लिए नमूने (टेम्पलेट) की तरह कार्य करता है।
  - यही प्रक्रिया आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण और वंशानुगत निरंतरता का आधार है।

- **सम्मान और नोबेल पुरस्कार:**
  - वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किन्स को 1962 में चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology or Medicine) के क्षेत्र में डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
  - वॉटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए दो तंतुओं (Strands) से बना होता है, जो एक-दूसरे के चारों ओर कुंडली के रूप में लिपटे रहते हैं। इस संरचना को डबल हेलिक्स (Double Helix) कहा जाता है।
  - हर तंतु में शर्करा और फॉस्फेट का ढांचा होता है और इनके बीच चार प्रकार के नाइट्रोजनयुक्त क्षारक जुड़े रहते हैं — एडेनिन (A) हमेशा थाइमिन (T) से जुड़ता है और साइटोसिन (C) हमेशा ग्वानिन (G) से जुड़ता है।

डीएनए क्या है?

- डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल (DNA) लगभग सभी जीवित प्राणियों में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। यह किसी भी जीव की संरचना, कार्य एवं गुणों को निर्धारित करने वाली आनुवंशिक सूचना को वहन करता है।
- प्रत्येक डीएनए अणु निम्न भागों से बना होता है:
  - शर्करा-फॉस्फेट ढांचा : संरचनात्मक आधार।
  - चार नाइट्रोजनयुक्त क्षारक (Bases): एडेनिन (A), थाइमिन (T), साइटोसिन (C), और ग्वानिन (G)।
  - इन क्षारकों का विशिष्ट क्रम ही आनुवंशिक कूट बनाता है।

जैविक प्रक्रियाएँ:

- डीएनए की तीन प्रमुख जैविक प्रक्रियाएँ होती हैं:
  - प्रतिकृति (Replication), लिप्यंतरण (Transcription) और अनुवाद (Translation)।
  - इन तीनों की क्रमिक प्रक्रिया ही आणविक जीवविज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत कहलाती है, जिसके अनुसार डीएनए स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है, उससे आरएनए तैयार होता है, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है।
  - "DNA — RNA — Protein" यही जीवन की सभी जैविक क्रियाओं की मूल आधारशिला है।

डीएनए ज्ञान के अनुप्रयोग:

- **चिकित्सा:** आनुवंशिक रोगों के निदान और उपचार, जीन थैरेपी तथा लक्षित औषधियों के विकास में।
- **कृषि:** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का विकास, जिनमें अधिक उत्पादन और कीट-प्रतिरोध की क्षमता होती है।
- **फॉरेंसिक विज्ञान:** डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से अपराधियों की पहचान और जांच में।
- **अनुसंधान (Research):** जीनोम अनुक्रमण , CRISPR आधारित जीन संपादन और विकासवादी अध्ययन में।

निष्कर्ष:

जेम्स वॉटसन की डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जीवन के वैज्ञानिक रहस्य को उजागर करने वाला ऐतिहासिक मोड़ थी। इसने आनुवंशिकता की नींव स्पष्ट की और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी व जीनोमिक चिकित्सा युग की आधारशिला रखी।

भारत में क्रॉनिक किडनी रोग

सन्दर्भ:

हाल ही में द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित वैश्विक रोग बोझ (Global Burden of Disease – GBD) 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 13.8 करोड़ लोग दीर्घकालिक क्रॉनिक गुर्दा रोग (Chronic Kidney Disease – CKD) से प्रभावित हैं। भारत में यह संख्या चीन (15.2 करोड़) के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो भारत में इस रोग की तेज़ी से बढ़ती प्रवृत्ति और जन-स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी को दर्शाती है।

दीर्घकालिक गुर्दा रोग क्या है?

- दीर्घकालिक गुर्दा रोग (Chronic) एक ऐसी लंबे समय तक बनी रहने वाली रोग अवस्था है, जिसमें गुर्दे धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त द्रव को छानने की अपनी प्राकृतिक क्षमता खो देते हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **वैश्विक स्थिति:**
  - वर्ष 2023 में दीर्घकालिक गुर्दा रोग (CKD) विश्व में मृत्यु का 9वां सबसे बड़ा कारण था।
  - इस रोग से लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु हुई।
- **क्षेत्रवार प्रसार:**
  - उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व: लगभग 18%
  - दक्षिण एशिया: लगभग 16%

» उप-सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका: लगभग 15%
» भारत: 138 मिलियन (13.8 करोड़) मामले — विश्व में दूसरा स्थान

- **CKD और हृदय रोग का संबंध :**
  » CKD से वैश्विक स्तर पर होने वाली हृदय संबंधी मौतों का लगभग 12% जुड़ा हुआ है।
  » यह हृदय रोग से होने वाली मृत्यु का सातवां प्रमुख कारण है, और डायबिटीज़ तथा मोटापे से आगे है।
- **मुख्य जोखिम कारक:** अध्ययन में 14 प्रमुख जोखिम कारक बताए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं:
  » मधुमेह
  » उच्च रक्तचाप
  » मोटापा
  » खानपान से जुड़ी आदतें
  » फल और सब्जियों का कम सेवन
  » ज़्यादा नमक का सेवन
  » स्वास्थ्य सेवाओं और जाँच की सीमित पहुँच
  » अन्य कारणों में शामिल हैं: बढ़ती उम्र , पर्यावरणीय प्रदूषण और जीवनशैली में बदलाव।

भारत की विशेष चुनौतियाँ:

- भारत में CKD की प्रचलन दर लगभग 16% है, जो गैर-संचारी रोगों में वृद्धि को दर्शाती है।
- ज़्यादातर मामलों का पता देर से चलता है,जब मरीज को डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है, जो दोनों ही बहुत महंगे हैं और आम लोगों के लिए मुश्किल से उपलब्ध हैं।
- भारत में CKD की जाँच और इलाज की सुविधाएँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमान हैं।

नीतिगत सुझाव और सिफारिशें:

- शोधकर्ताओं का मानना है कि CKD को एक प्रमुख गैर-संचारी रोग के रूप में वैसे ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ और हृदय रोगों को लिया जाता है।
- **मुख्य रणनीतियाँ:**
  » **प्रारंभिक जाँच और रोकथाम:** मधुमेह और उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए नियमित किडनी जाँच अनिवार्य की जाए।
  » **जन-जागरूकता अभियान:** स्वस्थ आहार और कम नमक के सेवन को बढ़ावा दिया जाए।
  » **सस्ती और समान स्वास्थ्य सेवाएँ:** सरकारी योजनाओं के तहत डायलिसिस और प्रत्यारोपण की सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ।
  » **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना:** आयुष्मान भारत – हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में CKD की जाँच और इलाज की सुविधा को शामिल किया जाए।

निष्कर्ष:

वैश्विक रोग बोझ (GBD) 2023 की रिपोर्ट भारत के लिए एक चेतावनी है। CKD की बढ़ती दर बताती है कि भारत को अब उपचार-आधारित नीति से हटकर रोकथाम-आधारित नीति अपनानी होगी। इसमें नियमित स्क्रीनिंग, जीवनशैली सुधार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश जरूरी है। यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो दीर्घकालिक गुर्दा रोग भारत की आने वाले दशकों की सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन सकता है।

घातक रासायनिक विष रिसिन

सन्दर्भ:

हाल ही में गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने तीन व्यक्तियों (जिनमें एक चिकित्सक भी शामिल है) को गिरफ्तार किया, जो अत्यंत घातक रासायनिक विष रिसिन के निर्माण का प्रयास कर रहे थे जिसका उपयोग संभावित आतंकवादी गतिविधियों में करने की योजना बना रहे थे।

रिसिन क्या है?

- रिसिन एक प्रोटीन-आधारित घातक ज़हर है, जो अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है, जबकि अरंडी के पौधे की खेती मुख्यतः कैस्टर ऑयल उत्पादन के लिए की जाती है। यह विष शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके परिणामस्वरूप कोशिकाएँ नष्ट होने लगती हैं और स्थिति बहु-अंग विफलता तक पहुँच सकती है। रिसिन अत्यंत कम मात्रा में भी मृत्यु का कारण बन सकता है।
- इसका संपर्क निगलने, साँस के माध्यम से भीतर जाने या इंजेक्शन के रूप में होने पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके प्रमुख लक्षणों में उल्टी, दस्त, साँस लेने में कठिनाई, दौरे पड़ना तथा अंगों की क्रियाओं का रुक जाना शामिल है।

इतिहास और वैश्विक महत्व:

- रिसिन को लंबे समय से एक संभावित रासायनिक हथियार के रूप में अध्ययन किया जाता रहा है। इसका उपयोग कई जैव-आतंकी योजनाओं में हुआ है।
- 1978 में लंदन में बुल्गारियाई पत्रकार जॉर्जी मार्कोव की हत्या में

रिसिन का इस्तेमाल किया गया था।

- इसकी अत्यधिक विषाक्तता के कारण इसे रासायनिक हथियार सम्मेलन (Chemical Weapons Convention) में शेड्यूल-1 विषैले पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

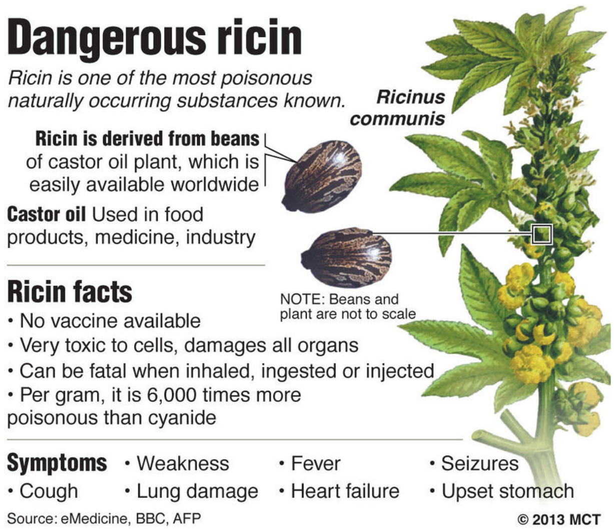

चुनौतियाँ और खतरे:

- **आसान निर्माण:** अरंडी के बीज विश्वभर में उपलब्ध होने के कारण रिसिन का निष्कर्षण तुलनात्मक रूप से सरल है, जिससे गैर-राज्य तत्वों द्वारा इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
- **अत्यधिक घातक:** इसकी कुछ मिलीग्राम मात्रा भी घातक है, और इसका कोई विशेष एंटीडोट (दवा) नहीं है। इलाज केवल सहायक उपचार पर आधारित है।
- **निदान में कठिनाई:** इसके शुरुआती लक्षण सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं, जिससे समय पर पहचान और उपचार कठिन हो जाता है।
- **सार्वजनिक सुरक्षा:** बाज़ार, मॉल, संस्थान और भीड़ वाली जगहें ऐसे हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

नीतिगत सुझाव:

- **बायो-सुरक्षा मज़बूत करना:** पौधों, बीजों और रसायनों की निगरानी रखना और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखना आवश्यक है।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना:** डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसे दुर्लभ ज़हरों की पहचान और उपचार में प्रशिक्षित करना चाहिए।
- **अनुसंधान व विकास:** तेज़ी से पहचान करने वाले उपकरण, न्यूट्रलाइज़िंग एजेंट और संभावित दवाओं पर निवेश करना ज़रूरी है।
- **कानूनी नियंत्रण:** घातक पदार्थों पर सख़्त नियंत्रण और खुफिया-आधारित कार्रवाई बढ़ानी चाहिए।
- **जन-जागरूकता:** जनता को संभावित जोखिमों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

यह घटना दर्शाती है कि रासायनिक और जैविक एजेंटों का खतरा आज भी अत्यंत गंभीर है, विशेष रूप से तब जब वे गैर-राज्य तत्वों के हाथों में पहुँच जाते हैं। यह स्थिति कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नीतिगत निगरानी, सभी क्षेत्रों में समन्वित और बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिससे ऐसे जैव-आतंकी खतरों की समय पर रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

मैन-पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडरवॉटर व्हीकल (MP-AUVs)

सन्दर्भ:

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL), विशाखापट्टनम ने हाल ही में नई पीढ़ी के मानव द्वारा ले जाए जा सकने वाले मैन-पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडरवॉटर व्हीकल (MP-AUVs) विकसित किए हैं, जो भारत की माइन युद्ध क्षमता को बढ़ाने में सहायक होंगे।

मुख्य विशेषताएँ:

- **आसानी से ले जाने योग्य:**
  - » ये वाहन बहुत हल्के और छोटे आकार के होते हैं। इन्हें छोटी नावों से या समुद्र किनारे से हाथों से भी आसानी से पानी में उतारा जा सकता है। इससे बड़े जहाज़ों या भारी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- **पूरी तरह स्वचालित संचालन(मिशन ऑटोनोमी):**
  - » ये वाहन पूरी तरह स्वचालित (autonomous) होते हैं। पहले से तय किए गए मार्गों और मिशन को बिना मानव नियंत्रण के पूरा कर सकते हैं।
  - » यह विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्रों, जैसे समुद्री माइन्स वाले

इलाकों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मानव गोताखोरों और जहाज़ों का जोखिम कम होता है।

- **उन्नत सेंसर और उपकरण:** इनमें कई तरह के सेंसर लगे होते हैं, जैसे:
  - » **साइड स्कैन सोनार:** समुद्र तल का विस्तृत नक्शा और वस्तुओं की पहचान करने के लिए।
  - » **अंडरवॉटर कैमरे:** संभावित खतरों की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग**
  - » नई पीढ़ी के MP-AUVs में डीप-लर्निंग आधारित टारगेट पहचान (target recognition) तकनीक होती है।
  - » यह तकनीक AUVs को खुद ही वस्तुओं की पहचान और वर्गीकरण करने में सक्षम बनाती है। इससे ऑपरेटर का काम और मिशन समय कम होता है।
- **नेटवर्क क्षमता (Networked Capabilities):**
  - » इनमें मजबूत अंडरवॉटर संचार प्रणाली होती है, जिससे कई AUVs आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं और पास-पास मिलकर काम कर सकते हैं। इससे पूरे मिशन क्षेत्र की स्थिति को बेहतर समझा जा सकता है।
- **विविध मिशन:** इन वाहनों का उपयोग केवल समुद्री माइनों को ढूँढने के लिए ही नहीं होता, बल्कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी रखने,बंदरगाहों की सुरक्षा मजबूत करने, वैज्ञानिक शोध और पर्यावरण की निगरानी करने जैसे अनेक कामों में भी किया जाता है।

रणनीतिक महत्व:

- नौसैनिक माइन युद्ध में तेज प्रतिक्रिया क्षमता मिलती है और मानव जोखिम कम होता है।
- लॉजिस्टिक बोझ कम होने से ऑपरेशन अधिक प्रभावी होते हैं।
- नेटवर्क्ड और इंटेलिजेंट सिस्टम भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूत बनाते हैं।

नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी के विषय में:

- नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL), DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला है जिसे 1969 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। यह पानी के भीतर चलने वाले हथियार और प्रणालियाँ तैयार करती है। इसके प्रमुख प्रोजेक्ट हैं:
  - » वरुणास्त्र भारी टॉरपीडो
  - » बहु-प्रभाव वाली समुद्री माइन्स (ग्राउंड माइन)

निष्कर्ष:

DRDO की NSTL द्वारा विकसित नए MP-AUV भारत की समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यह तकनीक समुद्री माइनों का पता लगाने और उनसे निपटने की क्षमता को बहुत अधिक मजबूत करेगी तथा नौसैनिक अभियानों और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

सेंटिनल-6बी: समुद्र तल की निगरानी करने वाला नवोन्मेषी उपग्रह

संदर्भ:

सेंटिनल-6बी उपग्रह को हाल ही में अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फ़ोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन-9 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह कोपरनिकस सेंटिनल-6 / जेसन-सीएस, संयुक्त मिशन का हिस्सा है।

सेंटिनल-6बी: मुख्य विशेषताएँ:

- सेंटिनल-6बी, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे वैश्विक समुद्र-स्तर में होने वाले परिवर्तनों को अत्यधिक सटीकता से मापने के लिए विकसित किया गया है।

विकास करने वाली एजेंसियाँ:

- यह मिशन एक बहुराष्ट्रीय सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA), अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA), नेशनल ओशियानिक ऐंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA), यूरोपीय मौसम उपग्रह संगठन (EUMETSAT) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं।

मुख्य उद्देश्य:

- » वैश्विक समुद्र-स्तर बढ़ोतरी का सटीक मापन
- » महासागरीय परिसंचरण (Ocean Circulation) की निगरानी
- » जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन
- » मौसम व जलवायु मॉडल को अधिक सटीक बनाना

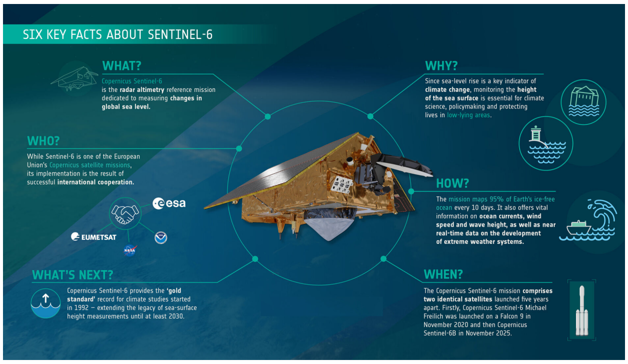

प्रमुख उपकरण:

- **पोसीडन–4 रडार अल्टीमीटर**
  - » समुद्र की सतह से रडार सिग्नल की वापसी का समय मापता है।
  - » समुद्र-स्तर को सेंटीमीटर-स्तर की सटीकता से मापता है।
- **उन्नत माइक्रोवेव रेडियोमीटर (ए.एम.आर-C)**
  - » वातावरण में जल वाष्प के प्रभाव को सुधारता है।
  - » समुद्र-स्तर माप को और अधिक परिशुद्ध बनाता है।
- **जीएनएसएस रेडियो ऑक्ल्टेशन (जीएनएसएस–आरओ)**
  - » तापमान और आर्द्रता की ऊँचाई-आधारित वायुमंडलीय प्रोफ़ाइल तैयार करता है।
  - » मौसम पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग को बेहतर बनाता है।

रणनीतिक महत्व:

- **जलवायु विज्ञान में योगदान:**
  - » वैश्विक समुद्र-स्तर बढ़ोतरी की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को मापना।
  - » महासागरों में ऊष्मा, जल और कार्बन के भंडारण को समझना।
  - » जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक प्रमाणों को मजबूत करना।
- **तटीय क्षेत्रों के लिए महत्व:**
  - » तटीय योजनाओं और बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सहायता।
  - » समुद्र-स्तर वृद्धि के भविष्य के परिदृश्यों का आकलन।
- **महासागरीय अध्ययन:**
  - » समुद्री धाराओं, लहरों और हवाओं के व्यवहार की भविष्यवाणी में सहायक।
  - » शिपिंग, मत्स्य पालन और समुद्री अर्थव्यवस्था को समर्थन।
- **मौसम और आपदा प्रबंधन:**
  - » तूफानों और अत्यधिक मौसम घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी
  - » वायुमंडलीय डेटा के आधार पर सुरक्षित अंतरिक्ष यान पुनःप्रवेश (re-entry) में सहायक

कोपरनिकस सेंटिनल-6 / जेसन-सीएस:

- कोपरनिकस सेंटिनल-6 / जेसन-सीएस मिशन वैश्विक समुद्र-स्तर की दीर्घकालिक, उच्च-सटीकता वाली निगरानी के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, जो 1992 में शुरू किए गए जेसन मिशनों की डेटा श्रृंखला को आगे बढ़ाता है।
- इस मिशन के अंतर्गत दो समान उपग्रह शामिल हैं—Sentinel-6 माइकल फ्रेलिच (प्रक्षेपण: 2020) और Sentinel-6B (प्रक्षेपण: 2025)।
- **मुख्य लक्ष्य:**
  - » मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के 90% से अधिक महासागरीय क्षेत्र को शामिल करते हुए समुद्र-स्तर को मिलीमीटर-स्तर की सटीकता से मापना है, ताकि वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि, महासागरीय परिवर्तनों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निरंतर एवं सटीक निगरानी की जा सके।

निष्कर्ष:

सेंटिनल-6बी उपग्रह वैश्विक समुद्र-स्तर निगरानी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपग्रह से प्राप्त डेटा जलवायु नीति निर्माण, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा एवं दीर्घकालिक योजना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पृथ्वी के महासागर-वायुमंडल प्रणाली की वैज्ञानिक समझ को व्यापक रूप से सुदृढ़ करेगा। बदलते जलवायु परिदृश्य में यह मिशन विश्वसनीय, दीर्घकालिक और अत्यधिक सटीक समुद्र-स्तर डेटा प्रदान कर वैश्विक जलवायु सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा देगा।

CRISPR आधारित जीन थेरेपी 'BIRSA 101' से सिकल सेल रोग का समाधान

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी

CRISPR-आधारित जीन थेरेपी को सिकल सेल रोग (SCD) के उपचार हेतु लॉन्च किया। यह थेरेपी CSIR–इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) में विकसित की गई है और इसे “BIRSA 101” नाम दिया गया है। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है, जिनकी हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई।

भारत में सिकल सेल रोग (SCD):

- सिकल सेल रोग (SCD) एक एकल-जीन आधारित वंशानुगत रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ विकृत “दरांती (sickle)” आकार धारण कर लेती हैं। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:
  - » पुरानी एनीमिया
  - » तीव्र दर्द (pain crises)
  - » अंगों में क्षति
  - » जीवन प्रत्याशा में कमी
- भारत में यह रोग विशेष रूप से केंद्रीय और पूर्वी राज्यों की जनजातीय समुदायों में प्रचलित है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, हर वर्ष लगभग 15,000–25,000 नए मामले केवल इन जनजातीय समूहों में जन्म लेते हैं।

सस्ती जीन थेरेपी की आवश्यकता:

- दुनिया भर में उपलब्ध CRISPR-आधारित SCD थेरेपी की लागत लगभग 30 लाख USD (₹ 20–25 करोड़) होती है, जो अधिकांश भारतीय रोगियों के लिए पूरी तरह अनुपलब्ध है।
- CRISPR तकनीक की उच्च लाइसेंसिंग फीस, विदेशी प्लेटफ़ॉर्मों पर निर्भरता, इनकी लागत को और बढ़ाती है।
- इसी कारण भारत में कम लागत वाली, स्वदेशी जीन थेरेपी विकसित करने की नीति-स्तरीय आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, विशेषकर वंचित समुदायों के लिए।

BIRSA 101 का महत्व:

- भारत द्वारा पूर्णतः स्वदेशी CRISPR-आधारित थेरेपी का विकास करना देश को उन्नत चिकित्सकीय विज्ञान के वैश्विक नेतृत्व में स्थापित करता है।
- BIRSA 101 की लागत विदेशी थेरेपी की तुलना में काफी कम रहने की संभावना है, जिससे यह अधिक रोगियों के लिए सुलभ हो सकेगी।
- यह आत्मनिर्भर भारत के विज़न को मजबूत करते हुए उन्नत बायोटेक्नोलॉजी में भारत की घरेलू क्षमता को बढ़ाता है।
- सिकल सेल रोग जनजातीय समुदायों में व्यापक है, इसलिए इस थेरेपी का सामाजिक महत्व है।
- यह 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देता है और हाशिये पर स्थित समुदायों का स्वास्थ्य बोझ कम करता है।

चुनौतियाँ और जोखिम:

- **दीर्घकालिक सुरक्षा:** CRISPR तकनीक में लक्ष्य से अलग अनचाहे जीन संपादन (off-target संशोधन) का जोखिम बना रहता है, इसलिए इसके लिए विस्तृत और दीर्घकालिक परीक्षण करना अनिवार्य है।
- **नियामक चुनौतियाँ:** जीन थेरेपी पर कड़ा विनियमन लागू होता है, जिसमें प्रयोगशाला से क्लिनिक तक विस्तार हेतु निरंतर अनुमोदन और निगरानी आवश्यक है।
- **आर्थिक बाधाएँ:** लागत कम होने पर भी (लगभग ₹50 लाख), यह थेरेपी सरकारी सहायता या बीमा के बिना कई जनजातीय और निम्न-आय वर्ग के लिए महंगी रहेगी।
- **नैतिक प्रश्न:** जीन संपादन, विशेष रूप से जर्मलाइन या स्टेम सेल स्तर पर, दीर्घकालिक नैतिक चर्चाओं और बहसों को जन्म देता है।

निष्कर्ष:

“BIRSA 101” का शुभारंभ भारत के वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह न केवल देश की जीनोमिक क्षमता को सशक्त बनाता है, बल्कि जनजातीय समुदायों में व्यापक सिकल सेल रोग से निपटने की दिशा में ठोस कदम भी है। यह सफलता भारत को आत्मनिर्भर बायोटेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर करती है और 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आशाजनक प्रगति दर्शाती है।

किसी अन्य तारे पर पहली बार कोरोनल मास इजेक्शन की घटना

संदर्भ:

हाल ही में खगोलविदों ने पहली बार हमारे सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे पर कोरोनल मास इजेक्शन (CME) की घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। यह घटना पृथ्वी से लगभग 133 प्रकाशवर्ष दूर स्थित लाल बौने तारे StKM 1–1262 पर दर्ज की गई। इस खोज का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि दर्ज किया गया CME अत्यंत ऊर्जावान था। यह सूर्य पर होने वाले सामान्य CME की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली और तीव्र पाया गया।

कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) क्या होते हैं?

- कोरोनल मास इजेक्शन (CME) किसी तारे की बाहरी परत कोरोना से निकलने वाला विशाल प्लाज़्मा (गैस + आवेशित कण) और चुंबकीय ऊर्जा का तीव्र विस्फोट होता है। इन्हें तारकीय गतिविधि के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है।

सूर्य पर होने वाले CME का पृथ्वी पर प्रभाव:

- सूर्य से उत्पन्न CME जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो कई महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं:
  - **उपग्रहों और संचार प्रणालियों में व्यवधान:** जैसे GPS सिग्नल, रेडियो संचार या सैटेलाइट ऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं।
  - **विद्युत् ग्रिड पर दबाव:** तीव्र भू-चुंबकीय तूफान विद्युत आपूर्ति नेटवर्क में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।
  - **ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑरोरा:** ऊर्जावान कण वायुमण्डल से टकराकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चमकदार प्रकाश, ऑरोरा उत्पन्न करते हैं।

StKM 1–1262 पर CME इतने ज्यादा शक्तिशाली क्यों हैं?

- **अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र**
  - लाल बौने तारों में प्रायः सूर्य की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है।
  - इतना शक्तिशाली चुंबकीय वातावरण चुंबकीय ऊर्जा के टूटने और पुनर्संयोजन को अत्यधिक उग्र बना देता है, जिसके परिणामस्वरूप असाधारण रूप से बड़े और उच्च-ऊर्जा वाले CME उत्पन्न होते हैं।
- **तारे का अत्यधिक तेज़ घूर्णन**
  - StKM 1–1262, सूर्य की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक गति से घूमता है।
  - इतनी तीव्र घूर्णन गति तारे के आंतरिक डायनेमो को अधिक सक्रिय करती है, जिससे चुंबकीय गतिविधि का स्तर बहुत ऊँचा हो जाता है और शक्तिशाली CME की बार-बार उत्पत्ति होती रहती है।

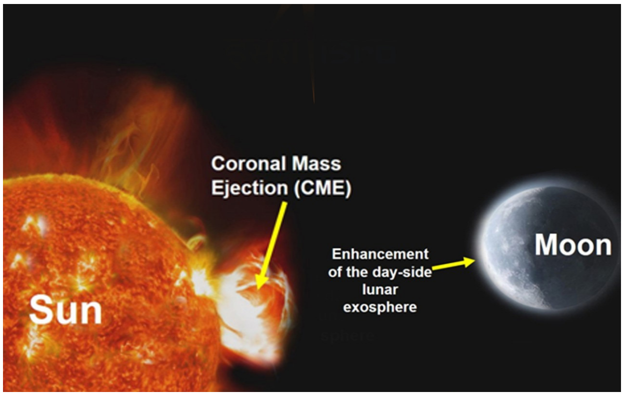

इस खोज का महत्व:

- अब तक CME केवल सूर्य पर ही दर्ज किए गए थे, जिसके कारण वैज्ञानिकों को अन्य तारों के चुंबकीय व्यवहार और गतिविधियों को समझने के लिए सूर्य को ही मॉडल के रूप में उपयोग करना पड़ता था।
- यह हालिया खोज साबित करती है कि अब हम दूसरे तारों पर होने वाले तारकीय मौसम का भी व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। यह क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तारकीय मौसम का सीधा प्रभाव एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण, उनकी सतही परिस्थितियों और संभावित रहने योग्यता (habitability) पर पड़ता है।

लाल बौना (Red Dwarf) क्या होता है?

- एक लाल बौना तारा (Red Dwarf) आकार में छोटा, अपेक्षाकृत ठंडा और बहुत कम प्रकाश उत्सर्जित करने वाला तारा होता है। ये हमारी आकाशगंगा में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले तारों की श्रेणी है। आकार और द्रव्यमान दोनों ही सूर्य से कम होते हैं।
- इनकी सतह का तापमान लगभग 2,000–3,500 केल्विन के बीच होता है।
- ये अपने हाइड्रोजन ईंधन को बहुत धीमी गति से जलाते हैं, जिसके कारण इनका जीवनकाल ट्रिलियन वर्षों तक हो सकता है।

- प्रकाश अत्यंत कम होने के कारण ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा प्रॉक्सिमा सेंटॉरी भी एक लाल बौना है।

निष्कर्ष:

सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे पर कोरोनल मास इजेक्शन का पहली बार पता चलना खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि है। हालाँकि लाल बौने तारे पृथ्वी जैसे ग्रहों की संभावित खोज के लिए सबसे आशाजनक माने जाते हैं। यह अवलोकन संकेत देता है कि ऐसे तारों पर होने वाली अत्यधिक उग्र चुंबकीय गतिविधियाँ उनके आसपास स्थित ग्रहों की रहने योग्य परिस्थितियों को गम्भीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

गैर-न्यूटनियन द्रवों में अव्यवस्थित गति का विश्लेषण

संदर्भ:

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान) के शोधकर्ताओं ने एक नया प्रयोगात्मक तरीका विकसित किया है। इस तकनीक की मदद से वे यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जटिल तरल पदार्थ "विशेष रूप से वर्मलाइक माइसेलर फ्लुइड्स (WMFs), जो सर्फ़ैक्टेंट अणुओं के द्वारा बनते हैं" सूक्ष्म स्तर पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं।

वर्मलाइक माइसेलर फ्लुइड्स (WMFs) क्या होते हैं?

- वर्मलाइक माइसेलर फ्लुइड्स एक प्रकार के जटिल तरल पदार्थ हैं, जो सर्फ़ैक्टेंट अणुओं के स्वयं-संगठन से बनने वाली लंबी, लचीली और बेलनाकार संरचनाओं (micelles) से मिलकर बनते हैं।
- ये माइसेल आपस में मिलकर एक अस्थायी नेटवर्क तैयार करते हैं, जिससे तरल में विस्कोइलास्टिक गुण (जिसमें चिपचिपा और इलास्टिक दोनों गुण होते हैं) और शेयर-थिनिंग जैसी विशिष्टताएँ विकसित होती हैं, जो पॉलीमर घोलों के समान होती हैं।
- इन फ्लुइड्स का उपयोग तेल निष्कर्षण, सौंदर्य प्रसाधनों, शैंपू, जेल और विभिन्न पॉलीमर-आधारित उत्पादों में व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसी कारण इनका विस्तृत अध्ययन उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- पानी जैसे साधारण न्यूटनियन फ्लुइड्स में गिरने वाली वस्तुएँ कुछ समय बाद एक स्थिर टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन नॉन-न्यूटनियन फ्लुइड्स में ऐसा नहीं होता, इनमें वस्तुएँ अक्सर स्थिर गति तक नहीं पहुँचतीं। इनके आसपास लगातार बनने और टूटने वाली स्थानीय संरचनाओं के कारण उनकी गति अव्यवस्थित (chaotic) और बदलती रहती है।

वैज्ञानिकों के मुख्य अवलोकन:

- रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रयोगात्मक सेटअप तैयार किया, जिसमें उन्होंने एक रिओमीटर के भीतर सुई जैसी पतली प्रोब को दो सिलेंडरों के बीच तरल के अंदर आगे बढ़ाया। इस व्यवस्था से वे प्रोब पर लगने वाले बल को माप सके और तरल के भीतर बनने वाली संरचनाओं को वास्तविक समय में देख पाए।
- कम गति पर प्रोब पर लगने वाला बल सामान्य तरल की तरह स्थिर बना रहा। लेकिन जैसे ही गति बढ़ाई गई, बल धीरे-धीरे बढ़ा और फिर अचानक गिर गया, जिससे एक "सॉ-टूथ" (आरी जैसी दाँतेदार) पैटर्न उत्पन्न हुआ।
- प्राप्त छवियों से स्पष्ट हुआ कि यह व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि प्रोब के पीछे एक पूँछ जैसी संरचना बनती है और फिर अचानक टूट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खिंची हुई रबर बैंड अचानक छोड़ दी जाए।

टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है?

- टर्मिनल वेलोसिटी वह अधिकतम स्थिर गति है, जिस पर किसी वस्तु के गिरते समय गुरुत्वाकर्षण का बल तथा तरल (जैसे हवा या पानी) द्वारा उत्पन्न द्रव प्रतिरोध (ड्रैग) और उछाल (buoyancy) बल से पूरी तरह संतुलित हो जाता है।
- इस संतुलन के बाद वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल शून्य हो जाता है, जिसके कारण वस्तु आगे और तीव्र नहीं होती तथा एक निश्चित, स्थिर गति से ही गिरती रहती है।

निष्कर्ष:

यह शोध जटिल सामग्रियों की यांत्रिकी को विभिन्न स्तरों पर समझने का एक सशक्त और विश्वसनीय तरीका उपलब्ध कराता है। छोटे प्रोब तरल में कैसे गति करते हैं, इसे समझकर वैज्ञानिक तेल उद्योग में उपयोग होने वाले सर्फ़ैक्टेंट, कॉस्मेटिक उत्पादों, जेल और पॉलीमर सॉल्यूशनों को अधिक प्रभावी ढंग से डिज़ाइन और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रयोगात्मक सेटअप इतना लचीला है कि इसमें अलग-अलग आकार के प्रोब का उपयोग कर कई प्रकार की सामग्रियों के व्यवहार का अध्ययन

करना संभव हो जाता है।

Vikram-I — भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विक्रम-I का औपचारिक अनावरण किया। यह भारत की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित पहला ऑर्बिटल-क्लास प्रक्षेपण यान है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। इसी अवसर पर कंपनी के आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत "इन्फिनिटी कैंपस" का हैदराबाद में उद्घाटन भी किया गया। इस प्रक्षेपण यान का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है।

विक्रम-I की प्रमुख विशेषताएँ और क्षमताएँ:

- **ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता:** विक्रम I को छोटे सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट (SSO) दोनों को टारगेट करता है। मिशन प्रोफ़ाइल के आधार पर, यह LEO तक ≈350kg या SSO तक ≈260kg तक वज़न ले जा सकता है।
- **लचीली उपग्रह तैनाती (Flexible Deployment):** यह रॉकेट डेडिकेटेड लॉन्च और राइडशेयर मिशन दोनों को सपोर्ट करता है। इससे एकसाथ कई छोटे उपग्रहों को भेजने की सुविधा मिलती है—जो छोटे सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **आधुनिक डिजाइन और दक्षता:** पूरी तरह कार्बन-समग्र संरचना, जिससे वजन कम होता है। विक्रम-I के शुरुआती चरणों में सॉलिड-फ्यूल बूस्टर का उपयोग किया गया है, जबकि इसके ऊपरी चरण में 3D-प्रिंटेड लिक्विड इंजन लगाया गया है। ईंधन तकनीक का यह संयोजन रॉकेट की विश्वसनीयता, दक्षता, और लागत-प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
- **तेज़ तैयारी और न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएँ:** विक्रम-I की डिजाइन ऐसी है कि इसे किसी उपयुक्त लॉन्च साइट से 24 घंटे के भीतर असेंबल कर लॉन्च किया जा सकता है, जिससे तेज़ और उत्तरदायी लॉन्च संभव होते हैं।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विक्रम-I का महत्व:

- **निजी क्षेत्र को बढ़ावा और उद्योग विकास**
  - भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब सरकारी एकाधिकार से विकसित होकर सरकार और निजी क्षेत्र मॉडल की ओर बढ़ रहा है।
  - निजी कंपनियों द्वारा लॉन्च वाहन निर्माण, डिजाइन और संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - वैश्विक स्मॉल-सैटेलाइट बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

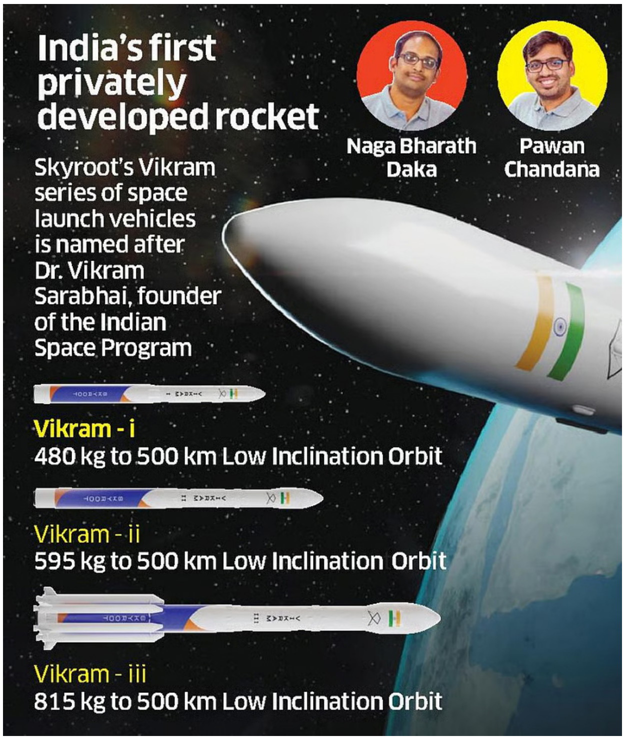

- **छोटे उपग्रहों और न्यूस्पेस इकोनॉमी को मजबूती**
  - विक्रम-I की क्षमता पृथ्वी अवलोकन, संचार, माइक्रो-सैटेलाइट तथा बड़े कॉन्स्टेलेशन लॉन्च के लिए उपयुक्त है।
  - इससे भारत उभरती हुई मल्टी-बिलियन डॉलर न्यूस्पेस इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है।
- **सामरिक और वाणिज्यिक आत्मनिर्भरता**
  - विदेशी लॉन्च सेवाओं पर निर्भरता कम होगी।
  - उपग्रह प्रक्षेपण की लागत और समय में कमी आएगी।
  - व्यावसायिक ऑपरेटरों, अनुसंधान संस्थानों और रक्षा जैसे सामरिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
- **संस्थागत और नीतिगत परिवर्तन का संकेत**
  - यह उपलब्धि हालिया अंतरिक्ष-क्षेत्र सुधारों का परिणाम है, जिनसे निजी कंपनियों को अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और लॉन्च सुविधाओं तक पहुंच मिली है।

» स्काईरूट का इंफिनिटी कैंपस मासिक स्तर पर रॉकेट निर्माण की क्षमता को दर्शाता है, जो स्केलेबिलिटी का मजबूत उदाहरण है।

चुनौतियाँ और आगे की राह:

- विक्रम-I की सफलता के लिए उसके पहले प्रक्षेपण की विश्वसनीयता और प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों, लागत-दक्षता, और समय-पालन के कठोर मानदंडों पर खरा उतरना होगा।
- इसके अतिरिक्त, उन्नत सामग्री की उपलब्धता, आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ, और सुगम नियामकीय प्रक्रियाएँ भी महत्वपूर्ण कारक हैं।
- आगे बढ़ते हुए, अंतरिक्ष क्षेत्र में गति बनाए रखने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सतत सहयोग, पारदर्शी नीतियाँ, और नवाचार-उन्मुख पारिस्थितिकी (ecosystem) की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

विक्रम-I भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक परिवर्तनकारी विकास है। यह देश में छोटे उपग्रहों के लिए समर्पित लॉन्च क्षमता विकसित करता है, निजी नवाचार को बढ़ावा देता है और एक मजबूत, स्केलेबल लॉन्च उद्योग की नींव रखता है। यह उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और उद्यमशील युग की ओर ले जाने की क्षमता रखती है।

मानव मस्तिष्क पर अध्ययन

संदर्भ:

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैम्ब्रिज (MRC कॉग्निशन एंड ब्रेन साइंसेज़ यूनिट) के शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक हालिया स्टडी (जो नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुई) में 3,802 व्यक्तियों के MRI ब्रेन डिफ्यूज़न स्कैन का विश्लेषण किया गया। ये स्कैन 1 दिन की आयु से लेकर 90 वर्ष तक के लोगों पर किए गए थे। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की वायरिंग में चार महत्वपूर्ण "टर्निंग पॉइंट्स" की पहचान की, जो मनुष्य के जीवन में पाँच बड़े संरचनात्मक विकास चरणों ("एपॉक्स") को निर्धारित करते हैं। ये टर्निंग पॉइंट्स लगभग 9 वर्ष, 32 वर्ष, 66 वर्ष और 83 वर्ष की उम्र पर आते हैं।

ये पाँच युग इस प्रकार हैं:

युग	आयु	मस्तिष्क में प्रमुख परिवर्तन
बचपन	0–9	सिनैप्स (न्यूरॉन्स के संयोजक बिंदु) का बहुत तेज़ निर्माण और छँटाई; न्यूरल नेटवर्क की मज़बूत नींव स्थापित होती है; आगे चलकर संज्ञानात्मक क्षमता (cognition) की बुनियाद यहीं बनती है।
किशोरावस्था	9–32	मस्तिष्क की कनेक्टिविटी और दक्षता लगातार बढ़ती है; तर्क क्षमता, सीखने की क्षमता, सामाजिक समझ और निर्णय लेने जैसे कौशलों को मज़बूती मिलती है।
प्रारंभिक वयस्कता	32–66	मस्तिष्क एक स्थिर अवस्था में पहुँचता है; लगभग 32 वर्ष की उम्र में ब्रेन रीवायरिंग सर्वोच्च स्तर पर होती है; व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक क्षमताएँ संतुलित व स्थिर अवस्था (plateau) पर रहती हैं।
प्रारंभिक वृद्धावस्था	66–83	मस्तिष्क की कनेक्टिविटी धीरे-धीरे कम होने लगती है; न्यूरल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की संवेदनशीलता और जोखिम बढ़ जाते हैं।
वृद्धावस्था	83+	कनेक्टिविटी में तेज़ गिरावट देखी जाती है; मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सूचना-संचार कम होता है, जिससे कार्यात्मक अलगाव बढ़ता है; उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक जोखिम और चुनौतियाँ अधिक प्रकट होती हैं।

महत्व और व्यावहारिक उपयोग:

- **जीवनभर होने वाला परिवर्तन:** मस्तिष्क का विकास रैखिक (सीधी रेखा जैसा) नहीं होता, बल्कि हर चरण में अलग-अलग संज्ञानात्मक, सामाजिक और जैविक ज़रूरतों के अनुसार बदलता है।
- **लचीलापन और संवेदनशीलता:** मस्तिष्क की कनेक्टिविटी किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता में चरम पर रहती है, जबकि 66 वर्ष के बाद यह धीरे-धीरे कम होने लगती है। यह जानकारी शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और वृद्धावस्था से जुड़ी रणनीतियों के निर्माण में मदद करती है।
- **जीवनभर सीखने की क्षमता:** मस्तिष्क का संरचनात्मक लचीलापन (Plasticity) वृद्धावस्था तक बना रहता है, जिससे

नई चीजें सीखना, पुनः-कौशल विकसित करना और पुनर्वास (Rehabilitation) संभव होता है।

- **उम्र आधारित संज्ञानात्मक समझ:** ये युग यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन के अलग-अलग चरणों में किन क्षमताओं में उच्च प्रदर्शन होता है और किन क्षमताओं में उम्र के साथ गिरावट आती है।
- **शोध और नीतियों के लिए आधार:** यह मॉडल न्यूरोसाइंस, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जेरन्टोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए आधार प्रदान करता है। इससे मस्तिष्क की संरचना को संज्ञानात्मक प्रदर्शन, क्षमता और मानसिक लचीलापन के साथ जोड़ा जा सकता है।

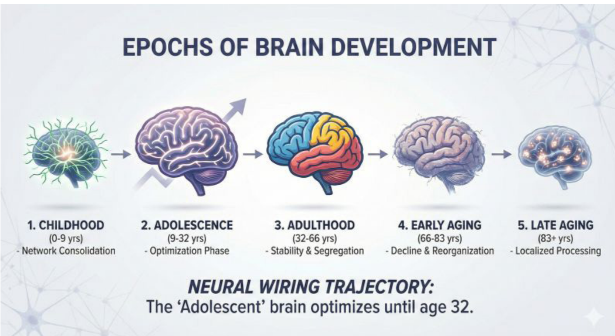

मानव मस्तिष्क के बारे में:

- मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। यह विचार, स्मृति, भावनाएँ, स्पर्श, मोटर कौशल, दृष्टि, श्वसन, तापमान और शरीर की कई अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव द्वारा संरक्षित होता है।
- मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। यह विचार, स्मृति, भावनाएँ, स्पर्श, गति (motor skills), दृष्टि, श्वसन, तापमान और शरीर की कई अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है और इसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव (Cerebrospinal Fluid) द्वारा भी संरक्षित किया जाता है।

प्रमुख भाग और उनकी भूमिकाएँ:

- **सेरेब्रुम (Cerebrum):** मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जो दो गोलार्धों में विभाजित होता है। सोच, स्मृति, भाषा, इंद्रियाँ और स्वैच्छिक गतिविधियों (voluntary movements) को नियंत्रित करता है।
- **सेरेबेलम (Cerebellum):** संतुलन, मुद्रा (posture) और शारीरिक समन्वय (coordination) को नियंत्रित करता है।
- **ब्रेनस्टेम (Brainstem – मिडब्रेन, पोंस, मेडुला):** हृदय की धड़कन, श्वसन और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है।
- **लिम्बिक सिस्टम (Limbic System – हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस):** भावनाओं, प्रेरणा, सीखने और स्मृति का नियमन करता है।
- **थैलेमस (Thalamus):** संवेदी और मोटर संकेतों का संचरण करता है। चेतना और नींद के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **कॉर्पस कैलोसाम (Corpus Callosum):** मस्तिष्क के बाएँ और दाएँ गोलार्ध के बीच संचार स्थापित करता है।

निष्कर्ष:

मानव मस्तिष्क का विकास बहु-चरणीय है और यह जीवनभर जारी रहता है, यह कभी भी रैखिक (सीधी रेखा जैसा) नहीं होता। इन विकास चरणों को समझना शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक नीतियों और व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। इस समझ से व्यक्ति अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी (मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता) का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है और जीवन के हर चरण में नई सोच, सीखने और कौशल विकास के अवसरों को बेहतर तरीके से अपना सकता है।

खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक: भारत की विज्ञान-नीति पहल

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में पहले इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों से राष्ट्र को पोषण सुरक्षा की दिशा में अग्रसर करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को पोषक तत्वों से भरपूर, सुरक्षित और सस्ती खाद्य सामग्री तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यक पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से जैव-संवर्धित फसलों के विकास, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण में नवाचार तथा व्यक्तिगत चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत की जीनोमिक जैव विविधता के मानचित्रण की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

ESTIC भारत की वैज्ञानिक प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसने एक सदी पुराने इंडियन साइंस कांग्रेस का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य विज्ञान, कृषि, पोषण और प्रौद्योगिकी को जोड़ते हुए खाद्य और स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सहयोगी रोडमैप तैयार करना है।

भारत की खाद्य और कृषि क्षेत्र में प्रगति:

- पिछले एक दशक में भारत ने खाद्य उत्पादन और कृषि विविधीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जबकि फलों और सब्जियों के उत्पादन में लगभग 64 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत अब दूध और मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन में विश्व में प्रथम तथा फल, सब्जियों और मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। 2014 के बाद से शहद और अंडा उत्पादन भी दोगुना हो गया है, जो व्यापक कृषि विकास का संकेत है।
- पिछले 11 वर्षों में भारत के कृषि निर्यात लगभग दोगुने हो गए हैं, जिससे वह वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में एक प्रमुख स्थान पर पहुंच गया है। ये उपलब्धियाँ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफलता को दर्शाती हैं अर्थात, विशाल जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। किंतु अब चुनौती पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की है, जिसके लिए आहार की गुणवत्ता में सुधार और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना आवश्यक है।

पोषण सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

- पोषण सुरक्षा केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि लोगों को आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर संतुलित आहार मिले ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। खाद्य प्रचुरता के बावजूद भारत अब भी गंभीर पोषण चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - ICMR ने 1990 से 2016 के बीच गैर-संचारी रोगों (NCDs) में 25% की वृद्धि दर्ज की है, जिनमें से कई का संबंध खराब खानपान से है।
  - विश्व की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत में रहता है।
  - हालांकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन (stunting) 38% (2015–16) से घटकर 35% (2019–21) हो गया है, परंतु यह अब भी चिंताजनक स्तर पर है।
- स्थिति को और गंभीर बनाते हुए, मिट्टी और फसलों में पोषक तत्वों की कमी तथा आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे विषैले धातुओं की

उपस्थिति ने प्रमुख अनाजों को कम पौष्टिक बना दिया है। इससे तंत्रिका, हृदय और अस्थि-मांसपेशी तंत्र से संबंधित रोगों का खतरा बढ़ा है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु प्रमुख सरकारी पहलें:

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM):**
  - » मूल रूप से 2007–08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के रूप में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाकर चावल, गेहूं और दलहनों का उत्पादन बढ़ाना, मिट्टी का पुनर्स्थापन और किसानों को सशक्त बनाना था।
  - » 2024–25 में इसे विस्तारित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) नाम दिया गया, ताकि फसल उत्पादकता के साथ पोषण परिणामों को भी जोड़ा जा सके। यह सरकार के उद्देश्य को दर्शाता है कि वह खाद्य मात्रा के साथ-साथ पोषण गुणवत्ता को भी बढ़ाना चाहती है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:**
  - » NFSA भारत की खाद्य वितरण प्रणाली का आधारस्तंभ है। यह ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% (लगभग 81.35 करोड़ लोगों) को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
  - » अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज मिलता है, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मिलता है।
  - » वर्तमान में लगभग 79 करोड़ लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे गरीब परिवारों तक नियमित रूप से भोजन पहुंचे। NFSA और NFSNM मिलकर उत्पादन और वितरण दोनों को जोड़ते हुए कृषि को सामाजिक कल्याण से एकीकृत करते हैं।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):**
  - » COVID-19 महामारी के दौरान शुरू की गई यह योजना NFSA लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर आर्थिक संकट से राहत देने हेतु प्रारंभ की गई थी। अब यह एक दीर्घकालिक सुरक्षा जाल के रूप में विकसित हो गई है।
  - » जनवरी 2024 से सरकार ने इस मुफ्त खाद्यान्न योजना को पाँच वर्षों के लिए ₹11.8 लाख करोड़ की अनुमानित लागत पर (पूरी तरह केंद्र द्वारा वहन) बढ़ा दिया है। इस कदम से सुनिश्चित किया गया है कि महंगाई या आय में गिरावट के कारण कोई भी परिवार भूखा न बने।
- **पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना:**
  - » पहले मिड-डे मील योजना के नाम से जानी जाने वाली यह योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 14 वर्ष तक के छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों के पोषण और उपस्थिति में सुधार करती है।
  - » यह सीखने के परिणामों को बेहतर बनाती है, ड्रॉपआउट दर को कम करती है और सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के लिए 22.96 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं आवंटित किए गए, जो राष्ट्रीय पोषण एजेंडा में इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है।
- **फोर्टिफाइड चावल योजना (Rice Fortification Initiative):**
  - » सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी से निपटने के लिए भारत ने सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में चावल सुदृढ़ीकरण लागू किया है। सुदृढ़ित चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 होते हैं, जो एनीमिया और अन्य कमियों को दूर करते हैं।
  - » यह कार्यक्रम 2019 में एक पायलट के रूप में शुरू हुआ और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया गया। मार्च 2024 तक PMGKAY, NFSA, ICDS और PM POSHAN के तहत वितरित 100% चावल सुदृढ किए जा चुके थे।
  - » मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिसंबर 2028 तक सुदृढ़ चावल वितरण को जारी रखने को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹17,082 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुदृढ़ीकरण योजनाओं में से एक है।

सार्वजनिक वितरण में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार:

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का आधुनिकीकरण कर रही है ताकि दक्षता, पारदर्शिता और पोर्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके।

- **SMART-PDS पहल:** स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी (SMART-PDS) दिसंबर 2025 तक लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य क्रय, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, राशन कार्ड प्रणाली और बायोमेट्रिक अनाज वितरण का डिजिटलीकरण करना है।
- **मेरा राशन 2.0:** अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया यह उन्नत मोबाइल ऐप राशन अधिकारों और नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड से डिजिटल अपनाने में बढ़ोतरी दिखाई देती है।

- अन्य सुधारों में शामिल हैं:
  - राशन कार्डों और लाभार्थी डाटाबेस का 100% डिजिटलीकरण।
  - प्रमाणीकरण हेतु 99.9% आधार सीडिंग।
  - पारदर्शी लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक-सक्षम उचित मूल्य की दुकानें।
  - वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) पहल, जो राज्यों के बीच राशन पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है।

बाज़ार स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना:

- **ओपन मार्केट सेल स्कीम- घरेलू (OMSS-D):** ओपन मार्केट सेल स्कीम अतिरिक्त गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचकर खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करती है। यह उपलब्धता सुनिश्चित करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है और खाद्य पदार्थों को सुलभ बनाए रखती है। इसके अंतर्गत सरकार ने भारत आटा और भारत चावल ब्रांड लॉन्च किए हैं ताकि उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले मूल्यों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
- **दालों में आत्मनिर्भरता मिशन:** अक्टूबर 2025 में ₹11,440 करोड़ के बजट के साथ शुरू किया गया यह मिशन 2031 तक दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का विस्तार करना और लगभग दो करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह मिशन पोषण और आर्थिक सुरक्षा दोनों लक्ष्यों को जोड़ता है।

वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन:

- सितंबर में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भारत ने स्वयं को "वैश्विक खाद्य केंद्र" के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें 90 से अधिक देशों और 2,000 प्रदर्शकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत की खाद्य प्रसंस्करण, स्थिरता और नवाचार आधारित कृषि में प्रगति को प्रदर्शित किया गया।
- इसके अतिरिक्त, WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ने भारतीय थाली को विश्व के सबसे स्थायी और पौष्टिक आहारों में से एक बताया। मुख्यतः पौध-आधारित भारतीय आहार संसाधनों के न्यूनतम उपयोग और कम उत्सर्जन के कारण यह दर्शाता है कि पारंपरिक खाद्य प्रणालियाँ स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों का समर्थन कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की दिशा में भारत की यात्रा एक व्यापक परिवर्तन को दर्शाती है जो विज्ञान, नवाचार और जनकल्याण को एकीकृत करती है। देश ने न केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाया है, बल्कि अब यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि भोजन सुरक्षित, पौष्टिक और समान रूप से वितरित हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, फोर्टिफाइड चावल योजना, पीएम पोषण और SMART-PDS जैसी पहलें भारत को एक मजबूत ढांचा प्रदान कर रही हैं, जो कृषि उत्पादकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और डिजिटल शासन को जोड़ती हैं।

संक्षिप्त मुद्दे

भारत सरकार ने चार नए श्रम संहिता अधिसूचित किए

संदर्भ:

21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चार एकीकृत श्रम संहिताओं "मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020" को अधिसूचित कर लागू कर दिया। यह कदम स्वतंत्रता के बाद देश में श्रम कानूनों के ढांचे में किए गए सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण सुधारों में से एक माना जा रहा है।

श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएँ:

- **मज़दूरी संहिता, 2019:**
  - पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज (न्यूनतम आधार मजदूरी) निर्धारित की जाती है, ताकि राज्यों के बीच मजदूरी में अत्यधिक अंतर न रहे।
  - मजदूरी के समय पर भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे श्रमिकों को वेतन मिलने में देरी न हो।
  - "वेज़" (Wage) की परिभाषा को अधिक स्पष्ट और व्यापक किया गया है, ताकि वेतन के अधिक घटक शामिल हों। इससे बेसिक वेज बढ़ेगा, जिस पर PF, ग्रेच्युटी जैसे लाभ निर्भर करते हैं।

- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:**
  - श्रम विवादों के समाधान के लिए श्रम न्यायाधिकरणों (Labour Tribunals) की संरचना को सरल और प्रभावी बनाया गया है।
  - सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) को प्रोत्साहन दिया गया है, साथ ही कंपनियों को मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है।
  - छंटनी (Layoff) के लिए सरकारी अनुमति की अनिवार्यता की सीमा बढ़ाई गई है, पहले यह सीमा 100+ कर्मचारियों तक थी, अब 300 कर्मचारियों तक कर दी गई है। इससे कंपनियों को कार्यबल प्रबंधन में अधिक सुविधा मिलेगी।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:**
  - सामाजिक सुरक्षा का दायरा व्यापक किया गया है। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया है।
  - असंगठित और गिग वर्करों के लिए कल्याण योजनाओं को सहायता देने हेतु सामाजिक सुरक्षा कोश की स्थापना की गई है।
  - **सुगमता:** योगदान और लाभ पूरे देश में किसी भी राज्य में लिया जा सकते हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
  - फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पात्रता अवधि घटाकर सिर्फ एक वर्ष कर दी गई है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020:**
  - सभी क्षेत्रों के कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं।
  - 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच मुफ्त और अनिवार्य की गई है।
  - **कार्य घंटे:** प्रतिदिन 8–12 घंटे कार्य की अनुमति है, लेकिन सप्ताह में कुल 48 घंटे की सीमा तय है। ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा।
  - सभी प्रतिष्ठानों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न सिस्टम लागू किया गया है, जिससे अनुपालन बोझ और कागजी कार्य कम होगा।
  - निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर मॉडल अपनाया गया है, जिससे निरीक्षक दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे, ताकि नियमों का पालन सरल हो सके।
  - महिलाओं की नाइट शिफ्ट की अनुमति दी गई है, लेकिन उनकी सहमति और उचित सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य है।

निष्कर्ष:

केंद्र द्वारा चार नई श्रम संहिताओं की अधिसूचना भारत में श्रम सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम है। इन संहिताओं का लक्ष्य श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और अधिकारों को सुदृढ़ करना है, साथ ही उद्योगों को अधिक लचीला, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी कार्य वातावरण प्रदान करना। 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत और सरल बनाकर सरकार एक ऐसा श्रम ढांचा विकसित करना चाहती है जो वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और आने वाले वर्षों की चुनौतियों का भी प्रभावी रूप से सामना कर सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

संदर्भ:

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के विस्तार की घोषणा की है। खरीफ 2026 से फसल बीमा में जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान और धान के पानी में डूबने (पैडी इनंडेशन) से होने वाली क्षति को भी शामिल किया जाएगा। यह निर्णय कई राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, जो किसानों को स्थानीय और गंभीर फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर लगातार जोर देते रहे हैं।

विस्तार की मुख्य विशेषताएँ:

पहलू	विवरण
जंगली जानवरों के हमले का कवर	स्थानीय जोखिम श्रेणी के तहत इसे पाँचवें ऐड-ऑन के रूप में शामिल किया गया है। राज्य सरकारें ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर उन जंगली जानवरों और जिलों की पहचान करेंगी जहाँ फसल को अधिक नुकसान होता है। किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियोटैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी।

धान की फसल डूबने पर कवर	बाढ़-प्रवण और तटीय राज्यों के लिए इसे स्थानीय आपदा कवर के रूप में पुनः लागू किया गया है। 2018 में मूल्यांकन संबंधी चुनौतियों के कारण इसे हटाया गया था, लेकिन लगातार होने वाले डूबने के जोखिम को देखते हुए इसे फिर से शामिल किया गया है।
लाभान्वित होने वाले राज्य	**जंगली जानवरों के हमले:** ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तथा उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्य (असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश)। **धान की डूबने से प्रभावित राज्य:** ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड।
क्रियान्वयन	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालन दिशा-निर्देशों के आधार पर एक ऐसा ढाँचा तैयार किया गया है, जिससे योजना को पूरे देश में वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यावहारिक तरीके से लागू किया जा सके।
रिपोर्टिंग और दावा निपटान	नुकसान की सूचना मोबाइल ऐप पर 72 घंटे के भीतर दर्ज करनी होगी। दावों का निपटान तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा ताकि भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके।

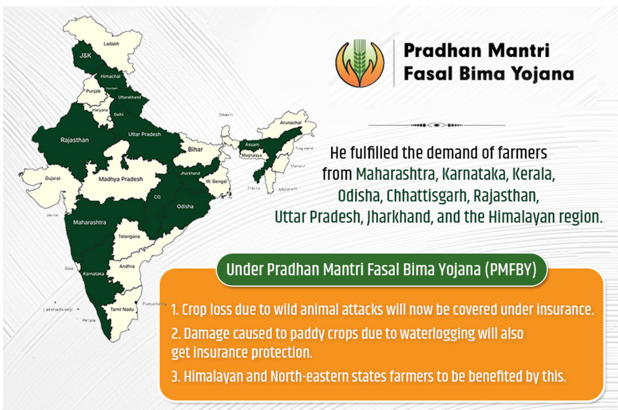

पृष्ठभूमि:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को किसानों को किफायती और व्यापक फसल बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक होने वाले सभी गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों को शामिल करती है।
- अब तक 36 करोड़ से अधिक किसान इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, और ₹1.82 लाख करोड़ से ज्यादा के दावों का भुगतान किया जा चुका है। यह स्पष्ट करता है कि कृषि जोखिम प्रबंधन में यह योजना कितनी प्रभावी और महत्वपूर्ण रही है।
- कई राज्यों ने लंबे समय से जंगली जानवरों "जैसे हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर, बंदर और हिरण" द्वारा फसल को होने वाले नुकसान को बीमा कवरेज में शामिल करने की मांग की थी। ये जानवर धान, केला, सुपारी, रागी, मक्का, कपास, तूर और गन्ने जैसी कई फसलों को व्यापक नुकसान पहुँचाते हैं।

महत्व:

- यह किसानों को स्थानीय, अचानक और गंभीर फसल क्षति की स्थिति में अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है।
- टेक्नोलॉजी आधारित रिपोर्टिंग और क्लेम प्रोसेस से मुआवजा तेज़, पारदर्शी और समय पर मिलता है।
- मानव–वन्यजीव संघर्ष क्षेत्रों और बाढ़ प्रभावित तटीय इलाकों में बीमा सुरक्षा की कमी को पूरा करता है।
- यह PMFBY को किसान कल्याण, जोखिम-प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए और प्रभावी बनाता है।

निष्कर्ष:

जंगली जानवरों के हमलों और धान के डूबने को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करना एक सार्थक और दूरदर्शी नीति निर्णय है। यह किसानों के बदलते जोखिमों को स्वीकार करता है और पूरे देश के कृषि समुदायों के लिए एक मज़बूत, तकनीक-सक्षम सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

कैबिनेट ने ₹25,060 करोड़ के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission – EPM) को मंजूरी प्रदान की है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में भारत के निर्यात को, विशेष रूप से एम.एस.एम.ई के पहली बार के

निर्यातकों और श्रम क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए की गई थी।

निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में:

- निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर एक परिणाम-आधारित ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। इसे वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, उद्योग संगठनों और राज्य सरकारों के सहयोग से तैयार किया गया है।
- इस मिशन का लक्ष्य 2025–26 से 2030–31 की अवधि के लिए कुल ₹25,060 करोड़ के बजट के साथ एक सरल, अधिक सक्षम और डिजिटल रूप से संचालित निर्यात सहायता प्रणाली स्थापित करना है।

- यह मिशन दो प्रमुख उप-योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा:
  - **निर्यात प्रोत्साहन:** इस उप-योजना का उद्देश्य एमएसएमई को सुलभ और आसान व्यापार वित्त उपलब्ध कराना है। इसके तहत ब्याज सब्सिडी, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, जमानत गारंटी, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड तथा नए बाजारों में प्रवेश के लिए क्रेडिट समर्थन जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
  - **निर्यात दिशा:** यह उप-योजना गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें "गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग समर्थन, व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सहायता, आंतरिक परिवहन की प्रतिपूर्ति, व्यापार संबंधी जानकारी तथा क्षमता-विकास सहायता" शामिल हैं।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) इस पूरे मिशन को एक पूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू करेगा। यह प्लेटफॉर्म मौजूदा व्यापार प्रणालियों के साथ एकीकृत होगा, जिससे आवेदन, निगरानी और भुगतान की प्रक्रिया अधिक सहज, सुगम और पारदर्शी बन सकेगी।

अपेक्षित लाभ:

- एमएसएमई के लिए सुलभ और आसान व्यापार वित्त तक पहुँच में सुधार।
- गुणवत्ता, प्रमाणन और अनुपालन क्षमता में वृद्धि।
- भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग, दृश्यता और वैश्विक बाजारों तक पहुँच का विस्तार।
- गैर-पारंपरिक जिलों से निर्यात को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

निष्कर्ष:

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर निर्यात संवर्धन मिशन एक दूरदर्शी पहल है, जो भारत के निर्यात क्षेत्र को अधिक समावेशी, तकनीक-सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन विकसित भारत @2047 की दृष्टि को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ग्रामीण आवास मुद्रास्फीति को मापने के लिए नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सन्दर्भ:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की कार्यप्रणाली में एक बड़ा संशोधन प्रस्तावित किया है, ताकि आवास मुद्रास्फीति के मापन को अधिक सटीक और प्रतिनिधित्व बनाया जा सके।

पृष्ठभूमि:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का प्रमुख मापदंड है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मुद्रास्फीति

लक्ष्यीकरण ढांचे का नाममात्र एंकर (nominal anchor) के रूप में कार्य करता है।

- वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रणाली में:
  - » आवास (Housing) का भार शहरी क्षेत्रों में 21.67 प्रतिशत और संपूर्ण भारत स्तर पर 10.07 प्रतिशत है।
  - » अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय से यह संकेत किया है कि यह दृष्टिकोण परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविक मुद्रास्फीति को कम दर्शाता है, विशेष रूप से महामारी के बाद किराए में वृद्धि और ग्रामीण आवास लागतों के बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में।

नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पद्धति की मुख्य विशेषताएँ:

- आगामी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बेस संशोधन (संभावित रूप से 2026 की शुरुआत में लागू होने वाला) के साथ, नया ढांचा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वास्तविक बाजार गतिशीलता को बेहतर तरीके से पकड़ने का प्रयास करेगा।
  - » अब किराए से संबंधित डेटा सभी चयनित आवासों से मासिक रूप से एकत्र किया जाएगा, जबकि पहले यह केवल एक-छठे नमूने के लिए हर छह महीने में लिया जाता था।
  - » यह विस्तार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के तकनीकी परामर्श के अनुरूप है, ताकि किराए के अनुमान में "नीचे की ओर पक्षपात (downward bias)" से बचा जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए, गृह उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023–24 के डेटा का उपयोग किया जाएगा, जिसमें किराए पर रहने वाले और स्वामित्व वाले (owner-occupied) दोनों घरों का भुगतान किया गया किराया और काल्पनिक किराया (imputed rent) दर्ज किया गया है।
- यह वर्तमान प्रणाली से एक बड़ा परिवर्तन है, जिसमें ग्रामीण आवास को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि पुराने HCES 2011–12 में तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नहीं था।
- रियायती या नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास को बाहर करके, नया सूचकांक उन विकृतियों को समाप्त करता है जो वेतनमान से जुड़े गैर-बाजार किरायों के कारण उत्पन्न होती थीं, न कि वास्तविक बाजार दरों के कारण।
- यह सुधार भारत के CPI ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नीति-निर्माताओं द्वारा मौद्रिक व राजकोषीय निर्णयों में प्रयुक्त मुद्रास्फीति संकेतकों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
- MoSPI ने इस प्रस्ताव पर 20 नवंबर 2025 तक जन प्रतिक्रिया (public feedback) आमंत्रित की है, जो पारदर्शिता और हितधारक परामर्श के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है।

महत्त्व:

- **मुद्रास्फीति का अधिक सटीक मापन:** आवास व्यय परिवारों के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होता है और इसमें अशुद्धि से संपूर्ण CPI विकृत हो सकता है। ग्रामीण किराए को शामिल करने और गैर-बाजार आवासों को हटाने से परिवारों पर पड़ने वाले वास्तविक मुद्रास्फीति दबावों की अधिक सटीक जानकारी मिलेगी।
- **बेहतर नीतिगत निर्माण:** सटीक CPI डेटा निम्नलिखित के लिए अत्यंत आवश्यक है:
  - » RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति के तहत मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु।
  - » सरकार की कल्याणकारी सूचकांक व्यवस्था, जैसे महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) समायोजन के लिए।
  - » राजकोषीय नीतियों से संबंधित निर्णयों हेतु — जैसे सब्सिडी, सामाजिक आवास और गरीबी के आकलन।
- **सांख्यिकीय आधुनिकीकरण (Statistical Modernisation):** यह पहल भारत की CPI पद्धति को वैश्विक मानकों के करीब लाती है, जैसे- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शहरी और ग्रामीण दोनों आवास सूचकांकों को सम्मिलित कर हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) की गणना की जाती है।

वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025

सन्दर्भ:

हाल ही में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) ने यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज (EURICSE) की सहयोग से विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में भारत की अमूल (Amul) और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने टर्नओवर-टू-जीडीपी प्रति व्यक्ति अनुपात (turnover relative to GDP per capita) में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है।

मुख्य निष्कर्ष:

- शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं का संयुक्त कारोबार वर्ष 2023 में 2.79 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- कारोबार के आधार पर कृषि क्षेत्र (35.7%) और बीमा क्षेत्र (31.7%) शीर्ष पर रहे, जबकि थोक एवं खुदरा व्यापार (18%) तीसरे स्थान पर रहा।
- कारोबार के दृष्टि से अग्रणी संगठन हैं — ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल (फ्रांस), स्टेट फार्म (अमेरिका) और रेवे ग्रुप (जर्मनी)।
- जीडीपी प्रति व्यक्ति के आधार पर कारोबार के अनुपात में भारत की अमूल और IFFCO शीर्ष पर रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) में सहकारी संस्थाओं की भूमिका मजबूत हो रही है।
- यूरोप और अमेरिका की संस्थाएँ अब भी शीर्ष 300 में सर्वाधिक हैं, लेकिन एशिया-प्रशांत (Asia-Pacific) और अफ्रीका की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

- **अमूल:**
  - मुख्यालय: गुजरात
  - जीडीपी प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान।
  - वार्षिक कारोबार (2023–24): 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹60,000 करोड़)
  - प्रतिदिन दूध संग्रह: 3.5 करोड़ लीटर
  - नेटवर्क: 18,600 ग्राम दुग्ध समितियाँ, 33 जिलों में कार्यरत
- **आईएफएफसीओ (IFFCO):**
  - स्थापना: 1967, मुख्यालय: नई दिल्ली
  - भारत की सबसे बड़ी खाद्य (fertiliser) सहकारी संस्था
  - नेटवर्क: 35,000 सदस्य सहकारी समितियाँ, जो 5 करोड़ किसानों तक पहुँचती हैं

उपलब्धि का महत्व:

- **वैश्विक पहचान:** यह सफलता भारत के सहकारी मॉडल को एक वैश्विक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है, जो ग्रामीण सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
- **महिला सशक्तिकरण:** अमूल की सफलता में लाखों महिला दुग्ध उत्पादकों की मेहनत शामिल है, जिन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति दोनों हासिल की हैं।
- **कृषि समर्थन:** IFFCO की उपलब्धि यह दर्शाती है कि वह किसानों को सस्ते उर्वरक और बेहतर सहकारी प्रबंधन के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा दे रही है।

निष्कर्ष:

विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2025 दुनिया भर में सहकारी आंदोलन की प्रगति का सटीक और व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। भारत के लिए, अमूल और IFFCO की सफलता यह दिखाती है कि सहकारी मॉडल समावेशी विकास का प्रभावी साधन बन सकता है। आगे चलकर, इस मॉडल को संस्थागत, आधुनिक और विस्तारित करने के लिए नीतिगत कदम उठाना जरूरी होगा, ताकि इसे राष्ट्रीय विकास से जोड़ा जा सके।

भारत-यूरोप के बीच सीमा-पार भुगतान प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को यूरोसिस्टम (यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित) के टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (TIPS) प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण की शुरुआत की घोषणा की है।

मुख्य विशेषताएं:

- **उद्देश्य:**
  - इस पहल का उद्देश्य भारत–यूरोज़ोन गलियारे में निर्बाध (Seamless) भुगतान को सक्षम करने के लिए UPI और TIPS को आपस में जोड़ना है।
- **रणनीतिक पक्ष:**
  - यह G20 के उस रोडमैप के अनुरूप है जिसका उद्देश्य सीमा-पार भुगतान को तेज़, सस्ता, अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाना है।
  - यह यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रिटेल पेमेंट रणनीति को समर्थन देता है और यूरो की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को मजबूत करता है।
  - UPI की अंतरराष्ट्रीय पहुँच बढ़ाकर भारत की वैश्विक उपस्थिति को व्यापक बनाता है।
- **लाभ:**
  - अंतरसंचालनीयता (Interoperability) और सुगम भुगतान प्रवाह के कारण प्रेषण (Remittances) लागत कम होती है।
  - इससे तेज़ सेटलमेंट अर्थात सीमा-पार लगभग रियल-टाइम भुगतान संभव होता है।
  - यह वित्तीय समावेशन और दक्षता को बढ़ाता है, जिससे प्रवासी श्रमिकों, विदेश में रहने वालों, लघु और मध्यम उद्यम (SMEs)

और अंतरराष्ट्रीय भुगतान उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलता है।

» यह भारत की वैश्विक डिजिटल भुगतान नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है, जिससे विश्व स्तर पर UPI की स्थिति और सुदृढ़ होती है।

- **चुनौतियाँ:**
  » विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों (jurisdictions) के नियमों, डेटा मानकों और अनुपालन से जुड़ी नियामकीय और कानूनी चुनौतियाँ।
  » **जोखिम प्रबंधन चुनौतियाँ:** क्रेडिट जोखिम, संचालन संबंधी जोखिम तथा सेटलमेंट जोखिम।
  » **तकनीकी एकीकरण की समस्याएँ:** इंटरऑपरेबिलिटी, 24×7 विश्वसनीयता, और धोखाधड़ी रोकथाम की आवश्यकता।
  » INR–यूरो विनिमय तथा तरलता प्रबंधन से जुड़ा मुद्रा जोखिम।
  » बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSPs), अंतिम उपयोगकर्ताओं की पर्याप्त सहभागिता तथा जागरूकता और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता।

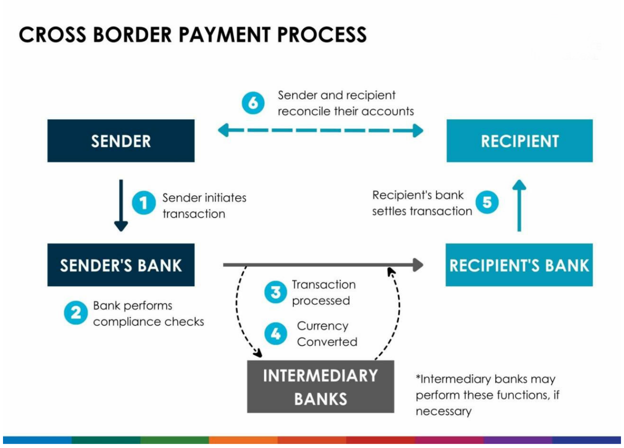

यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार के बारे में:

- **यूपीआई के बारे में:**
  » यह NPCI द्वारा विकसित एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली, जो तत्काल बैंक-से-बैंक ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है।
  » एक ही मोबाइल ऐप कई बैंक खातों से जुड़ सकता है; भुगतान QR कोड, UPI ID, या मोबाइल नंबर के माध्यम से किए जा सकते हैं।
  » भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम का प्रमुख आधार जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, नकदी पर निर्भरता कम करता है और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **वे देश जहाँ UPI स्वीकार किया जाता है:**
  » भूटान
  » फ्रांस
  » मॉरीशस
  » नेपाल
  » कतर
  » सिंगापुर
  » श्रीलंका
  » संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- **अंतर्राष्ट्रीय विस्तार:**
  » विस्तार का नेतृत्व NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) कर रहा है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  » सीधे भुगतान लिंक (Direct Payment Linkages) विकसित करना
  » देशों को अपनी स्वयं की रियल-टाइम भुगतान प्रणालियाँ बनाने में सहायता करना।
- **प्रमुख सफल उदाहरण:**
  » UPI–PayNow (सिंगापुर) लिंक
  » वैश्विक साझेदारों जैसे Lyra, Liquid Group आदि के माध्यम से UPI की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति

निष्कर्ष:

UPI-TIPS लिंक का वास्तविक क्रियान्वयन वैश्विक भुगतान ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह सिर्फ़ तकनीकी एकीकरण नहीं, बल्कि सीमा-पार वित्तीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली एक रणनीतिक उपलब्धि है। इसके लागू होने के बाद भारत और यूरोप के बीच प्रेषण (Remittances) से जुड़ी जटिलताएँ और लागत दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से प्रवासी भारतीय समुदाय (डायस्पोरा) और लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सीधा लाभ मिलेगा।

7 आंतरिक सुरक्षा

भारत का नक्सलवाद विरोधी समेकित मॉडलः विकास, विश्वास और सुरक्षा

सन्दर्भः

18 नवंबर 2025 को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी (नक्सली) कमांडर माड़वी हिड़मा (संतोष) को ढेर कर दिया। नक्सल आंदोलन की रणनीति और नेतृत्व संरचना में उसकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए, यह घटना भारत सरकार की नक्सल उन्मूलन की समग्र नीति के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। इसके पूर्व माओवादी संगठन में अहम आर्थिक भूमिका निभाने वाले माओवादी लीडर बंदी प्रकाश ने तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 258 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया था। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर जो कभी नक्सली आतंक का गढ़ माना जाता था, को नक्सली प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया। यह घटनाक्रम नक्सल समूहों की कमज़ोर होती पकड़ और भारत के संविधान में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। भारत सरकार 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पृष्ठभूमिः

- दशकों से नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बना रहा है। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में शोषण के खिलाफ एक किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। समय के साथ यह मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में फैले एक माओवादी विद्रोह में बदल गया, जिसे आमतौर पर 'रेड कॉरिडोर' के नाम से जाना जाता है।
- इस आंदोलन की जड़ें गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानता, भूमि अधिकारों की कमी और जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों की उपेक्षा में निहित हैं। सशस्त्र समूहों ने इस असंतोष का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे राज्यों के वनों वाले क्षेत्रों में समानांतर शासन स्थापित कर लिया।

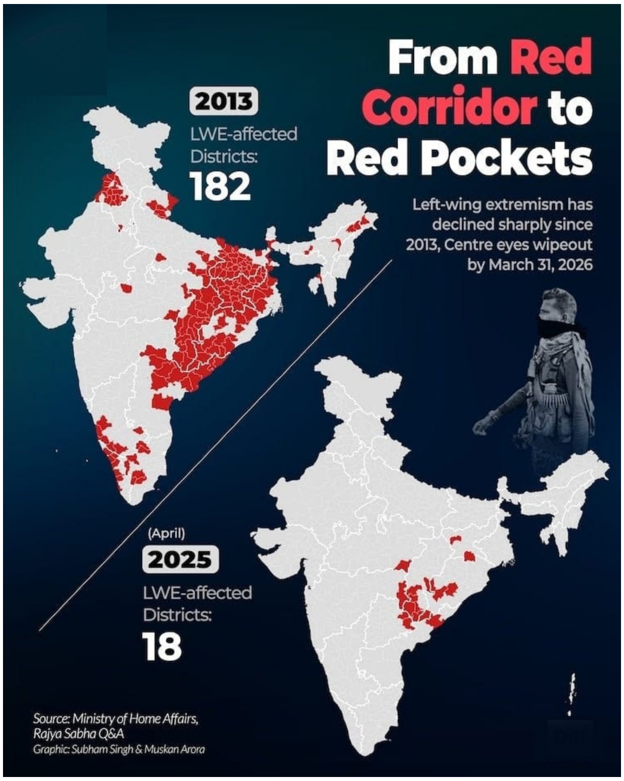

रणनीति में बदलावः

- पहले की प्रतिक्रियाएँ मुख्यतः पुलिस अभियानों पर केंद्रित थीं। नया मॉडल अधिक व्यापक है इसमें संवाद, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और सामाजिक एकीकरण को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सड़कों, स्कूलों, बैंकों और नौकरियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की

जा सके।

- यह एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है हमले के बाद प्रतिक्रिया देने से लेकर उन परिस्थितियों को सक्रिय रूप से समाप्त करने तक, जिनसे उग्रवाद पनपता है।

हिंसा में स्पष्ट गिरावट:

- 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा की घटनाएँ आधे से भी अधिक घट गईं, लगभग 16,400 से घटकर 7,700 के आसपास।
  - » सुरक्षा कर्मियों की मौतें 1,851 से घटकर 509 रह गईं।
  - » नागरिकों की मौतें 4,766 से घटकर 1,495 रह गईं।
- सिर्फ 2025 में ही सुरक्षा एजेंसियों ने 270 नक्सलियों को मार गिराया, 680 को गिरफ्तार किया और 1,200 से अधिक आत्मसमर्पण सुनिश्चित किए। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियान और बड़े आत्मसमर्पण अभियान दर्शाते हैं कि विद्रोही तेजी से मुख्यधारा में लौटने को तैयार हैं।

सुरक्षा तंत्र को मज़बूत बनाना:

- सुरक्षा तंत्र अब पहले से अधिक मज़बूत और स्मार्ट है। पिछले दशक में बलों ने 570 से अधिक सुदृढ़ पुलिस थाने और 336 नए कैंप बनाए हैं, जिससे उन क्षेत्रों में उपस्थिति संभव हुई है जो पहले दुर्गम थे। 2014 में जहां 126 जिले प्रभावित थे, वहीं अब केवल 18 जिले ही प्रभावित हैं और केवल 6 ही "गंभीर" श्रेणी में हैं।
- 68 नाइट-लैंडिंग हेलीपैड्स से गतिशीलता और प्रतिक्रिया समय बेहतर हुआ है, जबकि ड्रोन निगरानी, उपग्रह इमेजिंग और एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स जैसे उन्नत उपकरण अब अभियानों को दिशा देते हैं। एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने से अब यादृच्छिक खोज अभियानों की जगह सटीक ऑपरेशन हो रहे हैं।

धन प्रवाह पर अंकुश:

- नक्सली समूहों को जीवित रखने वाले वित्तीय नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया है। एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ने ₹50 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि राज्यों ने भी समान मूल्य की संपत्तियाँ फ्रीज़ की हैं। जबरन वसूली श्रृंखलाओं और फंडिंग चैनलों पर प्रहार कर सरकार ने न केवल उनकी भौतिक बल्कि मनोवैज्ञानिक ताकत भी कमजोर की है।
- शहरी सहानुभूति रखने वाले जो कभी आंदोलन के वैचारिक और वित्तीय अंग थे, पर भी सख्त कार्रवाई हुई है, जिससे उनकी प्रचार फैलाने की क्षमता घट गई है।

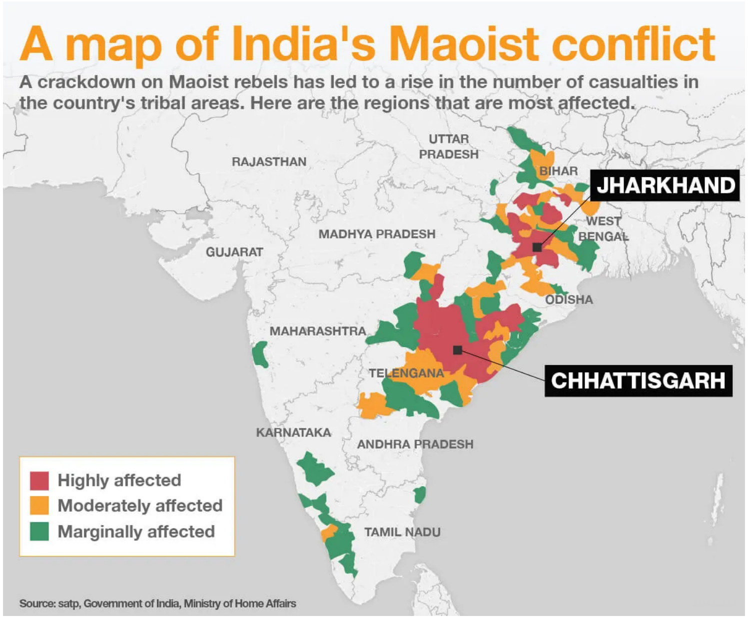

राज्यों और बलों को सशक्त बनाना:

- चूंकि सुरक्षा मुख्यतः राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र ने स्थानीय पुलिस को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - » सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (SRE) योजना के तहत राज्यों को ₹3,300 करोड़ से अधिक मिले हैं जो पिछले दशक की तुलना में 155% की वृद्धि है।
  - » स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (SIS) के तहत खुफिया इकाइयों और विशेष बलों को ₹991 करोड़ से मज़बूत किया गया है।
  - » स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (SCA) फंड के माध्यम से विकास संबंधी सहायता ₹3,700 करोड़ से अधिक रही है, जिसका उद्देश्य LWE जिलों में सेवाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है।
- यह फंडिंग सुनिश्चित करती है कि राज्य केवल उग्रवाद से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उसकी पुनरावृत्ति को रोकने की क्षमता भी बना रहे हैं।

विकास:

केवल सुरक्षा से उग्रवाद समाप्त नहीं होगा, इसके लिए विकास भी

महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में नक्सल-प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे को लेकर अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

- **सड़क संपर्क:** पिछले दशक से अब तक 12,000 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे आंतरिक गांव अब बाज़ारों, स्कूलों और अस्पतालों से जुड़ गए हैं।
- **मोबाइल और इंटरनेट पहुँच:** कमज़ोर कनेक्टिविटी ने कभी इन इलाकों को अलग-थलग रखा था। अब बहु-चरणीय परियोजनाओं के तहत हज़ारों 2G और 4G टावर लगाए गए हैं, जिससे समुदाय डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** नए बैंक शाखाएँ, एटीएम और 37,000 से अधिक बैंकिंग संवाददाता सुनिश्चित करते हैं कि लोग अब नकद चैनलों पर निर्भर न रहें, जिन्हें पहले नक्सलियों ने नियंत्रित किया था। लगभग 6,000 डाकघर अब वित्तीय और डाक सेवाओं की अंतिम-मील डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** कौशल विकास योजना के तहत सरकार ने अधिकांश प्रभावित जिलों में आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों को वित्त पोषित किया है। ये केंद्र स्थानीय युवाओं को ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हैं जो स्थायी रोजगार प्रदान करते हैं और उग्रवादी भर्ती की आकर्षण को कम करते हैं।
- **स्थानीय भर्ती:** 2018 में बस्तरिया बटालियन का गठन जो मुख्यतः दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के जनजातीय युवाओं से बनी है, स्थानीय आबादी और राज्य के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

क्षेत्र की पुनः प्राप्ति:

- ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल और चक्रबंध जैसे अभियानों ने कई लंबे समय से चले आ रहे माओवादी ठिकानों को पुनः प्राप्त करने में मदद की है। बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ, बारमसिया, छकरबंधा और अबूझमाड़ में रणनीतिक प्रगति से पता चलता है कि सेना अब उन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रही है जो कभी अभेद्य थे।
- सिर्फ 2024 में ही प्रमुख मुठभेड़ों में वरिष्ठ माओवादी नेताओं को समाप्त किया गया, जिससे उनके नेतृत्व को झटका लगा। इन क्षेत्रों में अब पुलिस कैंप, स्कूल और छोटे बाजार स्थापित हो रहे हैं जो सामान्य स्थिति के स्पष्ट संकेत है।

पुनर्वास और पुनः एकीकरण:

- सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति सख्ती और सहानुभूति के बीच संतुलन बनाती है। जो पूर्व कैडर आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है:
  - वरिष्ठ नेताओं के लिए ₹5 लाख,
  - निचले कैडर के लिए ₹2.5 लाख, और
  - कौशल प्रशिक्षण के दौरान तीन वर्षों तक ₹10,000 प्रति माह।
- केवल 2025 में ही 500 से अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि छत्तीसगढ़ में दो वर्षों में 1,000 से अधिक ने हथियार डाले। ये कार्यक्रम पूर्व उग्रवादियों को सामुदायिक कार्यकर्ता, उद्यमी और यहाँ तक कि सुरक्षा स्वयंसेवक बनने में मदद करते हैं जो परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली प्रमाण है।

शेष चुनौतियाँ:

- हालाँकि नक्सलियों की ताकत काफी घट गई है पर यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
  - कट्टरपंथी विचारधारा अभी भी बिखरे समूहों को राज्य के विरुद्ध प्रेरित करती है।
  - शहरों में मौजूद अग्रिम संगठन कानूनी दायरे में रहकर प्रचार फैलाते और धन जुटाते हैं।
  - घने वनों वाले दुर्गम इलाकों में निरंतर पुलिसिंग कठिन है।
  - जनजातीय समुदायों और स्थानीय प्रशासन के बीच विश्वास की कमी विकास की गति को धीमा कर सकती है।

निष्कर्ष:

भारत का नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान अब केवल बंदूक और गश्त तक सीमित नहीं है। यह भटके हुए नागरिकों से पुनः जुड़ने और राज्य में विश्वास बहाल करने का प्रयास है। हिंसा में तेज़ गिरावट, दुर्गम क्षेत्रों में शासन की वापसी और पूर्व कैडरों का पुनर्वास एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के संकेत हैं। यदि यह एकीकृत दृष्टिकोण जो सुरक्षा, विकास और विश्वास पर आधारित है, सतत रूप से लागू रहा, तो यह भारत के सबसे लंबे आंतरिक संघर्षों में से एक का अंत कर सकता है और स्थायी शांति में बदल सकता है।

भारत-अमेरिका ने 10 वर्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी रूपरेखा पर समझौता किया

संदर्भः

भारत और अमेरिका ने हाल ही में "भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी की 10-वर्षीय रूपरेखा" को प्रस्तुत किया है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेज़गथ (Pete Hegseth) के बीच कुआलालंपुर में हुई 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) के दौरान हस्ताक्षरित हुआ।

रूपरेखा के बारे में:

- यह रूपरेखा वर्ष 2025 से 2035 तक भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की दिशा तय करेगी।
- इसमें कई प्रमुख क्षेत्र "थल, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस, साथ ही रक्षा औद्योगिक सहयोग, रसद (logistics), खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और सैन्य सहयोग शामिल हैं।
- यह रूपरेखा "21वीं सदी के लिए भारत–अमेरिका समझौता", हथियार हस्तांतरण व्यवस्थाओं में सुधार (जैसे ITAR की समीक्षा) तथा पारस्परिक रक्षा खरीद (Reciprocal Defence Procurement – RDP) पर चल रही वार्ताओं जैसी व्यापक पहलों से भी जुड़ी हुई है।

रूपरेखा का महत्वः

- **रक्षा उद्योग में खरीदार से साझेदार तकः** पहले भारत के अमेरिका के साथ रक्षा संबंध मुख्य रूप से खरीद पर केंद्रित थे। अब यह ढाँचा सह-उत्पादन, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण पर ज़ोर देता है। यह परिवर्तन भारत की "आत्मनिर्भर भारत" नीति और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता बढ़ाने की आकांक्षा के अनुरूप है।
- **उन्नत हिंद-प्रशांत अभिविन्यासः** यह ढाँचा हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संरचना में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। अमेरिका के साथ संबंधों को गहरा करके भारत यह संकेत देता है कि वह अपने निकटवर्ती पड़ोस से परे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदाता बनने के लिए तैयार है।
- **तकनीकी प्रगति और सैन्य बलों का आधुनिकीकरणः** यह ढाँचा उन्नत तकनीकों, जैसे समुद्री प्रणालियाँ, स्वायत्त प्रणालियाँ और अंतरिक्ष संसाधन पर ज़ोर देता है। इसके साथ ही यह अंतर-संचालन को बढ़ावा देता है। इन पहलों से भारत अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर सकेगा और बहु-क्षेत्रीय अभियानों को अपनाने में सक्षम होगा, जो भविष्य के संघर्ष परिदृश्यों के लिए आवश्यक है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता का संतुलनः** भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व दिया है। यह ढाँचा इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका के साथ सहयोग को गहराई देने के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखेगा और रक्षा साझेदारियों में लचीलापन बरकरार रखेगा। अर्थात, भारत साझेदारी को मज़बूत करते हुए भी अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा।

ADMM-Plus के बारे में:

- 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुई, जिसमें आसियान सदस्य देशों और आठ संवाद साझेदारों "भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड" के रक्षा मंत्री शामिल हुए।
- **पृष्ठभूमिः**
  - एडीएमएम -प्लस की स्थापना वर्ष 2010 में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) के विस्तार के रूप में की गई थी।
  - इसका उद्देश्य सदस्य देशों और उनके प्रमुख साझेदारों के बीच आपसी विश्वास, व्यावहारिक सहयोग और क्षमता निर्माण (capacity-building) को बढ़ावा देना है।
  - यह बैठक हर दो साल में होती है , जिसमें कार्य समूह रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर विचार करते हैं।

निष्कर्षः

भारत और अमेरिका के बीच नई 10-वर्षीय रक्षा रूपरेखा दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। यह पारंपरिक और नई रक्षा तकनीकों के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को संस्थागत रूप देती है। यह रूपरेखा भविष्य के लिए एक मजबूत साझेदारी की नींव रखती है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करना है।

भारतीय नौसेना को सर्वे वेसल आईएनएस इक्षाक सौंपा गया

सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने नए सर्वेक्षण पोत (Survey Vessel - Large class ship) 'इक्षाक' को कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसैनिक कमान में शामिल किया। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने की।

आईएनएस इक्षाक के विषय में:

- 'इक्षाक' चार बड़े सर्वेक्षण पोतों (Survey Vessel Large - SVL Class) में से तीसरा है, जिसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है।
- यह पोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है, जो सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अनुरूप है।
- इसे बंदरगाहों, जलमार्गों और नौवहन चैनलों का व्यापक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने हेतु तैयार किया गया है, ताकि समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- इसमें आधुनिक हाइड्रोग्राफिक और ओशेनोग्राफिक प्रणालियाँ लगी हैं, जिनमें स्वायत्त जलमग्न वाहन और दूर नियंत्रित वाहन शामिल हैं, जो 11,000 मीटर गहराई तक सर्वेक्षण करने में सक्षम हैं।

भूमिका और संचालन क्षमता:

- INS इक्षाक का मुख्य कार्य हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है, जिसके माध्यम से:
  - नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिससे वाणिज्यिक एवं नौसैनिक जहाज सुरक्षित रूप से संचालित हो सकें।
  - सटीक नौटिकल चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट तैयार किए जाते हैं।
  - यह रक्षा संचालन , तटीय सुरक्षा तथा समुद्री संसाधन प्रबंधन में सहयोग करता है।
  - पर्यावरणीय और महासागरीय आंकड़े एकत्र कर समुद्री अनुसंधान (Maritime Research) और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है।
  - इस पोत की उन्नत क्षमताएँ भारत की समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता को सुदृढ़ करेंगी और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देंगी।

रणनीतिक महत्व:

- यह पोत भारत की समुद्री सीमाओं (Maritime Zones) का वैज्ञानिक और सटीक मानचित्रण करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सुरक्षित नौवहन और बंदरगाह विकास में सहायता मिलती है।
- यह भारत की समुद्री अवसंरचना को सशक्त बनाता है और नौसेना की ब्लू-वॉटर क्षमताओं को मजबूती प्रदान करता है।
- यह भारत की हाइड्रोग्राफिक सहयोग में नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करता है, जो देश की 'सागर' नीति (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) के अनुरूप है।

सर्वेक्षण पोत (बड़ा वर्ग) के बारे में:

- इस वर्ग के चार पोत हैं, संधायक, निर्देशक, इक्षाक और संशोधक।
- प्रत्येक पोत की लंबाई लगभग 110 मीटर और भार क्षमता लगभग 3,400 टन (Tonnes) है।
- इनमें उन्नत सेंसर, स्वचालित प्रणालियाँ और लंबी सहनशक्ति जैसी विशेषताएँ हैं।

निष्कर्ष:

INS इक्षाक का नौसेना में सम्मिलन भारत की स्वदेशी नौसैनिक क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पोत आधुनिक तकनीक और स्वदेशी निर्माण के समन्वय से भारत की नौसेना को और अधिक रणनीतिक रूप से तैयार तथा समुद्री सीमाओं की सुरक्षा हेतु सक्षम बनाता है। यह भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे को मजबूत करते हुए राष्ट्र की सामरिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक समुद्री नेतृत्व की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

आईएनएस माहे भारतीय नौसेना में शामिल

संदर्भ:

24 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस माहे को आधिकारिक रूप से कमीशन किया। यह "माहे क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC)" श्रेणी का पहला जहाज है।

आईएनएस माहे के बारे में:

- आईएनएस माहे का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि द्वारा किया गया है, जो रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
- जहाज में उच्च स्तर की स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है, जो देश की औद्योगिक क्षमता और नौसैनिक जहाज निर्माण में

निरंतर बढ़ती विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है।

नामकरण और विरासत:

- इस जहाज का नाम पश्चिमी तट पर स्थित तटीय शहर "माहे" के नाम पर रखा गया है, जो भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा से इसका जुड़ाव मजबूत करता है।
- इसके क्रेस्ट में "उरुमी" नामक पारंपरिक लचीली तलवार को दर्शाया गया है, जिसका उपयोग केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट "कलारिपयट्टु" में होता है। लहरों से ऊपर उठती उरुमी फुर्ती, सटीकता और समुद्री क्षेत्र में प्रभावी शक्ति का प्रतीक है।
- जहाज का आदर्श वाक्य "साइलेंट हंटर्स" इसकी छिपकर, सतर्कता से और उच्च सटीकता के साथ पनडुब्बियों का पता लगाने तथा उन्हें निष्प्रभावी करने की क्षमता को दर्शाता है।

तकनीकी और संचालन संबंधी विशेषताएँ:

- शैलो वाटर (उथले पानी) अनुकूलता: यह जहाज तटीय और उथले जल क्षेत्रों में संचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें तेज़ मोड़ क्षमता, कम ध्वनि (लो-अकूस्टिक सिग्नेचर) और न्यूनतम रडार क्रॉस-सेक्शन जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।
- **मुख्य भूमिकाएँ:**
  - तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियान
  - समुद्री निगरानी और तट सुरक्षा गश्त
  - अपतटीय परिसंपत्तियों एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा
- **स्टेल्थ विशेषताएँ:** माहे क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) प्लेटफॉर्म की तरह इसमें भी कम शोर, कम रडार पहचान और अत्यधिक फुर्ती जैसी स्टेल्थ तकनीकों को शामिल किया गया है, जिससे यह संचालन के दौरान अधिक प्रभावी और कम दृश्य-योग्य बनता है।

रणनीतिक महत्व:

- **तटीय सुरक्षा में वृद्धि:** आईएनएस माहे भारत की उथले और तटीय जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने व उनका मुकाबला करने की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से मज़बूत करता है और बड़े नौसैनिक जहाजों की भूमिका को पूरक करता है।
- **बल आधुनिकीकरण:** माहे-क्लास श्रृंखला का पहला जहाज होने के नाते यह नई पीढ़ी के तेज़, स्टेल्थ और बहुउद्देश्यीय ASW प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करता है।
- **स्वदेशी क्षमता:** इसका निर्माण भारत की रक्षा उत्पादन में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और विदेशी प्रणालियों तथा आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करने में सहायक है।
- **समुद्री विरासत का प्रतीक:** "माहे" नाम और "उरुमी" वाला क्रेस्ट इस जहाज को भारत की समृद्ध नौसैनिक परंपराओं और संचालन सिद्धांतों से जोड़ते हैं।

निष्कर्ष:

आईएनएस माहे का कमीशन भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह रणनीतिक दूरदृष्टि, स्वदेशी तकनीकी प्रगति और सुदृढ़ तटीय रक्षा तैयारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। "साइलेंट हंटर्स" के रूप में जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए तैयार यह जहाज भारत की तटीय सुरक्षा क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है, साथ ही रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को और सशक्त बनाता है। बदलते समुद्री खतरों और बढ़ती चुनौतियों के इस समय में आईएनएस माहे भारतीय नौसेना की विकसित होती दक्षता, परिपक्वता और संकल्प का प्रतीक है।

H-AMMER विस्तारित रेंज मॉड्यूलर गोला-बारूद का उत्पादन

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और फ्रांस की सैफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेन्स (SED) ने भारत में हैमर (HAMMER - Highly Agile Modular Munition Extended Range) स्मार्ट, सटीक-निर्देशित एयर-टू-ग्राउंड हथियार के

निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते (JVCA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

हैमर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:

- **मॉड्यूलर डिज़ाइन:** इसमें 250 किग्रा, 500 किग्रा और 1000 किग्रा तक के अलग-अलग वारहेड लगाए जा सकते हैं।
- **लगभग 70 किमी की रेंज:** जिससे यह लॉन्ग-स्टैंडऑफ क्षमता प्रदान करता है।
- **हर मौसम में सक्षम:** यह "जैमिंग" के प्रति मजबूत है और कम ऊँचाई से या कठिन इलाके से भी दागा जा सकता है।
- **अत्यधिक सटीक और युद्ध-परीक्षित:** GPS/INS, इन्फ्रारेड जैसी विभिन्न गाइडेंस प्रणालियों को सपोर्ट करता है।
- **कई प्लेटफॉर्म के अनुकूल:** जैसे फ्रांस का राफेल और भारत का तेजस लड़ाकू विमान।

संयुक्त उद्यम की संरचना और उद्देश्य:

- यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और फ्रांस की सैफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेन्स (SED) के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम (JV) है।
- यह संयुक्त उद्यम केवल HAMMER का उत्पादन ही नहीं करेगा, बल्कि इसके कस्टमाइज़ेशन, आपूर्ति (सप्लाई) और रखरखाव (मेंटेनेंस) से जुड़ी सभी जिम्मेदारियाँ भी निभाएगा।
- **चरणबद्ध स्थानीयकरण योजना:** उत्पादन में स्थानीय सामग्री का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ाकर लगभग 60% तक इंडिजेनाइजेशन किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सब-असेंबली और मैकेनिकल हिस्सों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा।
- अंतिम असेंबली, परीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने (क्वालिटी एश्योरेंस) की मुख्य जिम्मेदारी BEL पर होगी।

भारत की रक्षा क्षमता के लिए महत्व:

- यह संयुक्त उद्यम (JV) भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है जहाँ भारत अब केवल हथियारों का बड़ा आयातक नहीं, बल्कि उन्नत हथियारों का निर्माता और संभावित निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
- यह परियोजना भारत की विविधीकृत रक्षा खरीद नीति को भी मजबूत करती है, जिसमें रूस और अमेरिका जैसे पारंपरिक साझेदारों के साथ-साथ यूरोपीय देशों, विशेषकर फ्रांस, के साथ उच्च-स्तरीय तकनीकी सहयोग पर जोर दिया जा रहा है।
- भारत में हैमर का स्थानीय उत्पादन शुरू होने से राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों की प्रहार (strike) क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो भविष्य के किसी भी उच्च तीव्रता वाले संघर्ष में भारत की वायु शक्ति को बड़ा सामरिक लाभ प्रदान करेगी।

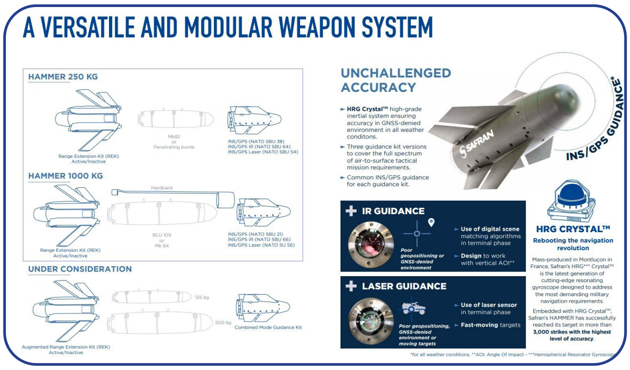

भारत–फ्रांस रक्षा संबंध:

- भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी है, जिसमें सैन्य हार्डवेयर, तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त अभ्यास और सामरिक सहयोग शामिल है।
- भारत फ्रांस से 26 राफेल-M नौसैनिक लड़ाकू विमान खरीद रहा है, जिसमें तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन सुविधाएँ शामिल हैं।
- पनडुब्बी निर्माण में भी सहयोग है जिसमें P-75 स्कॉर्पीन प्रोजेक्ट, जिसमें फ्रांस ने टेक ट्रांसफर देकर मज़गांव डॉकयार्ड की क्षमता बढ़ाई।

मुख्य संयुक्त सैन्य अभ्यास:

- **वरुण:** भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच।
- **शक्ति:** दोनों देशों की सेनाओं के बीच।
- **गरुड़:** भारतीय वायु सेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच हवाई अभ्यास।

निष्कर्ष:

हैमर एयर-टू-ग्राउंड हथियारों का भारत-फ्रांस संयुक्त उत्पादन, भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की औद्योगिक क्षमता बढ़ाता है, प्रिसिजन-स्ट्राइक शक्ति को मजबूत करता है और दोनों देशों के संबंधों को खरीदार-विक्रेता से आगे बढ़ाकर सह-उत्पादन साझेदारी में परिवर्तित करता है। हालाँकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तकनीकी हस्तांतरण कितना प्रभावी है, स्थानीयकरण का स्तर कितना ऊँचा होता है और उत्पादन क्षमता कितनी तेजी से बढ़ाई जा सकती है।

भारत ने ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता

- भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने 23 नवंबर, 2025 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित पहले ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा। भारत ने फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। यह फाइनल मैच पी. सारा ओवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका में खेला गया। यह पहला दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप था।
- भारत ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन पर रोक दिया। भारतीय टीम ने 115 रनों के लक्ष्य का पीछा केवल 12 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से फुला सरेन (Phula Saren) ने 27 गेंदों में 44 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। भारत ने इस टूर्नामेंट में अपने सभी मैच जीते और वह अजेय रही।
- दृष्टिबाधित क्रिकेट का संचालन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद (WBCC) द्वारा किया जाता है। खिलाड़ियों को दृष्टि दोष के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: बी1 (पूर्णतः अंधे), बी2 (आंशिक रूप से अंधे), और बी3 (आंशिक रूप से दृष्टिहीन)। इस खेल में श्रवण ट्रैकिंग के लिए अंदर बॉल बेयरिंग वाली एक कठोर प्लास्टिक की गेंद का उपयोग किया जाता है।

टेक्स-रैम्प्स योजना को सरकार की मंजूरी

- भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेक्स-रैम्प्स (Text-RAMPs) योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू होने वाली इस केंद्रीय क्षेत्र योजना का कुल परिव्यय 305 करोड़ रुपये है, जिसका पूर्ण वित्तपोषण वस्त्र मंत्रालय करेगा।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्मार्ट टेक्सटाइल, स्थिरता आधारित प्रौद्योगिकियों और उभरती तकनीकों में उन्नत अनुसंधान को मजबूती देना है। नीति निर्माण को समर्थन देने के लिए मजबूत डेटा सिस्टम और विश्लेषण विकसित किए जाएंगे।
- एकीकृत वस्त्र सांख्यिकी प्रणाली (ITSS) वास्तविक समय में निगरानी और रणनीतिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम और ज्ञान प्रसार पहल शामिल होंगी।
- स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए इनक्यूबेशन, हैकाथॉन और शिक्षा-उद्योग सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से रोजगार सृजन, नवाचार में वृद्धि और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा मजबूत होने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश में तीन नए ज़िले के गठन को मंजूरी

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तीन नए ज़िलों, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले के गठन को मंजूरी दी, जिससे राज्य में कुल ज़िलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। इस प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत पाँच नए राजस्व प्रभाग और एक नया मंडल भी बनाया जाएगा।
- पोलावरम ज़िले का मुख्यालय रामपचोदवरम होगा और इसमें रामपचोदवरम व चिंतूर प्रभाग शामिल होंगे। मरकापुरम ज़िले में मरकापुरम और कनिगिरी प्रभागों का विलय किया जाएगा, जबकि मदनपल्ले ज़िले में मदनपल्ले और पिलेरु प्रभाग शामिल होंगे।
- नए राजस्व प्रभाग, नक्कापल्ली (अनाकापल्ली), अडांकी (प्रकाशम), पिलेरु (मदनपल्ले), बनगनपल्ले (नंदयाल) और मदकासिरा (श्री सत्य साईं) बनाए जाएंगे। इसके अलावा, पेनुगोंडा मंडल का नाम बदलकर वासवी पेनुगोंडा रखा जाएगा। कुरनूल जिले में अदोनी से अलग होकर नया मंडल पेद्दा हरिवनम बनाया जाएगा।
- यह पुनर्गठन प्रशासनिक दक्षता, जनता तक सेवाओं की बेहतर पहुँच और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया है।

रोहित शर्मा 2026 पुरुष T20 विश्व कप के एम्बेसडर नियुक्त

- रोहित शर्मा को भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले 2026 पुरुष टी20 विश्व कप का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रोहित ने 2024 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए देश को दूसरी बार विश्व चैम्पियन बनाया था। टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उनके नाम 4,231 रन दर्ज हैं, जिसमें उनका औसत 32.01 और स्ट्राइक रेट 140.89 रहा।
- रोहित 2007 में भारत की पहली टी20 विश्व कप जीत और 2024 की दूसरी ऐतिहासिक जीत दोनों के सहभागी रहे। उन्होंने 2007 में सुपर-8 और फाइनल में महत्वपूर्ण पारियाँ खेलीं, जबकि 2024 में 257 रन बनाकर भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। विश्व कप जीत के बाद रोहित ने टी20I क्रिकेट से संन्यास लिया।
- 2026 पुरुष टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। एम्बेसडर के रूप में रोहित का चयन उनकी उपलब्धियों, लोकप्रियता और आधुनिक क्रिकेट में उनके प्रभाव का सम्मान है।

असम भूमि जोत सीमा निर्धारण संशोधन विधेयक पारित

- असम विधानसभा ने भूमि जोत सीमा निर्धारण (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को भूमि बंदोबस्त प्रदान करना है। इस कदम से लगभग 3.33 लाख चाय बागान श्रमिकों को पहली बार कानूनी भूमि अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। दशकों से ये श्रमिक श्रमिक कॉलोनियों में बिना किसी औपचारिक स्वामित्व के रह रहे थे।
- संशोधन के तहत श्रमिक क्षेत्रों को विशेष कृषि क्षेत्रों की सूची से हटा दिया गया है, जिससे सरकार अब वहाँ रहने वाले श्रमिकों के पक्ष में भूमि बंदोबस्त को प्राथमिकता दे सकेगी। यह विधेयक सरकार को श्रमिक क्षेत्रों में स्थित भूमि का अधिग्रहण करने और उसके सभी अधिकारों को राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- हालाँकि, विधेयक में मुस्लिम जोलोहा चाय श्रमिक समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। असम में 825 पंजीकृत चाय बागान हैं, जिनके श्रमिक कॉलोनियों में लगभग 2,18,553 बीघा भूमि शामिल है। विधेयक का उद्देश्य आवास सुरक्षा सुनिश्चित करना और बेदखली के जोखिम को कम करना है।

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारत का पुनर्निर्वाचन

- भारत को 2025–29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए इसे बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में गहरी अंतरराष्ट्रीय आस्था का प्रतीक बताया।
- भारत ने यूनेस्को के प्रमुख क्षेत्रों, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और संचार में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। कार्यकारी बोर्ड में भारत की उपस्थिति उसके मानव-केंद्रित विकास मॉडल, ज्ञान साझेदारी और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- सरकार ने चुनाव में समर्थन देने वाले सभी देशों का आभार व्यक्त किया और सुनिश्चित किया कि भारत आने वाले वर्षों में यूनेस्को के उद्देश्यों, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग और सूचना की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने में रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह पुनर्निर्वाचन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है।

हंसा-3 NG स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का अनावरण

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 29 नवंबर को बेंगलुरु स्थित CSIR-NAL में स्वदेशी हंसा-3 NG प्रशिक्षण विमान के उत्पादन संस्करण का शुभारंभ किया। यह विमान भारत का पहला पूर्णतः मिश्रित दो-सीटर प्रशिक्षण विमान है, जिसे देश में बढ़ती पायलट प्रशिक्षण

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। अनुमान है कि अगले दो दशकों में भारत को लगभग 30,000 नए पायलटों की आवश्यकता होगी।

- हंसा-3 NG का निर्माण पायनियर क्लीन एम्प्स द्वारा आंध्र प्रदेश के कुप्पम में की जाने वाली नई ₹150 करोड़ की विनिर्माण सुविधा में किया जाएगा, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 100 विमान बनाने की है। यह पहल आयातित प्रशिक्षण विमानों पर निर्भरता घटाएगी और घरेलू विमानन प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूती देगी।
- इसके साथ ही, CSIR-NAL ने सारस MK-2 हल्के परिवहन विमान परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उच्च-ऊंचाई सौर प्लेटफॉर्म और स्वदेशी वांकेल इंजन आधारित UAV विकास जैसी नई एयरोस्पेस परियोजनाएँ भारत की विमानन आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे रही हैं।

प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार कुमारी कमला का निधन

- प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना कुमारी कमला (कमला लक्ष्मीनारायणन) का 91 वर्ष की आयु में कैलिफ़ोर्निया में निधन हो गया। "बेबी कमला" के नाम से प्रसिद्ध हुईं, वे उस सांस्कृतिक संक्रमण काल की अंतिम कड़ियों में से थीं जब सादिर का रुपांतरण होकर आधुनिक भरतनाट्यम अस्तित्व में आया।
- 1934 में जन्मी कुमारी कमला ने अपने गुरु वझुवूर रमैया पिल्लई के साथ मिलकर वझुवूर बानी की सौंदर्यपूर्ण, काव्यमय शैली को वैश्विक पहचान दी। वे शास्त्रीय मंच पर और भारतीय सिनेमा, विशेषकर 1940–50 के दशक में असाधारण लोकप्रिय हुईं।
- भरतनाट्यम को विश्व मंच पर स्थापित करने में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण (1970) और अमेरिकी नेशनल हेरिटेज फ़ेलोशिप सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले। वे भरतनाट्यम की आधुनिक पहचान गढ़ने वाली सबसे प्रभावशाली कलाकारों में मानी जाती हैं।

लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र का निधन

- 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का उनके मुंबई स्थित आवास पर निधन हो गया, जिससे भारतीय सिनेमा के छह दशक लंबे स्वर्णिम अध्याय का समापन हो गया।
- "ही-मैन" के रूप में लोकप्रिय धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में विविध भूमिकाएँ निभाईं और शोले, फूल और पत्थर, चुपके-चुपके, सीता और गीता तथा प्रतिज्ञा जैसी कालजयी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। शोले में वीरू के उनके किरदार ने उन्हें पीढ़ियों तक लोकप्रिय बनाए रखा। धर्मेंद्र आख़िरी बार 2024 की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में दिखाई दिए। उनकी अंतिम फिल्म इक्कीस का पोस्टर उनके निधन से कुछ घंटे पहले ही जारी हुआ था।
- 1935 में लुधियाना में जन्मे धर्मेंद्र ने राजनीति में भी योगदान दिया और 2004–2009 तक बीकानेर से सांसद रहे। उन्हें पद्म भूषण, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आइफा लाइफटाइम सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त थे।

भारत ने लगातार दूसरी बार जीता महिला कबड्डी विश्व कप

- ढाका में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 35–28 से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस जीत ने महिला कबड्डी के क्षेत्र में भारत के निरंतर वर्चस्व को पुनर्स्थापित किया।
- भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में सभी चार मैच जीतकर शानदार शुरुआत की थी और सेमीफाइनल में ईरान को 33–21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। चीनी ताइपे भी पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुँची।
- कुल 11 देशों की भागीदारी ने कबड्डी की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को रेखांकित किया। भारतीय टीम की जीत में मज़बूत डिफेंस और तेज़ राइडिंग विशेष रुप से निर्णायक रहे। यह टूर्नामेंट महिला कबड्डी विश्व कप का केवल दूसरा संस्करण था। इससे पहले 2012 में पटना में हुए पहले आयोजन में भी भारत ने ईरान को हराकर ख़िताब जीता था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ बने नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष

- केंद्रीय विधि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3(2)(b) के अंतर्गत की गई। वे न्यायमूर्ति सूर्यकांत का स्थान लेंगे जिनके 53वें मुख्य न्यायाधीश के रुप में शपथ लेने के बाद यह पद रिक्त था।
- नालसा (NALSA) का गठन संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों और आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है।
- यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतों, कानूनी जागरुकता कार्यक्रमों और सहायता तंत्र के माध्यम से न्याय को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

56वें IFFI में भारत का पहला AI फिल्म महोत्सव और सिनेमा AI हैकथॉन

- गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में भारत के पहले AI फिल्म महोत्सव और सिनेमा AI हैकथॉन का शुभारंभ किया गया। वेव्स फिल्म बाजार और IFFI ने LTIMindtree के सहयोग से इस नवोन्मेषी पहल का आयोजन किया।
- महोत्सव को 18 देशों से 68 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं और इनमें से 27 फिल्मों को प्रतियोगिता खंड के लिए चयनित किया गया, जबकि 4 फिल्मों को गैर-प्रतियोगिता प्रदर्शन के लिए चुना गया। फिल्मों का मूल्यांकन उनकी कलात्मक मौलिकता, तकनीकी नवाचार और कथानक प्रयोग के आधार पर किया गया।
- प्रमुख पुरस्कारों में क्राफ्ट मास्टर अवार्ड फ्रांस की फिल्म नागौरी (Nagori) को मिला, जिसे इसकी भावनात्मक और कथात्मक शक्ति के लिए सराहा गया। क्राफ्ट वैनगार्ड पुरस्कार, AI के प्रयोगात्मक उपयोग में उत्कृष्टता के लिए जर्मनी की "द सिनेमा दैट नेवर वज़" को प्रदान किया गया।
- सर्वश्रेष्ठ AI एनीमेशन/विज़ुअल डिज़ाइन के लिए अमेरिकी फिल्म कायरा (Kyra) को क्राफ्ट स्पेक्ट्रा पुरस्कार मिला। दो फिल्मों, अंग्रेजी भाषा में "द लास्ट बैकअप फ़ाइनल पार्ट" और हिंदी फिल्म "मिरेकल ऑन कछुआ बीच" को AI-सहायता प्राप्त फिल्म निर्माण में क्षमता प्रदर्शित करने के लिए विशेष ज़ूरी उल्लेख मिला।

प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में 'पांचजन्य' स्मारक का उद्घाटन किया

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2025 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर, जो कि गीता की जन्मस्थली मानी जाती है, में नवनिर्मित 'पांचजन्य' स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक भगवान कृष्ण के पवित्र शंख 'पांचजन्य' को समर्पित है, जिसका महाभारत युद्ध में विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।
- यह स्मारक महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। स्मारक में वैदिक वास्तुकला डिजाइन का उपयोग किया गया है और इसमें भगवद गीता के छंदों के शिलालेख शामिल हैं। इसका उद्देश्य शंख 'पांचजन्य' के आध्यात्मिक महत्व और न्याय, साहस और धर्म के मूल्यों को उजागर करना है।
- यह पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के प्रयासों को मजबूत करती है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

- न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रुप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने न्यायमूर्ति

बी.आर. गवई का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया था।

- न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा और वह 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।
- न्यायमूर्ति कांत हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव के रहने वाले हैं और हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं।
- नए सीजेआई ने संकेत दिया है कि उनकी तत्काल प्राथमिकता देश भर में लंबित मामलों, विशेष रूप से पुराने संवैधानिक पीठ के मामलों को कम करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान, वह जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

मेक्सिको की फातिमा बॉश बनीं मिस यूनिवर्स 2025

- 74वां वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नॉनथबुरी में इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मेक्सिको की फातिमा बॉश ने प्रतिष्ठित ताज जीता। डेनमार्क की निवर्तमान मिस यूनिवर्स, विक्टोरिया कजेर थेलविग ने उन्हें ताज पहनाया। फर्स्ट रनर-अप थाईलैंड की प्रवीणार सिंह और वेनेज़ुएला की स्टेफ़नी अबासाली सेकंड रनर-अप रही।
- इस वर्ष की प्रतियोगिता में 118 से अधिक देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया और इसका विषय 'द पावर ऑफ लव' था। भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने किया। वह शीर्ष 30 में जगह बनाने में सफल रहीं, लेकिन शीर्ष 12 में स्थान नहीं बना पाईं, जिससे भारत का 2021 के बाद ताज का इंतजार जारी रहा।
- यह प्रतियोगिता कई विवादों में भी घिरी रही, जिसमें जजों के इस्तीफे और पक्षपात के आरोप शामिल थे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इस साल जजों के पैनल में शामिल थीं। अगला, 75वां मिस यूनिवर्स पेजेंट 2026 में प्यूर्टो रिको में आयोजित किया जाएगा।

प्रतिष्ठित CIMUSET पुरस्कार

- कोलकाता स्थित साइंस सिटी की जलवायु परिवर्तन गैलरी "On the Edge?" को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित CIMUSET पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दुबई में आयोजित 27वें ICOM महाधिवेशन में घोषित किया गया, जो भारत के विज्ञान संग्रहालय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा विकसित 10,000 वर्ग फुट की इस स्थायी गैलरी में जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक वास्तविकताओं, उसके मानवजनित कारणों और अनुकूलन-शमन उपायों को संवादात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
- CIMUSET समिति के अध्यक्ष जैकब थोरेक जेंसन ने इसकी वैज्ञानिक कठोरता, समावेशिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेष सराहना की। यह गैलरी वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। 11 जनवरी 2025 को उद्घाटन के बाद से इसे दस लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। इसकी Augmented Reality (AR)- Virtual Reality (VR) तकनीक, एलईडी इंटरैक्टिव वॉल और छात्र आउटरीच कार्यक्रम जलवायु साक्षरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पुरस्कार विज्ञान संग्रहालयों की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है।

फ्रांसीसी 'ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' का शेवेलियर सम्मान

- प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को फ्रांसीसी सरकार द्वारा 'ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' (Ordre des Arts et des Lettres) की शेवेलियर (Chevalier) रैंक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कला, साहित्य, सिनेमा और संस्कृति में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- थरानी इस विशिष्ट सम्मान को प्राप्त करने वाली छठी भारतीय फिल्म हस्ती बने हैं। उनसे पहले शिवाजी गणेशन, बालमुरलीकृष्ण, कमल

हासन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कल्कि कोचलिन को शेवेलियर से सम्मानित किया जा चुका है।

- इस ऑर्डर की तीन श्रेणियाँ, कमांडर, ऑफिसियर और शेवेलियर में, शेवेलियर तीसरी श्रेणी है। भारतीय फिल्म जगत से केवल मृणाल सेन, शर्मिला टैगोर और सौमित्र चटर्जी को कमांडर का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जबकि शाहरुख खान ऑफिसियर रैंक प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। थोटा थरानी तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सिनेमा में अपने विशिष्ट कला निर्देशन के लिए जाने जाते हैं और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। यह सम्मान उनकी रचनात्मक उत्कृष्टता का वैश्विक स्वीकार है।

नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ

- जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेता मौजूद थे। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद यह सरकार बनी है, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है।
- भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बार, गृह विभाग (Home Department), जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करता है, पहली बार भाजपा के पास गया है।
- 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है, जो उन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक बनाता है। नई सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियाँ पैदा करने, चिकित्सा महाविद्यालयों और सड़क विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

भारत-ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अजेय वारियर-25' संपन्न

- भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'अजेय वारियर' का आठवां संस्करण हाल ही में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- इस अभ्यास का मुख्य फोकस संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के जनादेश के तहत अर्ध-शहरी (semi-urban) क्षेत्रों में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन में परिचालन तालमेल और अंतरसंचालनीयता (interoperability) बढ़ाना था।
- भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की रॉयल गोरखा राइफल्स की दूसरी बटालियन के कुल 240 कर्मियों ने इसमें भाग लिया। 14-दिवसीय अभ्यास में सामरिक अभ्यास, युद्ध सिमुलेशन, हेलिबोर्न ऑपरेशन, रूम-इंटरवेंशन और कॉर्डन-एंड-सर्च ड्रिल शामिल थे।
- यह द्विवार्षिक अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को दर्शाता है, साथ ही वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है।

विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 का समापन

- भारत ने 16 से 20 नवंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की सफलतापूर्वक मेजबानी की।
- यह आयोजन 2025 विश्व मुक्केबाजी कप श्रृंखला का समापन था जो ब्राज़ील, पोलैंड और कज़ाकिस्तान में आयोजित तीन विश्व कप चरणों के बाद था। इस आयोजन में 18 देशों के 130 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया।
- भारत ने कुल 20 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। भारत के 9 स्वर्ण पदकों में से 7 महिला मुक्केबाजों ने जीते। विश्व चैंपियन निखत ज़रीन (51 किग्रा), जैस्मीन लैम्बोरिया (57 किग्रा), और नूपुर

श्योराण (80+ किग्रा) ने स्वर्ण पदक हासिल किए।

भारत-फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास 'गरुड़-2025'

- भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास 'गरुड़-2025' (Garuda-2025) का आठवां संस्करण हाल ही में फ्रांस में संपन्न हुआ। यह उच्च-स्तरीय अभ्यास 16 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के मोंट-डी-मार्सन एयर बेस (Mont-de-Marsan Air Base 118) में आयोजित किया गया था।
- भारतीय वायुसेना (IAF) ने अपने प्रमुख Su-30MKI लड़ाकू विमानों, C-17 ग्लोबमास्टर III परिवहन विमान और IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों के साथ भाग लिया। फ्रांसीसी पक्ष ने राफेल (Rafale) और मिराज 2000 सहित अन्य बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान तैनात किए।
- अभ्यास में हवा से हवा में मुकाबला, वायु रक्षा संचालन, और संयुक्त हमले मिशन जैसे जटिल और यथार्थवादी युद्ध परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच 25 वर्षों से अधिक की मजबूत रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को और मजबूत करता है।
- 'गरुड़' अभ्यास, 2003 से दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य दोनों वायु सेनाओं (भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल - FASF) के बीच अंतरसंचालनीयता (interoperability), परिचालन समन्वय और हवाई युद्ध सहयोग को बढ़ाना था।

खाड़ी देशों में निर्बाध यात्रा के लिए जीसीसी की वन-स्टॉप यात्रा प्रणाली

- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने सदस्य देशों के बीच यात्रा को सरल बनाने के लिए एक ऐतिहासिक वन-स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य यात्रियों को एक ही स्थान पर सभी आव्रजन, सीमा शुल्क और सुरक्षा जाँच की सुविधा प्रदान करना है, जिससे खाड़ी देशों में यात्रा लगभग घरेलू उड़ानों जितनी सहज हो जाएगी। इस प्रणाली के पायलट चरण की शुरुआत दिसंबर 2025 में होगी, जिसके लिए संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को चुना गया है।
- कुवैत शहर में आयोजित जीसीसी के आंतरिक मंत्रियों की 42वीं बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई। यह प्रणाली एक साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर चलेगी, जो सदस्य देशों के बीच डेटा आदान-प्रदान और समन्वित प्रक्रियाओं को सक्षम बनाएगी।
- सफल होने पर इसे सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान सहित सभी छह देशों में लागू किया जाएगा। साथ ही, 2,177 किलोमीटर लंबा खाड़ी रेलवे नेटवर्क भी दिसंबर 2030 तक पूरा होने की राह पर है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा।

लद्दाख में पहला जनजातीय खेल सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न

- लद्दाख में पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का सफल समापन हुआ, जिसे भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) केंद्र कारगिल और केजीबीवी चिकत्तन में आयोजित किया गया। यह आयोजन जनजातीय गौरव वर्षा पखवाड़ा के अंतर्गत लद्दाख विश्वविद्यालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया। सम्मेलन में लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों से आए 200 से अधिक जनजातीय एथलीटों ने हिस्सा लिया।
- एथलीटों ने ताइक्वांडो, मुक्केबाजी और खो-खो जैसी स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। लद्दाख पुलिस की टीमों ने भी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी दर्ज कराई। सम्मेलन के समापन पर विजेताओं को पदक और ट्रॉफियाँ प्रदान की गईं।
- शुजात अली और कुलसुम को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज चुना गया, जबकि आसिया बानो और तजम्मुल हुसैन को सर्वश्रेष्ठ ताइक्वांडो खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। यह आयोजन क्षेत्र में जनजातीय खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजाब संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना

- पंजाब पूरे राज्य में संशोधित भारत नेट योजना (Amended BharatNet Scheme) को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो ग्रामीण डिजिटल पहुंच को सुदृढ़ करती है और ई-गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ावा देती है।
- इस योजना का लक्ष्य देश की सभी ग्राम पंचायतों, घरों और संस्थानों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-शासन सेवाओं को सक्षम बनाना है।
- पंजाब ने अपने 43 "छाया क्षेत्रों" (जहां कनेक्टिविटी नहीं थी) सहित लगभग हर गाँव में इंटरनेट सेवाएँ पहुँचा दी हैं, नवंबर 2025 के अंत तक केवल एक गाँव शेष था। यह पहल सीमावर्ती राज्य की किसी भी स्थान से लाइव निगरानी (live monitoring) करने में सक्षम बनाती है, जिससे सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है।
- पंजाब ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) रिंग टोपोलॉजी और आईपी-एमपीएलएस (IP-MPLS) आर्किटेक्चर का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और अपटाइम (uptime) बेहतर हुआ है।

राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल

- भारत की विविध और समृद्ध जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन 12 से 15 नवंबर 2025 तक मणिपुर की राजधानी इंफाल में किया गया। यह आयोजन 'जनजातीय गौरव वर्ष' समारोह का एक अभिन्न अंग था, जिसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया।
- इस चार दिवसीय महोत्सव में नौ राज्यों की कुल 23 जनजातीय फिल्मों, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री), लघु फिल्में और एक एनिमेशन फिल्म शामिल थीं, का प्रदर्शन किया गया।
- इसका मुख्य लक्ष्य सिनेमा और संस्कृति के माध्यम से देश भर के जनजातीय समुदायों की रचनात्मकता, पहचान और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना था। फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा, इस कार्निवल में मास्टरक्लास, पैनल चर्चाएँ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सत्र भी शामिल थे, जिन्होंने आदिवासी कला, संगीत, नृत्य और शिल्प की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित किया।
- यह आयोजन जनजातीय सिनेमा को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने और स्वदेशी समुदायों की अनूठी कहानियों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण रहा।

छठा भारत-वियतनाम सैन्य अभ्यास 'विनबैक्स 2025'

- भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'विनबैक्स 2025' (VINBAX 2025) का छठा संस्करण हाल ही में 11 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक वियतनाम की राजधानी हनोई में संपन्न हुआ। अभ्यास का प्राथमिक फोकस संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन (UNPKO) के ढांचे के तहत संयुक्त सैन्य क्षमताओं और अंतरसंचालनीयता (interoperability) को बढ़ाना था।
- यह अभ्यास हनोई के मियू मोन प्रशिक्षण केंद्र (Mieu Mon Training Centre) में आयोजित किया गया। इसमें इंजीनियर कंपनियों और मेडिकल टीमों की तैनाती के माध्यम से सैद्धांतिक सत्र, व्यावहारिक क्षेत्र अभ्यास और एकीकृत सत्यापन अभ्यास शामिल थे।
- भारत एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय भागीदार है जो वियतनाम के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पर वार्षिक क्षेत्र-स्तरीय अभ्यास आयोजित करता है, जो दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक विश्वास को दर्शाता है।
- यह अभ्यास भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। VINBAX श्रृंखला की शुरुआत 2018 में भारत में एक टेबलटॉप सिमुलेशन के रूप में हुई थी और अब यह एक पूर्ण क्षेत्रीय अभ्यास के रूप में विकसित हो गई है।

गोगाबील झील बनी भारत की 94वीं रामसर साइट

- भारत ने बिहार के कटिहार ज़िले में स्थित गोगाबील झील को रामसर कन्वेंशन (1971) के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल कर लिया है, जिससे यह देश की 94वीं और बिहार की छठी रामसर साइट बन गई है।
- गंग और महानंदा नदियों के बीच स्थित यह गोमुख झील वर्षा ऋतु में दोनों नदियों से जुड़कर प्राकृतिक रूप से एक बाढ़ प्रदेशीय आर्द्रभूमि का रूप ले लेती है। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिज़र्व भी है।
- गोगाबील प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास तथा जलीय जीवों के प्रजनन स्थल के रूप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह समृद्ध जैवविविधता को पोषित करता है और गंगा के मैदानों में बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण तथा स्थानीय जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाता है।
- रामसर सूची में 94 स्थलों के साथ भारत विश्व में तीसरे और एशिया में पहले स्थान पर है। पिछले 11 वर्षों में 67 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई हैं, जो 13.6 लाख हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र को कवर करती हैं। 1971 में स्थापित रामसर कन्वेंशन आज 172 देशों के साथ वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण का प्रमुख ढाँचा है।

डेविड स्ज़ेले को उपन्यास "फ्लेश" के लिए 2025 बुकर पुरस्कार

- कनाडाई-हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक डेविड स्ज़ेले को उनके उपन्यास "फ्लेश" के लिए 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। लंदन में आयोजित समारोह में 10 नवंबर को 51 वर्षीय स्ज़ेले को 50,000 पाउंड के अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान का विजेता घोषित किया गया। फ्लेश एक साधारण व्यक्ति के कई दशकों के जीवन को बेहद संवेदनशील और सूक्ष्म दृष्टि से प्रस्तुत करता है, जहाँ कहानी का अनकहा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लिखा हुआ।
- स्ज़ेले का चयन 153 प्रविष्ट उपन्यासों में से किया गया। निर्णायक मंडल में आयरिश लेखक रॉडी डॉयल और प्रसिद्ध अभिनेत्री सारा जेसिका पार्कर जैसी प्रतिष्ठित हस्तियाँ शामिल थीं। इससे पहले, 2016 में भी स्ज़ेले को उनके उपन्यास "ऑल दैट मैन इज़" के लिए बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था।
- पिछले वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास "ऑर्बिटल" के लिए मिला था। 1969 में स्थापित बुकर पुरस्कार विश्व साहित्य में लेखकों के करियर को बदल देने की प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है।

प्रसिद्ध तेलुगु कवि और गीतकार आंदे श्री का निधन

- प्रसिद्ध तेलुगु कवि और गीतकार आंदे श्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे तेलंगाना राज्य गान "जय जयहे तेलंगाना" की रचना के लिए सबसे अधिक याद किए जाते हैं, जो राज्य आंदोलन के दौरान जनभावनाओं का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा और बाद में आधिकारिक गान के रूप में अपनाया गया।
- सिद्दीपेट ज़िले के रेबर्थी गांव में आंदे येल्लन्ना के रूप में जन्मे आंदे श्री ने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान स्थापित किया। उन्होंने समाज, भाषा और पहचान से जुड़े मुद्दों को अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र में रखा। उनकी साहित्यिक विरासत को सम्मान देते हुए काकतीय विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। तेलंगाना गठन दिवस समारोह के दौरान राज्य सरकार ने उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में उन्हें एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया। आंदे श्री की मृत्यु तेलंगाना की सांस्कृतिक चेतना के लिए एक बड़ी क्षति है।

निर्यातकों के लिए नई ऋण गारंटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य निर्यात क्षेत्र को

सशक्त बनाना और ₹20,000 करोड़ तक के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत निर्यातकों को पूर्ण ऋण सुरक्षा मिलेगी, जिससे वित्तीय जोखिम कम होगा और निर्यात गतिविधियों में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी।

- मंत्रिमंडल ने सीज़ियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और ज़िरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन को भी मंज़ूरी दी है। यह कदम खनिज ब्लॉकों की नीलामी को प्रोत्साहित करेगा और लिथियम, टंगस्टन, नियोबियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करेगा।
- साथ ही, ₹25,000 करोड़ से अधिक के बजट वाले नए निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को भी हरी झंडी दी गई है। 2025–26 से 2030–31 तक लागू यह मिशन नए निर्यातकों, एमएसएमई और श्रम-प्रधान क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजिटल और लचीला ढांचा प्रदान करेगा। यह बिखरी हुई निर्यात योजनाओं को एकीकृत तंत्र में जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024

- जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित करने के लिए 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में विजेताओं को ये पुरस्कार सौंपे।
- महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार जीता। इसके बाद गुजरात दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का सम्मान महाराष्ट्र के नवी मुंबई नगर निगम ने हासिल किया। तमिलनाडु स्थित अपोलो टायर्स लिमिटेड (काँचीपुरम) को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार मिला।
- सर्वश्रेष्ठ संस्थान (परिसर श्रेणी) में आईआईटी गांधीनगर (गुजरात) और आईसीएआर-सीसीएआरआई (गोवा) संयुक्त रूप से प्रथम रहे।
- कुल मिलाकर, 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं (संयुक्त विजेताओं सहित) को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य जल समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन भागीदारी और प्रभावी जल उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति 2025'

- भारत और श्रीलंका के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति 2025' का 11वां संस्करण हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अभ्यास 10 नवंबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड (FTN) में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करना था।
- इस अभ्यास का मुख्य फोकस संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अध्याय VII के तहत शहरी और ग्रामीण परिदृश्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए रणनीति और कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान करना था। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने किया, जबकि श्रीलंकाई सेना का प्रतिनिधित्व गजाबा रेजिमेंट के कर्मियों ने किया।
- 'मित्र शक्ति' न केवल सामरिक कौशल को साझा करने का एक मंच है, बल्कि यह दोनों सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता (interoperability) को भी बढ़ाता है और आपसी विश्वास व समझ को मजबूत करता है। इस संस्करण में ड्रोन और यूएवी सहित आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया, जिससे भविष्य के सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देशों की तैयारियों को बल मिला। यह अभ्यास भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

राहुल वीएस बने भारत के 91वें ग्रैंडमास्टर

- भारतीय शतरंज खिलाड़ी राहुल वीएस ने छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया। यह उपलब्धि उनके लंबे परिश्रम, निरंतर प्रदर्शन और तेज़ रणनीतिक कौशल का परिणाम है। नवंबर 2021 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय

मास्टर (IM) का खिताब प्राप्त किया था, जब उन्होंने अपना चौथा और पाँचवाँ IM नॉर्म पूरा किया और 2400 की लाइव रेटिंग पार की।

- राहुल से एक सप्ताह पहले ही चेन्नई के इल्लमपर्थी AR भारत के 90वें ग्रैंडमास्टर बने थे। उन्होंने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित बिजेलजिना ओपन 2025 में अपना अंतिम नॉर्म हासिल किया। इससे पहले अगस्त में एस. रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंडमास्टर बने थे, जिन्होंने कजाकिस्तान में अल्माटी मास्टर्स कोनाएव कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 2500 एलो रेटिंग हासिल की।
- ग्रैंडमास्टर का खिताब अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) द्वारा दिया जाता है और यह शतरंज जगत का सर्वोच्च सम्मान है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा

- भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर, 2025 तक अंगोला और बोत्सवाना की छह दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर थी। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दोनों अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा थी, जिसका उद्देश्य अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना था।
- राष्ट्रपति मुर्मू, अंगोला के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंसो के निमंत्रण पर वहां पहुंचीं। यह यात्रा भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। 8 से 11 नवंबर तक अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने अंगोला की नेशनल असेंबली को संबोधित किया और देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया।
- अंगोला के बाद, राष्ट्रपति मुर्मू 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना की यात्रा पर रहीं। इस दौरान स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे बोत्सवाना को सस्ती भारतीय दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
- इस यात्रा ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी के नए आयामों पर चर्चा हुई, जो भारत की 'ग्लोबल साउथ' के साथ जुड़ाव की प्राथमिकता को दर्शाता है।

स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र

- महाराष्ट्र ने 5 नवंबर को सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी करके एक ऐतिहासिक पहल की। राज्य सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना है।
- गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम जैसे कम सुविधा वाले जिलों और सरकारी संस्थानों को इस परियोजना के पहले चरण में शामिल किया गया है। यह पहल "डिजिटल महाराष्ट्र मिशन" के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
- स्टारलिंक 2026 की शुरुआत तक भारत में पूर्ण व्यावसायिक लॉन्च की तैयारी कर रहा है और मुंबई, लखनऊ, नोएडा, कोलकाता, चंडीगढ़ समेत नौ सैटेलाइट गेटवे स्टेशन स्थापित कर रहा है।
- भारत में यह जियो सैटेलाइट और यूटेलसैट वनवेब जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करेगा। 6,000 से अधिक निम्न-पृथ्वी कक्षा उपग्रहों के वैश्विक नेटवर्क के साथ, स्टारलिंक का लक्ष्य भारत के दुर्गम क्षेत्रों तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना है।

ज़ोहरान ममदानी

- 4 नवंबर 2025 को डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 34 वर्ष की आयु में वे 1917 के बाद न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर और शहर के पहले मुस्लिम मेयर-चुने हुए बने। उनके लोकतांत्रिक समाजवादी अभियान ने प्रगतिशील वर्ग में उत्साह भर दिया, हालांकि इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन नेताओं सहित कुछ उदारवादी डेमोक्रेट्स से आलोचना भी मिली।
- ममदानी ने विजय भाषण में जीत को जनता का स्पष्ट जनादेश बताया। क्वींस विधानसभा सदस्य के रूप में वे लंबे समय से जीवनयापन की लागत घटाने, आवास सुधार और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार की वकालत करते रहे हैं।

- न्यूयॉर्क का मेयर शहर की विशाल नौकरशाही का प्रमुख होता है, जो 85 लाख निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। ममदानी शहर के बजट, प्रशासनिक नीतियों और संघीय–राज्य समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला मालदीव दुनिया का पहला देश

- मालदीव ने 1 नवंबर 2025 से दुनिया का पहला "पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध" लागू करके वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कानून के अनुसार, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की खरीद, बिक्री या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध देश के सभी निवासियों और पर्यटकों पर समान रुप से लागू होगा। कानून के तहत वेपिंग और ई-सिगरेट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
- खुदरा विक्रेताओं पर खरीदार की उम्र की अनिवार्य जाँच का नियम लागू है, जिसका उल्लंघन करने पर 50,000 मालदीवियन रुफ़िया का जुर्माना लगेगा; वहीं वेपिंग उपकरण उपयोगकर्ताओं पर 5,000 रुफ़िया का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यह कदम तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह नीति "तंबाकू-मुक्त पीढ़ी" को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व स्तर पर तंबाकू से हर वर्ष 70 लाख से अधिक मौतें होती हैं, जिनमें 16 लाख मौतें सेकेंड हैंड धुएँ के कारण होती हैं।

भारत–इज़राइल रक्षा सहयोग

- भारत और इज़राइल ने 5 नवंबर को रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा सहयोग तेल अवीव में आयोजित रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 17वीं बैठक के दौरान हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इज़राइली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल अमीर बारम ने की।
- इस MoU का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को एकीकृत नीतिगत दिशा प्रदान करना, उन्नत रक्षा तकनीकों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना और सह-विकास तथा सह-उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- बैठक में दोनों पक्षों ने उभरती रक्षा तकनीकों में परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने, संयुक्त शोध को प्रोत्साहित करने और उद्योग-से-उद्योग सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आतंकवाद के बढ़ते खतरों को देखते हुए दोनों देशों ने इस क्षेत्र में निरंतर सहयोग और साझा रणनीतियाँ विकसित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। यह समझौता भारत–इज़राइल रक्षा साझेदारी को एक नए और विस्तृत आयाम में ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अवनि लेखरा ने 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में जीता स्वर्ण

- भारतीय पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने दुबई के अल ऐन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में स्वीडन की अन्ना बेसन को कड़े मुकाबले में हराया। थाईलैंड की वान्निपा लेउंगविलाई ने कांस्य पदक हासिल किया। अवनि के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पैरा शूटिंग क्षमता को प्रदर्शित किया।
- भारत ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच1 वर्ग में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत फाइनल में आकाश ने 223.1 अंकों के अंतिम स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि संदीप कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया।
- टीम स्पर्धा में आकाश, संदीप और रुद्रांश खंडेलवाल की तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया और ईरान की टीम से मामूली अंतर से पीछे रही। भारतीय दल का यह प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय पैरा शूटिंग में बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का मजबूत संकेत है।

संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो महानिदेशक का पदभार संभाला

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नए महानिदेशक के रूप में 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गर्ग ने 1 नवंबर से पदभार ग्रहण किया। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो उपभोक्ता सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और औद्योगिक मानकीकरण के लिए देशभर में मानक विकसित करता है। संजय गर्ग के पास तीन दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है, जिसमें विकासात्मक, औद्योगिक और अनुसंधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ शामिल हैं।
- पदभार ग्रहण करने से पहले वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सचिव भी रहे। उन्होंने कृषि अनुसंधान सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया और किसान-सारथी पोर्टल के विस्तार का नेतृत्व किया, जिसने किसानों को विशेषज्ञों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गर्ग का अनुभव विश्व बैंक परियोजनाओं, रक्षा उद्योग संवर्धन और औद्योगिक सुधारों तक विस्तारित है। BIS प्रमुख के रूप में वे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (IEC) में भारत की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी होंगे।

तंजानिया में सामिया सुलुहू हसन का दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल

- तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन ने 3 नवंबर को राजधानी डोडोमा में आयोजित शपथग्रहण समारोह में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। उन्हें 98% मतों के साथ विजेता घोषित किया गया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया विवादों से घिरी रही। कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया या चुनाव में भाग लेने से रोका गया, जिसके कारण देशभर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने चुनाव परिणामों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि अशांति के दौरान कई नागरिक मारे गए या घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी तीन शहरों में कम से कम 10 मौतों की पुष्टि की है। इन परिस्थितियों ने तंजानिया के राजनीतिक माहौल को अस्थिर बना दिया है।
- सामिया सुलुहू हसन के सामने अब देश में सामाजिक शांति बहाल करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास पुनर्स्थापित करने की बड़ी चुनौती है।

प्रसिद्ध साहित्यकार रामदरश मिश्र का निधन

- प्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी साहित्यकार रामदरश मिश्र का दिल्ली में 31 अक्टूबर को 101 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं और साहित्यकारों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे भारतीय साहित्य की अपूरणीय क्षति बताया।
- रामदरश मिश्र पद्मश्री से सम्मानित प्रतिष्ठित कवि, उपन्यासकार और शिक्षाविद् थे। वर्ष 2025 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
- उनकी साहित्यिक कृतियाँ भारतीय ग्रामीण संस्कृति, मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण करती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार (2015), व्यास सम्मान (2011) और सरस्वती सम्मान (2021) जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। रामदरश मिश्र की रचनात्मक विरासत हिंदी साहित्य को लंबे समय तक दिशा देती रहेगी।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में हाल के घटनाक्रमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे भविष्य में चीता पुनरुत्पादन के लिए चुना गया है।
2. इसे 2025 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
3. यह पूरी तरह से सागर जिले में स्थित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

2. चाबहार बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित है।
2. यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफ़ग़ानिस्तान तक सीधी समुद्री पहुँच प्रदान करता है।
3. इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) ढांचे के तहत भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

3. दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. REE सत्रह धात्विक तत्वों का एक समूह है, जिसमें 15 लैंथेनाइड, स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं।
2. अपने नाम के बावजूद, REE पृथ्वी की पपड़ी में वास्तव में दुर्लभ नहीं हैं।
3. चीन वर्तमान में विश्व स्तर पर REE का अग्रणी उत्पादक और शोधक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

4. यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में लखनऊ के शामिल होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. लखनऊ "गैस्ट्रोनॉमी शहर" के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया।
2. यह नामांकन उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशालय द्वारा तैयार किया गया था।
3. उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान इस पदनाम की घोषणा की गई।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

5. यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (यूसीसीएन) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सतत विकास के लिए रचनात्मकता का लाभ उठाने वाले शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2004 में इस नेटवर्क की स्थापना की गई थी।
2. वर्तमान में, यह 100 से अधिक देशों के 350 से अधिक शहरों को कवर करता है।
3. जयपुर, वाराणसी और हैदराबाद शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

6. निम्नलिखित में से किस संधि या समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है?

1. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)
2. परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW)
3. परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

7. हाल ही में प्रक्षेपित GSAT-7R उपग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह इसरो द्वारा विकसित भारत का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह है।
2. इसे श्रीहरिकोटा से LVM3 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया।
3. इसे मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

8. निपाह वायरस (NiV) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक जूनोटिक वायरस है जिसका प्राकृतिक स्रोत पटरोपस वंश के फल चमगादड़ हैं।
2. यह निकट संपर्क के माध्यम से मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है।
3. निपाह वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

9. ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह परियोजना भारत के समुद्री विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप है।
2. ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है और भारत के सबसे दक्षिणी सिरे, इंदिरा पॉइंट की मेजबानी करता है।
3. पारिस्थितिक नाजुकता और जनजातीय अधिकारों पर चिंताओं के कारण परियोजना की मंजूरी को चुनौती दी गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

10. प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह नेग्लेरिया फाउलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसे आमतौर पर "दिमाग खाने वाला जीवाणु" कहा जाता है।
2. यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित बूंदों के साँस लेने से फैलता है।
3. एम्फोटेरिसिन बी और मिल्टेफोसिन का उपयोग कभी-कभी इसके उपचार में किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

11. एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस (EMCV) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पिकोर्नवीरिडे परिवार और कार्डियोवायरस वंश से संबंधित है।
2. यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों और सरीसृपों को प्रभावित करता है, जो इसके प्राकृतिक भंडार के रूप में कार्य करते हैं।
3. संचरण आमतौर पर तब होता है जब जानवर कृंतक मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

12. भारत में "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डिजिटल गिरफ्तारी में, धोखेबाज आमतौर पर सरकारी अधिकारियों का वेश धारण करते हैं और पैसे ऐंठने के लिए पीड़ितों को गिरफ्तारी की धमकी देते हैं।
2. ऐसे घोटालों में अक्सर नकली पूछताछ करने के लिए फर्जी वीडियो कॉल या एआई-जनरेटेड दृश्य शामिल होते हैं।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इन घोटालों पर चिंता व्यक्त की है और देश भर में ₹3,000 करोड़ से अधिक के नुकसान का उल्लेख किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

13. क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 2026 संस्करण, क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी क्यूएस एशिया

यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 17वाँ संस्करण है।
2. चीन के बाद भारत इस रैंकिंग में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला उच्च शिक्षा तंत्र है।
3. हांगकांग विश्वविद्यालय 2026 के लिए एशिया में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. भारत-इज़राइल रक्षा संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. SIPRI (2020-2024) के अनुसार, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इज़राइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था।
2. दोनों देशों ने संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल प्रणाली और दृष्टि-10 स्टारलाइनर ड्रोन विकसित किया।
3. भारत और इज़राइल "ब्लू फ्लैग" जैसे सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं, जिसमें हवाई युद्ध प्रशिक्षण शामिल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

15. वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CITES को 1973 में अपनाया गया था और यह 1975 में लागू हुआ।
2. यह आवश्यक व्यापार विनियमन के स्तर के आधार पर प्रजातियों को परिशिष्ट I, II और III में वर्गीकृत करता है।
3. भारत CITES का पक्षकार नहीं है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इसके दिशानिर्देशों का पालन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2, और 3

16. हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए INS इक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा निर्मित सर्वेक्षण पोत (बड़ा) वर्ग का तीसरा पोत है।
2. यह पोत मुख्य रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. INS इक्षक स्वायत्त जलगत वाहनों (AUVs) और दूर से संचालित वाहनों (ROVs) से सुसज्जित है जो 11,000 मीटर की गहराई तक स्कैन करने में सक्षम हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

17. हाल ही में अपने 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव के दौरान चर्चा में रहे वंदे मातरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में की थी और यह पहली बार उनके बंगाली उपन्यास आनंदमठ (1882) में प्रकाशित हुआ था।
2. इसे पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन के दौरान सार्वजनिक रूप से गाया था।
3. वंदे मातरम को 26 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

18. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. FATF की स्थापना 1989 में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए एक अंतर-सरकारी निकाय के रूप में की गई थी।
2. भारत 2001 में FATF का पूर्ण सदस्य बना।
3. FATF के वैश्विक मानकों को "FATF 40 अनुशंसाएँ" नामक अनुशंसाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

19. कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (KNP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सिक्किम राज्य में स्थित है और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है।
2. यह भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मिलाकर "मिश्रित विरासत" स्थल के रूप में मान्यता दी गई है।
3. इसे 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया था।
4. हाल ही में IUCN की विश्व धरोहर आउटलुक 4 समीक्षा द्वारा पार्क को संरक्षण की स्थिति में "अच्छा" दर्जा दिया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

20. भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीबीएफसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 द्वारा शासित होता है।
2. भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले सभी फिल्मों को सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2022 में संशोधित) की धारा 49M के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह CITES परिशिष्टों में सूचीबद्ध जीवित अनुसूचित पशु प्रजातियों के कब्जे, हस्तांतरण, जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
2. यह केवल वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध जानवरों पर लागू होता है।
3. नियमों के अनुसार ऐसे जानवरों को रखने वाले सभी व्यक्तियों को PARIVESH 2.0 पोर्टल के माध्यम से राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास अपने नमूने पंजीकृत कराने होंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

22. 2025 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. COP30 का आयोजन ब्राज़ील द्वारा अमेज़न क्षेत्र में स्थित बेलेम शहर के हैंगर कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है।
2. सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील सरकार ने प्रतीकात्मक रूप से देश की राजधानी ब्रासीलिया से बेलेम स्थानांतरित कर दी।
3. वैश्विक जलवायु वार्ताओं में अनुभव रखने वाले ब्राज़ीलियाई राजनयिक आंद्रे कोरेआ डो लागो, COP30 के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।
4. COP30 का आयोजन बेलेम में करने का निर्णय पहली बार COP28 के दौरान घोषित किया गया था और 2024 में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

23. ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट फ़ॉरेवर फ़ैसिलिटी (TFFF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक स्थायी, स्व-वित्तपोषित निधि है जिसका उद्देश्य वनीकरण परियोजनाओं के लिए देशों को अनुदान प्रदान करना है।
2. इस निधि का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों पूँजी जुटाकर 125 बिलियन डॉलर जुटाना है।
3. इस निधि से भुगतान सत्यापित वन संरक्षण प्रदर्शन से जुड़े हैं।
4. इसका संचालन और प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया जायेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

24. भारत-अंगोला संबंधों में हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंगोला भारत के नेतृत्व वाली तीनों प्रमुख वैश्विक पहलों - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (IBCA) में शामिल हो चुका है।
2. भारत अंगोला का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और सबसे बड़ा तेल आयातक है।
3. भारतीय राष्ट्रपति की अंगोला यात्रा के दौरान मत्स्य पालन और

समुद्री संसाधनों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

25. बायोई3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) और भारत के पोषण परिवर्तन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बायोई3 नीति का उद्देश्य उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण के माध्यम से जैव-अर्थव्यवस्था को गति देना और स्थिरता को बढ़ावा देना है।
2. इसमें जैव-नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जैव-विनिर्माण और जैव-एआई केंद्र स्थापित करने जैसी पहलें शामिल हैं।
3. इस ढांचे के तहत, भारत के खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बदलाव के हिस्से के रूप में कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
4. यह नीति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

26. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संचालन हेतु भारत के नए दिशानिर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ढाँचा सात मार्गदर्शक "सूत्रों" पर आधारित है जो नवाचार को नैतिक और मानव-केंद्रित एआई डिज़ाइन के साथ संतुलित करते हैं।
2. ये दिशानिर्देश उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए एआई पर एक अलग राष्ट्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव करते हैं।
3. इसमे एआई सुरक्षा संस्थान (एआईएसआई) को एआई प्रणालियों के परीक्षण, प्रमाणन और पूर्वाग्रह निवारण हेतु भारत की सर्वोच्च एजेंसी के रूप में परिकल्पित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

27. भारत में न्यायाधिकरणों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत न्यायाधिकरणों की शुरुआत की गई थी।
2. अनुच्छेद 323A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
3. अनुच्छेद 323B कराधान, औद्योगिक विवादों और भूमि सुधार जैसे मामलों से निपटने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

28. डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डीएनए एक शर्करा-फॉस्फेट आधार और चार नाइट्रोजनी क्षारों - एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन से बना होता है।
2. डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन के साथ और साइटोसिन, हाइड्रोजन बंध द्वारा थाइमिन के साथ युग्मित होता है।
3. डीएनए प्रतिकृति, प्रतिलेखन और अनुवाद मिलकर आणविक जीव विज्ञान के केंद्रीय सिद्धांत का निर्माण करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

29. रिसिन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिसिन एक प्रोटीन विष है जो रिसिनस कम्युनिस के बीजों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अरंडी के तेल के उत्पादन में भी किया जाता है।
2. रिसिन मुख्य रूप से डीएनए प्रतिकृति को बाधित करके कोशिकीय क्षति पहुँचाता है।
3. रिसिन का संपर्क अंतर्ग्रहण, साँस लेने या इंजेक्शन के माध्यम से हो सकता है।
4. रिसिन विषाक्तता के लिए विश्व स्तर पर एक विशिष्ट मारक उपलब्ध है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

30. जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत 1995-2024 तक के दीर्घकालिक CRI में 9वें स्थान पर है।
2. 2024 में आर्थिक नुकसान के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
3. 2024 के लिए CRI में भारत 15वें स्थान पर है।
4. 2024 में चरम मौसम से प्रभावित लोगों के मामले में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष तीन में शामिल है।

सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 2,3 और 4
D: 1, 2 3 और 4

31. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नियमों के तहत डेटा फ़िड्युशरीज़ को डेटा प्रिंसिपलों को संग्रहण के उद्देश्य और डेटा अवधारण अवधि को निर्दिष्ट करते हुए मदवार सूचना प्रदान करनी होगी।
2. नियमों के तहत सहमति वापस लेने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है।
3. डेटा फ़िड्युशरीज़ को डेटा उल्लंघन के बारे में पता चलने के 72 घंटों के भीतर डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) को सूचित करना होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

32. भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह DPDP अधिनियम के तहत एक निर्णायक निकाय के रूप में कार्य करता है।
2. इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में है।
3. इसमें अध्यक्ष सहित सात सदस्य होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

33. नार्कोटेररिज्म के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह शब्द सबसे पहले आतंकवादी समूहों द्वारा वैचारिक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु मादक पदार्थों की तस्करी के उपयोग को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया था।
2. समकालीन संदर्भ में, नार्कोटेररिज्म में नशीले पदार्थों और हथियारों के परिवहन के लिए ड्रोन और समुद्री मार्गों का उपयोग शामिल है।
3. नार्कोटेररिज्म भ्रष्टाचार, अपराध और राज्य संस्थाओं की अस्थिरता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

34. डीआरडीओ के एनएसटीएल द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के मानव-पोर्टेबल स्वायत्त अंडरवाटर व्हीकल्स (एमपी-एयूवी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इन्हें तैनाती के लिए बड़े, विशिष्ट प्रक्षेपण प्लेटफार्मों की आवश्यकता होती है।
2. ये वास्तविक समय के मानव नियंत्रण के बिना स्वायत्त रूप से मिशनों को अंजाम दे सकते हैं।
3. ये साइड स्कैन सोनार और अंडरवाटर कैमरों जैसे सेंसर से लैस हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

35. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य कई खंडित निर्यात योजनाओं को एक परिणाम-आधारित ढाँचे में एकीकृत करना है।
2. इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
3. यह मिशन विशेष रूप से निर्यातकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पर केंद्रित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

36. शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है।
2. यह लाल चंदन (टेरोकार्पस सैंटालिनस) के विस्तृत वनों के लिए जाना जाता है।
3. यह तिरुपति के पास पश्चिमी घाट में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

37. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
3. यह संकटग्रस्त जीवों पर भारत की रेड डाटा बुक तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

38. COP30 में घोषित "राष्ट्रीय जलवायु और प्रकृति वित्त मंच" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस मंच का उद्देश्य जलवायु वित्त के लिए परियोजना-आधारित दृष्टिकोण को कार्यक्रम-आधारित निवेश दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करना है।
2. यह हरित जलवायु कोष (GCF) के माध्यम से समन्वित एक देश-संचालित पहल है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

39. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम 16–18 वर्ष आयु के उन किशोरों को, जो जघन्य अपराधों में शामिल हों, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा आकलन के बाद वयस्क के रूप में मुक़दमा चलाने की अनुमति देता है।
2. 2015 का अधिनियम गोद लेने से संबंधित सभी पूर्व व्यक्तिगत कानूनों—जैसे हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956—को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देता है।
3. यह अधिनियम गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

40. नवंबर 2025 में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की 7वीं NSA-स्तरीय बैठक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नई दिल्ली में की।
2. सेशेल्स ने CSC में पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया।
3. मलेशिया ने पहली बार अतिथि देश के रूप में बैठक में भाग लिया।

निम्नलिखित में से कौन सा/कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

41. UNICEF के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UNICEF मूल रूप से 1946 में विश्व युद्ध II से प्रभावित बच्चों को राहत देने के लिए बनाया गया था।
2. UNICEF अपनी फंडिंग के लिए मुख्य रूप से UN सदस्य देशों से निर्धारित योगदानों पर निर्भर करता है।
3. UNICEF 1953 में UN सिस्टम का स्थायी हिस्सा बन गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

42. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. तेजस भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 4.5-पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।

2. इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) के सहयोग से विकसित किया है।
3. तेजस को दुनिया के सबसे हल्के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

43. तेजस Mk1A संस्करण, जिसे हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल किया गया है, तेजस Mk-1 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन-से सुधार प्रदान करता है?

1. एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे (AESA) रडार
2. एयर-टू-एयर रीफ्यूलिंग क्षमता
3. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) सूट
4. बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज (BVR) उन्नत मिसाइलें

सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

44. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति के संवैधानिक और प्रक्रियागत ढांचे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान के अनुच्छेद 124(2) में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, जिनमें CJI भी शामिल हैं, की नियुक्ति का प्रावधान है।
2. वरिष्ठतम न्यायाधीश को अगला CJI नियुक्त करने का प्रचलन संविधान में स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

45. इंडिया–ब्राज़ील–दक्षिण अफ्रीका (IBSA) संवाद मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. IBSA को 2003 में एक त्रिपक्षीय समूह के रूप में दक्षिण–दक्षिण सहयोग और लोकतांत्रिक वैश्विक शासन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
2. IBSA एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तीन क्षेत्रीय शक्तियों को शामिल करता है।
3. IBSA एक औपचारिक संधि-आधारित संगठन है, जिसका स्थायी सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

46. असम समझौते के क्लॉज़ 6 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्लॉज़ 6 असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषायी पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाता है।
2. क्लॉज़ 6 के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार शर्मा ने की, ने कुल 57 सिफारिशें की थीं, जिन सभी को असम कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है।
3. क्लॉज़ 6 स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करता है कि “असमिया व्यक्ति” किसे माना जाएगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

47. INS महे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. INS महे, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा निर्मित महे-श्रेणी की एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) की पहली पोत है।
2. इस पोत में स्टील्थ क्षमताओं के तहत कम ध्वनिक हस्ताक्षर (low acoustic signature) और कम रडार क्रॉस-सेक्शन (low RCS) शामिल हैं।
3. INS महे के क्रेस्ट में कलारीपयट्टू से जुड़ी पारंपरिक उरुमि तलवार दर्शाई गई है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

48. Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER) हथियार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों

पर विचार कीजिए:

1. HAMMER एक मॉड्यूलर एयर-टू-ग्राउंड हथियार है, जो 1000 किलोग्राम तक के वारहेड ले जाने में सक्षम है।
2. इस हथियार की अधिकतम मारक दूरी लगभग 150 किमी है, जिससे यह लंबी दूरी के गहरे हमले (deep-strike) की क्षमता प्रदान करता है।
3. यह सभी मौसमों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी है।
4. यह केवल राफेल विमान के साथ ही संगत है, क्योंकि इसे मूल रूप से फ्रांस में विकसित किया गया था।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

49. संविधान के अनुच्छेद 240 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ संघ क्षेत्रों (Union Territories) के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, जिनकी वैधता संसद के अधिनियमों के समान होती है।
2. अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम उस संघ क्षेत्र पर लागू किसी भी केंद्रीय कानून को संशोधित या रद्द कर सकते हैं।
3. चंडीगढ़ वर्तमान में अनुच्छेद 240 के तहत शासित है।
4. पुडुचेरी हमेशा अनुच्छेद 240 के तहत आता है क्योंकि यह विधानमंडल वाला संघ क्षेत्र है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

50. संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) के चयन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक औपचारिक नामांकन (formal nomination) केवल तब किया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) और सुरक्षा परिषद (UNSC) के अध्यक्षों द्वारा संयुक्त पत्र जारी किया जाए।
2. किसी उम्मीदवार को UNSC में कम से कम 9 मत और किसी भी P5 सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन) द्वारा वेटो से बचना आवश्यक है ताकि उसे UNGA को सिफारिश के लिए भेजा जा सके।
3. UNGA, UNSC द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवार को अस्वीकार कर सकती है और स्वतंत्र रूप से कोई अन्य उम्मीदवार नियुक्त कर सकती है।

इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	A	11	B	21	B	31	D	41	B
2	A	12	D	22	C	32	A	42	A
3	D	13	D	23	C	33	C	43	D
4	C	14	C	24	B	34	C	44	A
5	D	15	A	25	C	35	A	45	A
6	D	16	C	26	B	36	A	46	A
7	A	17	A	27	B	37	D	47	C
8	D	18	B	28	B	38	C	48	B
9	D	19	C	29	B	39	B	49	B
10	B	20	C	30	B	40	C	50	A

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद
TEST SERIES PROGRAMME

UPPCS

PRELIMS TEST SERIES 2026

SCHOLARSHIP TEST

UPTO
100% OFF

28th DEC 2025

9:30 AM OFFLINE MODE

REGISTRATION
OPEN

LUCKNOW

☎7619903300	☎7570009003	☎8853467068
ALIGANJ	GOMTI NAGAR	PRAYAGRAJ